गुरुवार, 9 अप्रैल 1981

19 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 39, गुरुवार, 9 अप्रैल, 1981/19 चैत्र, 1903 (शक)

विषय		
निधन सम्बंध उल्लेख	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 743 से 746 और 749	...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 747, 748, 750 से 755 और 757 से 762	...	20-28
अतारांकित प्रश्न संख्या 6974 से 7000, और 7002 से 7113 और 7115 से 7130	...	28-122
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	...	122-124
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	124-126
लोक लेखा समिति		
बारहवां प्रतिवेदन	...	126-127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाना		
श्री बी. वी. देसाई	...	127-133
श्री एस. बी. चव्हाण	...	127-146
श्री हरिकेश बहादुर	...	132-135
श्री जैनुल बशर	...	135-138
प्रो. पी. जे. कुरियन	...	139-144
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	144-146

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर आकाशवाणी के पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में राम विलास पासवान द्वारा नियम 377 के अधीन उठाये गये मामले के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री बसन्त साठे ... 146-149

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन ... 149-152

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा मे जासापुरा-बांसपानी रेलवे लाइन के एटारी से बांसपानी द्वितीय चरण का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिहर सोरेन ... 152-153

(दो) कतिपय प्रेस संगठनों को दिल्ली में भूमि का आबंटन न किया जाना

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 153-154

(तीन) हाल ही की ओलावृष्टि से फसलों की हुई हानि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिया जाना

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ... 154

(चार) औषधि उद्योग के कर्मचारियों की समस्या

श्री रामावतार शास्त्री ... 154-155

(पांच) मनोरोग अस्पताल, रांची का कार्यकरण

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ... 155

(छः) वैल्लोर के किले के मन्दिर में जलकान्तेश्वर की मूल प्रतिमा स्थापित किया जाना

श्री अब्दुल समद ... 156

(सात) तमिलनाडु में बर्तनों के कारखानों को एल्युमिनियम की सप्लाई पुनः चालू करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को निदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री एम. कंडास्वामी ... 156-157

(आठ) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण और जमा राशियों के अनुपात में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 157

अनुदानों की मांगे, 1981-82

रक्षा मंत्रालय

श्री मनीराम बागड़ी ... 158-160

श्री जितेन्द्र प्रसाद ... 160-162
श्री एच. के. एल. भगत ... 163-166
श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 166-173
श्री गुलाम नबी आजाद ... 173-175
श्रीमती सुखबन्स कौर ... 175-178
श्री राम विलास पासवान ... 178-182
श्री अमरीन्द्र सिंह ... 182-186
श्री उत्तम राठौर ... 186-189
श्री सी. टी. दण्डपाणि ... 189-192
श्री एम. एस. संजीवीराव ... 192-194
श्री कमल नाथ ... 194-198
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् ... 198-213
डा. कर्ण सिंह ... 213-217
श्री नीरेन घोष ... 217-218
श्रीमती इन्दिरा गांधी ... 218-225
सभापटल पर रखे गये पत्र ... 226

लोक सभा

गुरुवार, 9 अप्रैल, 1981/19 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभी को चौधरी लाखनदास के दुःखद निधन के बारे में बताना है । वह 1962–67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के शहांजहांपुर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे ।

पहले वह 1937-52 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे ।

एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और जेल में रहे ।

एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया ।

28 मार्च, 1981 को 85 वर्ष की आयु में शहाँजहांपुर जिले के रघुनाथपुर गाँव में उनका देहान्त हो गया ।

अपने इस मित्र के निधन पर हमें गहरा शोक है और मुझे विश्वास है, शोक संतप्त परिवार को संवेदना प्रेषित करने में समूचा सदन मेरे साथ होगा ।

अपने दुःख की अभिव्यक्ति करने के लिए सदस्यगण कुछ पल के लिए मौन खड़े हों तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक्सरे का खर्च लिया जाना

*743. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली रोगियों से एक्स-रे का खर्च लेता है :

(ख) यदि हो, तो क्या यह भी सच है कि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे अन्य अस्पताल रोगियों से ऐसा कोई खर्च नहीं लेते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं कि देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान जनता को यह सेवा मुफ्त देने की स्थिति में नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ। लेकिन गरीब और असहाय रोगियों से एक्स-रे के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।

(ख) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी असहाय रोगियों से कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन बाह्य रोगी विभाग में आये ऐसे रोगियों से जो यह घोषित करते हैं कि उनकी मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से अधिक है, एक्स-रे के लिए निर्धारित फीस ली जाती है।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने यह बताया है कि एक्स-रे के लिए जो फीस ली जाती है वह राजस्व में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से नहीं ली जाती बल्कि महज इसलिए ली जाती है ताकि पैसा खर्च कर सकने वाले रोगियों को इस प्रवृत्ति को रोका जा सके कि वे मुफ्त एक्स-रे तो यहाँ से कराए और इलाज कराएं कहीं और से।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी, आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में सारे देश के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। जो गरीब लोग वहाँ आते हैं उनको इलाज कराने में वहाँ बड़ी कठिनाई और निराशा होती है क्योंकि उनसे चार्ज लिया जाता है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वहां गरीब लोगों से चार्ज नहीं लिया जाए ? जो गरीब लोग संसद सदस्य या अन्य किसी ऐसे लोगों से प्रमाणपत्र लेकर आएं कि ये गरीब लोग हैं और इनकी इतनी निश्चित आय है ऐसे लोगों से तो पैसा नहीं लेना चाहिए। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मूलत एक ऐसी अस्पताल है जहाँ आगे इलाज के लिए मरीजो को भेजा जाता है। इसलिए यहाँ विशेष इलाज के लिए मरीजों को भेजा जाता है। उसके बावजूद जैसा मैंने पहले कहा है वहां उन अन्तरंग रोगियों के लिए एक श्रेणी होती है जिनसे कभी एक्स-रे के लिए प्रभार नहीं लिया जाता मैं केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान में अपनाई जाने वाली कार्यशैली का उल्लेख करूंगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान में प्रत्येक रोगी को 5 रुपए अदा करने होते हैं जिसमें पंजीकरण, भोजन शल्य चिकित्सा तथा सभी जाँच शामिल होती है। यदि आप एक्स-रे की एक प्लेट लेते हैं तो उस प्लेट पर औसतन 30 से 40 रुपए तक की लागत आती है। संविध हम साधारणत: इस श्रेणी के मरीजों से केवल पांच रुपए ले हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह वे रोगी इस अस्पताल में पांच रुपए में विशेष प्रकार का एक्स-रे प्राप्त कर रहे हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मुझे संतोष नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि पांच रुपए लगते हैं, गरीबों से पाँच रुपए क्यों लिए जाएं क्या उन्हें मुफ्त

यह सुविधा नहीं दी जा सकती। मेरा निवेदन है कि इस बारे में विचार किया जाए और एक योजना बनाई जाए। क्या इस पर इतना खर्च आएगा जिससे शासनबर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री निहार रंजन लास्कर : यह बहुत अच्छा सुझाव है। हम संस्थान से यदि संभव तो, उसे तैयार करने के लिए कहेंगे।

श्री डी. पी. यादव : लगभग तीस वर्ष पूर्व कुल 65,000 अथवा 70,000 के लगभग इलाज के लिए भेजे जाने वाले रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह संस्थान शुरू किया गया था। यह संख्या थी। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लिए जाने वाले रोगियों की संख्या 7 लाख सालाना से भी ऊपर जा रही है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत क्या सरकार रोगियों की बढ़ती संख्या के अनुरुप अपना योजना गत और गैर-योजना गत बजट बढ़ाए जाने के लिए विचार कर रही है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह प्रश्न मूलतः एक्स-रे और एक्स-रे प्लेटों के लिए प्रभार लिये जाने से सम्बन्धित है।

श्री डी. पी. यादव : एक्स-रे में आप 10 गुना बढ़ाएंगे न ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं 1980 के आँकड़े दे सकता हूं।

श्री डी. पी. यादव : आप आउट-ले बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, नीड्स के मुताबिक ?

स्वास्थ और परिवार कल्याण (मंत्री श्री बी. शंकरानद) : अस्पताल का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना बजट होता है। इस वर्ष हमने पर्याप्तबजट की व्यवस्था की है। इसमें एक्स-रे के लिये पर्याप्त धनराशि का प्रावधान है।

श्री डी. पी. यादव : कितना ? क्या अब यह पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : हमने विशेष रुप से एक्स-रे बार बजट तैयार नहीं किया है।

श्री डी. पी. यादव : योजनागत और गैर-योजना गत बजट क्या है ? (व्यवधान)

डा. गोलम याजदानी : वे अन्तरंग रोगियों से एक एक्स-रे का 5 रुपया वसूल कर रहे हैं। लेकिन वहिरंग रोगियों के बारे में क्या करना है ? विशेष एक्स-रे के बारे में क्या कहना है, उदाहरण के लिए इन्ट्रावीनठ पाइलोग्राफी, कोलेसाइटोग्राफी और बेरियम मील के एक्सरे के बारे में ?

अन्तरंग रोगियों से और बहिरंग रोगियों से कितना कितना प्रभार लिया जाता है ? उनमें कितना अन्तर है ? आप यह बात कैसे जानते हैं कि रोगी गरीब है अथवा नहीं और इसे प्रमाणित कौन करता है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने पहले ही बताया है, अन्तरंग रोगियों से प्रति एक्स-रे प्लेट 5 रुपये लिये जाते हैं और अधिकतम प्रभार 25 रुपए है। हमारे पास आँकड़े हैं। विशेष एक्स-रे प्लेटों पर हमें 100 से 1000 रुपए तक खर्च करना होता है। लेकिन उस मामले में भी हम अधिक से अधिक 25 रुपया लेते हैं।

अन्तरंग रोगियों से उनकी आय के अनुसार प्रभार लेना होता है। हमारे पास पूरे आँकड़े हैं। यदि आप चाहें तो हम वे आकड़े आपको दे सकते हैं।

श्री जेवियर अराकल : जहां तक स्वास्थ्य योजना की सम्बन्ध है हमारे यहां एक राष्ट्रीय नीति नहीं है। मैंने यह मुद्दा पहले भी जोर देकर बताया है। स्वास्थ्य के मामले में राष्ट्रीय नीति अभाव के कारण, बहुत से लाभों का उपभोग धनी और प्रभाव शाली लोग कह रहे हैं। भुगतान कर सकने को मानदण्ड बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसी बात नहीं है। लाभ धनी और प्रभावशाली लोगों को मिले हैं अगर गरीबों को नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य के मामलों में मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार राष्ट्र के स्वास्थ्य की अहमियत को ध्यान में रखते हुये दूसरे देशों के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इसका प्रश्न विशेष से सम्बन्ध नहीं है।

श्री जोवियर अराकल : यह स्वाथ्य से सम्बन्धित मामला है। हम इस मामले से संबधित कुछ प्रश्न पूछने को विवश हैं। यदि माननीय मंत्री महोदय कहते हैं। मैं इस बारे निश्चित रुप से नहीं कह सकता अथवा मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है।

डा. कृपा सिन्धु भोई : देश में विकिरण खतरे के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मंत्री महोदय एक सिफारिश के अनुसार इस बात पर विचार करेंगे कि उन सभी बड़े अस्पतालों में जो भारत सरकार के अधिकार में हैं। 100 मिलीमीटर से कम की एक्स-रे फिल्मों का प्रयोग न किया जाए। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वे धनी रोगियों से प्रभार लेते हैं और ओ. पी. डी. में आने वाले रोगी सामान्यत: देश भर से आते हैं और वे इलाज लिए इस संस्थान में भेज दिए जाते हैं। यह एक ऐसा संस्थान है जो केवल दिल्ली अथवा इसके निकटवर्ती राज्यों के लिये नहीं हैं अपितु यह सारे भारत के लोगों के लिये है। धनी लोग प्राइवेट डाक्टरों के पास तथा बड़े मिशानरी अस्पतलों में जाते हैं। इस संदर्भ में क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि बहिरंग रोगी विभाग भी रोगियों से एक्स-रे के लिये प्रभार न ले ?

श्री निहार रंजन लास्कर : बहिरंग रोगियों के लिए भी हमने पहले ही कहा है कि कठिनाई यह है कि संस्थान में आने वाले लोग अपनी आय को हमेशा ही वास्तविक आय से कम बताते हैं। उसकी जांच करना हमारे लिए कठिन है। अन्यथा हम उनकी भुगतान कर सकने की क्षमता के अनुसार प्रभार लेना चाहते हैं।

डा. कृपा सिन्धु भाई : सामान्यत: छोटे अस्पतालों द्वारा रोगियों के मामलों को आने विचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेजा जा रहा है। धनी लोग प्राइवेट अस्पतालों में और देश के बोटी के डाक्टरों के पास जाना पसद करते हैं। इस संस्थान को भेजे जाने वाले रोगी अधिकांशत: सरकारी कर्मचारी होते हैं अथवा गरीब वर्गों के होते है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य को मानेंगे और इन लोगों से एक्स-रे के लिए प्रभार नहीं लेंगे जैसा वेइस समय ले रहे हैं।

दूसरा प्रश्न जो मैंने पूछा था वह है, विकिरण खतरे को रोकना। क्या माननीय मंत्री महोदय उन सभी अस्पतालों से, जो उनके अधिकार में हैं, वे कहेंगे कि वे 100 मिलीमीटर की एक्स-रे फिल्मों का प्रयोग करें, उससे कम की नहीं।

श्री बी. शंकरानन्द : यह धारणा सही नहीं है। यह धारणा जो माननीय सदस्य महोदय के दिमाग में है कि केवल गरीब रोगी ही संस्थान को भेजे जाते हैं। यह सही नहीं है। अनुभव

इसके विपरीत है। इस अस्पताल में भेजे जाने वाले रोगियों को धनी अथवा गरीब रोगियों की श्रेणियों नहीं रखा जाता है। अपितु धनी अस्पताल में आते हैं। हमारा अनुभव है कि वे अपनी वास्तविक आय कभी नहीं बताते हैं और गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं और इलाज कराते हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : एक वर्ष में आल इण्डिया मेडीकल इन्स्टीट्यूट को गवर्नमेंट को एक्स-रे के लिए कितना खर्च देना पड़ता है और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को कितना पड़ता है और दोनों से एक वर्ष में कितनी-कितनी आय होती है ?

श्री बी. शंकरानन्द : जैसा हमने पहले ही कहा है अस्पताल में कोई आय अर्जित करने की मंशा से ऐसा नहीं किया जाता है। यह गरीब रोगियों को निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए किया जाता है। आय-वार हमारे पास को आंकड़े नहीं हैं कि हमने इन एक्स-रे से कितनी आय की है। हम एक्स-रे विभाग में आय-वार आंकड़े नहीं रखते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने बताया है कि गरीबों और असमर्थ रोगियों को एक्स रे कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। गरीबी और असमर्थता की जाँच करने के लिए आपके पास कौन सा आला है, किसके कहने से किसी को आप गरीब मानते हैं ? इसका कोई मानदण्ड जरूर होगा। उस मानदण्ड की सूचना कृपया हम लोगों को दें।

श्री बी. शंकरानन्द : रोगियों को धनी अथवा गरीब होने की श्रेणियों के बारे में वे जानना चाहते हैं कि यह बात किसे प्रमाणित करनी होती है। इसको प्रमाणित करने वाला स्वयं मरीज ही होता है, उसी से पूछा जाता है कि वह शुल्क दे सकता है अथवा नहीं।

रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने के लिए यात्रियों को मुआवजा

*744. **श्री जी. एम. बनात वाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वीडन की नेशनल रेलवेज द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को, यदि रेल गाड़ियाँ बहुत विलम्ब से चलती हैं, तो मुआवजा देना होता है,

(ख) क्या सरकार हमारी रेलवेज के मामले में ऐसे उपाय करने पर विचार करेगी, और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत की स्थिति की तुलना स्वीडन की स्थिति से नहीं की जा सकती।

विवरण

स्वीडिश रेल रोड ने स्टाकहोम में हमारे दूतावास को निम्नलिखित जानकारी दी है।

'गाड़ियों के देरी से चलने, गाड़ी वा समाप्त किये जाने अथवा गाड़ी के गलत मेल के कारण यात्रियों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए रेल रोड बाध्य नहीं है। तथापि यात्रियों को यह अधिकार है कि उन्हें भोजन और आवास पर किये गये खर्च, यदि इसकी व्यवस्था रेल रोड

द्वारा नहीं की जाती है तथा टेलेक्स तथा आगे यात्रा जारी रखने के लिये किये गये खर्च को समुचित रूप से क्षतिपूरित किया जाए। असाधारण लम्बी दूरी की हवाई यात्रा अथवा टैक्सी द्वारा आगे की यात्रा जारी रखने के लिए क्षतिपूर्ति केवल विशेष मामलों में की जाती है। रेलों ने हमें बताया है कि वे किसी यात्री की तथाकथित आय की हानि अथवा लम्बी दूरी लिए टैक्सी द्वारा की गयी यात्रा आदि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे। गाड़ियों के देरी से पहुँचने अथवा गाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण रेलों पर किए गए दावे बहुत कम हैं तथा विरले मामलों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया भुगतान बहुत कम राशि का होता है।'

श्री जी. एम. बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय यदि रेल मंत्री ने नहीं कम से कम आप मुझसे सहमत होंगे कि यह एक अत्यन्त रुचिकर प्रश्न है। इस असाधारण विलम्ब के कारण, जो सभी रेलगाड़ियों के मामले में पाया जाता है, मंत्रियों को बहुत असुविधा होती है। क्या सरकार रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने से प्रभावित हुए व्यक्तियों को कम से कम अत्यन्त सामान्य सुविधाएं, उदाहरणार्थ आगे की यात्रा के मामले में सुविधाएं, टेलीफोन काल जैसी सुविधाएं आदि, देने पर विचार करेगी ? क्या रेलगाड़ियों के असाधारण विलम्ब से चलने के मामले में इनमें से कुछ सुविधाएं दी जायेंगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : स्वीडन जैसे स्कैण्डिनेवियाई देशों में स्थिति पूरी तरह से भिन्न प्रकार की है। इन स्थितियों को भारतीय प्रायद्वीप पर लागू नहीं किया जा सकता है माननीय सदस्य ने रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण यात्रियों को टेलीफोन और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिया है मैं इस गरिमा युक्त सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जनवरी 1980 से दिसम्बर 1980 तक जंजीर खींचने, होज पाइप कटाने और बिना टिकट यात्रा करने आदि के अनधिकृत 2,86,576 मामले हुए थे। ये सामाजिक बुराइयाँ भारत में विद्यमान हैं। अतः मंत्रियों को ऐसी सुविधायें देना सरकार की कल्पना से परे की बात है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, झूठे बहाने पेश किये जा रहे हैं। तथापि यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री ने वित्तीय बाधाओं के बहाने को पेश नहीं किया है। इस प्रयोजन के उचित विधान बनाते हुए जंजीर खींचने आदि के मामलों पर विचार किया जा सकता है। तथापि मेरे प्रश्न का प्रयोजन रेलगाड़ियों के चलने में असाधारण विलम्ब होने के बारे में सरकार का ध्यान खींचना है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा की है जिससे रेलगाड़ियाँ वास्तव में समय पर चलें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : हाल ही में हमने रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर दोनों में एक निगरानी पद्धति लागू की है ताकि प्रत्येक ट्रेन और उसके आवागमन की निगरानी की जा सके। दूसरे, हमने एक योजना भी बनाई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक ट्रेन सौंपी जायेगी और वह अधिकारी इस ट्रेन के आने जाने की जांच करेगा और समय पालन सुनिश्चित करेगा।

श्री पी. नामगयल : आम तौर पर भारत में सभी रेलगाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। मैं विशेष रूप से झेलम एक्सप्रेस के बारे में जानना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब इस रेलगाड़ी को विलम्ब न होता हो। विशेषकर इस महीने की तीन तारीख को झेलम एक्सप्रेस नौ घंटे देर से आई थी और उसके पहले कई अवसरों पर भी यह 13 घंटे तक देर से

आई थी। इसके कारण जम्मू और काश्मीर जाने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को दिक्कत होती है तथा उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार स्थितियों में सुधार लाने के लिए, विशेषकर झेलम एक्सप्रेस के बारे में जो पूना से आती है तथा सदैव देर से आती है, क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा मैं इस गरिमायुक्त सदन को सूचित कर चुका हूँ कि हम सभी निस्सन्देह समय के पालन के बारे में चिंतित हैं। रेलगाड़ियों को ठीक प्रकार से चलने के रास्ते में आ रहे बहुत से कारण हैं। अतः इन पर विचार करने के लिए बोर्ड कार्यालय में एक विशेष सैल बनाया गया है। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अब मान यातायात में वृद्धि होने के बाद हम पूरी तरह से समय पाबंदी लाने के बारे में ध्यान दे रहे हैं। इस समय हम पाबन्दी प्राप्त करने और बिना टिकट यात्रा करने के अभियान पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहे है। गाड़ियों के विलम्ब से चलने के संबंध में हमें खेद की भावना व्याप्त है··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए कहूँगा। वह भी आप में से एक विपक्ष के सदस्य हैं।

श्री ए. के. राय : महोदय, रेल मंत्रालय का रेलगाड़ियों के देरी से चलने की समस्या हल करने का अद्भुत तरीका है वे इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय वे गाड़ियों के सइस देरी से चलने को ठीक ठहरा कर और इसे नियमित करके समय सारणी में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरणार्थ राजधानी एक्सप्रेस का मामला लें। इसके चालन समय में वृद्धि की गई है। इसके बाद भी यह विलम्ब से चल रही हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम तीव्र गति की गाड़ियों के लिए जो विशेष एक्सप्रेस प्रभार लिए जाते हैं, उन्हें वापस कर दिया जायेगा यदि तीव्रगति की रेलगाड़ी अत्यन्त धीमी से चलती है···(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : चाहे यह तीव्र गति की ट्रेन हो अथवा कोई ट्रेन हो, उसे मार्ग पर चलना पड़ता है विशेष रूप से बिहार और इन क्षेत्रों में विस्फोट होते हैं और इसी प्रकार के अन्य कारण हैं। आंदोलन कर रहे वकील भी आते हैं और रेलवे मार्गों पर अनधिवास करते हैं जैसा कि दिल्ली और आगरा के निकट हुआ था। अतः इस प्रकार के बहुत से अन्य कारण हैं। हम इसको नियन्त्रण करने का प्रयास करते हैं और कभी-कभी इस कारण से रेल गाड़ी चलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री, महोदय ने अभी बताया कि जितनी गाड़ी चलेंगी, सब पर एक-एक अफसर रहेंगे।

श्री सी. के जाफर शरीफ : ना, ना।

श्रीमती कृष्णा साही : आपने जैसा बताया है, मैं जानना चाहती हूं कि जितनी गाड़ियां इनके पास चलती हैं, क्या उतने अफसरों की इनके पास व्यवस्था है? अभी डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने बताया कि 300 चेन पुलिंग हुई हैं तो ऐसी स्थिति में एक आफिसर क्या करामात दिखायेगा जिससे गाड़ी ठीक चलने लगेगी? अभी हालत में यह है कि पहुँचना सुबह है तो शाम को पहुँचते हैं। और शाम को पहुंचना है तो नैक्स्ट-डे सुबह पहुंचते हैं। इसके लिए मन्त्री

महोदय कौन-सा स्पेसेफिक स्टैप लेने जा रहे हैं जिससे यात्रियों को असुविधा न हो और हम सब लोग टाइम से पहुँच सकें ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैंने यह नहीं कहा है कि हर ट्रेन में एक आफिसर जाता है, मैंने यह कहा है कि एक-एक आफिसर की जिम्मेदारी में एक-एक ट्रेन की गई है, जिसकी मोनिटरिंग वह करते हैं।

मेरे माननीय सहयोगी आपको विभिन्न कारणों को स्पष्ट कर चुके हैं जैसे जंजीर खींचने होज पाइप आदि को असम्बद्ध करने आदि की घटनाएं जिससे समय-पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी गाड़ी से पटरने के उतरने, रेल दुर्घटनाएं आदि होती हैं। मेरे मित्र माननीय सदस्य श्री ए. के. राय तीव्र गति के ट्रेनों के बारे में बातचीत कर कर रहे थे। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रेल गाड़ियां समय पर चलें। हम रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने को ठीक ठीक करने के लिए समय-सारणी में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी सम नये हाल्ट देते हैं। माननीय सदस्य नये हाल्टों की मांग करते हैं। अतः हम स्थानीय मांग को और सदस्यों के हितों को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए समय-सारणी में संशोधन करना पड़ता है। समग्र रूप से ऐसे विभिन्न कारण हैं जो रास्ते में आते हैं और हमारा भरसक प्रयास यह सुनिश्चित करना होता है कि इन बाधाओं को दूर किया जाये और समय पालन किया जाये।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, माननीय, उप मन्त्री ने कहा है कि ऐसे विभिन्न कारण हैं जिससे कुछ रेलगाड़ियों के चलने में विलम्ब होता है। मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि यह विलम्ब रेलवे विभाग की गल्ती के कारण होता है तो क्या रेल मन्त्रालय इस बारे में मन्त्री महोदय द्वारा उल्लेख की गई विदेश में दी गई उन सभी सुविधाओं को यहाँ प्रदान करेगा इसको छोड़कर कि विशेष रेलगाड़ी विलम्ब में आय की कितनी हानि हुई है ?

यहां यह उल्लेख किया गया है कि भोजन और आवास पर किए गये खर्च तथा टैक्सेक्स और आगे यात्रा जारी रखने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया भुगतान कम राशि का होता है। यह रेलवे विभाग के लिए बहुत कम राशि हो सकती है। यदि यह रेलवे की गलती के कारण हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेलवे इस राशि का भुगतान करेगा अथवा नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : निस्संदेह यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ विलम्ब होते हैं।

जहां हम एक वर्ष में 35,050 लाख यात्रियों की आवश्यकतायें पूरी करते हैं वहाँ स्वीडन में केवल 660 लाख यात्रियों की आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं। स्टाकहोम में भारतीय दूतावास से टैलेक्स द्वारा सम्पर्क किया गया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि गाड़ियों के देरी से चलने, गाड़ी सेवा समाप्त किये जाने अथवा गाड़ी के गलत मेल के कारण यात्रियों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए रेलरोड बाध्य नहीं है। तथापि यात्रियों को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। लेकिन फिर भी स्वीडन में रेलरोड की ओर से यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी यात्रियों को, जहाँ रेलगाड़ियों के चलने में देरी हुई है, क्षतिपूर्ति की राशि अदा करें। जैसा मैंने उल्लेख किया है इस देश की स्थिति की तुलना में वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से अलग है।

श्री टी. आर. शमन्ना : हुबली-बंगलौर पैसेन्जर, के. के. एक्सप्रैस और महालक्ष्मी

एक्सप्रैस जैसी कुछ ट्रेनें हैं जो विम्लब से चलती हैं। गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्हें राहत देने हेतु आप क्या कार्यवाही करेंगे और इन असुबिधाओं को दूर करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मल्लिकार्जुन : इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसका उत्तर देने में अब कोई मुद्दा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री रवाणी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने अधिक समय ले लिया है। आप एक एक नोटिं दें। अगला प्रश्न। प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जायेगा। एक प्रश्न के लिए सात मिनट से अधिक समय की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह पीठासीन अधिकारी का विनिर्णय है। श्री रवाणी।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए मामले

*745. श्री नवीन रवाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 1 फरवरी, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत अनेक मामले पकड़े गए।

(ख) यदि हां तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान 1162 नमूने लिए गये थे। जन विश्लेषक ने बताया कि इनमें से 122 नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण उपबन्धों के अनुरूप नहीं थे। 72 मामलों में छानबीन करने के बाद मुकदमें चलाये गए हैं। दिल्ली प्रशासन ने 5 मामलों को अभियोग चलाने लायक नहीं समझा और शेष 45 मामले उनके विचाराधीन हैं।

श्री नवीन रवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आज-कल हम सुनते भी हैं और स्वयं जानते भी हैं कि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में और चीजों की मिलावट होती है। सुबह के वक्त चाय का प्याला लेते वक्त हम यह सोचते रहते हैं कि दूध, चीनी और चाय में कितनी मिलावट है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है और किस खाद्य पदार्थ में क्या चीज मिलाई जाती हैं ? अगर मन्त्री महोदय यह नहीं बता सकते हैं, तो वह यह बतायें कि क्या खाने की कोई ऐसी चीज है, जिसमें मिलावट नहीं होती है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह रिसर्च की है कि जो चीजें खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती हैं, उनसे क्या शारीरिक हानि या रोग होते हैं ? मन्त्री महोदय यह भी बतायें कि सामान्य जन को इस बात का पता लगे लिए कि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट है या नहीं, क्या इसके लिए कोई स्टडीज की गई है।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मैं अपने उत्तर में बता चुका हूँ कि लिए गए इन नमूनों में से, जन विश्लेषक ने बताया 122 नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं थे। मेरे पास यहां पर इनके ब्यौरे हैं, वे हैं :

1. फल उत्पाद	6
2. खाद्यान्न	13
3. खाद्य तेल	6
4 दुग्ध उत्पाद	15
5. दूध	2
6. काफी, चाय आदि	6
7. मसाले	45
8. मिठास पैदा करने वाले तत्व	6
9. पेय पदार्थ	16
10. अन्य विविध	8

इनका योग 122 मामले हैं।

श्री नवीन रवाणी : किस किस खाद्य पदार्थ में किस किस चीज की मिलावट होती है खाने से क्या शारीरिक हानि होती है, क्या उसकी स्टेडी की गई है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय हमारे पास यह ब्यौरे नहीं हैं।

श्री नवीन रवाणी : सामान्य तौर पर मिलावट करने वालों को महीनों बाद कुछ जुर्माना भरना पड़ता है। क्या उसकी कड़ी सजा देने के लिए कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां तो कितनी जल्दी सदन के समक्ष आप उसे लाने वाले हैं और जो उस केसेज कोर्टस में भेजे गए हैं उनका परिणाम क्या है तथा बाकी केसेज जो आप ने नहीं भेजे हैं, अन्डर केसिडरेशन हैं उनका क्या कारण है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय वर्तमान अधिनिम में लोगों को सजा देने के लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं। आवश्यकता केवल उनको लागू करने की है।

श्री नवीन रवाणी : मेरे प्रश्न का उत्तर नही आया। मैंने यह पूछा कि कड़ी सजा करने के लिए कानून का संशोधन करके सदन के समक्ष आप आना चाहते हैं या नहीं ?

श्री निहार रजन लास्कर : इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा, जो अभी इनका फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट है उसमें इतनी छूट है और इतना बड़ा उसका व्यापक दायरा बनाया गया है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट से एक इन्सपेक्टर को स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक वह किसी के विरूद्ध कार्यवाही कर ही नहीं सकता है। नतीजा यह हो रहा है कि अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। एडल्ट्रेशन का जो मामला है इसमें आदमी के जीवन और मौत का मामला है और आप देख रहे हैं कि लोग भी मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने सीधे कह दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है। सरकार को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि कोई विचार नहीं है। वह वर्तमान कानून को पढ़ें और उसमें वह देखें कि आज की परिस्थिति

में जहां घड़ल्ले से मिश्रण चल रहा है, फूड में ड्रग्स में सभी जगह यह मिश्रण चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उनको इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और एक्ट में संशोधन करके कड़ी से कड़ी सजा का विधान उसमें करना चाहिए। यह वह करेंगे या नहीं यह मैं जानना चाहता हूँ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय जैसाकि पहले कहा जा चुका है इस समय अधिनियम का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : इस सदन में दिल्ली में जो तेल के अन्दर मिलावट हो रही है उसके बारे में 3 7 के अन्दर मैंने एक सवाल फरवरी के लास्ट वीक में खड़ा किया था। आज सुबह मेरे घर पर लोग आ गए पूछने के लिए कि कौन-सी दुकान में क्या किसने कर दिया। यह हमारी ऐफिशयेंसी है, यहां एक सवाल खड़ा किया जाता है कि मूंगफली के तेल में रैपसीड आयल का एडल्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में यह हालत है।

मेरा दूसरा सवाल है कि जो कन्ज्यूमर आर्गेनाइजेन्शस अपनी एक टेस्टिंग लेबरेटरी बनाना चाहती हैं क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट मशीनरी से डिटेक्ट करने में जितना सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है तो ऐसी कन्ज्यूमर्स आर्गेनाइजेन्श को जैसे महिला दक्षता समिति अपना एक सेन्टर, कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन सेन्टर चला रही है, क्या उसको आप 75 परसेन्ट ग्रान्ट देने की व्यवस्था करेंगे ? क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तय किया है, पिछले तीन चार साल से कि उनकी ग्रान्ट 75 परसेन्ट रहेगी तो देश में कंज्यूमर्स की ओर से एडल्ट्रेशन के डिटेक्शन का काम जल्दी से जल्दी चले इसके लिए कुछ आप व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं और यह कमी जो है इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी आप खुलकर करेंगे ?

श्री बी. शंकरानन्द : हमें समाज के खिलाफ इस आराध को समाप्त करने के लिये इस देश के उपभोक्ताओं के सहयोग की आवश्यकता है। परन्तु माननीय सदस्य ने एक बिल्कुल नए पहलू का उल्लेख किया है। वे यह जानना चाहती हैं कि क्या मैं उनको कुछ अनुदान दे सकूंगा। जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सबंध है अनुदान के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, मुझे विश्वास है कि आप यह सुझाव वित्त मन्त्री को प्रेषित करेंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : सम्बद्ध मन्त्री से अनुरोध करना उनका आना काम है।

श्रीमती प्रमीला दंडवते : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने फरवरी में यह सवाल पूछा था उसका उत्तर नहीं आया।...(व्यवधान) डेढ़ महीने पहले मैंने यहां इस सदन में जो सवाल उठाया था उसके बारे में क्या हुआ ? आज सुबह मेरे घर पर अफसर आते हैं और पूछते हैं कि मेरी क्या शिकायत है ?...(व्यवधान) यह क्या है ?

श्री नारायण चौबे : महोदय, एक सदस्य द्वारा सदन में प्रश्न पूछा जाता है। उसका सदन में उत्तर नहीं दिया जाता परन्तु एक अधीकारी को प्रश्न के संबन्ध में सदस्य के घर पर भेजा जाता है। क्या यह लोकतन्त्र है। लोकतंत्र में यदि प्रश्न का सदन में उत्तर नहीं दिया जाये तो हम काम कैसे कर सकते हैं ?

श्री बी· शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का संबन्ध उनके द्वारा सदन में नियम 377 के अन्तर्गत किये गये उल्लेख से है। सदन में प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है और वह सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया पुस्तक में दी गई हैं। प्रक्रिया नियमों अथवा अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अन्तर्गत ऐसा कोई नियम नहीं है कि मन्त्री नियम 377 के अन्तर्गत उठाये गये विषयों पर उत्तर देने को बाध्य है। (व्यवधान) महोदय, इसके द्वारा मैं अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच रहा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनें। वे स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें। उन्होंने अपना कथन समाप्त नहीं किया है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने अपना कथन पूरा नहीं किया है। कमी हमें उनको सुनना नहीं चाहिये। उसके बाद ही आप अपनी बात कह सकते हैं। कृपया बैठ जायें। वह श्रीमती प्रमिला दंडवते की बातों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री बी, शंकरानन्द : मैं चाहता हूं कि सदन इस बारे में सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की ओर ध्यान दें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि माननीय मन्त्री को किसी सदस्य द्वारा लिखे पत्र का उत्तर देना चाहिये। परन्तु सदस्यों द्वारा लिखे पत्रों के उत्तर प्राप्त हों, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। माननीय मन्त्री को माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदस्य को ऐसा निदेश दें।

श्री आर. के· महालगी : उनको नियम 377 के अन्तर्गत उठाये गये विषयों का उत्तर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : : आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या कठिनाई है। आप मुख्य प्रश्न को खाद्य अपमिश्रण को बिल्कुल भूल गये हैं।

श्री आर. के. महालगी : मैं उसे नहीं भूल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुख्य प्रश्न को भूल रहे हैं। (व्यवधान) हम इस पर अब नहीं, किसी अन्य अवसर पर चर्चा करेंगे। अब हमें माननीय मन्त्री का उत्तर सुनना चाहिये।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, वह जानना चाहती हैं कि नियम 377 के अन्तर्गत उनके द्वारा उठाये गये मामले के बारे में हम क्या कर रहे है। महोदय वे यह पूछना चाहती हैं। हम मामले में कार्यवाही कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री कोचक का नाम पुकारता हू, अब मैं किसी अन्य सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) एक समय पर केवल एक सदस्य बोल सकता है। श्री कोचक। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक समान अवसर दे रहा हूँ।

श्री गुलाम रसूल कोचक : अपमिश्रण एक ऐसा मामला है जिसे हम सारे देश में देखते हैं। सरकार का इस बुराई को हमेशा के लिये दूर करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

श्री बी. शकरानन्द : कृपया प्रश्न को फिर से बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहते [illegible] श्न को दोहरायें।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मैं केवल यह कह रहा हूँ। खाद्य अपमिश्रण देश भर में एक आम बात है। सरकार का इस बुराई को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ? मेरा यह प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : हमेशा के लिये।

श्री बी. शंकरानन्द : हम मानव प्राणी हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य इस सदस्य के स्थायी हल के लिये कोई सुझाव दे सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया है उसकी तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ :

> "इस अवधि में 1162 नमूने लिये गये थे। इनमें से 122 के बारे में पहले के (पब्लिक अनेलिस्ट) द्वारा कहा गया कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं।"

आप कहते हैं कि 122 केसेज डिटेक्ट 'कए गए और चालान केवल 72 केसेज का किया गया तो दूसरे केसेज का चालान क्यों नहीं किया गया ? उसका क्या कारण था ?

श्री बी. शंकरानन्द : खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूने उठाये जाते हैं। तब नमूने सार्वजनिक विश्लेषक (पब्लिक अनेलिस्ट) के पास भेजे जाते हैं। वह प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण और जाँच करता है और जब वह यह पाता है कि विशेष नमूना अपमिश्रित है और इस बारे में अपना रिपोर्ट भेजता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है। इन नमूनों में से जिन मामलों में भी सार्वजनिक विश्लेषक ने यह बताया कि उनमें मुकदमे चलाया जा सकता है हमने मुकदमा दायर कर दिया है।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह बताया गया है कि सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा बताया गया था कि 122 मामले खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है परन्तु केवल 72 मामलों में ही मुकदमा चलाया गया है। शेष मामलों का क्या हुआ ? क्या उन पर विचार किया जा रहा है। यदि हाँ तो उन पर किस के द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री बी. शंकरानन्द : ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक विश्लेषक आज अपनी रिपोर्ट भेजे और कल से मुकदमा आरम्भ हो जाये। मामलों को न्यायालय में ले जाने के लिये एक निर्धारित प्रक्रिया है और शेष मामलों पर भी कानून के अनुसार विचार किया जायेगा··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शेष मामले विचाराधीन हैं।

हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से असबद्ध करना

*746. **श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी. वी. देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से असम्बद्ध करने का मामला पुनः उठाया गया है,

(ख) क्या सरकार हल्दिया को एक पृथक स्वायत्त प्रशासन के अन्तर्गत रखने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच करने के लिए दो संसदीय समिति गठित की है,

(घ) यदि हाँ, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी, और

(ङ) सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) कलकत्ता और हल्दिया डाक्स के एक साथ एक पत्तन के या दो अलग-अलग पत्तनों के रूप में काम करने के संभावित परिणामों तथा निहित व्यय आदि की संबन्धित परिचालनात्मक और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच करने के लिए जनवरी, 1981 में एक समिति गठित की गई है जिसमें श्री एच. आर. लक्ष्मीनारायण, विकास सलाहकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, श्री बी. वी. महाजन, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय तथा श्री आर. श्रीनिवास, पत्तन सलाहकार (पत्तन कार्य), भारतीय पत्तन एसोसिएशन सदस्य हैं। इस समिति से अपनी रिपोर्ट तीन महीने की अवधि में देने के लिए कहा गया है।

(ङ) जब इस समिति की रिपोर्ट मिल जाएगी, तब सरकारी स्तर पर इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : 1978 में इसी प्रकार एक-एक सदस्यीय समिति गठित की गई थी और उसने अपने प्रतिवेदन मे यह सुझाव दिया था कि हल्दिया को कलकत्ता से असमबद्ध न न किया जाये। उसने भी यह कहा था कि एक नदी—एक बन्दरगाह सकल्पना होनी चाहिए। इसको देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि नई समिति का गठन किन परिस्थितियों में किया गया है ? तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : यह सच है कि वर्ष 1975 में और 1978 में नहीं, श्री ए. के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यह एक दो सदस्यीय समिति थी और उसके दूसरे सदस्य श्री पी. आर. सुब्रह्मनियम थे। इस समिति ने प्रश्न पर विचार करने के बाद यह कहा कि दोनों बन्दरगाहों के लिए एक परिचालन निकाय होना चाहिए परन्तु यह एक अल्पावधि सुझाव था। यह एक अन्तिम निर्णय नहीं था और उस प्रतिवेदन में उन्होने यह भी उल्लेख किया था कि हल्दिया बन्दरगाह परियोजना के पूरा होने में दो से तीन वर्ष का समय लगने की सम्भावना है और उसके बाद परिचालन एवं वित्तीय हानि से पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में तीन से चार वर्ष लगेंगे। अतः इस कारण यह आवश्यक है कि कलकत्ता बन्दरगाह न्यास तक के लिए इसका प्रभारी रहे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह व्यवस्था हल्दिया बन्दरगाह के पूरा होने तक केवल अस्थायी रूप से बनी रहे। हल्दिया बन्दरगाह अब पूरा हो गया है और इस बन्दरगाह के विकास पर अधिक धन व्यय करने की हमने महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस प्रतिवेदन को देखते हुए हम अब इस बात की जाँच कर रहे हैं कि क्या दोनों बन्दरगाहों के लिए एक प्राधिकरण बनाना उचित है अथवा प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्राधिकरण बनाना उचित है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : वर्ष 1959 तक भारतीय बन्दरगाहों में कलकत्ता बन्दरगाह का प्रथम स्थान था। आज उसका स्थान पांचवां है। इसका पहला कारण 40,000 क्यूसेक पानी की सप्लाई, दूसरा कारण कलकत्ता बन्दरगाह से गाद निकालने सम्बन्धी कार्य का असंतोषजनक होना है। कलकत्ता बन्दरगाह भी इस क्षेत्र में गाद निकालने के कार्य के लिए 26 करोड़ रुपये से ज्यादा काम करता है। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूँ कि कलकत्ता बन्दरगाह पर गाद निकालने के कार्य में सुधार लाने के लिए वे क्या उपाय करने जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह की क्षमता में कमी आ रही है। एक समय यह क्षमता 10—11 मिलियन टन थी। और अब यह 3.5 मिलियन टन है। कलकत्ता बन्दरगाह की समस्या यह है कि इसका तल काफी ऊंचा है, और किसी किसी क्षेत्र में यह 18 से 20 फुट होता है और कुछ दिन तक यह 26 से 28 फुट होता है। इसलिए, बड़े पोत दूसरे बन्दरगाहों को जा रहे हैं। ऊंचा तल होने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह इस स्थिति में नहीं है कि वहां बड़े पोत आ सकें। हम तल की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी मुख्य कठिनाई वेलारी बाग है। पूना अनुसंधान केन्द्र पूना तथा जर्मनी में हामबुर्ग में भी आंकड़ों सम्बन्धी अध्ययन किए गए हैं। हामबुर्गन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पूना अनुसंधान केन्द्र में कुछ अध्ययन किए जाने अभी बाकी हैं। इसके आधार पर कलकत्ता बन्दरगाह विस्तृत योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार करेगा और हम इसके तल में सुधार करने के लिए अपने भरसक प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी, हम इस बात को देखेंगे कि इस प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए।

श्री बी. वी. देसाई : महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता बन्दरगाह की स्थिति काफी गिरती जा रही है, क्या कलकत्ता के लिए हल्दिया बन्दरगाह इसका पूरक होगा क्योंकि जहाँ तक गाद निकालने का सम्बन्ध है, फरक्का के पानी का मामला अब भी शान्त अवस्था में है और इसके विकल्प के रूप में यदि हल्दिया बन्दरगाह का विकास किया जाता है, तो क्या 11.5 अथवा 15 मिलियन टन माल की ढुलाई-उतराई करने की पुरानी क्षमता प्राप्त करना सम्भव होगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य ने उस बात को समझा भी है या नहीं, जो मैंने पहले ही बता दी है। मैंने कहा है कि कलकत्ता बन्दरगाह अलग है और हल्दिया बन्दरगाह अलग है। मैं समझता हूँ कि वर्ष 1966 में, तत्कालीन सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि कलकत्ता बन्दरगाह बड़े पोतों के लादे जाने की स्थिति में नहीं है यातायात बनाये रखने तथा यातायात संभालने के लिए हल्दिया में एक और बन्दरगाह का विकास किया गया। अब इसे मुख्त बन्दगाह के रूप में विकसित किया गया है। जहां तक गाद निकालने का सम्बन्ध है, हम गाद निकालने के कार्य पर भारी राशि व्यय कर रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि गाद निकालने के कार्य हेतु कलकत्ता बन्दरगाह द्वारा प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहे हैं। कलकत्ता बन्दरगाह के तल से ऊपर नदी के बहाव को बनाये रखने के लिए भी भारी राशि खर्च की जा रही है। वे जो भी राशि खर्च कर रहे हैं, भारत सरकार उसका 80 प्रशित अनुदान राशि के रूप में दे रही है। इस प्रकार हम कलकत्ता बन्दरगाह की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। कठिनाई तल के सम्बन्ध में है।

श्री नारायण चौबे : मंत्री महोदय ने ठीक कहा है कि कलकत्ता बन्दरगाह को जल की समस्या के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बन्दरगाह में बड़े पोत नहीं आ सकते। किन्तु यह स्थिति हल्दिया के बारे में भी है। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो प्रशासन द्वारा अनेक वर्षों से बेलारी बाग का प्रश्न सामने रख दिया गया है। वहाँ हल्दिया बन्दरगाह है। मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि क्या यह सच है अथवा नहीं—कि कठिनाई बेलारी बाग ही नहीं है अपितु कम पानी के महीनों के दौरान फरक्का बांध से जल दिए जाने से भी कलकत्ता तथा हल्दिया में गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि हल्दिया और कलकत्ता बन्दरगाहों के सुचारु रूप से कार्यकरण के लिए फरक्का बाँध से 40,000 क्यूसेक पानी मिलने की गारंटी हो सके ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक फरक्का से पानी दिये जाने का प्रश्न है, इस मामले का मेरे मन्त्रालय से को सम्बन्ध नहीं है। यह कार्य सिंचाई मन्त्रालय का है, जो बंगला देश के साथ बातचीत कर रहा है। मुझे स्थिति की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य फरक्का बाँध से पानी दिये जाने के बारे में ब्यौरा जानना चाहते हैं, तो अच्छा यह होगा कि यह प्रश्न सिंचाई मंत्रालय से पूछा जाए।

श्री नारायण चौबे : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि इसका उनके मत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नारायण चौबे : इसका सम्बन्ध सिंचाई मंत्रालय से हो सकता है, किन्तु क्या इसका बन्दरगाह प्राधिकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जब हल्दिया बन्दरगाह की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कलकत्ता बन्दरगाह के एक सहायक बन्दरगाह के रूप में की गई थी। जब हम एक स्वायन्तशासी समिति बनाने के बारे में विचार करे तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कलकत्ता और हल्दिया-दोनों बन्दरगाहों के लिए एक स्वायन्तशासी समिति होनी चाहिये ताकि इन दो बन्दरगाहों के कार्यकरण के बीच तालमेल रह सके।

मैं उस बारे में जानकारी मांगना चाहता हूँ जिसके लिए श्री चौबे ने भी कहा है पानी की कमी के महीनों के दौरान 40,000 क्यूसेक पानी दिए जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने हमें सुझाव दिया है कि हम यह प्रश्न सिंचाई मंत्रालय से पूछें। किन्तु कलकत्ता तथा हल्दिया स्थित दोनों बन्दरगाहों के ठोक ढग से कार्यकरण का विषय श्री पाटिल के मत्रालय के अन्तर्गत आया है। अतः उनके मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय के बीच समन्वय जरूर होना चाहिए। कलकत्ता तथा हल्दिया बन्दरगाहों को बचाने के लिए कम पानी वाले महीनों के दौरान न केवल गाद निकालने अपितु, 40,000 क्यूसेक पानी जारी किए जाने के बारे में यह जानना चाहूँगा कि क्या कलकत्ता और हल्दिया इन दोनों बन्दरगाहों के सुचारु रूप से कार्य करने के लिये एक ही स्वामन्त शासी समिति होगी और क्या वे इस मामले में पहले करेंगे और कम पानी वाले महीनों के दौरान 40,000 क्यूसेक पानी सुनिश्चित करने के लिए वे अपने मंत्रालय तथा सिंचाई मंत्रालय के बीच समन्वय सुनिश्चित करेंगे। मैं इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर चाहता हूँ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि कलकत्ता तथा हल्दिया में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए फरक्का से कितना पानी के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में सिंचाई मत्रालय को पहले ही बता दिया है। अब यह कार्य सिंचाई मंत्रालय का है कि वह इस बारे में बंगला देश सरकार से बातचीत करे और फरक्का बाँध से कितने भी पानी के लिये जाने के आवश्यकता है, उसे सुनिचित करे। अत: मेरा कहना है कि यहाँ तक फरक्का बाँध के पानी लिए जाने का प्रश्न है इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इस समस्या के बारे में सिंचाई मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है। अत: मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

अब माननीय सदस्य द्वारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि दोनों बन्दरगाहों के सुचारु रूप से कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये इन्हें एक प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये अथवा क्या उन्हें क्रमश: हल्दिया और कलकत्ता बन्दरगाहों के पृथक-पृथक प्राधिकरणों के अन्तर्गत रखा जाये। इस समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, और इनसे रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह को हल्दिया से सचालित किए जाने के कारण हल्दिया बन्दरगाह को सुचारु रूप से कार्यकरण में बाधा आई है? कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारीगण कार द्वारा प्रतिदिन हल्दिया जाते हैं, जिससे इसमें भारी व्यय होता है। वहाँ अनेक क्वार्टर खाली पड़े हैं और कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारी हल्दिया बन्दरगाह में रहने को तैयार नहीं है। इसलिये बन्दरगाह के सुचारु रूप से कार्यकरण में रूकावट आ रही है। यदि यह सच है, तो क्या मंत्री महोदय हमें भी बतायेंगे, कि वे पिछले एक वर्ष के दौरान कलकत्ता तथा हल्दिया बन्दरगाह में हड़ताल तथा अन्य कारणों से कितने जन दिवसों की हानि हुई?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने अभी अभी जो बताया है, हमें भी विभिन्न संगठनों से ऐसी ही रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि अधिकारी लोग आते हैं और जाते हैं तथा वे वहां ठहर नहीं रहे हैं, आदि-आदि। यह एक ऐसा मामला है, जिस पर समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले विचार करेगी। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि कलकत्ता बन्दरगाह पर श्रमिकों की संख्या 31,913 है और कलकत्ता बन्दरगाह पर केवल 3.5 मिलियन टन यातायात की ढुलाई-उतराई की जाती है। बम्बई में श्रमिकों की संख्या प्राय: यही है, लगभग 30-32,000 और यहां 10 मिलियन टन से ज्यादा यातायात की ढुलाई-उतराई की जाती है। इससे कोई भी इस बात का अनुमान लगा सकता है कि कलकत्ता बन्दरगाह पर कितने अतिरिक्त श्रमिक हैं।

डा. कृपा सिन्धु भोई : आप जानते हैं कि देश के लिए हमे विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता है। अत: इस सम्बन्ध में, बन्दरगाह कार्य सुचारु होना चाहिए और माल की ढुलाई-उतराई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूर्वी तटों पर अन्य बन्दगारों की माल की ढुलाई-उतारई की क्षति की पूर्ति करने के लिए, क्या मंत्री महोदय देश के सबसे ज्यादा गहरे बन्दरगाह जिनकी तुलना विश्व के ओडास बन्दरगाह से की जा सकती है, अर्थात पारादीप बन्दरगाह के बारे में विचार करेंगे? अब वहाँ गहराई 34 फुट है और मिट्टी भी काफी दलदली है वहाँ गाद निकालने की लागत देना में किसी भी बन्दरगाह की तुलना में 50 प्रतिशत कम हैं। इस सम्बन्ध में चूंकि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी राशि का उपबन्ध नहीं रखा

गया है, इसलिए क्या मन्त्री महोदय, जैसा कि सोवियत संघ के विशेषज्ञों ने बताया है, 19 पोत बर्थ पूरी करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने पारादीप बन्दरगाह के बारे में कुछ जानकारी माँगी है, किन्तु प्रश्न हल्दिया और कलकत्ता बन्दरगाह के सम्बन्ध में है। दुर्भाग्यवश मेरे पास अभी जानकारी नहीं हैं यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूँ।

पर्वतीय राज्यों में रेल लाइनें

*749. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में नई लाइनें बनाने के लिए लाभप्रदता के मानदंड, जैसा कि मैदानी क्षेत्रों में नई लाइनें बनाने के मामले में होता है, में ढील देकर उदार दृष्टिकोण अपनाया है,

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान इस दृष्टि से पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में से प्रत्येक में निर्माण के लिए कौन-कौन सी नई रेल लाइनों की योजना है तथा इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्यों का क्या योगदान है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह दृष्टिकोण कब तक अपनाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) . देश के विभिन्न भागों में पर्वतीय राज्यों तथा तराई वाले जिलों सहित कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित नयी लाइनों/सर्वेक्षणों का काम हाथ में लिया गया है —

1. उत्तर प्रदेश में रामपुर से न्यू हलद्वानी तक नयी बड़ी लाइन (78.4 कि. मी.) जो एक अनुमोदित कार्य है और पहले ही प्रगति पर है।

2. उत्तर प्रदेश में बरेली से भोजीपुरा तक समानान्तर बड़ी लाइन (19.31 कि. मी.) के लिए प्राथमिक इन्जीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण तथा भोजीपुर से काठगोदाम तक के मोटर लाइन खंड (87.30 कि. मी.) का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश में (1) अलीगंज से अफजलगढ़ (42 कि. मी.) तथा (2) अफजलगढ़ के रास्ते धामपुर से कालागढ़ तक (36 कि. मी.) नयी बड़ी लाइन रेल सम्पर्कों के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एव यातायात सर्वेक्षण का कार्य 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है।

4. 1980-81 के बजट में शामिल हिमाचल प्रदेश में नंगल डैम से तलवाड़ा (83.739 कि. मी.) तक नयी बड़ी लाइन के लिए यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण के पुर्नमुल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है और मार्च 1981 में प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच की जा रही है।

5. 1980-81 के बजट में शामिल हिमाचल प्रदेश में कालका परवानू तक (6.6 कि. मी,

बड़ी लाइन के लिए इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के पुनर्मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है और जल्दी पूरा होने की सम्भावना है ।

6. जम्मू-कश्मीर में (39.03 कि. मी.) जम्मू-ऊधमपुर बड़ी लाइन पर 40.45 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान लगाया गया है । इस लाइन का अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है और मार्च, 1981 में प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है । इस लाइन को छठी योजना में शामिल किया जा रहा है जिसके लिए 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

7. कर्नाटक में चामराजनगर से तमिलनाडु में नीलगिरि जिले के पार मेत्तुपलायम तक बड़ी लाइन के निर्माण प्रारम्भिक इंजीनियरी-एव यातायात सर्वेक्षण का कार्य 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है ।

8. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बनायी जा रही नयी रेल लाइनें

(i) अरुणाचल प्रदेश/असम में बालीपाड़ा-भालुकपोंग मीटर लाइन (33.46 कि. मी.)

(ii) त्रिपुरा में धर्मनगर-कुमारघाट मीटर लाइन (33.55 कि.मी.)

(iii) मणीपुर/असम में सिलचर-जिरीबाम मीटर लाइन (50.70 कि.मी.)

(iv) मिजोरम/असम में लालघाट-भैरावी मीटर लाइन (48.77 कि. मी.

(v) मेघालय/असम में गौहाटी बरनीहाट बड़ी लाइन (24.82 कि. मी.)

(vi) नागालैण्ड/असम में आमगुड़ी-तुली मीटर लाइन (17.07 कि. मी.)

9. पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव

(i) बरसोई तथा अलुआड़ी रोड के रास्ते कटिहार से सिलीगुड़ी तक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए इंजीनियरी एव यातायात सर्वेक्षण (209 कि. मी.)

(ii) जगई रोड (गौहाटी) से बदरपुर तक वैकल्पिक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क (296 कि. मी. के लिए प्रारम्भिक इजीनियरी एव यातायात सर्वेक्षण ।

(iii) टिपलिंग से ईटानगर तक मीटर लाइन (70 कि. मी.) के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन ।

(iv) कुमारघाट से अगरतला तक (120 कि. मी.) एक नयी बड़ी लाइन के प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना ।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय रेल मंत्री पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति काफी उदार हैं और अनेक रेलवे लाइनों का उल्लेख किया गया है किन्तु केवल सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु । क्या मैं एक विशेष परियोजना के बारे में पूछ सकता हूँ जिसके लिए रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र गए थे और जिसके निर्माण का उद्घाटन किया था तथा जिसके लिए राज्य के मुख्य मंत्री ने राज्य के योगदान के रूप में 4 करोड़ रु० दिए थे । क्या रेल मंत्री इन बातों पर विचार करेंगे और रेल मंत्री द्वारा दिए गए इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसे इस वर्ष शुरू करायेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह विशेष लाईन, जिसका उल्लेख प्रो. नारायण ने किया है, हिमाचल प्रदेश में नांगला से तलवाड़ा तक की लाइन है । वह पर्वतीय प्रदेश है, जिसके लिए

सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई है और इसकी जांच चल रही है। स्वभावतः, हमने उदार दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 1974 में प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्वी परिषद के सदस्यों की एक बैठक स्वयं बुलाई थी और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जहाँ तक पर्वतीय राज्यों के विकास का प्रश्न है, धन दिए जाने हेतु परम्परागत दृष्टिकोण पर नहीं अपनाया जाएगा। इसके लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इस लाइन विशेष की जाँच के बाद, इसके लिए योजना आयोग की मंजूरी ली जाएगी। तब इसे शुरू किया जाएगा।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : कालका से परवानू तक 5 कि. मी. लाईन के विस्तार का एक और मामला है, जिसकी मांग हमारे माननीय मुख्य मंत्री करते आये हैं, जिसके निर्माण हेतु वे राज्य कोष के लिए श्रम सम्बन्धी लागत का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। क्या माननीय रेल उप-मंत्री इस सम्बन्ध में प्रगति के बारे में सभी को सूचित करेंगे और आश्वस्त करेंगे कि इस पर भी इसी वर्ष विचार किया जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : कालका से परवानू तक की लाइन भी एक ऐसी लाइन है जो अन्य लाइनों के साथ-साथ सर्वेक्षण के अधीन है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए इस पर विचार किया जाएग।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुछना चाहता हूँ कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाने की जो योजना बनाई है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र का क्या क्राइटेरिया है। पर्वतीय क्षेत्र किसको माना जाता है। मैं मध्य प्रदेश आता हूँ, वहाँ पर्वतीय इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन वहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र का क्या क्राइटेरिया मानते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में किरदूल से लेकर बाल्टेअर तक रेलवे लाइन है और वह भी इलेक्ट्रिफाइट है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रोहतास इन्डस्ट्रीज पर रेलवे को देय बकाया राशि

*747. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रोहतास इन्डस्ट्रीज द्वारा भाड़े तथा विलम्ब शुल्क (डैमरेज) के रूप में रेलवे को 3 1 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि वसूल कर ली गई है और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है, और

(ग) भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 28-2-1981 को विलम्ब शुल्क के लेखे के 2.76 करोड़ रुपयों सहित 3.06 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(ख) पार्टी ने मार्च, 1981 में 7.74 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था और इस प्रकार 31-3-1981 को 2.98 करोड़ रुपये की राशि शेष है।

(ग) मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज ने उनके कारखाने के लिए बुक किये गये माल डिब्बों के सम्बन्ध में विलम्ब प्रभारों की संगणना करने की प्रक्रिया का विरोध किया है। इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का विकास

*748. श्री के. ए. स्वामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में कितनी धनराशि आबटित की गई;

(ख) क्या बढ़िया होम्यपैथिक दवाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी; और

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) :

(क) वर्ष	(रुपये लाखों में) आबंटित धनराशि
1979-80 (अन्तिम अनुदान)	63.00
1980-81	54.25
1981-82	86.00

(ख) जी हाँ। एक प्रयोगशाला गाजियाबाद में है :

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित संस्थाएं स्थापित की हैं :—

(1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अधीन होम्योपैथी की केन्द्रीए परिषद। इसका काम होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करना है।

(2) होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद। इसका काम होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य आरम्भ करना, उनका विकास, समन्वय करना और उसके लिए सहायता देना है तथा रोगों की रोकथाम के उपायों, उनके कारणों और उपचारों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं में वृद्धि करना है।

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कलकत्ता। इसका काम होम्योपैथी को बढ़ावा देने तथा विकास करने और होम्योपैथी में उच्च प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी परिचर्या की सुविधाएं उपलब्ध करना है।

(4) होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद। इसका काम होम्योपैथिक औषधियों के मानक निर्धारित करना और विदेशी पादपों के समान गुण वाले स्वदेशी पादपों का पता लगाना तथा होम्योपैथी से सम्बन्धित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत औषधियों के बाजारी नमूनों का परीक्षण करना है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 23 होम्योपैथिक औषधालय/यूनिटें कार्य कर रही हैं। 1981-82 में छः और औषधालय खोलने का विचार है।

रेलवे बुक स्टालों पर अश्लील साहित्य

*750. श्री चिन्ता मणी जेना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि रेलवे बुक-स्टाल अवैध रूप से अश्लील साहित्य की बिक्री कर रहा है;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने इस किस्म के कुछ मामलों का पता लगाया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि इन स्टालों पर केवल स्वस्थ साहित्य की बिक्री हो ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, ऐसे अश्लील और फूहड़ साहित्य और ऐसे प्रकाशन पर रोक लगायी जाती है जिनके सम्बन्ध में उचित, पर्याप्त और यथोचित आपत्ति उठाई जाती है।

वैगनों का उपयोग करने की क्षमता

*751. श्री दिग्विजय सिंह :

श्री एन. के. शेजवलकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों का उपयोग करने की क्षमता में कमी आई है और 1976-77 में 96 प्रतिशत की तुलना में यह 1979-80 में 87 प्रतिशत पर आ गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) रेलों में माल डिब्बों की उपयोगिता क्षमता कार्यान्वित करने जैसी कोई सूची नहीं रखी जाती है। रेलों में माल डिब्बों की उपयोगिता प्रति माल डिब्बा दिन शुद्ध टन कि. मी. की विस्तृत सूची के आधार पर मालूम की जाती है और यह बड़ी लाइन पर 1976-77 के 1019 से घटकर 1979-80 में 972 तथा मीटर लाइन पर 570 से घट कर 534 हो गयी है।

(ख) 1970-80 के दौरान रेलवे परिचालन पर अनेक कारणों से प्रभाव पड़ा जैसे विभिन्न राज्यों में व्यापक तथा भारी बिजली की कटौती, जिससे न केवल अलग-अलग उत्पादन पर बल्कि रेलों के संचलन पर भी प्रभाव पड़ा, आन्दोलनों तथा बन्दों से रेल संचलन अक्सर अस्त-व्यस्त रहा, कुछ खंडों जैसे पत्तनों में हड़ताल जिसके कारण माल डिब्बे रुके रहे। तेल संस्थापना यूनिटों तथा कुछ लौह अयस्क खानों में यदा-कदा काम रोक देने के फलस्वरूप यातायात कम हुआ। कोकिंग कोयले की अपेक्षित मात्रा की कमी के कारण, 1979-80 की पहली छमाही में इस्पात संयंत्रों की अन्य कच्ची सामग्री की मांग में भी गिरावट आयी। समग्र गतिशीलता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण रेल कर्मचारियों विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में तथा मुख्यतः कोटवार गैर-मान्यता प्राप्त वर्ग द्वारा आन्दोलन करना था। काम रोक देने या धीरे काम करने की नीति अपनाने जैसे आन्दोलनों से विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर बंगाल-बिहार क्षेत्रों के

कोयले के लदान के क्षेत्रों में, उत्पादन में कमी हुई। कुल मिलाकर इन सभी कारणों से माल यातायात की ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप बड़ी तथा छोटी दोनों लाइनों में 1979-80 में प्रति माल डिब्बा दिन शुद्ध टन कि. मी. में गिरावट आयी।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान माल यातायात के लदान में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं जिनसे प्रति माल डिब्बा दिन शुद्ध टन कि. मी. में भी सुधार हुआ है।

(1) परम्परागत किस्म के माल डिब्बों से रोलर बियरिंग तथा सेंटर बफर कपलरयुक्त माल डिब्बों को अलग करके खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट और कोयला जैसे अनिवार्य पण्यों की ढुलाई के लिए रेकों में लगाना।

(2) 'जम्बु रेकों' की संरचना करना तथा उन्हें चलाना जो बन्द माल डिब्बों की अवधि आय देने वाली गाड़ियाँ होती है जिनमें लम्बी दूरी तक उच्च गति से थोक पण्यों की ढुलाई की जाती है।

(3) विभिन्न खंडों में प्रत्येक माल गाड़ी द्वारा ढोये जाने वाले भार में अधिकतक वृद्धि की जा रही है।

(4) आयु एवं हालत के आधार पर गतायु माल डिब्बों का पता लगाना और उन्हें रद्द करना।

(5) एक ही बिजली या डीजल इंजन से थ्रू माल गाड़ियां चलाना, और

(6) योजनाबद्ध आधार पर यातायात की निकासी के लिए सम्बन्धित एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाये रखना।

इन सभी उपायों से उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं और मार्च, 1981 में, रेलों ने बड़ी लाइन पर माल डिब्बों का कीर्तिमान लदान किया है।

कुरस्ती कलां रेल स्टेशन का लूटा जाना

*752. श्री आर. एन. राकेश :

श्री के. मालना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि लाठियों से लैस कुछ व्यक्तियों ने उत्तर रेलवे के फतेहपुर स्टेशन के नजदीक कुरस्ती कलां रेल स्टेशन को लूटा, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 6-3-1981 को लगभग 00.45 बजे, लाठियों से सज्जित 3 व्यक्तियों ने उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल में फतेहपुर और कानपुर स्टेशनों के बीच स्थित कुरस्ती कलां स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कार्यालय में प्रवेश किया और ड्यूटि पर तैनात श्री बजरंग सिंह, स्टेशन मास्टर को पकड़ लिया जिन पर हमला किया गया और उनकी हाथ की घड़ी, सोने की अंगूठी और 86 रु. नकद लूट लिये। बदमाशों ने स्टेशन मास्टर से चाबियाँ भी छीन लीं और तिजोरी से 166.70 रु० की रेलवे नकदी तथा टिकट ट्यूब से 51 रु० लूट लिये। इसके बाद लूटने के उद्देश्य से बदमाश श्री बजरंग सिंह को उनके

क्वार्टर पर ले गये लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाये क्योंकि क्वार्टर पर ताला लगा था। जब बदमाश स्टेशन मास्टर के क्वार्टर से लौट रहे थे, श्री बजरंग सिंह ने शोर मचाया और बदमाशों में से एक बदमाश की लाठी छीन कर बदमाशों को चुनौती दी। श्री बजरंग सिंह ने स्टेशन भवन में शरण ली। बदमाशों ने स्टेशन की इमारत पर पत्थर फेके और बाद में भाग गये। राजकीय रेलवे पुलिस फतेहपुर ने लूटपाट के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया और मामले की छानबीन कर रहे हैं।

"चाइना प्रोड्स पिंडी टु फोरसेक शिमला पैक्ट" शीर्षक समाचार

*753. श्री एस. एम. कृष्ण :

श्री डी. पी. जदेजा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1981 के 'टाइम्स आफ इंडिया' नई दिल्ली में "चाइना प्रोड्स पिंडी टु फोरसेक शिमला पैक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई अपनी स्वतंत्र सूचना नहीं है जिससे इस समाचार की पुष्टि की जा सके।

सरकार चीन-पाकिस्तान सम्बन्धों से ऐसे सभी पहलुओं पर नजदीक से निगाह रखती है जिनका असर भारत की सुरक्षा पर या भारत के अन्य हितों पर पड़ सकता हो।

स्तन कैंसर के मामले

*754 श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति वर्ष स्तन कैंसर के लगभग दो लाख मामले प्रकाश में आते हैं और उनमें से अधिकांश मामले जानलेवा सिद्ध होते हैं और यदि नहीं, तो देश में प्रति वर्ष इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आते हैं;

(ख) क्या रोग की इस असमान्य वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) क्या इन रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) कैंसर न तो सूचनीय और न दर्ज किए जाने वाला रोग है। इसके अतिरिक्त अभी तक देशभर में कैंसर के प्रकोप के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए देश में कैंसर के प्रकोप के प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नही है। लेकिन, यह सही नहीं है कि स्तन कैंसर के अधिकांश मामले जान लेवा होते है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में इस रोग प्रकोप में कोई वृद्धि हुई है। सम्भवत: इस धारणा का कारण स्तन के

सूजन के बारे में महिलाओं में अधिक जागृति और रोग निदान के अच्छे तरीके उपलब्ध होना है। कैंसर के उपचार की सुविधाएं अधिकांश बड़े अस्पतालों, मेडिकल कालेज अस्पताल तथा उन क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्रों में विद्यमान है जो केन्द्र की वित्तीय सहायता से चुनिंदा स्थानों पर खोले जा रहे है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा कैंसर अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संस्थानों को (1) कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने, (2) कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों को लगाने; और (3) क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्रों को विकसिक करने के लिए सहायता देती है। कलत्ता, मद्रास, नई दिल्ली और बम्बई स्थित चार वर्तमान क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित छः मौजूदा कैंसर संस्थानों को क्षेत्रीय केन्द्रो के रूप में विकसित करने के लिए चुना है :—

1. गुजरात कैंसर तथा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद,
2. कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान सस्थान, ग्वालियर;
3. एस. सी. बी. मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक,
4. त्रिवेन्द्रम स्थित मेडिकल कालेज का कैंसर विंग;
5. किदवई मेमोरियल इंस्ट्रिटयूट आफ आनकोलाजी, बंगलोर; और
6. डाक्टर बी. बी. कैंसर इंस्ट्रिटयुट, गोहाटी।

बम्बई-पुणे लाइन पर नया स्टेशन

*755. **श्री एस. बी. पाटिल** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व बम्बइ-पुणे रेल लाइत पर नया स्टेशन बनाने के लिये कासरवाड़ी में सर्वेक्षण कराया था, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दपोडी और पिम्फीरी स्टेशनों के बीच कासरवाड़ी में एक फ्लेग स्टेशन खोलने का विनिश्चय किया गया है। प्रस्तावित फ्लेग स्टेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कहा गया है।

नि:शुल्क रेल पास

*757. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तथा गत दो वर्षों में प्रति वर्ष जिन व्यक्तियों को रेल के वातानुकुलित प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के नि:शुल्क कार्ड पास जारी किए गए हैं, उन व्यक्तियों के नाम, व्यवसाय, पदनाम तथा पते क्या हैं, और

(ख) उनकी नि:शुल्क यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चालू वर्ष तथा पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष जारी किये गये मानार्थ पासों की सूचियां संकलित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

(ख) मानार्थ कार्ड पासों के आधार पर की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में हुए खर्चे के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से बने रेलवे-होटल

*758. श्री राम विलास पासवान :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से 'लग्जरी' होटलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन होटलों को किन-किन स्थानों पर स्थापना करने का विचार है और तत्सम्बन्धीपूर्ण ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सद्भाव समिति की बैठक

*756 श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः महीनों से चल रहे ईरान-ईराक युद्ध को समाप्त करने हेतु नए सिरे से प्रयास करने के उद्देश्य से दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सद्भाव समिति की बैठक का आयोजन करने के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो बैठक के कब तक होने की संभावना है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से जिनका ईरान ने कड़ा विरोध किया था, उत्पन्न समस्याएं हल करने के लिए नए प्रयास शुरू किए जाने के प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली की इस बैठक में किए जाने वाले नये प्रयास किस किस्म के होंगे ?

विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मन्त्री श्री पी. शिव शंकर : (क) और (ख) ईरान इराक युद्ध से संबद्ध गुट-निरपेक्ष मंत्रीय समिति की बैठक 4 से 7 अप्रैल, 1981 तक दिल्ली में हुई।

(ग) और (घ) यह समिति आठ अप्रैल को बगदाद के लिए रवाना हो गई है और वहां से यह तेहरान जाएगी। अभी, इस स्थिति में समिति इस संघर्ष के बुनियादी मुद्दों के कोई प्रस्ताव नहीं रखना चाहती उनका पहला और बुनियादी काम तो इस बात की कोशिश करना और यह समझना होगा कि इस समस्या के तथ्य क्या हैं, इसकी जटिलताएं और विभिन्न आयाम क्या हैं।

परामर्शदात्री समितियों का गठन

*760. श्री आर. के. महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल विभाग के लिए रेलगाड़ी समय सारणी और यात्री सुविधाओं सम्बन्धी परामर्शदात्री समितियों जैसी समितियों का गठन कर लिया है और ऐसी समितियों की संख्या कितनी है,

(ख) पिछली समितियों का कार्य काल कब समाप्त हो गया था और नई समितियों के गठन में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार नई समितियों का गठन कब करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय और मंडल दोनों स्तरों पर परामर्श समितियां गठित तथा अधिसूचित कर दी गयी हैं। समय सारिणी और रेल उपयोगकर्ता सुविधा समितियों जैसी सहायक समितियों, जो केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही कार्य करती हैं, का गठन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इन समितियों की अवधि 31-3-1980 को समाप्त हो गयी है। मुख्य परामर्श समितियों का गठन किया जा चुका है। सहायक समितियों का शीघ्र ही गठन किया जायेगा।

नैमित्तिक गैंगमैनों को दी जाने वाली सुविधायें

* 761. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपन लाइन पर तथा निर्माणाधीन नई लाइनों पर काम करने वाले नैमित्तिक गैंगमैनों को दी जाने वाली सुविधाओं में अन्तर है,

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में 14-15 नवम्बर, 1980 को आल इन्डिया रेलवे मैन फेडरेशन के तत्वाधन में हुए अखिल भारतीय परियोजना तथा निर्माण (आल इन्डिया प्रोजेक्ट एन्ड कंस्ट्रक्शन) नैमित्तक श्रमिक सम्मेलन के संकल्प की ओर दिलाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो संकल्प की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चालू लाइनों में नियुक्त नैमित्तक गैंगमैनों को 120 दिन की लगातार सेवा पूरी करने पर अस्थायी ओहदा दिया जाता है और अस्थायी कर्मचारियो को दिए जाने वाले नियमित वेतनमान और अन्य लाभों जैसे शैक्षिक सहायता, चिकित्सा सुविधाएं, भविष्य निधि और पेंशन सुविधाएं आदि के वे हकदार हो जाते हैं। लेकिन, परियोजना के नैमित्तिक गैंगमैनों को 6 महीने की लगातार सेवा पूरी होने पर वेतनमान का 1/30 और महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है और वे नियमित रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य अन्य लाभों के हकदार नहीं होते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) आल इन्डिया प्रोजेक्ट एन्ड कंस्ट्रक्शन केजुअल स्टाफ ने नयी भर्ती पर रोक लगाने और चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर वर्तमान सभी नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित करने की मांग की है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर नैमित्तिक श्रमिकों की नयी भर्ती पर पहले से ही

रोक लगी है। वर्तमान नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के उद्देश्य से ऊपर विभागाध्यक्षों की एक समिति को संवर्ग समीक्षा करने और नियमित पदों का सृजन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। हाल ही में लगभग 12,000 पद स्वीकृत किये गये हैं और 24,000 और पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन है।

भारत में मरने वालों की संख्या

* 762. **श्री सुधीर गिरि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1979-80 से 1980-81 (28 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) शिशुओं की मृत्यु की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) भारत के महापंजीयक से मिली रिपोर्ट के अनुसार केलेंडर वर्ष 1979 के दौरान मौतों की कुल अनुमानित संख्या 64 लाख है, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मिजोरम राज्यों के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी सूचना नहीं मिली है। 1980-81 के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य को जिन व्यवस्था और विस्तार किया जा रहा है, वे इस प्रकार है :

(1) गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को टीके आदि लगाकर रोगों से बचाना।

(2) महिलाओं और बच्चों को पोषण की कमी के कारण होने वाली खून से बचाना।

(3) उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जाल सा बिछाकर और रेफरल सेवा पद्धति के जरिये गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले, प्रसव के समय और प्रसव के बाद सेवाएं प्रदान करना;

(4) परम्परागत दाइयों को साफ सुथरे ढंग से प्रसव कराने का प्रशिक्षण देना,

(5) बाल-क्लिनिकों के जरिये शिशुओं के फलने फूलने और विकास की ओर समुचित ध्यान देना।

(6) माताएं अपने बच्चों को लम्बे अर्से तक दूध पिलाती रहे, इसके लिए उन्हें पोषाहार की जानकारी देना तथा बच्चों को मां का दूध छुड़ाने के लिए किसी उपयुक्त वैकल्पिक आहार की व्यवस्था करना।

(7) आंत्रिक दस्त लगे बच्चों में पानी की कमी हो जाने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए उन्हें रिहाइड्रेशन साल्ट्स पिलाने की व्यवस्था करना।

खुर्दा रोड में बाजार सलाहकार समिति

6974. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुर्दा रोड में रेलवे मार्केट के कार्यों की जाँच करने के लिए कोई बाजार सलाहकार समिति विद्यमान है,

(ख) रेलवे मार्केट खुर्दा रोड में कितने प्लाट बाहर के व्यक्तियों को पट्टे पर दिये गए हैं और कितने प्लाट रेल कर्मचारियों तथा उनके रिश्तेदारों को पट्टे पर दिए गए हैं,

(ग) उन प्लाटों से प्रतिवर्ष कितनी राशि एकत्र की जाती है,

(घ) क्या रेलवे मार्किट में कोई दर चार्ट प्रदर्शित किया गया है, और

(ङ) क्या खुर्दा रोड में रेलवे मार्केट में बेची जा रही मछलियों और मांस की किस्म की जांच करने के लिए रेल प्रशासन ने कोई प्रबन्ध किया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 368 प्लाट बाहरी व्यक्तियों, 23 रेल कर्मचारियों के सम्बन्धियों को आवंटित किए गए हैं लेकिन रेल कर्मचारियों को कोई प्लाट आबंटित नहीं किया गया है । लेकिन, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को 14 प्लाट आबंटित किए गए हैं ।

(ग) लगभग 83,000 रु. ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी हां ।

कालका मेल सुपर फास्ट गाड़ियों में आरक्षण

6975. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर स्टेशन पर कालका मेल, गोमती एक्सप्रेस तथा अन्य सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए आरक्षणों के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की गैर-कानूनी बातों को रोकने का है,

(ग) यदि हां, तो कब तक और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उठता ।

दिल्ली डिवीजन के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को क्वार्टरों का आबंटन

6976. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीजन उत्तर रेलवे के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की गाजियाबाद, अम्बाला, तुगलकाबाद और दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टर आबंटित नहीं किए गए हैं यद्यपि वे आवश्यक तथा पूल से अतिरिक्त श्रेणी के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गाजियाबाद और तुगलकाबाद में ट्रैफिक कंट्रोल वाले तथा लिपिकों जैसे कर्मचारियों की दूसरी श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है;

(ग) स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को समुचित कोटा आबंटित न करने के लिए आबंटन अधिकारियों और आवास समिति के खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को क्वार्टर कब तक आबंटित किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं। गाजियाबाद तथा तुगलकाबाद में यातायात नियंत्रकों तथा क्लर्कों को उनकी निजी बारी आने पर उनके लिए अलग बनाये गये पुल में से ही क्वार्टर आबंटित किये जाते हैं।

(ग) किसी अनुचित आबंटन के मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए क्वार्टर पहले से ही अलग रखे जाते हैं और क्वार्टर उपलब्ध होने पर उनका आबंटन किया जाता है।

पटना जाने वाली उपनगरीय गाड़ियों का विलम्ब से चलना

6977. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जाने वाली कोई भी उपनगरीय गाड़ी समय पर नहीं चल रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त उपनगरीय गाड़ियां पर्याप्त संख्या में नहीं हैं,

(ग) क्या जिन कर्मचारियों को पटना स्थित कार्यालयों में आना होता है, उन्हें इसके फलस्वरूप काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों और यात्रियों को ही रही उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें पटना के लिए उपनगरीय गाड़ियां नहीं चलती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निकटवर्ती स्टेशनों से आने वाले कर्मचारी पटना जाने वाली उपयुक्त गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। इस समय, पटना में दोनों ओर डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के अतिरिक्त 20 जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मुकामा, राजगीर, पटना साहिब, बरौनी, आरा बक्सर और गया से उपनगरीय यात्रियों सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करती हैं।

(घ) बड़ी संख्या में खतरे की जंजीर खींचने और होस-पाइप अलग कर देने की घटनाओं के कारण गाड़ियों के समय पर चलने पर लगातार गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। दानापुर मंडल में खतरे की जजीर खींचने और होस पाइप अलग करने की दिसम्बर, 1980 जनवरी, 81 और फरवरी, 81 में क्रमशः 24 0, 2424 और 2870 मामले हुए हैं। गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगरानी रख कर उन्हें समय पर चलाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। खतरे की जजीर खींचने की घटनाओं की रोकथाम करने में सहायता देने के लिए राज्य सरकार के साथ भी सम्पर्क बनाया रखा जा रहा है।

हरियाणा में आउट एजेंसी

6978. **डा. ए यू. आजमी** : क्या रेल मंत्री रेलवे आउट एजेंसियां खोलने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में 11 दिसम्बर 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही किन-किन आउट एजेंसियों की अवधि इस वर्ष समाप्त हो रही है, और

(ख) क्या रेल प्रशासन ने विज्ञापनों के माध्यम से ठेके दिए जाने से पूर्व काफी समय पहले आवेदन पत्र मांगने और ऐसे मामलों में और अधिक अवधि न बढ़ाने जिनमें एक या दो बार अवधि बढ़ाई जा चुकी है तथा नये व्यक्तियों को लेने के लिए निदेश दिए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल जगाधरी टाउन आउट एजेन्सी।

(ख) जी नहीं। इस मामले का निर्णय वर्तमान ठेकेदार के समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर उसकी ठेके की अवधि समाप्त होने से पहले रेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

चीन-भारत सम्बन्ध

6979 श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के मामले में कोई नई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) राजनयिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और आगे सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या इस दिशा में कोई ठोस संकेत है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (घ) अपने सिद्धांतों और हितों के आधार पर चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनने की प्रक्रिया की भारत सरकार निरन्तर समीक्षा करती रहती है। 16 फरवरी 1981 के संसद के बजट अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति जी ने चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने के बारे में भारत की नीति को इन शब्दों में दोहराया था :

"चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने और अनसुलझी सभी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के प्रति हमारी तत्परता का परिचय देगा।"

सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अन्वेषणात्मक बातचीत के रूप में विदेश मंत्रालय में सचिव श्री एरिक गोंसाल्वेज ने पिछले वर्ष जून के मध्य में पीकिंग की यात्रा की और उस अवसर पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया।

(2) नवम्बर, 1980 में कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य से पीकिंग के रास्ते लौटते समय कृषि मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने चीन के एक उप-प्रधानमंत्री श्री वान जी से मुलाकात की थी। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों में शनैः शनैः निरन्तर सुधार करने की दिशा में निरन्तर कार्य करने के लिए अपनी-अपनी इच्छा पुनः व्यक्त की थी।

(3) एक अन्तर सरकारी समझौते के अन्तर्गत पी. टी. आई. और सिन्हुवा ने क्रमशः पीकिंग और दिल्ली में अपने-अपने निवासी संवाददाता तैनात किए हैं।

(4) व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और खेलकूद आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न बराबर जारी है। भारत सरकार के निमन्त्रण पर इस वर्ष जनवरी-फरवरी में चीन की एक जिम्नास्टिक टीम और कलाबाजी के करतब दिखाने वालों का एक दल भारत आया था।

जनकपुरी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय में पालीक्लिनिक खोलने के लिए कदम

6980. **श्री भीकूराम जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनक पुरी में 3 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का केवल एक ही औषधालय (संख्या 61) है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त औषधालय में पर्याप्त साज सामान नहीं है यहां तक कि इसमें कोई भी क्लिनिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) बहुत बड़ी जनसख्या की आवश्यकनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक पोलीक्लिनिक खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) नहीं। क्लिनिकल प्रयोगशाला सुविधाये तिलक नगर और राजोरी गार्डन औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

फिलहाल जनकपुरी में कोई पाली-क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

नागोर और मद्रास के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी के चलाए जाने का प्रस्ताव

698 **श्री थाम्भाई एस. करूणा निधि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागोर से मद्रास तक नागोर-बैलनगैन्नी नामक एक्सप्रेस गाड़ी के चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब चलाई जानी शुरू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नागोर और मायूरम के बीच 5.10.80 से एक तेज सवारी गाड़ी अर्थात् 633/634 चलाई गयी है जिसमें 1.9/11C पैसेंजर गाड़ी द्वारा मद्रास ऐगम्बूर के लिये 6 अ. सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं। लेकिन, मद्रास ऐगम्बूर और नागोर के बीच लाइन क्षमता की तंगी के कारण एक गाड़ी चलाना, फिलहाल, परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

आसनसोल-दामोदर लाइन

6982. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे पर आसनसोल से दामोदर तक रेल लाइन को दुहरा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर आसनसोल से दामोदर तक विद्युतीकृत दोहरी लाइन पहले से ही मोजूद है।

मनमाड-नरदाया लाइन

6983. **श्री जेड. एम. काहनडोल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (मध्य रेलवे में) मनमाड और महाराष्ट्र के नासिक और धूले जिलों में माले गांव और नरदाया क्षेत्रों के निवासियों द्वारा इन क्षेत्रों के बीच नई रेल लाइन के निर्माण की मांग की जा रही है,

(ख) यदि हाँ, तो इस नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है, और

(ग) इस परियोजना के लिए छठी योजना में क्या उपबन्ध किया गया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण इस लाइन को छठी योजनाओं में सम्मिलत करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

प्राप्त हुए पारपत्र आवेदनों की संख्या और जारी किए पारपत्र

6984. **श्री एन. ई. होरो** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान प्रत्येक माह में पूरे देश में औसतन कितने पारपत्र आवेदन प्राप्त हुए हैं और पारपत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा औसतन कितने पारपत्र जारी किए गये;

(ख) मंत्रालय को अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से आवेदक को पारपत्र जारी करने में कितना समय लगता है ।

(ग) पुलिस की जाँच से छूट पाने वाले आवेदनों की श्रेणियों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार छूट न पाने वाले श्रेणियों के बारे में पुलिस जांच के लिए औसतन कितना समय लगता है और क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा अवधि को कम करने और पारपत्र कार्यालयों की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने का है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) 1980 के दौरान पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों की मासिक औसत संख्या क्रमश: 80519 और 80037 थी ।

(ख) अगर आवेदन पत्र ठीक तरह भरा गया हो और सभी दृष्टियों से पूर्ण हो तो औसतन प्राय: चार सप्ताह में पासपोर्ट जारी हो जाता है । अगर अतिशय शीघ्रता हो तो सीमित अवधि का पासपोर्ट तत्काल भी जारी किया जा सकता है ।

(ग) साधारणत: निम्नलिखित वर्गों के लिए पुलिस सांध्यांकन से छूट रहती है;

(1) राजनयिक पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन :

(2) आधिकारिक पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन :

(3) संसद सदस्यों से साधारण पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन :

(4) सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों से साधारण पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन जो सम्बद्ध विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी साथ दें ।

(घ) जिन वर्गों को पुलिस साक्ष्यांकन से छूट प्राप्त नहीं है उनके लिए पुलिस साक्ष्यांकन के कार्य में पासपोर्ट कार्यालय से सम्बद्ध विवरण प्राप्त होने के बाद पुलिस प्राधिकारियों को औसतन पन्द्रह दिन का समय लगता है। वर्तमान सरलीकृत प्रक्रिया मोटे तौर पर संतोषजनक ढंग से चल रही है लेकिन यह निरन्तर सरकार के विचाराधीन है ताकि इसमें बराबर सुधार होता रहे।

कोरापुट पार्वतीपुरम लाइन

6985. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट-पार्वतीपुरम रेलवे लाईन का निर्माण वर्ष 1981-82 में सम्मिलित किया गया है,

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार उस लाइन के निर्माण के साथ कोरापुट-रायगडा रेलवे लाइन का निर्माण करने का भी है.

(ग) क्या रायगड़ा-कोरापुट तथा कोरापुट-पार्वतीपुरम तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की जाँच और लाइनों के निर्माण की लागत की तुलना कर ली गई है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) केवल कोरापुट-रायगड़ा बड़ी लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : दोनों वैकल्पिक संरेखणों की जिनके लिए सर्वेक्षण किया गया था, मुख्य बाते नीचे दी गई है :—

मद	कारोपुट-पार्वतीपुरम	कोरापुट-रायगड़ा
1. लम्बाई	129.48 कि.मी.	174.32 कि.मी
2. रुलिंग ग्रेड	80 में 1 (पूरित)	100 में 1 (पूरित)
3. लागत	121.10 करोड़ रुपये	112.10 करोड़ रुपये
4. स्टेशनों की संख्या	10	12
5. सभी प्रकार के यातायात से माल आमदनी	24.79 करोड़ रुपये	39.95 करोड़ रुपये
6. संचालन व्यय (छठा वर्ष)	24.79 करोड़ रुपये	25.76 करोड़ रुपये
7. स्फीति के बिना प्रतिफल की आन्तरिक दर।	7.93%	10.32%
8. लाइन को लाभप्रद बनाने के लिए अपेक्षित स्फीति	55%	कोई नहीं।

परियोजना रिपोर्ट से निम्नलिखित जानकारी मिली है :—

(1) तकनीकी दृष्टि से कोरापुर को या तो पार्वतीपुरम से या रायगड़ा से मिलाना व्यवहारिक है ।

(2) कोरापुट-रायगड़ा सम्पर्क के मामले में 100 में 1 (पूरित) रुलिंग ग्रेडिमेंट व्यवहारिक है जबकि कोरापुट-पार्वतीपुरम सम्पर्क के मामले में केवल मात्र 80 में 1 (पूरित) रुलिंग ग्रेडिमेंट ही सम्भव है ।

(3) तकनीकी, वित्तीय और परिचालन की दृष्टि से कोरापुट-रायगड़ा (सिंगापुरम रोड) कोरापुट-पार्वतीपुरम सम्पर्क से बेहतर है। रायगड़ा सरक्षण रायपुर-विजयनगरम लाइन पर सिंगापुरम रोड़ के नाम से प्रसिद्ध स्टेशन पर, जो रायगड़ा से अगला स्टेशन है, मिलता है ।

(4) कोरापुट-पार्वतीपुरम लाइन के निर्माण पर 121.10 करोड़ की लागत आयेगी, जबकि कोरापुट-रायगड़ा बड़ी लाइन के निर्माण पर 112.10 करोड़ की लागत आयेगी ।

पईकन-तूरा-डालू राष्ट्रीय राजमार्ग को बागमारा तक बढ़ाया जाना

6986. **श्री चिंग वांग कोनयक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पइकन-तुग-डालू राष्ट्रीय राजमार्ग को बागमारा तक बढ़ाए जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पईकन-तुरा-डालू मार्ग पहली सितम्बर, 1980 से राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 51 पोषित किया गया और राज्य सरकार से इस मार्ग की स्थिति के बारे में ब्यौरे-वार सर्वेक्षण और जाँच पड़ताल करने के लिए तथा इस मार्ग का और अधिक सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है । जहाँ तक बागमारा तक इस मार्ग का विस्तार करने का प्रश्न है, स्थिति यह है कि यह भाग राज्य-राजमार्ग है और इस भाग को सामरिक सड़क कार्यक्रम के अधीन 20 फीट तक चौड़ा किया जा चुका है ।

समस्तीपुर मंडल में सवारी गाड़ियों का रद्द किया जाना

6987. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मार्च 1981 से पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में बारह सवारी (पैसेन्जर) गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कोयले की कमी के कारण 14-3-81 से 21-3-81 तक पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में 11 जोड़ी सवारी गाड़ियों को अस्थाई तौर से रद्द कर दिया गया था । पुन: कोयले की कमी के कारण पूर्वोत्तर रेलवे को 8-4-81 को 24 जोड़ी गाड़ियाँ रद्द करनी पड़ी । जैसे ही लोको कोयले की उपलब्धता में सुधार होगा इन गाड़ियों को उत्तरोतर पुन: चला दिया जायेगा ।

वेतन पर्चियां देना

6988. **श्री आर. आर. भोले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य निरीक्षक , बाड़ी बन्दर के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों को रेलवे अधिकारियों द्वारा वेतन की पर्चियां नहीं दी जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपने वेतन की सही राशि और उसमें से की गई कटौतियों का पता नहीं चलता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को पहचान-पत्र भी नहीं दिए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कर्मचारियों को वेतन स्लिप जारी नहीं की जाती है । लेकिन वेतन बिल की कार्यालय प्रति कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि वे अपने वेतन और कटौतियों के ब्यौरे नोट कर लें ।

(ख) 138 कर्मचारियों में से, 70 कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं। शेष कर्मचारियों को भी शीघ्र ही पहचान पत्र जारी कर दिए जाएंगे ।

(ग) संगणक द्वारा कर्मचारियों के वेतन बिल तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और संगणकीकरण हो जाने पर, कर्मचारियों को वेतन स्लिप सप्लाई की जाएगी। शेष कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं ।

रेलवे में महिला श्रमिकों की संख्या

6989. **श्री के. ए. राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे और इसके सम्बद्ध कार्यालयों तथा वर्कशापों में कितनी महिला श्रमिक कार्य करती हैं;

(ख) क्या रेलवे में महिला और पुरुष श्रमिकों की मजदूरी में कोई भेदभाव है; और

(ग) पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों को उपलब्ध सुविधाएं क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31 मार्च 1980 को क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन यूनिटों, रेलवे बोर्ड और अन्य रेलवे कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या 29,327 थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) महिला कर्मचारी 90 दिन की प्रसूति अवकाश की हकदार होती हैं जिन्हें उनकी छुट्टी लेखे में नहीं गिना जाता है । गर्भपात सहित गर्भस्राव के मामले में 6 सप्ताह तक प्रसूति अवकाश भी स्वीकार किया जाता है ।

चिकित्सा की शुद्ध प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम

6990. **श्री के. बी. एस. मणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली शुरू करने के लिए गत तीन वर्षों

के दौरान, वर्षवार कितनी राशि की स्वीकृति की गई है और क्या उस सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) सिद्ध प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय में सिद्ध प्रणाली के लिए कर्मचारियों की संख्या भारतीय प्रणालियों की अन्य शाखाओं के समान ही है और यदि हाँ, तो क्या सभी पदों पर नियुक्तयां की जा चुकी हैं, यदि नहीं तो क्यों और कितने पद रिक्त हैं और उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत सभी डाक्टरों को नान-प्रेक्टिसिंग भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है, और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत सरकार ने आयुर्वेद और सिद्ध के मूल और व्यावहारिक पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य आरम्भ करने उसमें दिशा निर्देश देने, उसे बढ़ावा देने तथा उसमें तालमेल बिठाने के लिए एक स्वायत्त निकाय, अर्थात केन्द्रीय आयुर्वेद सिद्ध और अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का सारा खर्च भारत सरकार देती है। परिषद ने पिछले तीन वर्षों में सिद्ध पद्धति के लिए जितनी बजट व्यवस्था की उसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	वर्ष	बजट आबटन रुपये लाखों में	
(1)	1977-78	4.03	पूर्णरूप से उपयोग किया गया
(2)	1978-79	12.00	परिषद यह पूरी रकम खर्च नहीं कर सकी क्योंकि नई योजनाएं आरम्भ करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं इस में पूरी न की जा सकी।
(3)	1979-80	30.75	कुछ विस्तार कार्यक्रमों और नए कार्यक्रमों को चलाने के लिए निशुल्क आवास प्राप्त करने में और स्टाफ की भर्ती में हुऐ विलम्ब के कारण यह रकम पूरी खर्च की जा सकी।

(ख) सिद्ध पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पहले सिद्ध यूनिट ने मद्रास में 14 जनवरी, 1981 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति का राजकीय कालेज, पलायमकोटे, तमिलनाडु में एम. डी. (सिद्ध) पाठ्यक्रम के दो विभागों को केन्द्रीय सरकार धन दे रही है।

3. राष्ट्रीय सिद्ध फार्मूलरी भाग-1 (तमिल रुपान्तर) प्रकाशन के लिए तैयार है।

इसके अलावा केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध को अनुसंधान परिषद अपनी सिद्ध संस्थाओं के अंतरंग रोगी विभाग/बाह्य रोगी विभाग और मोबाइल क्लिनिकल अनुसंधान यूनिटों के माध्यम से चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं प्रदान कर रही है। परिषद ने इस पद्धति के अधीन अनुसंधान कार्यकलापों का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

(ग) इस मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति के अधीन प्रत्येक पद्धति का स्टाफ पैटर्न भिन्न-भिन्न है। यह पैटर्न उस पद्धति की लोकप्रियता, चिकित्सकों की संख्या शैक्षिक संस्थाओं की संख्या और अन्य संबद्ध कारणों पर आधारित होता है। इस मंत्रालय में सिद्ध पद्धति के लिए अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक और एक अवर श्रेणी लिपिक का पद है। इस समय ये सभी पद भर लिए गए हैं। अनुसंधान अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति का उम्मीदवार कार्य कर रहा है।

(घ) इस मंत्रालय में परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के अधीन क्लिनिक कार्य कर रहे चिकित्सक प्रेक्टिस बन्दी भत्ते के हकदार हैं।

डीलक्स गाड़ियों को प्रतिदिन चलाना तथा उनकी रफ्तार बढ़ाना

6991. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी डीलक्स गाड़ियां कब से प्रतिदिन चलने लगेंगी,

(ख) क्या रेल प्रशासन का विचार इन एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार तेज करने का है, और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीलक्स गाड़ियों के फेरे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, इन मार्गों पर शेष दिनों में इसी प्रकार के कार्यक्रम के अनुसार अन्य गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महानदी पर रेल पुल

6992. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक के समीप महानदी पर रेल पुल की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त रेल पुल की मरम्मत का कार्य 1981-82 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग मे उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कटक के निकट महानदी पुल पर, 4.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर फिर से गाइडर लगाने का कार्य 12-2-81 को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

वर्नपुर रेल स्टेशन

6993. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की कठिनाइयों पर विचार करते हुए सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे के वर्नपुर रेलवे स्टेशन पर एक दूसरा प्लेटफार्म बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्नपुर रेलवे स्टेशन में स्थान की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है ।

समुद्री प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियों का चयन

6994. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्री प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं चयन कब किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मर्चेंट नेवी में नेवीगेटिंग या इन्जीनियर अधिकारी बनने के इच्छुक प्रत्याशियों के लिए जरुरी है कि वे इन्टरमीडिएट विज्ञान या इसके समकक्ष परीक्षा (10+2) में उत्तीर्ण हो और इस परीक्षा में गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र उनके ऐच्छिक विषय हों और प्रवेश वर्ष की पहली सितम्बर को उनकी आयु 20 वर्ष तक हो । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उक्त आयु-सीमा में एक वर्ष की छूट है । उपरोक्त दोनों प्रकार के पदों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक समान लिखित परीक्षा ली जाती है । उसके बाद उनका इन्टरव्यू लिया जाता है और इसके बाद ही उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाता है । प्रति वर्ष अन्तिम चुनाव के परिणाम की घोषणा अगस्त के अन्तिम सप्ताह में की जाती है और चुने गये उम्मीदवार पहली सितम्बर को प्रशिक्षण संस्थान में आ जाते हैं ।

इसके अलावा, समुद्री इन्जीनियरी में एक वर्षीय उद्योग मूलक पाठयक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए यांत्रिक इन्जीनियरी या विद्युत इन्जीनियरी के स्नातक इंजीनियरों की भर्ती भी की जाती है । इस पाठ्यक्रम के लिये उम्मीदवारों का चयन करने का आधार इन्जीनियरी स्नातक की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक और उनका इंटरव्यू है । अन्तिम चुनाव के परिणाम की घोषणा 15 नवम्बर के आस-पास की जाती है और चुने गये उम्मीदवार हर साल दिसम्बर के शुरु में आरम्भ होने वाले उक्त पाठक्रममें दाखिला ले लेते हैं ।

जो उम्मीदवार मर्चेंट पोतों में डेक और इन्जिन रुम डिपार्टमेन्ट में नाविक के रूप में काम करने के इच्छुक हो, उनके लिये आठवीं कक्षा में पास होना जारी है और उनमें निम्नलिखित शारीरिक योग्यताए भी होनी चाहिये :-

ऊंचाई	...	1.58 मीटर
वजन	...	47.63 किलोग्राम
वक्ष	...	0.733 मीटर (फुलाने पर 0.787 मीटर)

आयु-सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में एक साल की छूट है। चयन का आधार इन्टरव्यू है। इन्टरव्यू इन बातों के सम्बन्ध में लिया जाता है—(1) व्यक्तित्व, (2) बौद्धिकता/अभिव्यक्ति, (3) सामान्य ज्ञान, (4) समुद्री कैरियर के लिये उपयुक्तता ,और (5) अन्य विविध क्रियाकलाप। यह चयन दो साल में या इससे कम अवधि में एक बार किया जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि पिछली चयन सूची में रखे गए उम्मीदवार काम पर लग गये हैं या नहीं।

'इण्डिया न्यूज' पत्रिका का गिरता हुआ स्तर

6995. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास निकाली गई 'इण्डिया न्यूज' पत्रिका के स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है ; और

(ख) यदि हां तो इसके 'ले आउट' और विषय सूची में सुधार के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री : श्री पी. शिव शंकर : (क) और (ख) : इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका 'इण्डिया न्यूज' का स्तर न केवल कायम रखा जा रहा है बल्कि पकिस्तानी पाठकों के सुझावों पर उसमें कई सुधार भी किए जा रहे हैं। पकिस्तानी पाठक बराबर इस पत्रिका को पसद करते हैं जिसका पता इस बात से चलता है कि हमारे मिशन को इसके असंख्य प्रशंसा पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

बेतूल में निरोध के उत्पादन के लिए एक अन्य एकक

6996. **श्री गुफरान आजम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजना में बेतूल में निरोध बनाने का एक एकक शामिल नहीं है

(ख) यदि हाँ , तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) क्या उक्त एकक को कहीं और स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर (क) से (ग) : बेतूल (मध्य प्रदेश) में रबर के कण्डोम बनाने के लिए एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव वर्तमान योजना (1980-85) का मसौदा तैयार करने से बहुत पहले जुलाई , 1979 में ही विधिवत बिचार करने के उपरान्त छोड़ दिया गया था। केन्द्रीय स्वामित्व वाली कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के यथासम्भव विस्तार के अलावा इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र में किसी और उद्यम को स्थापित करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

रेल कर्मचारियों को निःशुल्क पास

6997. **श्री एन. डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली निःशुल्क पास की सुविधाओं का उपयोग करने के अधिकृत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली निःशुल्क पास की इन सुविधाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रति नियुक्तियों पर गये कर्मचारियों सहित रेलों पर नियमित आधार पर कार्यरत सभी रेल कर्मचारियों को सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश दिये जाते हैं।

(ख) अनुदेश मौजूद हैं कि पासों और सुविधा टिकट आदेशों का दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाने वाले रेल कर्मचारियों को निवारक दण्ड दिए जाएं जो अपराधों की गम्भीरता के आधार पर बर्खास्तगी या सेवा से हटा देना या निचले पर परावर्तन के रुप में हो सकता है

कुष्ठ रोग के लिए भारत-जापान परियोजना

6998. **श्री राजेश पाइलट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कुछ वर्ष पूर्व आरंभ की गई कुष्ठ रोग की भारत जापान परियोजना में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : एशिया के जापानी कुष्ठ मिशन (जालमा) ने 1967 में जालमा का भारत केन्द्र नामक एक संस्था स्थापित की थी। 10 वर्ष तक इस केन्द्र को चलाने के बाद, जापानी कुष्ठ मिशन ने इसे भारत सरकार को सौंप दिया था और फिर भारत सरकार ने इसे आगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सौंप दिया था। इस प्रकार केन्द्रीय जालमा कुष्ठ संस्था पहली अप्रैल, 1976 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थायी संस्थान के रुप में स्थापित किया गया था।

इस संस्थान का कार्यभार संभालने के बाद से इसकी प्रगति संक्षेप में इस प्रकार हुई है :

1. रोगियों के लिए बाह्य रोगी सेवाएं बढ़ा दी गई हैं।

2. कुष्ठ के कीटाणुओं से रोगियों को जल्दी से जल्दी मुक्त करने के लिए दवाइयों के मिश्रण के प्रयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3. उपचार के अनेक विधानों को आजमाया जा रहा है। सल्फोन की प्रतिरोधक शक्ति का अध्ययन किया जा रहा है। यह संस्थान चित्तीदार घाव, मुंह के घाव और आंख के बाध का अध्ययन कर रहा है। यह आरंभिक निदान के परीक्षण घमेन्द्र एन्टीजन के मूल्यांकन तथा जीव-रसायन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने में भी लगा हुआ है। इसमें इम्यूनोलोजीकल और क्लीनिकल अध्ययन चल रहे हैं। टीशुओं में इम्यूनो-ग्लोबुलिन्स एवं मार्फोलोजीकल तथा लेप्रस फेलेबिटस के अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

पोलियो रोग फैलना

6999. **श्री अशोक गेहलोत** :

श्री बी. बी. देसाई : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों से पीलिया रोग के फैलने के समाचार पिछले तीन महीनों में प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस रोग के प्रसार के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग को समूल नष्ट करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) सरकार को पिछले तीन महीनों में देश के अन्दर पीलिया फैलने के कोई समाचार नहीं मिले हैं।

(ख) पीलिया फैलने के कारण स्पष्ट हैं। पीड़ित व्यक्ति के मल-मूत्र और खून से यह रोग फैलता है। यह रोग अधिकतर मल से दूषित पानी से होता है।

(ग) और (घ) : चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इस रोग के निवारण और नियंत्रण के उपाय करना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की जिम्मेदारी है। यदि किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में यह रोग फैल जाए तो राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार उसके निवारण और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सहायता करती है :—

(1) जब कोई रोग महामारी के रूप में फूट पड़ता है तो उसकी वैज्ञानिक जाँच करवाने में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता और अन्य संस्थानों से दल भेजकर राज्यों/संघ शासित सरकारों को सहायता दी जाती है। ये दल निवारण और नियंत्रण कार्यों में भी राज्यों की सहायता करते हैं।

(2) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी आवश्यकतानुसार औषधियाँ, निदान के लिए रिजेंट और अन्य सामान जुटाने में भी सहायता दी जाती है।

चूंकि यह रोग मुख्यतया पीने का पानी मल दूषित हो जाने के कारण फैलता है, इसलिए इस रोग की घटनाओं को रोकने के लिए यही सुनिश्चित करना होता है कि लोगों को साफ पानी पीने को मिले। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण वह शहरी दोनों क्षेत्रों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने तथा मैले का समुचित निकास करने के लिए निर्माण व आवास मंत्रालय ने कार्यक्रम शुरू किया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेलों का उपयोग करने वालों की क्षेत्रीय (जोनल) समिति

7000. **श्री मोती भाई आर. चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेल के रेल उपयोगकर्ताओं की कोई क्षेत्रीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से कौन-कौन से संसद सदस्यों को उक्त समिति में सम्मिलित किया गया है; और

(ग) विपक्ष के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इसमें सम्मिलित किया गया है और यदि विपक्ष से किसी सदस्य को नहीं लिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न समितियों, परिषदों बोर्डों आदि में संसद सदस्य का मनोनयन संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर किया जाता है । रेल उपभोगताकर्त्ता परामर्श समितियों में भी संसद सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में भी वही प्रक्रिया अपनायी जा रही है । क्षेत्रीय रेल उपयोगकता परामर्श समिति, पश्चिम रेलवे में निम्नलिखित संसद सदस्यों का मनोनयन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया है :—

1. श्री एल. एम. निगम (राज्य सभा)
2. श्री यू. एच. पटेल (लोक सभा)
3. श्री मोतीभाई आर. चौधरी (लोक सभा)

आदित्यपुर (बिहार) रेल क्रासिंग पर दुर्घटना

7002. श्री रूदप्रताप षाडंगी क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदित्यपुर रेल क्रासिंग पर 16 जनवरी 1981 को आई. आई. टी. आदित्यपुर, जिला सिंहभूमि, बिहार के प्रोफेसर, श्री राजकुमार पाठक गाड़ी के नीचे आ गये थे और उनकी वहीं मृत्य हो गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त दुर्घटना के बाद आदित्यपुर में हड़ताल हुई थी और गाड़ियों का आना-जाना एक सप्ताह तक बन्द रहा तथा रेल-सम्पत्ति भी जला दी गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस दुर्घटना के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या रेलवे का विचार आदित्यपुर रेल-फाटक पर ऊपरि-पुल बनाने का है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस घटना के पश्चात् जनता उत्तेजित हो गयी जिसके फलस्वरुप टाटानगर, आदित्यपुर, गोमहारिया तथा कांद्रा स्टेशनों पर 8 सवारी गाड़ियाँ 35 से मिनट 323 मिनट तक की अवधि तक रोकी गयीं ।

(ग) आग लगाये जाने के कारण मोटे तौर पर लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन इसका अभी सही मूल्यांकन किया जाना है ।

(घ) आदित्यपुर में पहले से ही एक ऊपरी पुल है । समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव की जाँच राज्य सरकार के परामर्श से की जा रही है ।

सांस्कृतिक मडलों का दौरा

7003. श्री प्रताप भानु शर्मा क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान कितने सांस्कृतिक मण्डलों ने भारत का दौरा किया ;

(ख) प्रत्येक मंडल का पूरा ब्यौरा अर्थात उनका देश, मण्डल के सदस्यों की संख्या और दौरे की तारीखें क्या हैं; और

(क) : (ग) उनके यहां ठहरने के दौरान भारत सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं दी गई ?

विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के तत्वाधान में 1980-81 में भारत की यात्रा करने वाले सांस्कृतिक दलों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	शिष्ट मण्डल का ब्यौरा/विवरण	सदस्यों की संख्या	यात्रा की तारीख	दी गयी सुविधायें
1	2	3	4	5	6
1.	बलगारिया	लोकनृत्य और संगीत वाद्यवृन्द	41	1.4.80 से 18.4.80	पूर्ण आतिथ्य और कार्यक्रम
2.	जर्मन संघीय गणराज्य	मंडोलिन आर्केस्ट्रा	50	17.7.70 से 19.7.80 और 7.8.80 से 9.8.80	वही
3.	वेनुजुएला	कैपेला डे केराकास	45	13.8.80 से 18.8.80	वही
4.	फ्रांस	मादाम पौउमी लेसकोट, जानर	1	6.9.80	उनकी यात्रा और कार्यक्रम पर होने वाले व्यय के विषय में आंशिक सहायता
5.	फ्रांस	श्री लेस कलामे, पियानो वादक	1	8.9.80 से 22.9.80	पूर्ण आतिथ्य और कार्यक्रम
6.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	अजर्वेजन कठपुतली नाट्य मंडली	20	4.10.80 से 25.10.80	वही
7.	पुर्तगाल	चैम्बर आर्केस्ट्रा	46	17.10.80 से 24.10.80	वही
8.	त्रिनिदाद और तोबागो	स्टील बैंड मंडली	45	30.10.80 से 8.11.80	वही
9.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	चैम्बर आर्केस्ट्रा "केमेराटा म्यूजिका"	19	1.11.80 से 15.11.80	वही

1	2	3	4	5	6
10.	जर्मन लोक-तंत्रीय गणराज्य	क्यूबे का छाया मूकाभिनय	3	3.11.80 से 1.11.80	वही
11.	कोरिया गणराज्य	संगीत व नृत्य मंडली	35	10.11.80 से 19.11.80	
12.	क्यूबा	राष्ट्रीय नृत्य मंडली	15	30.11.80 से 15.12.80	वही
13.	जापान	टाकेडा मेरियोनेटे नाट्य मंडली	9	13.12,80 से 18.12.80	उसकी यात्रा के संबंध में आंशिक और कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले सारे व्यय का वहन।
14.	यूगोस्लाविया	श्री दुसान त्रोबोजेविक, पायानो वादक	1	13.12.80 से 29.12.80	पूर्ण आतिथ्य और कार्यक्रम
15.	आस्ट्रेलिया	श्री रिचर्ड ब्रेडशो छाया में पुतली का तमाशा दिखाने वाले और श्रीमती ब्रेडशो	2	17.12,80 से 31.12.80	वही
16.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	सोलोइस्टस पयानो और वायलन	4	19.12.80 से 30.12.80	वही
17.	जापान	इन्टर नेशनल इंस्टीटयूट आफ परफोर्मिग आर्ट, टोक्यो की लोक एवं शास्त्रीय नृत्य मंडली।	30	26.12.80 से 9.1.81	वही
18.	वियतनाम	राष्ट्रीय नृत्य और संगीत मंडली	25	28.12.80 से 15.1.81	यथोपरि
19.	यूनाइटेड किंगडम	कैम्ब्रिज थियेटर कम्पनी	30	28.12.80 से 7.2.81	आंशिक रुप से आतिथ्य और कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का वहन।
20.	—	मादाम विजा बेत्रा, पूर्व और पश्चिम की सोलो डांसर।	1	जनवरी, 18	पूर्ण आतिथ्य और कार्यक्रम
21.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	कीव आपेरा बैल।	80	10.1.80 से 24.1.81	वही

1	2	3	4	5	6
22.	बंगला देश	संगीत-मंडली	9	28.1.81 से 13.2.81	पूर्ण आतिथ्य और कार्यक्रम
23.	मिस्र अरब गणराज्य	मादान रेजिमा यूसेफ रोपेरा गायिका	1	1.2.81 से 10.2.81	वही
24.	आस्ट्रिया	मौरिक्लो फरिसयनश्लेगर (पयोनो और बायलन)	2	फरवरी, 1981	आंशिक रूप से आतिथ्य और कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का वहन ।
25.	स्वीडन	नार्दन स्टार नृत्य मंडली	4	7.2.81 से 23.1.81	पूर्ण आतिथ्य और कार्यक्रम
26.	चीन	कलाबाज मंडली	52	24.2.81 से 19.3.81	वही

विदेशों से किए गए प्रोतोकोल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान करार

7003 **श्री निहाल सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के साथ किए गए राजनीतिक प्रोटोकोलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान करारों के अन्तर्गत, फ्रांस, यूगोस्लाविया और पोलैण्ड के साथ बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) उन अन्य देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ सहयोग जारी रखने और सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सरकार ने अब तक प्रयास किए हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) विभिन्न प्रोतोकोलों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान करारों के अन्तर्गत फ्रांस, युगोस्लाविया और पोलैण्ड से आवधिक बातचीत होती है । इस संबंध में हाल ही में हुई बातचीत का विवरण नीचे दिया गया है :—

फ्रांस : जनवरी, 1980 में फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा के दौरान उड़ीसा में कोयला, अल्मूनियम परिसर, सागर-विकास और प्रौद्योगिकी, विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पैट्रो-रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, औषधि एवं रसायन से सम्बद्ध सात प्रोतोकोलों और समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे । इसके बाद अप्रैल, 1980 में वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने फ्रांस की यात्रा की और वहां उन्होंने फ्रांस के विदेश व्यापार मन्त्री से बातचीत की । मई, 1980 में पेरिस में दोनों पक्षों की मानिटरिंग समिति की बैठक आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में भारत फ्रांसीसी सहयोग पर और फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रोतोकोलों पर विचार करने के लिए हुई ।

यूगोस्लाविया : महामान्य श्री वैलेलिन जूरानोविक की यात्रा के दौरान 26 सितम्बर, 1980 को भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक दीर्घकालिक करार पर हस्ताक्षर हुए। इस करार का मुख्य उद्देश्य उत्पादन-सहयोग करारों जैसे अपेक्षाकृत अधिक उन्नत रूपों में दीर्घ-कालिक औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत और यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सम्बन्धों को और सुदृढ़ करना है।

आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार करने के लिए भारत यूगोस्लाविया आर्थिक सहयोग संयुक्त समिति का तेरहवाँ अधिवेशन नई दिल्ली में 16 से 19 फरवरी 1981 के बीच हुआ।

दोनों देशों के बीच का मौजूदा सांस्कृतिक आदान-प्रदान करार 1980 और 1981 के दो वर्षों के लिए है।

पोलैंड : दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत मार्च, 1981 में वारसा में हुई। इस बातचीत के परिणामस्वरूप, वर्ष 1981 और 1982 के लिए एक नये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

आर्थिक व्यापारिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-पोलिश संयुक्त आयोग का छठा अधिवेशन मार्च, 1979 में नई दिल्ली में आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की समीक्षा करने के लिए हुआ।

(ग) भारत की सरकार उन सभी मित्र देशों के साथ पारस्परिकता के आधार पर सहयोग और सपर्कों को बनाए रखने की कोशिश में रहती है जिनके साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध हैं।

एम. आर. टी. पी. में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय

7005. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम. आर. टी. पी. के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के मजदूरों तथा कर्मचारियों-दोनों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय किए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों और मालिकों को जनसंख्या शिक्षा देने और परिवार नियोजन के लिये प्रेरित करने के लिए कदम उठाये हैं। यह काम मजदूर संघों और उन मालिक संगठनों के लिये संगठित क्षेत्रीय परियोजनाएं शुरू करके किया गया है जिनमें उन प्रतिष्ठानों के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं जिन पर एम. आर. टी. पी. एक्ट लागू होता है।

(ख) **नियोक्ता संगठन**

(1) अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन

इसे पहली फरवरी, 1980 को तीन वर्ष के लिए शुरू किया गया था जिसके लिये जन-

संख्या कार्य-कलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि ने 61,370 डालर तक की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था। उद्देश्य मालिक और मजदूर संगठनों के बीच अधिकाधिक सहयोग की भावना उत्पन्न करना है जिससे परिवार कल्याण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के व्यवहार्य माडलों का विकास किया जा सके जिनसे प्रबन्धकों, पर्यवेक्षकों और प्लांट-स्तर के कर्मचारियों को परिवार नियोजन की जानकारी मिले और वे इसे अपनाने को तैयार हो जाएं। इस परियोजना को कानपुर, पटना और लुधियाना में कार्य रूप दिया जा रहा है।

(2) भारतीय नियोक्ता परिसंघ

यह परियोजना पहली नवम्बर, 1979 को 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी जिसके लिए जनसंख्या कार्यकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि ने लगभग 66,210 डालरों की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था। इसके उद्देश्य भी वही हैं जो उपयुक्त अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन के हैं। यह परियोजना पुणे और मद्रास में चलाई जा रही है।

मजदूर संघों के संगठन

(1) भारतीय मजदूर संघ

यह परियोजना 1-9-1976 को दो साल के लिए चलाई गई थी किन्तु इसकी अवधि बढ़ा कर 31-3-80 कर दी गई थी। इसके लिए जनसंख्या कार्यकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि ने लगभग 91,570 डालर की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था। इस परियोजना का ध्येय भारतीय मजदूर संघ द्वारा ली जा रही जनसंख्या शिक्षा को कुछ हद तक निरंतर चलाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्था की स्थापना करना था। इस संघ से सम्बद्ध औद्योगिक कर्मचारियों को शिक्षा और प्रेरणा के जरिये अपना परिवार छोटा रखने के लिए रजामंद करना इसका लक्ष्य था।

(3) हिन्द मजदूर सभा

इस परियोजना को तदर्थ आधार पर चलाने की मंजूरी देकर 1977 में शुरू किया गया था। उसके बाद जनसंख्या कार्यकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि ने 1,21,040 डालर तक की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था और इसका कार्यकाल 1-7-1979 से 31-12-1981 तक रखा गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेल स्टेशनों पर खराब किस्म की चाय और दूध

7006. श्री के. प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छोटे तथा बड़े स्टेशनों पर मिलावटी एवं खराब किस्म की चाय और दूध बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टेशनों पर रेल अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की जाती है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खासकर रात्रि के समय में मिलावटी

तथा खराब किस्म की चाय और दूध और खराब किस्म का खाना भी यात्रियों को दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) चाय और दूध की असन्तोषजनक किस्म के होने के बारे मे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी किस्म का दूध इस्तेमाल में लाया जाता है और अच्छी किस्म की चाय दी जाती है, वाणिज्यिक और चिकित्सा विभाग के निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण अचानक जांच की जाती है तथा विशेष अभियान चलाये जाते हैं। विभागीय प्रबन्ध में तथा ठेकेदारों द्वारा चलायी जा रही खान-पान यूनिटों से प्राय: चाय की पत्ती और दूध के नमूने इकट्ठे किये जाते हैं और विश्लेषण के लिए भेज दिये जाते हैं

बिहार में मोबाइल क्लिनिकों की व्यवस्था

7007. श्रीमती कृष्णा साही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा शिक्षा पुनर्विन्यास योजना के अन्तर्गत बिहार में कितने मोबाइल क्लिनिकों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस योजना से बिहार के कितने गाँवों को लाभ पहुँचा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) बिहार राज्य में आधुनिक चिकित्सा के 9 मेडिकल कालेजों की चिकित्सा शिक्षा की स्थिति अनुकूल बनाने की योजना के अन्तर्गत 27 मोबाइल क्लिनिक उपलब्ध किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत आधुनिक चिकित्सा का प्रत्येक मेडिकल कालेज उस जिले के जिसमें वह स्थित है, प्रथमत: कम से कम 3 सामुदायिक विकास ब्लाकों जैसे स्वास्थ्य वर्धक, रोग निवारक और उपचार सम्बन्धी स्वास्थ्य परिचर्या की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है तदनुसार इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक मेडिकल के साथ 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ दिया जाना है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत लगभग 80-100 गांव आते हैं।

भारतीय पत्तनों के बीच यात्री तथा माल यातायात का विकास

7008. श्री बसन्त कुमार पण्डित : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समुद्र तटीय पत्तनों का विकास करने के लिए कोई वृहद योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय पत्तनों का विकास करने के लिए क्या योजनाएं, लक्ष्य क्या है तथा इन पर क्या व्यय किया जाएगा,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पत्तनों के बीच कितने टन माल की ढुलाई की गई और उसका मूल्य क्या था, और यदि इसमें कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार भारतीय पत्तनों के बीच यात्री तथा माल यातायात दोनों के विकास हेतु योजना बना रही है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(च) नदी जल पर यात्री तथा माल का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इस योजना में बड़े पत्तनों के विकास के लिए 531 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। बड़े पत्तनों के विकास से संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिन्हें चालू योजना अवधि के दौरान पूरा करने का विचार है, इस प्रकार है :—

(1) बम्बई, कोचीन और मद्रास में कटेनरों से माल उतारने-चढ़ाने की सुविधाओं की स्थापना करना,

(2) पत्तनों द्वारा माल उतारने-चढ़ाने वाले उपकरणों की खरीद करना,

(3) कांडला, मार्मुगाओ, मंगलोर, परादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम् में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बर्थों का निर्माण करना, (एक विवरण संलग्न है जिसमें दिखाया गया है कि हरेक बड़े पत्तन को कितनी धन राशि आबंटित की गई है)

(ग) पिछले 3 वर्षों में भारतीय पत्तनों के बीच जो माल ढोया गया, उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

नौवहन यातायात
(लाख टन)

वर्ष	सूखा माल कोयला	(नमक)	अन्य सामान्य माल	तेल और तेल पदार्थ	कुल
1978	6.70	2.20	2.00	24.20	35.10
1979	4.70	2.10	2.20	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
1980	7.68	2.37	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	-यथोक्त-	यथोक्त-

इसका ब्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है कि कितनी कीमत का माल ढोया गया। परन्तु, तरल माल की ढुलाई में पुनः गिरावट आनी शुरू हो गई है। इस गिरावट का कारण यह है कि तटीय माल कुछ कम मात्रा में आया और दूसरे, तटीय ढुलाई के लिए जहाज भी कम उपलब्ध थे।

(घ) और (ङ) मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई और गोआ के बीच यात्री सेवा चला रहा है जिसे कोकण यात्री सेवा कहते हैं। अब उन्होंने बम्बई और गोआ के बीच रोल-आन रोल-आफ यात्री एवं माल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

(च) अंतर्देशीय परिवहन की विकास योजनाओं के लिए और यात्री तथा माल सेवाएं

चलाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 45 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बरास्ता बंगला देश, कलकत्ता और असम के बीच तथा भारत और बंगला देश के बीच स्टीमर सेवाएं चालू करना है।

विवरण

पत्तन का नाम	1980-85 के दौरान परिव्यय (करोड़ रुपये)
1. कलकत्ता पत्तन	30.30
(क) हल्दिया गोदी	21.45
(ख) हल्दिया ड्रेजिंग	11.52
(ग) बी. एच. आर. टी. डब्ल्यू.	19.73
2. बम्बई पत्तन	68.78
(क) न्हावा-शेवा	30.00
3. मद्रास पत्तन	54.18
4. कोचीन पत्तन	49.52
5. विशाखापत्तनम पत्तन	71.33
6. कांडला पत्तन	46.42
7. मार्मुगाओ पत्तन	25.05
8. परादीप पत्तन	45.31
9. न्यू मंगलौर जिसमें कुद्रेमुख अयस्क लोह परियोजना शामिल है।	31.84
10. टूटीकोरिन पत्तन	25.57
	531.00

रेलवे में बुक स्टालों का आबंटन

7009. श्री भीखा भाई : क्या रेल मन्त्री रेलवे बुक स्टालों के बारे में 5 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) रेलवे में बुक स्टालों के आवटन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किन-किन बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार स्नातकों तथा एकाधिकार धारियों से समान नहीं समझा जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों, एसोसिएशन, भागीदारी और ग्रुपों के नाम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की अपेक्षा की जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि एकाधिकार ग्रुपों को रेलवे में बुक स्टालों पर प्रभुत्व का लाभ अभी भी मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्टेशनों तथा गाड़ियों में आगामी सभी बुक स्टालों के आबंटन अब केवल वर्तमान ठेकेदारों के वास्तविक कामगार/वेंडरों की सहकारी समितियों, बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों, बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी/एसोसिएशनों तथा व्यक्तिगत बेरोजगार स्नातकों के लिए आरक्षित हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार स्नातक तथा उनकी सहकारी समितियां आदि भी इन ठेकों की पात्र हैं।

(ख) बेरोजगार स्नातकों के केवल कुल ही साझेदारी/एसोसिएशन पुस्तक स्टाल के ठेकों को चला रहे हैं। अभी तक किसी भी सहकारी समिति ने पुस्तक स्टाल के ठेके के आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया है। अतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के हितों की उपेक्षा करने का कोई मामला नहीं है।

(ग) और (घ) किसी भी पुस्तक स्टाल के ठेकेदार को, रेलों पर एकाधिकार नहीं है।

सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली में मशीनों और भवनों की क्षति

7010. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली में जांच किए जाने के बाद आग में कितने मूल्य की मशीनों और भवनों की क्षति होने का पता लगा है;

(ख) उसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कुत्ते से काटे हुए उपचार के लिए कितने मूल्य की औषधियां वहां प्रतिवर्ष तैयार की जाती हैं तथा वहां सरकार ने कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मूल्यांकन करने पर 12,28,40 ,98 रुपए (बारह लाख अठाइस हजार चार सौ रुपये और पैसे अठानवे) मूल्य के सामान की हानि हुई बताई गई है।

(ख) पुलिस ने प्रारम्भिक रिपोर्ट भेज दी है। किसी भी कर्मचारी को आग की दुर्घटना में दोषी नहीं पाया गया। अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) 1980-81 के दौरान 6.53 लाख रुपए के मूल्य की आलर्कगोग रोधी औषधि का उत्पादन किया गया। वे सभी सुविधाएं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय हैं, वे संस्थान के कर्मचारियों को दी जा रही हैं।

कोलायत फलोदी लाइन

701. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर को सीधा बीकानेर तथा दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए कोलायत-फलोदी तक 100 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता है, और

(ख) क्या रेलवे लाइन का सर्वेक्षण और निर्माण आरम्भ किया जाना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला और तालुक अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया जाना

7012. श्री हरि नाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर दबाव और विश्व मान्य सिद्धान्तों के कारण नीचा है,

(ख) क्या सरकार का विचार जिला तथा तालुक अस्पतालों का दर्जा बढ़ा कर आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों के निकट लाने का है जिससे कि अनुसंधानोन्मुख अस्पतालों पर दबाव को कम किया जा सके, और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था करने की बात निहित है कि ब्लाक/सब डिविजन तालुका स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशिष्ट उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कर दी जायेगी और इन केन्द्रों से जिला अस्पतालों/मेडिकल कालेज अस्पतालों को रोगियों को भेजने की पद्धति आरम्भ की जाएगी। यह सोचा गया है कि ब्लाक/सब डिविजन तालुक अस्पतालों में चार स्पेशियलिटीज की व्यवस्था कर उनका दर्जा बढ़ा दिया जाए और उनका नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रख दिया जाएगा। ऐसा एक केन्द्र 1 00,000 लोगों को सेवाएं उपलब्ध करेगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में वरिष्ठता सूची

7013. श्री सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कोई वरिष्ठता सूची है,

(ख) यदि हां, तो ग्रेड एक के अधिकारियों की सूची अलग है, और

(ग) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा और अतिरिक्त महा-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पदों पर चयन के लिए विभागीय पदोन्नति की बैठक कब होने जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न वर्गों के अधिकारियो की अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां हैं।

(ग) सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श स इन दोनों पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांकृतिक संगठनों द्वारा प्रायोजित की गई ग्रामीण स्वास्थ्य योजनायें

7014. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने के संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन देश में कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य योजनायें शुरू करने जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या ये योजनायें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और गन्दी बस्तियों में भी चलाई जायेगी,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह मन्त्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

मंचेश्वर में कोच मरम्मत कार्यशाला

7015. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंचेश्वर (उड़ीसा) में कोच मरम्मत कार्यशाला में भर्ती की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो ये नियुक्तियां किन-किन स्थानों पर की जाएंगी,

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन नियुक्तियो के समय रेलवे स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हजीरा में शिपयार्ड

7016. श्री सी. डी. पटेल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में शिपयार्ड स्थापित करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि कब तक इस बारे में अन्तिम फैसला हो जाएगा।

लोको कर्मचारियों के साथ समझौता

7017. श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1973 में रेल के लोको कर्मचारियों के साथ किस तरह का समझौता किया गया था;

(ख) कार्यान्वयन के लिए समझौते की घोषणा कब की गई थी; और

(ग) उक्त समझौता का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1973 में भारतीय रेलों पर लोको रनिंग कर्मचारियों के साथ इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ था। तत्कालीन रेल मंत्री तथा श्रम मंत्री के साथ लोको रनिंग कर्मचारियों के प्रतिनिधि मन्डल ने विचार विमर्श किया था और अगस्त, 1973 में कुछ प्रबन्ध किए गए थे। तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा मान्य प्रबन्धों में शामिल किए गए मुद्दों के बारे में और तत्सम्बन्धी स्थिति 29.11.77 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 1773 के उत्तर में बतायी गयी है। इस प्रश्न के दिए गए उत्तर से पता चलेगा कि सभी आश्वासन पूरे किये जा चुके हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार किए गए "यूरोलाजी" विशेषज्ञ

7018. **श्री नारायण चौबे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "यूरोलाजी" ऐसा विषय है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान द्वारा 1978 से 1981 के वर्षों के बीच कितने विशेषज्ञ तैयार किए गए हैं और कितने विशेषज्ञ तैयार किए गए हैं और कितनों ने पी. एच. डी. डिग्री ली हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सभी विशेषज्ञों को स्वयं इसी संस्थान में अथवा अन्य अस्पतालों में खपाया अथवा नियुक्त नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1978-81 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सात विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें संस्थान की ओर से प्रदान की गई डिग्री एम. के. (मूत्र विज्ञान) है न कि पी. एच. डी.। इस संस्थान में जिन सात विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया था उनमें से दो सशस्त्र सेना के थे जो अपने-अपने पदों पर वापिस चले गए हैं। दो उम्मीदवार केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों ने भेजे थे और वे भी अपने मूल संवर्गों में चले गए हैं। अन्य तीन उम्मीदवार उपयुक्त नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस विशिष्टता में नियुक्ति के अवसर सीमित हैं।

भारतीय दूतावासों में मितव्ययिता

7019. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय दूतावासों/मिशनों का खर्च न्यूनतम करने के लिए इनके व्यय में कमी करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हाँ,जैसा कि मंत्रालय की अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है यह निरन्तर चलने वाला प्रयास है। विदेश स्थित मिशनों के खर्च पर बराबर निगाह रखी जाती है और जहाँ मुमकिन होता है इसे कम करने की कोशिश की जाती है। सार्वभौम मुद्रास्फीति जैसे कारणों से जो विगत तीन वर्षों की अवधि में किसी-किसी देश में 1400 प्रतिशत तक बढ़ गयी है, और मकान किराये आदि की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खर्च को कम करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश किये जाने के बावजूद हम खर्च के आँकड़ों को कम नहीं कर पाए हैं हालांकि इसके लिए हमने अमले में छटनी और कमी करने जैसे सख्त कम कदम भी उठाए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग

7020. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिए कितनी राशि खर्च की गई है और उक्त राज्य में प्रस्तावित नए राजमार्ग कौन-कौन से हैं, और

(ख) पश्चिम बंगाल में इस समय निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, उनके लिए कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी खर्च की जा चुकी है तथा इन राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) इस अवधि के में पश्चिम बंगाल में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अन्तिम रूप से आवंटित की गई धन राशि तथा उन पर किया गया व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	अंतिम आवंटन	वास्तविक व्यय
1977-78	156,16	183.71
1978-79	231.95	250.72
1879-80	213.16	268.24

पश्चिम बंगाल में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, 6, 31, 31-ग, 32 34, 35, तथा 41 गुजरते हैं जिनकी कुल लम्बाई 1534 किलोमीटर है। फिलहाल, किसी मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है। इन मार्गों पर चलने वाले यातायात तथा जिन क्षेत्रों से ये राजमार्ग गुजरते हैं वहाँ पर यातायत, मिट्टी की किस्म तथा पर्यावरण आदि को ध्यान में रखते हुए इन राष्ट्रीय राजमार्गों में निरन्तर सुधार किया जाता है। इन राजमार्गों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से 1980 तक अनेक निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए। इन निर्माण कार्यों पर पहली अप्रैल, 1980 तक 36 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं तथा लगभग

19 करोड़ रुपये अभी खर्च किये जाने बाकी हैं। जो निर्माण कार्य अब तक मंजूर किये जा चुके हैं, आशा है कि वे छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरे हो जाएंगे जो धनराशि के उपलब्ध होने तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक प्राथमिकता नहीं दिये जाने पर निर्भर है।

दिल्ली मेरठ शटल गाड़ियों के डिब्बों

7021. **श्रीराम अवध** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली शटल गाड़ियों के डिब्बे बहुत खराब हालत में हैं और इसके फलस्वरूप यात्रियों को अनेक कठिनायों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। दिल्ली तथा मेरठ के बीच चलने वाली शटल गाड़ियों के प्राय: सभी सवारी डिब्बों की पिछले तीन महीनों के दौरान भली प्रकार से आवधिक ओवरहाल तथा मरम्मत की गयी है। टर्मिनल पर इन सवारी डिब्बों के अनुरक्षण की एक उपयुक्त योजना है, जहाँ इनकी भली प्रकार जांच की जाती है तथा इनकी देख रेख की जाती है। इन सवारी डिब्बो के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली हैं तथा इनकी सामान्य हालत संतोषजनक समझी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन क्षमता का उपयोग

7022. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजनों के निर्माण की क्षमता के उपयोग में भी काफी कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों का वर्षवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस स्थिति से सीधे सड़क परिवहन को लाभ पहुँचता है और रेलवे की अर्थ व्यवस्था को आघात पहुचता है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल इन्जनों के उत्पादन में संस्थापित क्षमता की तुलना में कमी-वेशी रही है। यह कमी-वेशी तदनुरूपी तुंगियों जैसे बिजली की कटौती, जिसमें 1980 में भारी कटौती की गयी थी, इस्पात तथा खरीदी जाने वाली मदों की अनियमिय उपलब्धता के कारण हुई थी।

(ख) एक मात्र रेल इन्जनों के उत्पादन के लिए निर्धारित क्षमता की तुलना में रेल इन्जनों के उत्पादन के आँकड़े नीचे दिए गये हैं :

	रेल इन्जनों के उत्पादन की क्षमता	वास्तविक उत्पादन	रेल इन्जनों के उत्पादन की क्षमता	वास्तविक उत्पादन
78-79	114	110	87	84
79-80	135	102	103	90
80-81	140	166	104	106

(ग) 1978-79 और 1979-80 के दौरान रेल इन्जनों के उत्पादन में मामूली गिरावट को काफी हद तक 1980-81 के दौरान कीर्तिमान उत्पादन करके पूरी कर दी गयी है। अतः यह सड़क यातायात के पक्ष में नहीं है।

पिछली तीन जनगणनाओं के दौरान जनसंख्या की वृद्धि की राज्य-वार दर

7023. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पिछली तीन जन गणनाओं के दौरान जनसंख्या की विकास दर के बारे में 5 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2254 के बारे में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के विभिन्न वर्गों की जनसंख्या की राज्य-वार एकान्तिक और तुलनात्मक वृद्धि कितनी हुई; और

(ख) कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र परिवार नियोजन के राष्ट्रीय मानदंड कार्यान्वित करने में आगे हैं अथवा बहुत पीछे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत के महापंजीयक से मिली सूचना के अनुसार 1951, 1961 तथा 1971 की जन-गणनाओं की जितनी सूचना उपलब्ध हैं वह विवरण एक और दो में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2-33/81] महापंजीयक ने 1951 और 1961 के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की राज्यवार वृद्धि दरें नहीं दी हैं क्योंकि इस अवधि में राज्यों के बीच हुये क्षेत्र सम्बन्धी काफी कुछ परिवर्तनों के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का हिसाब नहीं रखा गया है। 1981 की जनगणना का अपेक्षित ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ख) छठी पचवर्षीय योजना के दस्तावेज में सम्पूर्ण देश के लिए 1996 तक वास्तविक प्रजनन दर का लक्ष्य "एक" रखने की बात कही गई है। इसका अर्थ यह है कि 1996 तक जन्म दर 21 लानी होगी और इसके लिए यह आवश्यक होगा कि परिवार नियोजन के किसी भी तरीके से कारगर ढग से सुरक्षित किए जाने वाले पात्र दम्पत्तियों (जिन दम्पत्तियों में पत्नियों की आयु 15-44 वर्ष है) की प्रतिशतता लगभग 80 हो जानी चाहिए। 1984-85 तक यह कवरेज 36 प्रतिशत तक पहुँच जाना चाहिए। इस समय जनवरी, 1981 तक की स्थिति यह है कि देश के कुल पात्र दम्पत्तियों में से 22.8 प्रतिशत को कारगर ढग से सुरक्षित किया जा चुका समझा जाता है। राज्य-वार आंकड़े विवरण तीन में दिए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर से अधिक या कम वाले राज्य भी बताये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी-2333/81]

टिकिट निरीक्षकों में भ्रष्टाचार

7024. **श्री वी. एस. विजयराघवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकट निरीक्षकों तथा रेलवे के अन्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा हाल ही में कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों पर टिकट परीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने

के उद्देश्य से अवांछनीय तत्वों और रेल कर्मचारियो का कदाचारों/अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त होना समाप्त करने के लिए एक सतत प्रक्रिया के भाग के रूप में नियमित आधार पर जाँच की जाती है। हाल ही में, गाड़ियों में जांच कर्मचारियों के भ्रष्ट गतिविधियों के विरुद्ध अभियान को तेज किया गया है। मार्च, 1981 के महीने में मंत्रालय से सम्बद्ध सर्तकता विशेष दस्ते द्वारा दिल्ली से गुजरने/आरम्भ होने वाली गाड़ियों में अनेक बार विशेष जाँच की गयी थी। इन जाँचों पड़तालों के परिणाम स्वरूप अनेक कर्मचारी जिनमें चल टिकट परीक्षक कण्डक्टर और डिब्बा परिचर शामिल है, दोषी पाये गये हैं। उनके विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों की कार्यवाही सहित कठोर कार्यवाही की जा रही है।

लोहारू सवाई माधोपुर एक्सप्रेस में की गई डकैती और जवानों को लूटा जाना

7025. **श्री फूल चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहारु सवाई माधोपुर एक्सप्रेस गाड़ी में सेना के जवानों को लूटा गया और मारा गया;

(ख) यदि हां तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसका सामना न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस गाड़ी में पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के जवान नहीं लगाए गए थे;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार भविष्य में सुरक्षा बल को सुदृढ करने के बारे में विचार करेगी; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुलिस अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 7-3-81 को पश्चिम रेलवे के मूरजगढ़ और चिड़ावा स्टेशनों के बीच 18 डाउन (लोहारु-सवाई माधोपुर एक्सप्रेस) गाड़ी के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे "में डकैती पड़ी और तीन असामाजिक तत्वों ने, यान में यात्रा कर रहे एक सैनिक और एक अन्य यात्री से 2 सूटकेस, एक हाथ घड़ी और कुल 3,000 रुपये लूट लिये। कोई भी यात्री मारा नहीं गया लेकिन सेना के एक जवान को गोली लगने से चोटें आयी। इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त सभी तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 2,500 रुपये की लूटी गयी सम्पति वसूल कर ली गयी है।

(ख) जी नहीं। रेलवे सुरक्षा बल के जवान गाड़ी का मार्गरक्षण कर रहे थे।

(ग) और (घ) रेलों/रेल परिसरों में अपराध की रोक थाम और अपराधियों को पकड़ने प्राथमिक उत्तरदायित्व राजकीय रेलवे पुलिस का है, इस प्रकार आमतौर पर सवारी गाडियों की अनुरक्षा राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों द्वारा की जानी अपेक्षित होती है। रेलवे सुरक्षा बल के जवान रेल सम्पति की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं।

(ङ) और (च) रेल मंत्रालय ने राजकीय रेलवे पुलिस के खर्चे को आधा-आधा बाँटने का निर्णय किया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे राजकीय रेलवे पुलिस के

कर्मचारियों में वृद्धि करने के अपने प्रस्तावों को क्षेत्रीय रेलों के पास उनकी सहमति के लिए भेजें कुछ प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है, जबकि अन्य मामले अभी विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और औषधालयों को बिना सील बन्द यूनानी औषधियों की सप्लाई

7026. **श्री रशीद मसूद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दी जाने वाली यूनानी औषधियाँ सील बन्द नहीं होती हैं जिसके कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को नकली औषधियों की सप्लाई की सम्भावना रहती है;

(ख) यदि हां तो सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को बिना सील बन्द यूनानी औषधियों की सप्लाई के बारे में कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं। निर्माता फर्में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को जो यूनानी दवाईयाँ सप्लाई करती हैं, वे बाकायदा मोहरबन्द होती हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही

प्रो. मधु दंडवते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में फरवरी 1981 में हुये एक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन की घोषणा में कहा गया था कि अफगानिस्तान में राजनैतिक समझौते का आधार अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी है; और

(ख) यदि हाँ, तो अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में क्या कदम उठाये गए हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) 13, फरवरी, 1981 को गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा में दूसरी बातों के अलावा यह भी कहा गया है :

"वे (मंत्रीगण) इस बात का आह्वान करते हैं कि विदेशी सैनिकोंको की वापसी के आधार पर अफगानिस्तान की स्वातन्त्रता, प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और उसके गुट-निरपेक्ष दर्जे के प्रति पूर्ण सम्मान के आधार पर तथा अ-हस्तक्षेप के सिद्धान्त का सख्ती से अनुपालन करके इस समस्या का तत्काल राजनीतिक समाधान निकलना चाहिए।" इस घोषणा में "सभी राज्यों से" यह आग्रह भी किया गया है कि वे संयम से काम लें ताकि क्षेत्र की शान्ति तथा इसका दायित्व और और अधिक खतरे में न पड़े तथा वे ऐसे कदम उठाएं जोकि इस क्षेत्र के राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता प्रादेशिक अखंडता तथा दूसरे

राज्यों में आंतरिक मामलों में अ-हस्तक्षेप के गुट निरपेक्ष सिद्धान्तों पर आधारित स्थाई और समरसतापूर्ण सम्बन्धों के विकास के अनुकूल हों।

(ख) नई दिल्ली सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने श्री पेरेज डी क्यूलर को अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया ताकि वे इस समस्या के शान्तिपूर्ण राजनीतिक समाधान के लिए स्वयं महासचिव द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों को आगे बढ़ायें। इस समस्या के शान्तिपूर्ण राजनीतिक समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो पहल की है उससे प्रारम्भिक तौर पर तो इस समस्या में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित दशों को लाभ उठाना चाहिए। भारत इस सिलसिले में सभी सम्बन्ध देशों से सम्पर्क बनाए हुए है।

डोमाहानी-चेंगराबुन्दा लाइन

श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में पूर्वी बंगाल में डोमाहानी-चेंगराबुन्दा रेल लाइन बाढ़ के कारण 1968 में एक क्षतिग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लाइन को पुनः चालू करने के लिए जलपाई गुड़ी जिला रेल यात्री संघ ने 1980 में एक अभ्यावेदन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इस लाइन को कब तक चालू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) 1968 में आई बाढ़ के दौरान लतागुड़ी-दोमुहानी चंगराबंधा (मी. ला.) की 39 कि. मी. शाखा लाइन को क्षति पहुची थी। उसके तुरन्त बाद तिस्ता नदी में 5 और 7 लाख क्यूसेक्स के बीच अधिक पानी छोड़े जाने पर लाइन की मजबूती पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करने और इस लाइन को दोबारा चालू करने की वित्तीय विवक्षा निकालने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस शाखा लाइन को जोकि पहले ही 33 लाख रुपये की वार्षिक हानि पर कार्यरत है, फिर से चालू करना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं था और इसलिए इसको फिर से चालू करने की सिफारिस नहीं की गई है. बहरहाल उत्तर सीमांत क्षेत्रों का शाखा लाइन द्वारा सेवित किये जाने के महत्व तथा राज्य सरकार और संसद सदस्यों की ओर से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लतागुडी ज.—दोमोहानी के एक भाग (14.10) कि. मी.) में फिर से गाड़ियां चलाने की स्वीकृति दी गयी थी और इसे नवम्बर 1974 के दौरान पूरा किया गया था। दोमुहानी-चंगराबन्धा (25 कि. मी.) के बीच शेष भाग के सम्बन्ध में 197 के दौरान एक नया यातायात सर्वेक्षण किया गया था, जिससे पता चला कि इस लाइन को फिर से चालू करना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं होगा और इससे वित्तीय हानि होगी। इस लाइन के चालू किये जाने में हुए पूंजीनिवेश पर पहले और छठे वर्ष में क्रमशः (—) 29.05 प्रतिशत और (—) 28.94 प्रतिशत आय होगी।

वित्तीय संसाधनों और इस परियोजना की अत्यधिक अलाभप्रद प्रकृति को देखते हुए अभी तक इस लाइन के फिर से चालू करना सम्भव नहीं हो पाया है :

(ग) जी हां ।

(घ) जलपाईगुड़ी जिला रेल यात्री एसोसिएशन को उत्तर दिया गया था कि 1978 के दौरान इस लाइन को फिर से चालू करने के लिए किये गये एक नवीन सर्वेक्षण से पता चला है कि इस लाइन को फिर से चालू करना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है और ऐसा करने से वित्तीय हानि होगी बहरहाल, पिछड़े क्षेत्रों में अलाभप्रद लाइनों सहित नई लाइनों के निर्माण के लिए एक तर्कसंगत मानदंड तैयार करने और उन पर धन लगाने के तरीके का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तावित लाइन को फिर से चालू करने के बारे में ध्यान रखा जायेगा । इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में योजना आयोग को प्राप्त हुई और उनके द्वारा इसकी जाँच की जा रही है । इसलिए, इस समय इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस लाइन को फिर से कब चालू किया जायेगा ।

रेलवे के आरक्षण कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या

7029. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रसीद मसूद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के विभिन्न रेलवे आरक्षण कार्यालयों (ना कि बुकिंग कार्यालयों) में इस समय कुल कितने कर्मचारी (श्रेणी वार हैं;

(ख) यदि (श्रेणी वार) कोई रिक्त पद हैं तो वे कितने हैं तथा ये पद कितनी अवधि से खाली पड़े हैं और इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) जनशक्ति की कमी के कारण कर्मचारियों को प्रतिमास कितना समयोपरि भत्ता अदा किया जा रहा है; और

(घ) इन आरक्षण कार्यालयों में पूरी संख्या में कर्मचारियों की मंजूरी देने हेतु सरकार का क्या कार्यक्रम ही करते काविचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजधानी में विभिन्न आरक्षण कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या नीचे दी गई है :

	ग्रेड	संख्या
मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक	700-900 रु. वे.	6
मुख्य पूछताछ और आरक्षण पर्यवेक्षक	550-750 ,,	33
मुख्य पूछताछ और आरक्षण क्लर्क	455-700 ,,	35
प्रधान पूछताछ और आरक्षण क्लर्क	425-640 ,,	70
पूछताछ और आरक्षणक्लर्क	330-560 ,,	352
सामान्य पूछताछ और आरक्षण	260-400 ,,	3

(ख) 425-640 रुपये (सं. वे) के ग्रेड में दो पद (एक अक्तूबर, 80 और दूसरा जनवरी 81 से) और 330-560 रुपये (सं. वे.) के ग्रेड में 12 पद (जनवरी, फरवरी, मार्च 81) से पेनल में रखे गये कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण खाली पड़े हैं ।

(ग) लगभग 3,700 रुपये प्रति माह ।

(घ) प्रवरण प्रगति पर है ।

विटामिनों का अंश समिति करने के लिए औषधि एव प्रसाधान नियम 1945 का सन्शोधन

7030. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक सरकार ने औषध एवं प्रसाधन नियमों, 1945 को संशोधित करने के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है, ताकि सभी निर्माताओं को अपनी दवाओं में विटामिन का अंश सीमित करने के लिए बाध्य किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कार्य को कब लागू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री निहार रंजन लास्कर : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कहने पर विटामिनों के संशोधित प्रतिमानों को लागू करने की समय-सीमा 31 अगस्त, 981 तक बढा दी गई है । पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा इस मामले के क्लीयर किए जाते ही औषध योगों में न्यूनतम और अधिकतम विटामिन तत्वों को विनियमित करने के निर्णय को कार्यरूप दे दिया जाएगा ।

किरायों पर इंधन अधिभार लगाने का प्रस्ताव

7031. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन निगमों ने प्रस्ताव किया है कि उनको एयरलाइनों की तरह किरायों पर इंधन अधिभार लगाने की अनुमति दी जाए, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा किया गया अध्ययन

7032. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली का इस उद्देश्य से अध्ययन किया था कि आपातकालीन प्रयोग के लिए रोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हाँ तो इस अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की थी और उन्हें कहाँ तक कार्यान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हाँ । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मचारी निरीक्षण एकक से परामर्श लेकर यह अध्ययन किया था ।

(ख) इस अध्ययन की शिफारिशें संगठनात्मक और क्रियाविधि सम्बन्धी मामलों, अतिरिक्त पदों के बनाने और उपकरणों की खरीद से सम्बन्धित थी। अधिकांश सिफारिशें जिन में वित्तीय कठिनाइयां नहीं थी, अस्पताल के प्राधिकारों द्वारा कार्यान्वित कर दी गई है। अतिरिक्त पद बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

'विजीटेशन इन दिल्ली हास्पीटल्स' शीर्षक से समाचार

7033. श्री एस. एम. कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया नई दिल्ली में 'विजीटेशन इन दिल्ली हास्पीटल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का राजधानी के हस्पतालों के मामले में क्या सुधार किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, यह समाचार देखा है।

(ख) और (ग) दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों के इर्द गिर्द चार-दीवारी बनी हुई है। तथापि, कभी कभी आवारा कुत्ते, बिल्लियाँ या बंदर अस्पताल के अहाते में आ जाते हैं। जब कभी ऐसे आवारा जानवर अस्पताल के अन्दर आ जाते हैं तो अस्पताल के पहरेदारों द्वारा इन्हें शीघ्र बाहर निकाल दिया जाता है। उनसे होने वाली परेशानी को दूर करने के लिये अस्पताल प्राधिकारी हमेशा समुचित कदम उठाते रहते हैं।

गया रेलवे स्टेशन पर तस्करों की गतिविधियाँ

7034. श्री सुरेश भान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा गया रेलवे स्टेशन को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाकर गया तथा इसके निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों के बाहर चोरी छिपे हार्ड कोक तथा खैर लकड़ी की 1972-73 से सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंडलीय वन अधिकारी, गया ने 1980 में गया स्टेशन से खैर लकड़ी से लदे चार-पाँच माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में गया स्टेशन, जी. आर. पी. को सूचित किया था और जी- आर. पी. के प्रभारी ने स्टेशन पर जाँच की और खैर लकड़ी से लदे पांच अनधिकृत वैगन पकड़े तथा यार्ड मास्टर का एक ज्ञापन दिया और उसको पाँचों वैगनों को रोकने के आदेश दिये परन्तु स्टेशन अधीक्षक ने 4 मार्च, 1980 की रात्रि को वे वैगन बेलनगज स्टेशन भेज दिये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : 6.2.1980 को, गया माल शेड में खैर की लकड़ी के 3 माल डिब्बों का लदान बेलनगंज तथा 2 माल डिब्बों का नजीबाबाद के लिए किया गया था, उसी तारीख को कार्यभारी/उसी दिन राजकीय रेलवे पुलिस/गया ने माल शेड अधीक्षक, गया को एक मीमो दिया जिसमें इन 5 माल डिब्बों को रोकने की सूचना दी गयी थी क्योंकि यह रिपोर्ट मिली थी कि इनमें चोरी की खैर की लकड़ी का लदान किया गया था। तदानुसार, गया में इन माल डिब्बों को रोक लिया गया। गया के रेल अधिकारियों ने कार्यभारी/राजकीय रेलवे पुलिस को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन माल डिब्बों को निर्मुक्त करने के सम्बन्ध में आगे कार्यवाई करने के लिए कहा था। जब कार्यभारी/राजकीय-रेलवे पुलिस से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो उप अधीक्षक रेलवे पुलिस गया को सरकारी तौर पर कहा गया जिन्होंने माल डिब्बों को 28-2-1980 को निर्मुक्त करने की सूचना दी जिसमें कहा गया था कि इस सम्बन्ध में कोई मामला नहीं बनता है। उप अधीक्षक रेलवे पुलिस गया से लिखित सूचना मिलने पर, इन रोके गए माल डिब्बों को गया से क्रमश: अपने-अपने गन्तव्य स्थानों को भेज दिया गया। पूर्व रेलवे के एक सतर्कता निरीक्षक ने गया में 25-2-1981 को निवारक जांच पड़ताल की थी जिसके दौरान इस मामले की भी जांच की गयी थी। उक्त 5 माल डिब्बी की बुकिंग और उनके प्रेषक में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

मंत्री का पूर्वी एशियाई देशों का दौरा

7035. श्री एस. एम. कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत के व्यापारिक समुद्री बेड़े में लगभग 25 लाख जी. आर. सी. टन की वृद्धि करने के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु पिछले महीने कुछ पूर्वी एशियाई देशों का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस किस देश का दौरा किया और उन देशों में विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय देशों के साथ हुई उनकी बातचीत के क्या परिणाम निकले,

(ग) क्या उन्होने उन देशों में कुछ शिपयार्डों का भी दौरा किया था और उपलब्ध जहाजों की किस्म, आपूर्ति संबंधी समयावलि और वित्तीय प्रबधों के बारे में बातचीत की थी, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरे क्या हैं और इन दौरो के क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मेरी यात्रा मुख्यत: जापान में भारतीय नौवहन निगम के लिए बनने वाले जहाज के जलावतरण के संबध में थी। मैं इस अवसर पर कुछ देर के लिए दक्षिणी कोरिया हांगकांग और सिंगापुर भी गया। इस यात्रा में भारत द्वारा जहाजों की खरीद किए जाने पर उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था के बारे में विभिन्न शिपयार्डों और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकरों से सरकारी स्तर पर सामान्य विचार विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) : मैं मित्सुबिशी शिपयार्ड, कोबे भी गया जहां भारतीय नौवहन निगम का जहाज जलावतरित किया गया। जापान और दक्षिण कोरिया के कुछ शिपयार्डों के साथ हमारे देश में जहाजों की जरूरत पर भी प्रारंभिक चर्चा हुई। इसके बारे में प्रशासनिक और

तकनीकी स्तर पर आगे भी ब्यौरेवार चर्चा की जाएगी। भारतीय शिपयार्डों को आधुनिकतम बनाने और उनका विस्तार करने में कुछ पहलुओं में सहयोग लेने के बारे में भी बातचीत की गई।

गैर-सरकारी क्षेत्र से माल डिब्बों की खरीद

7036. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 19 5-76 से वर्ष 1980-81 तक की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष गैर-सरकारी क्षेत्र से कितने-कितने माल-डिब्बे खरीदे गये और उनके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) माल-डिब्बे बनाने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और रेलवे का निजी उत्पादन कितना है; और

(ग) इस समय और छठी योजना के अन्त तक के आगामी वर्षों में प्रति वर्ष उन्हें कितने-कितने माल डिब्बों की और आवश्यकता होगी तथा इस मांग की कहां से पूर्ति की जाएगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1975-76 से 1980-81 के वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के कारखानों से खरीदे गये माल-डिब्बों की संख्या और किए गए वास्तविक खर्च का ब्यौरा विवरण में विस्तारपूर्वक दिया गया है :

(ख) निजी क्षेत्र के माल-डिब्बा निर्माण कारखानों की निर्माण की वार्षिक स्थापित क्षमता नीचे दी गई है :

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

फर्म का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता
मेसर्स सिमको, भरतपुर	2,000
मेसर्स एच. जी. आई, नांगलोई	1,000
मेसर्स माडर्न इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद	2,000
मेसर्स टेक्समाको, कलकत्ता	3,600

इस समय तीन रेलवे कारखानों, जिनके नाम हैं उत्तर रेलवे का अमृतसर कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे का समस्तीपुर कारखाना और दक्षिण रेलवे का गोल्डन राक कारखाना, में अतिरिक्त क्षमा का उपयोग रेल-माल डिब्बों का निर्माण करने में किया जाता है। विगत पांच वर्षों की अवधि में निर्मित माल-डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	माल डिब्बों की संख्या
1975-76	1,200
1976-77	1,305

1	2
1977-78	1,324
1978-79	1,586
1979-80	1,654
1980-81 (जनवरी, 1981 तक)	1,151

(ग) चालू छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 के वर्षों के दौरान चौपहियों के हिसाब से 1,00,000 माल डिब्बे प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। तथापि, वर्षानुवर्ष आधार पर खरीद की योजना वार्षिक योजनाओं के दौरान आवंटित धन के आधार पर बनायी जाती है। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के वर्षों की अवधि में चौपहियों के हिसाब से 30,000 माल डिब्बे प्राप्त करने की प्रत्याशा है। चौपहियों के हिसाब से शेष 70,000 माल डिब्बों की मात्रा का प्रबन्ध छठी पंचवर्षीय योजना के बाकी तीन वर्षों अर्थात् 1982-83 से 1985-86 के दौरान किया जायेगा और यह धन के पर्याप्त आवटन पर निर्भर करेगा। इन माल डिब्बों की खरीद देसी स्रोतों से करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

	1975-76		1976-77		1977-78	
फर्म का नाम	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या	किया गया भुगतान*	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या	किया गया भुगतान	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या	किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7
मेसर्स सिमको भरतपुर	2392	7.57	2592	8.93	2350	9.74
मेसर्स एच. जी. आई नांगलोई	266	0.93	139	0.61	450	1.46
मेसर्स माडर्न इन्डस्ट्रीज साहिबाबाद,	528	1.80	358	1.61	619	2.85
मेसर्स टेक्समाको कलकत्ता	3264	8.82	2231	7.45	2461	10.81

फर्म का नाम	1978-79		1979-80		1980-81 (जनवरी, 1981 तक)	
	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या	किया गया भुगतान*	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या	किया गया भुगतान	सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या	किया गया भुगतान
1	2	3	4	54	6	7
मेसर्स सिमको, भरतपुर	2348	10.95	1795	10.77	690	4 45
मेसर्स एच. जी. आई. नांगलोई	96	0.75	129	0.36	54	0.13
मेसर्स माडर्न इन्डस्ट्री साहिबा बाद	657	3.00	588	4.27	677	2.98
मेसर्स टेक्समाको, कलकत्ता	1866	10.60	2277	15.17	3116	19.70

* यह वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक भुगतान का सूचक है और हो सकता है कि इससे उस वर्ष सप्लाई किये गये माल-डिब्बों की संख्या का पता न चले।

ड्राइवरों आदि की परिलब्धियां

7037. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में इस समय चालकों, गार्डों और सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टरों की श्रेणीवार कुल औसत परिलब्धियां कितनी हैं, और

(ख) वर्ष 1980-81 में प्रत्येक श्रेणी को डिवीजन-वार समयोपरि भुगतान कितना किया गया ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नगर भत्ता

7038. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल प्राधिकरण, वाराणसी, डिवीजन रेलवे मेनेजर, मुगलसराय और महाप्रबन्धक पूर्व रेलवे ने पहले ही मुगलसराय के रेल कर्मचारियों को नगर भत्ता का भुगतान किए जाने की सिफारिश भेज दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें कब प्राप्त हुई थी और भुगतान के लिए आदेश जारी करने में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गये विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 1979 में प्राप्त सिफारिश की जांच की गयी थी। यह विचार किया गया था कि चूंकि मुगलसराय एक नगरपालिका है अतः सिविल प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्भरता प्रमाण-पत्र के आधार नगर प्रतिकर भत्ता देय नहीं है और जनसंख्या के आधार पर यह एक वर्गीकृत नगर भी नहीं है ; तदनुसार नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता रेल प्रशासन को नवम्बर 1979 में इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया था।

नागापट्टीनाम और कोडिकाराई के बीच रेल लाइन

7039. **श्री थाऊाई एम. करुणानिधि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागपट्टिनाम और कोडिकाराई के बीच रेल लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और सिद्ध पद्धति के अन्तर्गत औषधालयों को खोला जाना

7040. **श्री थाऊाई एम. करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत राज्यवार और पद्धतिवार कितने औषधालय खोले गए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह भी सच है कि सिद्ध चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत एक भी औषधालय नहीं खोला गया है, यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) सिद्ध पद्धति के लिए कितने अनुसधान केन्द्र (यूनिट) काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या सिद्ध पद्धति के लिए कोई राष्ट्रीय संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह विषय वस्तुतः सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो अपनी अपनी जरुरतों तथा वित्तीय और अन्य कठिनाईयों को ध्यान में रख कर औषधालय, जिनमें परम्परागत चिकित्सा पद्धति के औषधालय भी शामिल हैं, खोलते हैं। फिर भी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन विभिन्न शहरों में खोले गए भिन्न-भिन्न परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों/यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक सिद्ध यूनिट मद्रास (तमिलनाडु) में कार्य कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद के अधीन केवल सिद्ध की ही 11 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। परिषद ने सिद्ध को चार समयबद्ध इन्त्रवायरियां भी स्वीकृत की हैं।

(च) इस समय राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा आधारभूत ढांचा अभी पर्याप्त नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 1-4-1981 को पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत कार्यरत औषधालयों/यूनिटों की संख्या ।

शहर का नाम	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	सिद्ध
दिल्ली	12	10	2	
बम्बई	2	1	—	
मेरठ	1	1	—	
इलाहाबाद	1	1	—	
जयपुर	1	1	—	
पुणे	1	1	—	
मद्रास	1	1	—	1
अहमदाबाद	1	1	—	
नागपुर	1	1	—	
हैदराबाद	1	1	1	
बंगलौर	1	1	—	
पटना	1	1	—	
लखनऊ	1	1	1	
कानपुर	1	1	—	
कलकत्ता	1	1	—	
योग	27	24	4	1

रायागड़ा तथा राउरकेला के बीच एक्सप्रेस/पैसंजर चलाने का प्रस्ताव

7041. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायागडा से राउरकेला (दक्षिण पूर्व रेलवे) तक एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गाड़ी को 1981 में चलाने का निर्णय किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रायागड़ा तथा राउरकेला के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जाँच की गयी है, लेकिन संतृप्ति पर चल रहे रायागड़ा तथा झारसुगुड़ा के बीच के इकहरी लाइन खंड तथा झारसुगुड़ा-राउरकेला खंड दोनों पर ही संतृप्त लाइन क्षमता होने के कारण इसे परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया । इसके अलावा इस समय इस गाड़ी को चलाने के लिए रायागड़ा में अनुरक्षण सुविधाओं जैसे अपेक्षित संसाधन, कोचिंग स्टाक, बिजली आदि भी उपलब्ध नहीं है ।

तितलागढ़ विजयानगरम लाइन

7042. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तितलागढ़-विजयानगरम लाइन के सुधार के लिए 1981-82 में क्या कार्य सम्मिलित किए गए हैं;

(क) उस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की की गई है,

(ग) क्या रायागड़ा नगर में विद्यमान फाटकों के स्थान पर उपरि-पुलों अथवा निचले पुलों के निर्माण का कार्य इन कार्यालयों में सम्मिलित किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पूरा ब्योरा विवरण में संलग्न है ।

(क) और (ख) टिटलागढ़-विजयानगरम के सुधार के लिए शामिल किये गये निर्माण कार्य और उनके लिए धनराशि :

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रायाशित लागत	1980-81 के अंत तक परिव्यय	1981-82 के दौरान परिव्यय	कार्य पूरा करने के लिए शेष रकम
1	2	3	4	5	6
1.	रायपुर-विजयानगरम खंड पर लाइन क्षमता बढ़ाना–चरण-1				
	1. रायपुर–टिटलागढ़ खंड पर लाखोली, नवापाड़ा रोड लखना और मुरिबहल अर्थात चार स्टेशनों पर लूप लाइनों का विस्तार	55.55	14 32	19.13	22.10
	(२) अन्तपार्शन में सुधार करके मानक III का करना				
2.	रायपुर-विजयानरम खंड पर लाइन क्षमता का विस्तार चरण-II				
	1. रायपुर-टिटलागढ़ खंड पर अरंग महानदी	91.95	0.10	8.75	83.10

1	2	3	4	5	6
	भीमखाज, खसियार रोड़ और हरिशंकर रोड अर्थात 4 स्टेशनों पर लूप लाइनों का विस्तार				
	2. अन्तपार्शन में सुधार करके मानक III का करना				
3,	रायपुर-विजयनगरम खंड (ब. ला,) बोबिल्ली और गुरुदा बिल्ली के बीच 15 कि. मी में पूरे रेल पथ का नवीनकरण (प्राइमरी)	98.06	61,06	37.00	—
4.	रायपुर तेलघानी नाका बस्ती के निकट समपार के बदले ऊपरी पुल की व्यवस्था	29.70 41.67 निक्षेप	11.75	2.18	15.77
5.	टिटलागढ़-विजयनगरम खंड पर भीस्म कटक और तिरुवली के बीच कि. मी. 306 से 322.6 तक 16.6 कि. मी डाउन लाइन पर रेल पथ के ग्रेड का पुनर्निधारण	27.00	कुछ नहीं	1.00	26.00
6,	रायपुर-टिटलागढ़ खंड (ब. ला.) बगबहरा और खरियार रोड के बीच 24.2 कि. मी. मे पूरे रेल पथ का नवीकरण (सेकेन्डरी)	104.51	कुछ नहीं	1.00	103.51

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण पर रेलवे और राज्य सरकार/प्राधिकरण दोनों को संयुक्त रूप से धन लगाना होता है और इसे निस्पादित करना होता है । यद्यपि रायगड़ा टाउन के निकट मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर रेलवे द्वारा विगत में विचार किया गया था परन्तु इसे निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार अपने बजट में समतुल्य धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सकी । अत: कार्य को शुरू नहीं किया जा सका ।

विभागाध्यक्षों के पद

7043. **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1980 से विभागाध्यक्षों (स्तर एक और स्तर दो) के कितने पद बनाये गए : और उनके बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) 1 अप्रैल, 1980 के बाद श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिए कितने पद बनाए गए और इन पदों पर आने वाले खर्च का अनुपात क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि जोनल रेल प्राधिकारियों को श्रेणी तीन और श्रेणी चार के रिक्त पदों को न भरने के अनुदेश दे दिए गए थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-4-1980 से स्तर I और II के कुल 17 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को रेलों पर विभिन्न सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य करने के लिए सृजित किया गया है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) श्रेणी III के पदों को भरने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है। श्रेणी 4 में चपरासियों के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगा है। स्वीकृति संख्या में 20 प्रतिशत कमी करके चपरासियों के रिक्त पद भी भरे जा सकते हैं।

मीरज बड़ी लाइन

7044. **श्री आर के. महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स से मीरज बड़ी लाइन के बारे में 13 नवम्बर, 1978 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही नहीं की है : और

(ग) यदि उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं

रेल मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मिक्ष लोंडा-हुबली-होसपेट मीटर लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस कार्य के लिए एक सर्वेक्षण किये जाने की पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है जो प्रगति पर है।

छोटी लाइन के रेल इन्जन

7045. **श्री आर के. महालगी** क्या : रेल मंत्री लाटूर मीरज रेल लाइन पर इन्जिनों की संख्या के बारे में 27 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न- सख्या 1474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइन के इन्जिनों की मरम्मत करने या उन्हें बदलने अथवा उनके लिए फालतु पूर्जे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिससे कि यात्री अथवा माल सेवा में कोई बाधा न पहुँचे : और

(ख) यदि उपरोक्त व्यवस्थाओं में से कोई भी व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है तो क्या सरकार छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में विचार करेगी और निर्णय लेगी और यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपयोग में लाये जा रहे सभी 26 भाप इन्जन अच्छी तरह काम करने की स्थिति में हैं और उनका निर्धारित तथा नियमित निवारक अनुरक्षण किया जा रहा है। इनके फालतु पुर्जे मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। रेलों के पास डीजल रेल इन्जनों के उपयोग की एक योजना है जिसके लिए कुरुडुवाडी में एक डीजल शेड का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) के कारण प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल एक्सप्रेस में हरिद्वार तथा नांगल बांध के बीच सीधे डिब्बे का पुन: जोड़ा जाना

7046. **प्रो. नारायण चन्द परासर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 53 अप/54 डाउन हिमाचल एक्सप्रेस में (हरिद्वार तथा नांगल बांध के बीच) एक सीधे डिब्बे (थ्रू कोच) को पुन: जोड़ने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त डिब्बा संभवत: किस तारीख से जोड़ दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(क) नवम्बर, 75 से सितम्बर, 76 के दौरान नांगलडैम तथा देरहादून के बीच 53/54 हिमाचल एक्सप्रेस तथा सम्बद्ध गाड़ियों से चलने वाले थ्रू सवारी यान को पुन: चलाने का यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अम्बाला छावनी तथा सहारनपुर में शांटिंग की कठिनाइयां भी हैं जहां यान का अन्तरण करना होता है।

गारो पहाड़ियों में दुदनाई और सिजु को बरास्ता बाधमारा मिलाने के लिए रज्जुपथ

7047. **श्री चिगवांग कोनयक** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो पहाड़ियों में दुदनाई और सिजु को बरास्ता बाधनारा मिलाने के लिए कोई रज्जुपथ बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दुदनाई और सिजु के बीच रज्जुपथ का निर्माण पूर्व परिषद की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में शामिल है। रज्जुपथ की स्कीमों के लिए 265 लाख रुपये रखे जा रहे हैं।

पूर्व रेलवे में गृह निर्माण ऋण

7040. **श्री रामावतार शास्त्री** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या अन्य सरकारी विभागों की भांति रेलवे भी अपने कर्मचारियों को भूखण्ड खरीदने और उन पर मकान बनाने के लिए ऋण प्रदान करती है :

(ख) क्या कलकत्ता और पूर्व रेलवे के अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को गह निर्माण ऋण प्रदान किए गए हैं :

(ग) यदि हां तो पूर्व रेलवे के कार्यालयों नें काम रहे कर्मचारियों को दिए गए ऋणों का, कार्यालय-वारब्यौरा क्या है :

(घ) क्या उक्त रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारियों को भी गृह-निर्माण ऋण दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) पूर्व रेलवे के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को दिए गए ऋणों व कार्यालय-वार ब्योरा निम्नलिखित है (1980-81) :—

कार्यालय	कर्मचारियों की सख्या	ऋण की राशि
		(रुपये)
(1) मुख्यालय	121	1177100.00
(2) हावड़ा	54	496730.00
(3) सियालदह	25	215751.00
(4) कंचरापाड़ा	15	130005.00
(5) लिलुआ	9	85552.00

(घ) जी हाँ ।

(ङ) ब्योरा निम्नलिखित है (1980-81 :

कार्यालय	कर्मचारियों की सख्या	ऋण की राशि
(1) मुख्यालय	27	382280.00
(2) हवड़ा	1	16200.00
(3) कचरापाड़ा	1	6500.00
(4) धनवाद	1	0500.00

बम्बई पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती

7049. **श्री आर. आर. भोले** : क्या नौवहन और परिवहन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि 50 प्रतिशत पत्तन न्यास कर्मचारियों के पुत्रों तथा पुत्रियों के लिए आरक्षित हैं ।

(ग) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के खाली पदों को भरने के लिए प्रबन्धकों का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या निर्धारित प्रतिशत से गिर गई है।

(ख) 16-2-81 को बम्बई पत्तन न्यास में नीचे लिखी मात्रा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे :—

श्रेणी	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
(1)	4.38	0.88
(2)	—	—(बम्बई पत्तन न्यास
(3)	8.35	1.96 में द्वितीय श्रेणी
(4)	19.4	0.46 के केवल 3 पद हैं)

(ग) और (घ) बम्बई पतन न्यास के अधिकारियों ने सूचित किया है कि शुरु-शुरू में सीधी भर्ती के समय, उनके द्वारा उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन 'निष्कासित' कहे जाते हैं या जो आरक्षित करने वाले नियमो के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होते हैं या जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं या जो उन व्यक्तियों के निकट सम्बन्धी होते हैं जो सेवा काल में मर जाते या स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों के आधार पर सेवा के अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। इन प्राथमिकताओं को पूरी करने के बाद बाकी खाली जगहें स्थानीय रोजगार कार्यालयों से नामजद किए गये व्यक्तियों व पत्तन न्यास के कर्मचारियों के बच्चों से बराबर बराबर की संख्या में भरी जाती हैं। पत्तन न्यास के कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने होते हैं। कर्मचारियों के बच्चों को पत्तन में औद्योगिक शांति बनाये रखने के व्यापक उद्योग को ध्यान में रखते हुए लाभ दिया जाता है।

(ङ) आरक्षित जगहों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो से भरने के लिए यथा सम्भव सभी उपाय किये जा रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन न्यास में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारी।

7050. **श्री आर. आर. भोले** : क्या नौवहन तथा परिवहन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों ने पदोन्नति, वरिष्ठता के निर्धारण, स्थायीकरण आदि से वंचित किए जाने के विरोध में प्रबन्धकों के विरुद्ध अक्तूबर, 1978 से अब तक कितने मामले दायर किए हैं,

(ख) अब तक कितने मामलों में निर्णय हो चुका है,

(ग) कितने मामलों में न्यायालयों के निर्णय प्रबन्धकों के विरुद्ध गए, और

(घ) ऐसे मामले इतनी बड़ी संख्या में होने के क्या कारण हैं और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी नियमों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) कलकत्ता पत्तन के अधिकारियों सूचित किया है कि अक्तूबर, 1978 से पत्तन न्यास के अनुसूचित जाति के केवल एक कर्मचारी द्वारा वरिष्ठता क्रम के बारे में मुकदमा दायर किया गया है। यह मामला न्यायालय के अधीन है ।

(घ) पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के मामले में आरक्षण सम्बन्धी नियम कुछ मामलों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त व्यक्ति न मिलने के कारण कार्यान्वित नहीं किए जा सके । पत्तन अधिकारियों ने यह भी सूचित किया है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के विरुद्ध एक रिट याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

उत्तर रेलवे में गृह निर्माण ऋण

7051. **श्री के. ए. राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के आरम्भ मे उत्तर रेलवे प्रशासन के पास गृह-निर्माण ऋण से संबंधित कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों को ऋण की मंजूरी देने में हो रहे बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 6

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार वचनबद्ध दायिता के मामलों को तरजीह दी गयी थी. इसलिए नये मामलों में ऋणों की मंजूरी नहीं दी जा सकी ।

मद्रास के सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा प्राप्त किये गये मांग पत्र

7052. **श्री के. वी. एस. मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से मद्रास के सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में मांग-कर्ता अपनी पूर्ण आवश्यकता के मांग पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त क्षेत्र के एक उद्यम मैसर्स तामिलनाडु हाढ़ा फार्मास्युटिकल्स, मद्रास के बन जाने से, जिसमें 19 प्रतिशत शेयर तामिलनाडु सरकार के हैं, इस राज्य के सरकारी अस्पताल इस फर्म में बनने वाली सभी वस्तुओं को तमिलनाडु राज्य के सरकारी आदेशों के अनुसार, इसी फर्म से सीधे ले रहे हैं । इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों को आदेश

दिया हुआ है कि निम्नलिखित कम्पनियां जिन-जिन दवाओं को बनाती और बेचती है उनकी उन्हें जितनी जरूरत होती हो उसे वे इन्हीं कम्पनियों से लें :—

1. मैसर्स इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ।
2. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ।
3. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट कम्पनी लिमिटेड ।
4. बेंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड ।
5. बेंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ।

भिवानी जंक्शन में सुविधायें

7053. **श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवानी जंक्शन में सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है : और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय इंजीनियरों को विदेश भेजना

7054. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने भारतीय इन्जीनियर विदेशों में हैं, और

(ख) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि और अधिक इंजीनियर मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में भेजे जा सकें ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी· शिव शंकर) : (क) इसकी कोई ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि जो इंजीनियर विकसित देशों में नौकरी प्राप्त करते हैं अथवा जिन्हें विकासशील देशों में विदेशी सरकारों से नियुक्ति का प्रस्ताव सीधा प्राप्त होता है, उनके बारे में कोई रिकार्ड नहीं है । लेकिन 1970 से 1980 के बीच की अवधि में द्विपक्षीय सविदाओं के आधार पर विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति के लिए 3161 इंजीनियर चुने गये थे ।

(ख) सरकार विकासशील देशों के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की रूपरेखा के अन्तर्गत और जहाँ उचित हो वहाँ इन देशों के साथ वैज्ञानिक, आर्थिक, एव तकनीकी सहयोग सम्बन्धी करार सम्पन्न करके, मध्यपूर्व और अफ्रीका के देशों में परस्पर लाभदायक तथा स्वीकृत शर्तों पर इंजीनियरों की प्रति-नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है ।

दिल्ली-अम्बाला छावनी लाइन का विद्युतीकरण

7055 **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और अम्बाला छावनी के बीच रेल पथ का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दिल्ली-

अम्बाला छावनी के विद्युतीकरण के काम को 1980-81 से 1989-90 तक की 10 वर्ष की अवधि के दौरान विद्युतीकरण के अनन्तिम कार्यक्रम में शामिल किया गया है। लेकिन, जिन खन्डों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, उनकी तुलना में इस खंड पर, इस समय, यातायात का घनत्व कम होने के कारण, दिल्ली-अम्बाला छावनी के विद्युतीकरण के काम को निम्न प्राथमिकता दी गयी है और निष्पादन के लिए इस योजना को 7वीं योजना में किसी समय शुरू किया जा सकता है जो धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रांची-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ भोजन यान

7056. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची-चंडीगढ़ एक्सप्रेस बिना भोजन यान (पेन्टरी कार) और पर्याप्त जल सप्लाई के चलती हैं : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रांची-चंडीगढ़ एक्सप्रेस में किसी पैंट्री यान की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, नये पैंट्री यानों के उपलब्ध होते ही इस गाड़ी में पेंट्री कार लगा दिये जाने की विनिश्चय किया गया है।

स्टेशनों और मार्गवर्ती स्टेशनों पर गाड़ियों मे अल्पाहार/भोजन, पीने का पानी, शौचालयों तथा चिलमचियों में पानी सप्लाई करने की व्यवस्था मौजूद है।

सुरक्षा निरीक्षक

7057. **श्री सूरज भान** : क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में सवर्ग पुनर्गठन योजना में दर्जा बढ़ाये गए पदों की गणना करते समय गैर संवर्गीय पदों को संवर्गीय स्थिति में नहीं गिना जाता और इस प्रयोजन के लिए केवल क्षेत्रीय (फील्ड) पदों और संवर्ग पदों को गिनती में लिया जाता है : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) क्योंकि सवर्ग के कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति लाइन से संवर्ग वाह्य पद अलग होते हैं

इण्डियन रेलवे स्वीकृत कान्फ्रेंस एसोसिएशन में रेल गाड़ी परीक्षकों के 34 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

7058. **श्री सुरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी परीक्षकों के संवर्ग के लिए 34 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के लिए दी गई स्वीकृत को इंडियन रेलवे कानफ्रेंस एसोसिएशन में काम करने वाले रेल गाड़ी परीक्षकों के संवर्ग में क्रियान्वित किया गया है : और

(ख) यदि नहीं, तो इंडीयन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन में उसे कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

भारतीय रेल सम्मेलन के अधीन काम करने वाले गाड़ी परीक्षकों के संवर्ग के सम्बन्ध में स्वीकृत अपग्रेडेशनों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाई की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रेणी तीन के पदों को अपग्रेड किया जाना

7059. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सभी विभागों में विभागवार और जोनवार 1978 से कुल कितने तीसरी श्रेणी के पदों को श्रेणी दो के पदों में अपग्रेड किया गया,

(ख) भारतीय रेलवे में 1978 से श्रेणी दो के कितने पद बठाये गये.

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित पदो में से कितने पद जोनवार मेकेनिकल विभाग को दिये गये, और

(घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित पदों में से कितने पद कैरिएज एंड वैगन डिपार्टमेंट को आवंटित किए गये ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई औषाधियों के लिए अनुसंधान

7060. **श्री के मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध उद्योग तथा वैज्ञानिकों को यह अनुरोध करने के प्रयास किए हैं कि विभिन्न रोगों के सम्बन्ध में गहन अनुसंधान करें तथा उन रोगों का सामना करने के लिए प्रभावी नई औषधियों की खोज करें, और

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस बारे में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) : जी हाँ। समय समय पर विभिन्न रूप में इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि स्थानीय रूप से होने वाले विभिन्न रोगों को रोकने और प्रभावकारी नई औषधियां ढूंढ निकालने के लिए देश में औषधि उद्योग के विकास और वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। औषधि निर्माण करने वाली विभिन्न संस्थाओं ने नई औषधियों का विकास करने के लिए बुनियादी अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है।

2. सरकार ने औषधियों और औषधि निर्माण में अनुसंधान तथा विकास के महत्व को माना है और जिन विदेशी कम्पनियों का औषधि उत्पादन प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक है उन कम्पनियों के लिए देश के अन्दर अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य बना दिया गया है।

3. मौलिक अनुसंधान और विकास के प्रयासों से तैयार की जाने वाली ऐसी नई बल्क औषधियों के मामले में, जो अन्यत्र तैयार नहीं की गई हों, पांच वर्ष तक मूल्य में छूट देने संबंधी प्रोत्साहन दिए गये हैं।

4. बल्क औषधियों का मूल्य निर्धारित करते हुए निर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास में लगाई गई पूंजी को समुचित महत्व दिया जाता है।

5. सरकार अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयासों को भी मान्यता देती है और करों, आयातों आदि में छूट सम्बन्धी प्रोत्साहन देती है।

6. सरकारी/स्वशासी अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं, प्रौद्योगिकी की संस्थाओं और विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि में स्नातकोत्तर विभागों में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी प्रयास किए जाते हैं।

देश में औषधियों तथा औषधि निर्माण सम्बन्धी उद्योग के विकास में उक्त सभी प्रयासों का काफी प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप भारत में मूल औषधि उत्पादन, जो लगभग दो दशक पहले बहुत ही कम था काफी बढ़ गया है। नुस्खों के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति हुई है।

केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड

7061. श्री ए. के. राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड ने रेलवे में बहुत से रोजगारों में ठेका प्रणाली समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस सिफारिश का ब्यौरा क्या है और ऐसे किन किन रोजगारों के विभागीयकरण का सुझाव दिया गया है और सिफारिशें कब प्रस्तुत की गई थीं और;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) कोयला ढुलाई राख गर्त की सफाई और भाप रेल इन्जन लोको शेडों में और सिंडर को उठाने के लिए एक ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक परिषद विचार कर रही है। ठेका श्रमिकों की नियुक्ति के मामलों का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है जिसमें श्रमिकों, रेलों और केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रतिनिधि होंगे और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्यों का एक दल ठेका श्रमिक प्रणाली की नियुक्ति को समाप्त करने के पक्ष में था जबकि दूसरा दल इस प्रणाली को इस तथ्य के आधार पर जारी रखने के पक्ष में था कि कर्षण नमूने में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और अमान परिवर्तन प्रगति पर है जिसके फलस्वरूप या यानान्तरण के स्थल भाप शेडों के स्टाल और कोयला तथा राख संहलाई संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन किया जायेगा और अन्त में भाप कर्षण का स्थान बिजली डीजल कर्षण द्वारा ले लिया जायेगा। लेकिन, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक परिषद ने 13-12-1977 को कोयला सप्लाई और सभी रेलों के लोको शेडों से सिंडर उठाने के लिए ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की है।

(ग) रेलों ने भाप कर्षण के स्थान पर बिजली और डीजल कर्षण को बदलने में काफी प्रगति की है। इस प्रक्रिया के चलने से भाप रेल इन्जनों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायेगा। रेलों पर भाप रेल इन्जनों के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मजदूर फालतू हो जायेंगे इसलिए विभागीय परिचालन में कोयला सप्लाई, राख गर्त की सफाई और भाप इन्जन शेडों से सिंडर

की उठाई के लिए यह वांछनीय नहीं है। ये काम स्थायी नहीं हैं और इनमें पूरे समय नियमित कर्मचारियों की भर्ती अपेक्षित नहीं होती है।

टाटा नगर से गोधरा सामान भेजने में विलम्ब लगना

7062. **श्री मोती भाई आर चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सचिव, गोधरा आयरन हार्डवेयर पेन्टस एण्ड सेनिटरी मर्चेन्टस एसोयिएशन से दिनांक 16 जनवरी 1981 का इस प्रकार का पत्र मिला है कि टाटानगर से गोधरा माल भेजने में बहुत विलम्ब हो जाता है और उसके प्रति कोई सावधानी नहीं बरती जाती जिसके परिणामस्वरूप समान क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा टूट जाता है और व्यापारियों को लाखों रुपयों का नुकसान है; और

(ख) यदि हाँ, तो व्यापारियों की शिकायतों पर क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ। परिवहन में विलम्ब होने के कुछ मामले थे परन्तु हानि के मामले नगण्य थे। रेलों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि परिवहन समय में सुधार किया जाये।

पंजीकृत मजदूर संघ तथा रेलवे

7063 **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में काम कर रहे रेल कर्मचारियों के पंजीकृत मजदूर संघों द्वारा 1978 से फरवरी, 198. तक किये गये आन्दोलनों का ब्योरा क्या है और इन आन्दोलनों के क्या कारण हैं, और

(ख) श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए रेल कर्मचारियों के इन पंजीकृति मजदूर संघों द्वारा उठाये गये विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में एक्सप्रैस माल गाड़ियों का शुरू किया जाना

7064. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री बी. वी, देसाई : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक्सप्रैस माल गाड़ियाँ शुरू करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हाँ, तो देश में ऐसी कितनी गाड़ियाँ चलाई जाएंगी,

(ग) इन्हें किन किन राज्यों में चलाया जाएगा, और

(घ) क्या इन गाड़ियों में ढोये जाने वाले माल पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों ने अनिवार्य पण्यों की ढुलाई के लिए यातायात के लिए यातायात के 'एक्सप्रैस' परिचालन के लिए परम्परागत किस्म के स्टाक से रोलर बियरिंग तथा सेन्टर बफर कपलरों से मुक्त माल डिब्बों को अलग कर दिया है। यह संचलन की एक प्रक्रिया है जिससे गाड़ियाँ तेजी से चलने लगेंगी।

(ख) यथा सम्भ अधिक से अधिक गाड़ियाँ

(ग) रेलें, राज्य के आधार पर गाड़ियाँ नहीं चलातीं हैं। विभिन्न स्थानों से विभिन्न स्थानों के लिए यातायात के कार्यान्वयन के आधार पर गाड़ियाँ चलायी जाती हैं।

(घ) जी नहीं।

सामाजिक दायित्वों के कारण रेलवे को हानि

7065 श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बी. वी. देसाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक दायित्वों के कारण रेलवे को होने वाली हानि के बारे में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अलाभकारी शाखा लाइनों को चलाते रहने की कोई जरूरत नहीं है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) समाजिक दायित्व पर समिति की सिफारिशें रेल दर सूची जांच समिति को भेज दी गयी थीं, जिसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

प्रसूत देखभाल तथा बाल कल्याण योजना को पंचायत स्तर पर लागू करना

7066. प्रो. नारायण चन्द परासर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसूति देखरेख और बाल कल्याण योजनाओं को पचायत (गांव) स्तर पर लागू करने का काम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में इन्हें लागू करने के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और गाँव के समस्त लोगों को ये लाभ किस संभावित तारीख/तारीखों तक मिल जायेंगे; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने प्रसूति देखरेख और बाल कल्याण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एव प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाओं के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने के प्रस्तावों में 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 40,000 उप केन्द्र), 174 दर्जा बढ़ाये गए ग्रामीण अस्पताल, 1000 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील स्तर के अस्पतालों में 00 प्रसवोत्तर केन्द्र खोलना हर गांव के लिए एक प्रशिक्षित दाइ उपलब्ध करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांवों की दाइयों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

सैनिक अड्डों का विस्तार करने की अमरीका की पंचवर्षीय योजना

7067. श्री चिन्तामणि जेना :

श्री आर. एन. रोकेश :

श्री के. प्रधानी :

श्री डी. पी. जदेजा :

श्री के. मालन्ना :

श्री जी. वाई. कृष्णन :

श्री राकेश कुमार सिंह :

श्री एन. ई. होरो :

श्री स्वामी इद्रवेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने मध्य पूर्व तथा हिंद महासागर में अमरीकी नौसेना वायु सेना तथा थल सेना के समर्थन में सैनिक अड्डों का निर्माण अथवा विस्तार करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) हिन्द महाहागर में सैनिक उपस्थिति में और वृद्धि करने की अमरीकी योजनाओं के विषय में सरकार को मालूम है विशेष रूप से, 12 मार्च, 1981 को अमरीकी रक्षा अधिकारियों ने यह सकेत किया था कि मिस्र, ओमान, कीनिया, सोमालिया और हिन्द महासागर के दिएगो गार्शिया अड्डे पर सैनिक सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने के लिए अमरीका ने एक पंचवर्षीय परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में अमरीकी नौसेना, थल सेना तथा वायु सेना, की सुविधा के लिए हवाई अड्डों और पत्तनों को बेहतर बनाने की बात है ताकि इनका इस्तेमाल अभ्यास के लिए या वास्तविक संकट के समय किया जा सके। अमरीकी रक्षा अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस पंचवर्षीय योजना पर ठीक-ठीक क्या खर्च बैठेगा, यह कार्य सचालन सम्बन्धी निर्णयों पर ही निर्भर करेगा और यह निर्णय तभी किए जा सकते हैं जबकि इस क्षेत्र की "क्रियाशील स्थिति" बदले अथवा कोई संकट पैदा हो।

(ग) भारत ने हिंद महासागर में महाशक्तियों की सैनिक उपस्थिति का हमेशा ही विरोध किया है। इसके विरूद्ध हमने संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर भी आवाज उठाई है क्योंकि बाहरी शक्तियों की उपस्थिति से हमारे पड़ोस में तनाव और सघर्ष पैदा होता है जोकि शांन्ति और स्थायीत्व के लिए खतरनाक है। हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने की अवधारणा से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र के 1971 के सकल्प को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 1981 में कोलम्बों में हिन्द महासागर के सम्बन्ध में जो सम्मेलन होने वाला है, उसके आयोजन का भारत समर्थन करता है।

रेल वैगनों का निर्माण

7068. श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने रेल वैगनों का निर्माण किया गया और

(ख) आशातीत वार्षिक वृद्धि अथवा उत्पादन के लिए कितनी क्षमता की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष निर्माण किये गये माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है :

(आंकड़े चौपहियों में)

वर्ष	निर्मित माल डिब्बे)
1975.76	12,176
1976-77	11,981
1977-78	12,166
1978-79	12,022
1979,80	10,827
1980-81 (फरवरी 1981 तक)	10,384

(ख) चालू छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 के दौरान चौपहियों के हिसाब स 1,00,000 माल डिब्बों की खरीद करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वर्षानुवर्ष के आधार पर खरीद का कार्यक्रम वार्षिक योजनाओं के लिए आबटित धनराशि के आधार पर बनाया जाता है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान चौपहियों के हिसाब से 30,000 माल डिब्बे प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा है, शेष मात्रा अर्थात चौपहियों के हिसाब से 0,000 माल डिब्बों की खरीद करने की व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों अर्थात 1982-83 से 1985-86 तक की जायेगी और यह पर्याप्त धनराशि के आबंटन पर निर्भर करेगी। इससे प्रतिवर्ष माल डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाकर चौपहियों के हिसाब से 22'000/23 000 माल डिब्बों का उत्पादन करना जरूरी हो जायेगा। देश में माल डिब्बों के उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता, चौपहियों के हिसाब से लगभग 28,000 माल डिब्बों की है।

दूध और पान का परिवहन

7069. श्री रामविलास पासवान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू बजट के दौरान दूध और पान पर अनुपूरक शुल्क कम करने के बारे में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप उत्पादकों की मांग के आधार पर अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करा करके दक्षिण से उत्तर भारत में पान ले जाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां तो ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में की गई व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) उत्तर भारत की ओर दुलाई के लिए पोत के पत्तों के यातायात की मात्रा की निकासी गाड़ी नं. 15 डाउन जी. टी. एक्सप्रेस और कुछ अन्य गाड़ियों द्वारा साथ साथ की जा रही है और हम यातायात की निकासी में कोई कठिनाई महसूस नहीं की जा रही है।

मानवीय भूल-चूक से हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या

7070. **श्री रामविलास पासवान :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय रेलवे में मंडलवार गत एक वर्ष के दौरान मानवीय भूल-चूक से कितनी रेल घटनायें हुई; और

(ख) दोषी पाए गए कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के थे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास में पोलियों रोग का फैलना

7071. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री पी. के कोडियन :

श्री राजेश कुमार सिंह :

स्वामी इन्द्रवेश :

श्री एस. एम. कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास और इसके आस-पास के उप नगरीय क्षेत्र में पोलियो के भयंकर रूप से फैलने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रोग के शिकार हुए रोगियों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें इस रोग से मुक्ति का टीका आदि लगाया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई जाँच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ ।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार पोलियो से जनवरी, 1981 में 153 रोगी और 17 मौतें, फरवरी 1981 में 212 रोगी और 17 मौतें और मार्च, 1981 में 25 तारीख तक 186 रोगी और 20 मौतें हुई :

(ग) तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख रख दिया जाएगा ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ये प्रश्न नहीं उठते ।

एस. एन. मेडीकल कालेज, आगरा में दाखिला

7072. **श्री राम विलास पासवान** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस. एन. मेडिकल कालेज, आगरा प्रिन्सिपल ने मई, 1977-78 में इस कालेज

में उन दो छात्रों को दाखिला नहीं दिया था, जिन्हें त्रिपुरा सरकार द्वारा उन दो सीटों के लिए मनोनीत किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा त्रिपुरा राज्य के लिए आरक्षित की गई थी :

(ख) क्या वे दोनों छात्र अनुसूचित जाति के थे और उन्होंने लगभग 73 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे;

(ग) क्या ऐसे छात्रों को सरकार द्वारा उन सीटों पर दाखिला दिया गया था, जो उनके लिए किसी भी रूप में योग्य नहीं थे;

(घ) क्या अनुसूचित जनजाति के दोनों छात्रों ने इस बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था तथा उच्च न्यायालय ने 28, अगस्त, 1980 को यह निर्णय दिया था कि उन दोनों छात्रों को वर्ष 1980-81 का नया सत्र आरम्भ होने से पहले दाखिला दिया जाये; और

(ङ) क्या न तो इन दोनों छात्रों को अभी तक दाखिला दिया गया और नहीं उन छात्रों के नाम काटे गए हैं, जिन्हें गलत दाखिला दिया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर

(क) हाँ।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित छात्रों को दाखिले के लिए भारत सरकार द्वारा मनोनीत नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दो छात्रों द्वारा मुकदमा दायर नहीं किया गया था।

(ङ) भाग (क), (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

बुलेट स्पेशल मालगाड़ी

7073. श्री ए. के. राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में लम्बी दूरी की 'बुलेट स्पेशल माल गाडी आरम्भ की गई है,

(ख) यदि हाँ तो इन गाड़ियों की संख्या कितनी है और उन्हें कब से आरम्भ किया गया है।

(ग) क्या यह सच है कि बुलेट स्पेशल में इन्जन कर्मचारियों की ड्यूटी बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोको कर्मचारियों पर बहुत भार पड़ता है, और

(घ) यदि हाँ, तो बुलेट स्पेशल में रिलीविंग सिस्टम में किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों पर तीन जोड़ी 'बुलिट स्पेशल माल गाड़ियां चलायी जा रही हैं एक जोड़ी गाड़ी 31-12-1980 को और अन्य दो जोड़ी गाड़ियाँ 20-1-1981 को शुरू की गयी थीं।

(ग) और (घ) इन गाड़ियों के एक कर्मीदल के ड्यूटी घटे के लिए इन गाड़ियों की अनुसूची सीमा के अन्दर हैं और जब तक कि अप्रत्याशित कारणों की वजह से देर नहीं होती है, कर्मीदल को बदला नहीं जाता है। ऐसे मामलों में कर्मीदल को लम्बे अरसे तक ड्यूटी देने से

बचाने के लिए उपयुक्त स्थान पर कर्मीदल को बदला जाता है और इस प्रकार संरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

रेल दुर्घटनाओं की कुल संख्या

7074. **श्री सुधीर गिरि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1980 से 16 मार्च 1981 तक की अवधि में हुई रेल दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है,

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या है,

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है, और

(घ) इससे कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-4-80 से 16-3-81 तक की अवधि के दौरान, भारतीय सरकारी रेलों में टक्कर लगने, गाड़ी के पटरी से उतर जाने समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों के अन्तर्गत 965 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) ये दुर्घटनाएं निम्न कारणों से हुई :

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
1. रेल कर्मचारियों की गलती	480
2. रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	100
3. उपस्करों की खराबी	212
4. तोड़फोड़	5
5. आकस्मिक	87
6. जिनके कारणों का पता नहीं लगाया जा सका	17
7. कारण जिनको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।	64
जोड़	965

(ग) 6,69,000.00 रु.

(घ) लगभग 908 लाख रुपये की रेल सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

जंजीर खींचने के कारण कोणार्क एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना तथा अपराधों में वृद्धि

7075. **श्री राम चन्द्र रथ** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसी खुरधा और बालुगांव के बीच जंजीर खींचने के कारण कोणार्क एक्सप्रेस विलम्ब से चल रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ी में लूटमार और डकैती की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ।

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान रेलवे पुलिस द्वारा कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) क्या सरकार का विचार और खुंदा और पलासा के बीच गति सीमा बढ़ाने का है जो उपरोक्त दोनों स्टेशनों के बीच बार-बार जंजीर खींचें जाने के कारण 110 किलोमीटर से कम होकर 70 किलोमीटर रह गयी है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) . (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं । पिछले एक वर्ष के दौरान 19 अप कोनाक एक्सप्रेस में डकैती का केवल एक मामला दर्ज किया गया था । मामले की छानबीन की जा रही है ।

(घ) खतरे की जंजीर का अन्ध धुन्ध उपयोग पर नियन्त्रण पाने के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल और राज्य पुलिस की सहायता से घात लगाकर लगातार जांच की जाती हैं । विभिन्न किस्म में डीजल रेल इन्जनों द्वारा कर्षण के कारण गाड़ी की अधिकतम गति घटकर 80 कि. मी. प्रति घण्टा हो गयी है ।

बर्हामपुर स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा

7076. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बर्हामपुर तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों की ओर से 3 अप/4 डाउन हावड़ा-मद्रास तथा मद्रास हावड़ा रेल गाड़ी में बर्हामपुर (उड़ीसा) स्टेशन के लिए प्रथम तथा द्वितीय-श्रेणी के बर्थों के आरक्षण कोटे में वृद्धि की मांग बढ़ती जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का है क्योंकि उक्त मांग बर्हामपुर में इन्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड और छावनी क्षेत्रों के अस्तित्व के कारण बढ़ी है, और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव का क्रियान्वित की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं । कुल मांग उपलब्धता की अपेक्षा अधिक है ।

कर्मचारी को अधिवार्धक्यता से पूर्व यदि स्थाई नहीं किया जाता तो उसका पेंशन का अधिकार

7077. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि कोई कर्मचारी, जिसकी सेवाएं विधिवत रूप से गठित चयन बोर्ड से नियमित की जाती है अथवा जिसे रेल सेवा आयोग अथवा महाप्रबन्धक की विशेष शक्तियों के अन्तर्गत भर्ती किया जाता है, यदि वह अपनी अधिवार्धक्यता अवधि के पूर्व किसी पद पर स्थायी नहीं किया जाता, तो क्या उसे पेंशन दी जाएगी,

(ख) यदि उसे मृत्यु से पूर्व उसके किसी पद पर स्थाई नहीं किया जाता है, तो क्या इस कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।

(ग) क्या किसी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि में यदि उसे उसकी मृत्यु से पूर्व स्थाई कर दिया जाता था और यदि उसे मृत्यु से पूर्व स्थाई नहीं किया गया होता तो कोई अन्तर होगा,

(घ) क्या स्थायी कर्मचारी और अस्थाई कर्मचारी बीच मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने में कोई अन्तर है, और

(ङ) यदि हां, तो यह अन्तर क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जो अस्थायी रेल कर्मचारी 30-12-80 की सेवा में थे और जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त हो गये अथवा जिन्होंने उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे रेल सेवा के लिए स्थायी रूप से अशक्त घोषित कर दिये जाने पर नौकरी छोड़ दी हो और जिन्होंने 20 वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी करली हो, वे उन सभी पेंशनीय लाभों के पात्र हैं जो स्थायी रेल कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। अन्य अस्थायी रेल कर्मचारियों के मामले में पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता।

(ख) जी हां, यदि सेवा के दौरान मृत्यु हो जाये।

(ग) इस प्रकार के मामलों में परिवार पेंशन की दरों में कोई अन्तर नहीं होगा।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्थायी/अस्थायी रेल कर्मचारियों को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के भुगतान दिये जाने के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

स्थायी कर्मचारी

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की राशि अर्ह सेवा की पूरी की गयी छः महीने की प्रत्येक अवधि के लिए रेल कर्मचारी की परिलब्धियों के चौथाई भाग के बराबर होगी जो अधिक से अधिक परिलब्धियों की 16½ गुणा होगी। सेवारत कर्मचार की मृत्यु के मामले में यह उपदान कम से कम इस प्रकार होगा :

(क) यदि मृत्यु के समय अर्ह सेवा एक से अधिक न हो।	दो महीने की परिलब्धियां।
(ख) यदि मृत्यु के समय अर्ह सेवा एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम हो	6 महीने की परिलब्धियां।
(ग) यदि मृत्यु के समय अर्ह सेवा 5 वर्ष अथवा उससे अधिक हो	बारह महीने की परिलब्धियां।

लेकिन किसी भी हालत में उपदान की राशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

अस्थायी कर्मचारी

अस्थायी रेल कर्मचारियों के मामले में सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर, मृत्यु उपदान की देय मात्रा इस प्रकार है :

	मृत्यु उपदान
(क) एक वर्ष अथवा अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम की सेवा	1 महीने का वेतन
(ख) 3 वर्ष अथवा अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम सेवा	3 महीने का वेतन
(ग) पांच वर्ष अथवा अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम सेवा	4 महीने का वेतन
(घ) 10 वर्ष अथवा अधिक सेवा	सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 महीने का वेतन, लेकिन अधिकतम 12 महीने के वेतन के बराबर अथवा 12000 रुपये इनमें से जो भी कम हो।

अजनी केबिन के स्टेशन मास्टर द्वारा विरोध

7078. **श्री आर एन. राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में अजनी केबिन के स्टेशन मास्टर ने लाइन के पास करने वाले सिगनल पर अप्रशिक्षित तथा अशिक्षित कर्मचारी लगाए जाने का विरोध किया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विरोध पर प्रतिक्रिया करते हुए इस डिवीजन के वरिष्ठ डिविजनल अधीक्षक ने उच्चतम प्राधिकारी को लिखा है कि इस स्टेशन मास्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाए, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अजनी में एक केबिन सहायक स्टेशन मास्टर ने एक गार्ड, जो कि माल केबिन सं. 5 में कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त था, को लाइन क्लियर देने से मना किया था यह सही नहीं है कि माल केबिन सं. 5 में तैनात व्यक्ति अप्रशिक्षित था अर्हता प्राप्त नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

दिल्ली में विद्युत चालित बस प्रणाली

7079. **श्री डी. पी. जदेजा** :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री स्वामी इन्द्रवेश : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विद्युत चालित बस प्रणाली कब चलाई जाएंगी क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है,

(ख) यदि हां, तो यह बस सेवा किन-किन क्षेत्रों में चलाई जायेगी, और

(ग) इस प्रकार का परिवहन कब तक चालू हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, बिजली से चलने वाली ट्राली बसों को चलाने के बारे में एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इनके लिए रुट का चुनाव अभी नहीं हुआ।

मध्य प्रदेश में मक्षी गुना लाइन पर तेज गाड़ी चलाया जाना

7080. **डा बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मक्षी गुना लाइन पर कितनी पैसेन्जर और माल गाड़ियाँ चल रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त लाइन से यात्री यातायात एवं माल भाड़े से कुल कितनी आय हुई,

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे को बहुत अधिक हानि हो रही है क्योंकि इस लाइन पर छोटे स्टेशनों पर टिकटें नहीं है और यात्रियों को नकदी में किराया अदा करना पड़ता है, और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस लाइन को लाभप्रद बनाने के लिए इस पर तेज गाड़ी चलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छठी योजना के दौरान सड़क विकास योजना

7081. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक सडक विकास योजना तैयार की है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) बिहार में बनाई जाने वाले सड़कों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) संविधान के अनुसार, भारत सरकार केवल उन्हीं सड़कों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सडकों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। हालांकि छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन फिलहाल, देश की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय सुधार कार्य चल रहा है, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.		सड़क का नाम
राष्ट्रीय राजमार्ग 2		यह सड़क मोहनिया के नजदीक बिहार में प्रवेश करती है और बरही तथा गोविंदपुर से गुजरने के बाद बाराकर नजदीक पश्चिम बंगाल में चली जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 6	—	पश्चिम बंगाल मे खड़गपुर से जाने वाली यह बहारगोरा के नजदीक बिहार के कुछ हिस्से में प्रवेश करती है और इसके बाद यह सड़क उड़ीसा राज्य में चली जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 23	—	यह सड़क बिहार मे चास नामक स्थान से शुरू होती है और राँची तथा गुमला से होकर गुजरने के बाद बीरामित्रपुर के नजदीक उड़ीसा में चली जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 28	—	यह सड़क बिहार में रा. रा. 31 पर बरौली के निकट अपने जक्शन से शुरू होती है और बिहार के मुजफ्फरपुर, पिपराकोटी और गोपालगंज से होती हुई कसिया के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 28-क	—	यह सड़क बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर पिपराकोटी के नजदीक अपने जंक्शन से शुरू होती है और बिहार-नेपाल सीमा पर रक्सौल में खत्म होती है ?
राष्ट्रीय राजमार्ग 30	—	यह सड़क रा. रा. 2 पर मोहनिया के नजदीक अपने जंक्शन से शुरू होती है और तथा आरा पटना से गुजरने के बाद बख्तियार पुर में खत्म होती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 31	—	यह सड़क राष्ट्रीय राजमर्ग सं. 2 पर बरही के नजदीक अपने जंक्शन से शुरू होती है और बख्तियारपुर, मोकामेह और पूर्णिया से गुजरती हुई किशनगंज के नजदीक पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 32	—	यह सड़क रा. रा. 2 पर गोविंदपुर में अपने जंक्शन से शुरू होती है। और धनबाद और घास से गुजरने के बाद पुरुलिया से पहले

राष्ट्रीय राज मार्ग		सड़क का नाम
		पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर चांदिल के नजदीक बिहार में प्रवेश करती है और अंत में जमशेदपुर में खत्म हो जाती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 33	—	यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बरही के नजदीक अपने जक्शन से शुरू होती है और हजारीबाग तथा रांची से गुजरने के बाद रा. रा. 6 पर बहारगोरा में खत्म होती है।

सिगरेट के पैकटों पर सांविधक चेतावनी का छापा जाना

7082. **श्री एन. ई. होरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कयाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि कुछ सिगरेट निर्माता सिगरेट के पैकेटों पर और विज्ञापनों पर ट्रेड मार्क की तुलना में बहुत ही छोटे अक्षरों में सांविधिक चेतावनी छाप कर सांविधिक उपलब्ध का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक चेतावनी की ओर प्रयोक्ताओं का ध्यान नहीं जाता है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सिगरेट निर्माताओं मे कहेगी कि वे पैकेटों पर और विज्ञापनों पर जिस प्रकार मोठे अक्षरों में ट्रेड मार्क छापते हैं उसी प्रकार सांविधिक चेतावनी भी मोटे अक्षरों में छापें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमो को समुचित रूप से लागू करें जिससे दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें समुचित सजा दिलाई जा सके।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटर-युक्त प्रबन्ध की शर्त पर विश्व बैंक ऋण

7083. **श्री बी वी देसाई :** क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारती रेलवे को यह बताया है कि जब तक वह कम्यूटर-युक्त प्रबन्ध व्यवस्था नहीं करता और बड़े पैमाने पर आधुनिक रेल इन्जन और अन्य रेल प्रौद्योगिकी की व्यवस्था नहीं करता, तब तक नई रेल परियोजनाओं के लिए ऋण दिये जाने से इस संगठन का कोई भत्ता नहीं होगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बैंक के एक दल की यात्रा और रेल विशेषज्ञों के साथ उनके विचार-विमर्श का यह परिणाम निकला है;

(ग) यदि हाँ, तो विश्व बैंक के दल ने और क्या टिप्पणी की है;

(घ) इन टिप्पणीयों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या विश्व बैंक ने रेलवे के विकास के लिए सहायता का अनुमोदन कर दिया है;

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्व बैंक की टीम, जिसने जनवरी-फरवरी, 1981 में भारत का दौरा किया था, वे विचार-विमर्श के दौरान यह टिप्पणी दी थी कि रेलवे परिचालन के बेहतर प्रबन्ध पर आधारित आधुनिक कम्प्यूटर सूचना प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, लेकिन उसने ऐसी प्रणाली की स्थापना पर कोई सहायता-शर्त नहीं रखी।

(ग) बिजलीकरण की गति तेज करने के रेलवे के कार्यक्रम के संदर्भ में मिशन ने ऊपरी उपस्कर की तकनीक सुधारने और बिजली इन्जन प्रौद्योगिकी की ऊँचा करने के लिए स्वैच्छिक सहायता दी थी।

(घ) मामला विचाराधीन है।

(ङ) अगले ऋण के लिए विश्व बैंक के विनिश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है।

पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन

7084. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार ने कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों को भीड़ भाड़ से मुक्त रखने के लिए, निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :—

दिल्ली स्टेशन

(1) शाहदरा-सहारनपुर बड़ी आमान लाइन के बदलाव के सम्बन्ध में एक यात्री प्लेट फार्म का निर्माण पूरा हो चुका है।

(2) लम्बी गाड़ियों को सम्हालने के लिए नौ प्लेटफार्मों को लम्बा करना तथा सम्बद्ध सुविधाओं जैसे गाड़ी खड़ी करने वाली लाइनें और धुलाई लाइनें स्थापित करने का कार्य 1981-82 के बजट में अनुमोदित किया जा चुका है।

(3) दूसरे प्रवेश द्वारा से सबंधित सुविधाओं की व्यवस्था का 1981-82 के बजट में अनुमोदत किया जा चुका है।

नई दिल्ली स्टेशन

(1) फलों, खनिजों और सीमेंट साइडिंगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से क्रमशः न्यू आजादपुर, तुगलकाबाद और शकूरबस्ती में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) एक अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म और अतिरिक्त धुलाई लाने तथा गाड़ी खड़ी करने की लाइनों की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) थाम्पसन रोड की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिये दूसरे प्रवेश द्वार की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

(4) उपर्युक्त पद (III) के संदर्भ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से थाम्पसन रोड की तरफ एक अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म, पार्सल ऊपरी पैदल पुल और अधिक स्टेबलिंग तथा धुलाई लाइनें, बुकिंग सुविधाओं सहित स्टेशन भवन यात्री यातायात के लिए संचलन क्षेत्र, दो वर्तमान पैदल ऊपरी पुलों का विस्तार और अन्य सम्बद्ध सुविधाएं दी जायेंगी।

(5) कनाट प्लेस से नई दिल्ली स्टेशन तक जाने वाली चेम्सफोर्ड रोड के दोनों तरफ 20 फुट चौड़ी रेलवे भूमि को नई दिल्ली नगर पालिका को सड़क चौड़ी करने के लिए छोड़ दी गयी है।

(6) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने के संलचन क्षेत्र में सुधार करने का प्रस्ताव है। भीड़भाड़ कम करने की दृष्टि प्लेटफार्म पर यात्रियों को आसानी से चलने फिरने के लिये भी उपाय किये गये हैं।

(7 समस्त नयी दिल्ली यार्ड काम्प्लेक्स के लिए नई दिल्ली के दूसरे प्रवेशद्वार से संबंधित योजना के दूसरे तथा अन्तिम चरण के भाग के रूप में गाड़ियों के आदान और प्रस्थान में तेजी लाने के लिए रूट रिले अन्तर्पाशन की आधुनिक प्रणाली की भी मन्जूरी दी गयी है।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

7085. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के और आगे विकास किये जाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जन) : हजरत निजामुद्दीन में यात्री एवं पार्सल काम्प्लेक्स के विकास के लिए एक प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी थी। किन्तु अभी हाल में यह निर्णय किया गया है कि असंगत वातावरण के कारण निजामुद्दीन के विकास के प्रस्ताव को छोड़ दिया जाये।

कानपुर-मथुरा सैक्सन को बड़ी लाइन में बदलना

7086. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानपुर-कासगंज-मथुरा सैक्शन को, बरेली-इज्जतनगर डिवीजन में, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-कानपुर सेक्शन से जुड़ी हुई है तथा कानपुर, फर्रुखाबाद, ऐटाह जिलों से गुजरती है, शीघ्र ही बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे वैगन मरम्मत वर्कशाप

7087. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैगनों की मरम्मत करने वाली वर्कशापों की संख्या क्या है तथा उनकी वार्षिक मरम्मत क्षमता क्या है;

(ख) ऐसी कितनी वर्कशापें स्थापित करने का प्रस्ताव है और इनकी स्थापना कितनी अवधि में किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वैगन मरम्मत करने की उनकी सम्भावित क्षमता क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल माल डिब्बों की मरम्मत के लिए 31 कारखाने हैं। उनकी वार्षिक ओवरहाल क्षमता चौपहिया यूनिट के हिसाब से बड़ी लाईन के 95,500 माल डिब्बों, मीटर लाइन के 29,400 तथा छोटी लाइन के 2,400 माल डिब्बों की है।

(ख) किसी नये कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, विजयवाड़ा में एक नये कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। यह 1982-83 में पूरा हो जायेगा।

(ग) विजवाड़ा कारखाने की वर्तमान मरम्मत क्षमता प्रतिवर्ष 7500 माल डिब्बों के ओवरहाल करने की है और पूरा हो जाने पर इसकी क्षमता प्रति वर्ष 15000 माल डिब्बों का ओवरहाल करने की हो जायेगी।

कोटा डिविजन में आवास सुविधाएं

7088. श्री भीका भाई : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे में कोटा डिवीजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं नहीं दी जाती हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं जब कि कोटा में एक मान्यता प्राप्त वर्कशाप होते हुए भी उक्त सुविधाए नहीं दी जा रही;

(ग) क्या उच्च धिकारियों को इस बारे में अनेक बार अभ्यावेदन दिये गये हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो दिये गये अभ्यावेदनों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जिन शहरों में क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन यूनिटों के मुख्यालय स्थित हैं वहां अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन-जातियों के पात्र कर्मचारियो को आवंटन के लिऐ गैर-अनिवार्य कोटियों में टाइप I एवं II में खाली हुए 10 प्रतिशत क्वार्टस आरक्षित है।

कोटामंडल सहित मंडल स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के आवंटन में कोई आरक्षण नहीं है। मंडलों में कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार क्वार्टर आवंटित किये जाते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पिछले रिक्त पदों तथा कम भरे गए पदों को भरने हेतु प्रस्ताविक उपाय ।

7089. **श्री भीखा भाई :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री नौवहन और परिवहन मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या के बारे में 5 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए जाने की कम प्रतिशता के क्या कारण हैं; और

(ख) आरक्षित समुदायों के लिए आरक्षित पिछले रिक्त पदों को भरने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वोरेन्द्र पाटिल) : (क) इसमें कमी का कारण मोटे तौर पर यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले ।

(ख) नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के अधीन सभी कार्यालयों और संगठनों को पहले ही यह आदेश दे दिए गए हैं कि वे अनुसुचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त न करे और पिछली कमी को पूरा करने के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन पर पूरी मुस्तैदी रखें ।

मरूधर एक्सप्रैस

7080. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मरूधर एक्सप्रेस गाड़ी को डीजल इजन से चलाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव कब क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ग) रेलवे का विचार इस गाड़ी को बाड़मेर तक बढ़ाने का है; और

(घ) क्या रेलवे का विचार, इस जिले के यात्रियों की सुविधा के लिये विकल्प के रूप में एक डिब्बा सीधा बाड़मेर के लिये जोड़ने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यातायात के औचित्य के प्रश्न के आलावा, सम्बद्ध गाड़ी 97/98 जोधपुर-बाड़शेर एक्सप्रैस में जोधपुर तथा बाड़मेर के बीच नियमित आधार पर एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने की गुंजाइश न होने के 503/504 जयपुर-जोधपुर मरूधर एक्सप्रैस में जयपुर तथा बाड़मेर के बीच एक थ्रू डिब्बा चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं हैं ।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त रेल मार्ग

7091. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या यह सच है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में समदारी और भीयरकाई रेलवे स्टेशनों के बीच रेल-मार्ग पिछले वर्ष लूणी नदी में बाढ़ के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ग) क्या उक्त रेल मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मार्ग पर गाड़ियों की गति को बढ़ाने के लिये इसकी कब तक मरम्मत की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 55 लाख रुपये।

(ग) और (घ) प्रभावित रेल पथ की मरम्मत कर दी गयी है और समदड़ी-पारलू-जानियाना, जानियाना-बालोतरा तथा तिलवाड़ा-गोल खडा में पूर्ण गिट्टी-गद्दी बिछा दी गयी है सिवाय बालोतरा-तिलवाड़ा खड़ के जहाँ गिट्टी सम्बन्धी कार्य और गति बढ़ा कर सामान्य करने का कार्य किया जा रहा है। जून 1681 तक सामान्य गति हो जाने की प्रत्याशा है।

एस. वी. भिलडी-सामदारी यात्री गाड़ी का देर से चलना

7092. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 एस. वी. भिलडी-सामदारी यात्री गाड़ी सामदारी स्टेशन पर महीने में 25 दिन विलम्ब से आती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त असाधारण विलम्ब से 2 जे. वी बाड़मेर-जोधपुर गाड़ी के यात्रियों को काफी कठिनाइयां होती हैं क्योंकि उन्हें वहाँ उतर कर 2 एस. वी. गाड़ी पकड़नी होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'नियत वेतन पर सामुदायिक स्वयंसेवक' नियुक्त किये जाने की पद्धति

7093. **श्री हरि नाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संगठन में 'नियत वेतन पर सामुदायिक स्वयंसेवक' नियुक्त किए जाने की पद्धति से स्वास्थ्य विभाग के आधारभूत ढांचे का राजनीतिकरण होने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लाहकर) : (क) जी नहीं। जब स्वास्थ्य रक्षकों को कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें 50 रुपये प्रति मास के हिसाब से केवल मानदेय दिया जाता है।

(ख) जब स्वास्थ्य रक्षक योजन की निरंतर पुनरीक्षा एवं मानीटरिंग किया जाता रहा है। इन समीक्षाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर सरकार के ध्यान में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय-समय पर इन योजना में संशोधन किया जाता रहा है। इन अनुभवों

और सूचनाओं को दृष्टि में रखते हुए इस योजना में आगे और क्या-क्या संशोधन किये जाएँ, इस पर इस समय विचार किया जा रहा है।

राजस्थान नहर के लिए सीमेंट की ढुलाई हेतु वैगन

7094. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय प्रशासन ने राजस्थान के चुरू जिले में राजस्थान नहर की सांवा जल योजना हेतु आबटित सीमेंट की ढुलाई के लिये रेलवे से वैगनों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमेंट की ढुलाई के लिये वैगन अभी तक आवंटित नहीं किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजना के लिये वैगन आवंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो वैगनों के कब तक आवंटित किये जाने की सभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) सीमेंट फैक्टरियों को निर्धारित दैनिक कोटे के अनुसार सात-डिब्बे सप्लाई किये जाते हैं और सम्बन्धित उपभोक्ताओं के लिए इन माल-डिब्बों के लदान का विनिश्चय करना सीमेन्ट फैक्टरियों/सीमेन्ट कंट्रोलर का काम है। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, दैनिक आधार पर सम्बन्धित फैक्टरियों की मांगें आमतौर पर सम्पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल गाड़ियों में डकैती की घटनाएं

7095. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर और पश्चिम रेलवे में मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में हो रही घटनाओं की सरकार को जानकारी है;

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार डकैती की इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये और डाकुओं द्वारा कितने मूल्य का सामान लूटा गया है;

(ग) क्या सरकार डकैती की इन घटनाओं, विशेषकर रात्रि के समय होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये व्यापक प्रबन्ध कर रही है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार महसूस करती है कि इन डकैतियों के पीछे एक गिरोह है जो सुनियोजित ढंग से काम कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि कोई कदम उठाने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। 1980 में और 1981 (फरवरी 81 तक) उत्तर और पश्चिम रेलों पर गाड़ियों में डकैती लूटपाट के क्रमश: 59 और 35 मामलों की रिपोर्ट मिली थी।

(ख) उत्तर रेलवे पर घटित मामलों में एक व्यक्ति मारा गया तथा यात्रियों की लगभ 11,21,940 रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी थी। पश्चिम रेलवे पर घटित मामलों में एक व्यक्ि मारा गया तथा यात्रियों की लगभग 1,32,159 रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी।

(ग) गाड़ियों में डकैती और लूटपाट की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं;

(1) सभी महत्वपूर्ण तथा मेद्य मेल/एक्सप्रैस विशेषकर रात्रि में चलने वाली गाड़ियों में मार्ग रक्षियों के रूप में राजकीय रेलवे पुलिस की व्यवस्था की जाती है।

(2) राजकीय रेलवे पुलिस कर्मचारी सादे कपड़ों में अपराधियों पर निगरानी रखते हैं और उनकी गतिविधियों और आवागमन के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी करते हैं।

(3) जिला पुलिस की सहायता से राजकीय रेलवे पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिये अभियान चलाती है।

(4) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गाड़ियों का मार्ग-रक्षण कर रहे दलों की ड्यूटी की अचानक जांच की जाती है।

(घ) इन मामलों में किसी सुव्यवस्थित गिरोह का हाथ होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कालका मेल के लिए टिकटों में कालाबाजारी

7096. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बिना आरक्षण वाले यात्री बड़ी संख्या में कालका मेल तथा अन्य सुपरफास्ट गाड़ियों में चढ़ जाते हैं जो कि कानूनी रूप से अपराध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्री जिनको आरक्षण नहीं मिलता, अपने नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज करवा लेते हैं और बिना आरक्षण गाड़ी में बैठ जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जिन यात्रियों ने आरक्षण ले रखा है उनको बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है और वे अपने को असुरक्षित समझते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कालका मेल और अन्य सुपर-फास्ट गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में थोड़ी दूरी के अनाधिकृत यात्रियों, सीजन टिकटधारियों और प्रतीक्षा-सूची के यात्रियों के प्रवेश के मामले रेल प्रशासन के नोटिस में आये हैं।

(ग) पहले दर्जे के गलियारेदार सवारी डिब्बों तथा शयन यानों में तैनात कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि उनके डिब्बों में अनाधिकृत यात्री प्रवेश न करें लेकिन, कई बार ऐसे यात्रियों को नियंत्रित करना उनके लिए कठिन हो जाता है। रेलवे मजिस्ट्रेट सहित बहुत बड़ी संख्या में चल टिकट परीक्षकों, रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे

पुलिस के कार्मिकों को तैनात करके महान रूप से अचानक जांच की जाती है और इन डिब्बों में यात्रा कर रहे अनधिकृत यात्रियों के विरूद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर की गई लापरवाही के मामलों को गंभीर रूप से लिया जाता है और उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूरतगढ़ चुरू लाइन

7097. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सूरतगढ़-चुरू लाइन का निर्माण करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) संसाधनों की कमी के कारण इस लाइन को छठी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

उड़ीसा में बुकिंग यार्ड

7098. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में जिला—वार लौह अयस्क तथा अन्य वन सामग्री भेजे जाने को सुविधाजनक बनाने के लिये कितने और कौन से बुकिंग यार्ड चल रहे हैं;

(ख) ऐसे यार्ड मंजूर करने का क्या विशेष मानदण्ड है, और

(ग) क्या नील गारे और कालासोर (उड़ीसा) में यार्ड की मंजूरी के लिये कोई मांग की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क के निर्गम की सुविधा के लिए निम्नलिखित रेलवे यार्ड कार्यरत हैं :—

1. बांसपानी (जिला क्योंझर)
2. बोलानी ,,
3. बारबिल ,,
4. देवधर ,,
5. देतारी ,,
6. बरसुआं (जिला सुन्दरगढ़)

वन सामग्री के निर्गम के लिए, जो विभिन्न स्टेशनों से बुक की जाती है, विशेष रूप से कोई यार्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) इस्पात कारखानों के लिए तथा बन्दरगाहों को निर्यात के लिए लौह अयस्क और अन्य कच्चे माल के निर्गम के लिए उपयुक्त स्थानों पर यार्डों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी नहीं। बालासोर पहले ही एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां पर माल लादने तथा उतारने के लिए सुविधायें मौजूद हैं। नीलगिरि और बालासोर में कोई लौह प्रस्यक उपलब्ध नहीं है और न ही लदान के लिए कोई प्रस्तुत किया गया है। नीलगिरि एक छोटा स्टेशन है जहां पर मिट्टी को छोड़कर, जिसके लिए साइडिंग की व्यवस्था है, वस्तुतः कोई अन्य यातायात नहीं होता है।

नाइजेरियाई छात्रों द्वारा नाइजेरियाई दूतावास पर कब्जा किया जाना

7099. श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 1981 को कुछ नाइजेरियाई छात्रों द्वारा दिल्ली स्थित नाइजेरियाई दूतावास को अधिकार में लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस घटना के समय भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में नाइजेरिया सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्यार्थी इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे थे कि नम्बर 1980 से उन्हें नाइजीरिया के अपने-अपने राज्यों से भारत में अपना खर्च चलाने के लिए धन प्राप्त नहीं हो रहा था जो पहले उन्हें नई दिल्ली स्थित नाइजीरिया के हाई कमिश्नर की मार्फत से प्राप्त होता था;

(ख) हाई कमीशन के परिसर से विद्यार्थियों को निकालने के बारे में नाइजीरिया के हाई कमीशन का औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी विद्यार्थियों को समझा-बुझाकर हाई कमीशन परिसर खाली कराने का प्रयास करने वहां गए। इस प्रयास के असफल हो जाने पर बल का प्रयोग किए बिना पुलिस की सहायता से विद्यार्थियों को वहां से बाहर निकाला गया। हाई कमीशन पर और राजनयिक स्टाफ के निवास स्थान पर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस गार्ड तैनात कर दिए गए।

(ग) और (घ) इस मामले को भारत सरकार ने जिस कार्यकुशलता से निपटाया है उसके लिए नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय के स्थाई सचिव ने हमारे हाई कमिश्नर को नाइजीरिया सरकार की ओर से आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया है।

रेलों तथा स्टेशनों पर शराब की बिक्री

7100. श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को रेलगाड़ियों में शराब की बिक्री के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को रेनीगुंटा, गुडूर, वैल्लेर आदि जैसे रेल स्टेशनों के बारे में इस तरह की कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हाँ तो रेलगाड़ियों के डिब्बों तथा रेलवे स्टेशन परिसर में शराब के इस असामाजिक कार्य को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गुडूर स्टेशन पर शराब की लुका-छिपी बिक्री के सम्बन्ध में एक यात्री से सितम्बर, 1979 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला प्राधिकारियों की सहायता से उपयुक्त कार्यवाही की गई थी। इस आशय के अनुदेश हैं कि गाड़ियों तथा स्टेशन परिसर दोनों में मदिरा निषेध है।

खड़गपुर में डीजल लोको शैड

7101. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर में नीपपुरा नामक स्थान पर डीजल लोको शैड का निर्माण कार्य आरम्भ करने का सरकार का विचार था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त काम को वर्ष 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि कुछ भी नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर नीमपुरा, खड़गपुर में एक डीजल लोको शेड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) यह निर्माण कार्य दक्षिण पूर्व रेलवे के 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित हो चुका है। अनुमान की स्वीकृति भेज दी गई है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सतर गाचो यार्ड

7102. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्तरागाची स्थित यार्ड में उत्पन्न कठिनाईयों के कारण दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन को संचालन सम्बन्धी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है,

(ख) क्या सन्तरागाची स्थित यार्ड का विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर हावडा-खड़गपुर सैक्शन पर संचालन सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अन्य कोचिंग यार्डों की तरह सन्तरागाची कोचिंग यार्ड को परिचालन सम्बन्धी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) नयी हावड़ा-आमता बड़ी लाइन की व्यवस्था से सम्बद्ध केवल कुछ छोटे-मोटे

निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव है स्थान सीमित होने के कारण ढांचे में भारी परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

(ग) सन्तरागाची के निकट पदमपुकुर में एक नया कोचिंग यार्ड बनाने का विचार है। हावड़ा-खड़गपुर खण्ड में परिचालनिक कुशलता में सुधार करने के लिए अन्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

(1) खड़गपुर-हाडर के बीच स्वचल सिगनल व्यवस्था।

(2) पांशकुड़ा, सन्तरागाची, टिकियापाड़ा और माच्छोदा में रुट रिले अन्तर्पाशन की व्यवस्था।

खड़गपुर में रेलवे कालोनी

7103. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 मार्च 1981 को खड़गपुर दक्षिण पूर्व रेलवे में बड़ी रेलवे कालोनी में निवासियों की संख्या कितनी है

(ख) क्या पूरे वर्ष विशेषकर गर्मियों में रेलवे कालोनी में पानी की बहुत कमी रहती है,

(ग) कालोनी के लिए सरकारी तौर पर कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है और रेलवे के विभिन्न स्रोतों से इसकी सप्लाई कितनी है,

(घ) क्या इस कालोनी के लिए जल सप्लाई की पद्धति को विकसित करने के लिए कोई नई योजना है,

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खड़गपुर रेलवे कालोनी की जनसंख्या लगभग 70,000 है।

(ख) गर्मी के महीनों के दौरान पानी की कुछ कमी महसूस की गई है फिर भी भारी कमी का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) लोको, यातायात और कारखाने को छोड़कर, पानी की दैनिक आवश्यकता 46 लाख गैलन है जबकि वास्तविक उत्पादन 43 लाख गैलन होता है। कारखाने में पानी की वर्तमान सप्लाई में वृद्धि करने के लिए, 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में दो गहरे नलकूपों की व्यवस्था करने की योजना शामिल की गयी है जिसमें 2 लाख गैलन के ऊपरी भंडारण की भी व्यवस्था है। इससे कालोनी के लिए पानी की सप्लाई व्यवस्था में राहत मिलेगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

7104. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलों में पिछले 10 वर्षों से अधिकृत वेतनमानों पर कितने नैमित्तिक श्रमिक निरन्तर काम कर रहे हैं,

(ख) उनमें से कितने दक्षिण पूर्व रेलवे में हैं और कितने खड़गपुर डिवीजन में हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार उनको विनियमित करने का है, और

(घ) यदि हाँ, तो योजना क्या है और इसको कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सभी रेलों की चालू लाइनों में 42'8 नैमित्तिक श्रमिक है।

(ख) दक्षिणपूर्व रेलवे में 2859 नैमित्तिक श्रमिक हैं जिसमें से 2080 खड़गपुर मंडल में हैं।

(ग) और (घ) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से समाहित करने के लिए रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार जांच की जाती है और यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, इन्हें नियमित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण।

7105. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों (फीडर रोड) के लिए विकास और निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से या अन्य किसी खाते से राज्य सरकारों को धन दिया गया है अथवा दिया जाएगा, और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) धन उपलब्ध होने पर राज्यों को निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्रीय सडक निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :—

(क) सड़क अनुसंधान तथा सतर्कता योजनाएं,

(ख) यातायात अध्ययन तथा आर्थिक सर्वेक्षण;

(ग) युवक इंजीनियरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था,

(घ) अखिल भारतीय महत्व की योजनाएं जिनसे कि क्षेत्रीय असमानता दूर करने में सहायता मिलती है। ये योजनाएं अनुसूचित जाति क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में अन्तर्राज्यीय सचार सुविधाओं के विकास असामाजिक तत्वों तथा अपराधी तत्वों इत्यादि का सामना इत्यादि करने की व्यवस्था करने, पर्यटन विकास, कृषि प्रधान क्षेत्रों को बाजार से मिलाने, चालकों, संवाहकों तथा क्लीनरों इत्यादि के लिए विराम स्थलों की व्यवस्था, राज्य मार्गों आदि के पास यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, अणुशक्ति केन्द्रों, औद्योगिक उपक्रमों जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक सड़कों/पुलों के निर्माण से सम्बन्धित हैं जो सम्बन्धित सड़क अधिकारियों के विभिन्न कार्यकलापों में प्रायः छूट जाती है।

लेकिन इन लक्ष्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की सहायक सड़कें नहीं शामिल हैं। संशोधित न्यूनतम सड़क कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कार्यक्रम भी राज्य क्षेत्र में आता है और ग्रामिण सड़कों के निर्माण में वित्तीय सहायता देने के लिए कोई भी केन्द्रीय स्कीम या केन्द्र प्रायोजित स्कीम नहीं होती है। योजना आयोग ने संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के

अधीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र में कुल 1164.90 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया है।

नई रेल लाइनें

7106. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनें बिछाये जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के नाम तथा ब्यौरा क्या है, जो विचाराधीन है अथवा जिन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया है,

(ख) इन प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस समय प्रत्येक प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी-2334/81]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना और उनमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना

7107. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशु तथा उसकी माता को परिवार नियोजन आप्रेशन के बाद उनका स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु क्या सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अच्छा बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह, सेवाएं और सामग्री अब बड़ी संख्या में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनके साथ परिवार कल्याण यूनिट भी सम्बद्ध हैं, तहसील और जिला अस्तर के अस्पतालों, जिनमें से कुछ के साथ प्रसवोत्तर केन्द्र सलग्न हैं, के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। जिला स्तर पर बाल चिकित्सा यूनिट भी खोल दिए गए हैं। छठी योजनावधि, 1980-85, में इनका विस्तार करके इनमें 300 तहसील स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र, 174 दर्जा बढ़ाये गए ग्रामीण अस्पताल, 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1000 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और 40,000 उपकेन्द्र और जोड़ने का विचार है।

हर गाँव में एक-एक प्रशिक्षित दाई उपलब्ध हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए छठी योजना (1980-85) के दौरान गांवों में प्रसव कराने वाली परम्परागत दाइयों के प्रशिक्षण की योजना जारी रखी जाएगी।

इन योजनाओं में से केन्द्रीय सरकार तहसील स्तर पर 300 प्रसवोत्तर केन्द्रों, 40,000 उपकेन्द्रों के प्रस्तावित विस्तार तथा दाइयों के प्रशिक्षण के लिए धन की व्यवस्था करेगी और अन्य गतिविधियाँ राज्यों की योजनाओं में शामिल हैं।

ब्रिटेन में जातीय भेदभाव

7108 **श्री राम अवध** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारत मूल के लोगों तथा भारतीय प्रवासियों के प्रति जातीय भेदभाव तथा परेशान किये जाने की घटनायें पिछले कुछ समय में बढ़ गई हैं;

(ख) यदि, हां तो इस प्रकार के कितने मामले पिछले तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री श्री (पी. शिवशंकर) : (क) ऐसे संकेत हैं कि हाल ही में एशियाईयों को, जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं, जातीय-स्तर पर तंग किए जाने और उन पर आक्रमण किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) विगत तीन वर्षों में भारतीय हाई की कमीशन में जानकारी में जो मामले आए हैं, उनका वर्षवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—

1978	2 मामले जिनमें चार भारतीय शामिल थे।
1979	3 मामले जिनमें 156 भारतीय शामिल हैं। इसमें अप्रैल 1979 में साऊथॉल के दंगों से प्रभावित 153 भारतीय भी शामिल हैं।
19 0	7 मामले, इनमें 6 मामलों में 9 भारतीय प्रभावित हुए और 7वें मामले में भारतीय मूल के करीब 50 व्यक्ति प्रभावित हुए।
मार्च, 1981 तक	2 मामले जिनमें दो भारतीय प्रभावित हुए।

(ग) हाई कमीशन की जानकारी में ऐसे जितने भी मामले आए थे जिनमें भारतीय प्रभावित हुए थे उन सबको सम्बद्ध कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। भारतीयों पर आक्रमण के अधिकांश मामलों में पुलिस की छानबीन के बावजूद दोषी व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जा सका। बहरहाल, हाई कमीशन प्राधिकारियों के साथ और भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ निकट सम्पर्क रखता है। इस सम्बन्ध में, फरवरी 1981 में ब्रिटेन के गृह मन्त्री ने जातीय आधार पर किए गए कुछ आक्रमणों के लिए जिम्मेदार उग्रवादी ग्रुपों की गति विधियों की विभागीय जांच शुरू करवा दी है और यह घोषणा की है कि उनके अधिकारी इस समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

लागत व्यवस्था की पुन: संरचना

7109. **श्री एन. के. शेजवलकर :**

श्री एस एम. कृष्ण : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड का विचार रेलवे में व्याप्त वर्तमान लागत व्यवस्था की पुन: संरचना करने का है,

(ख) क्या नये लागत आधार के निर्धारण में, ऐसा समझा जाता है कि रेलवे ने सक्षमता पर अधिक जोर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान ढांचे को किस रूप में अभावग्रस्त पाया गया है और नई व्यवस्था के निर्धारण में सरकार का किस दिशा में कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय लागत व्यवस्था की पुनर्संचना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के रेलवे स्टेशनों पर द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय

7110. श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने रेलवे स्टेशनों पर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए पर्याप्त प्रतीक्षालय सुविधायें नहीं हैं;

(ख) ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं, और

(ग) इन सुविधाओं के उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केरल राज्य के सभी स्टेशनों पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालयों की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रतलाम मडल में रेलवे आउट एजेंसियां

7111. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम मंडल के अन्तर्गत रेलवे आउट एजेंसियों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक से कितना वार्षिक राजस्व अर्जित होता है,

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहाँ रेलवे एजेंसियों के खोलने की माँग की गई है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रेलवे आउट एजेंसियाँ बन्द की गई, और

(घ) उनके बन्द किए जाने के क्या कारण थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रतलाम रेल मण्डल के अन्तर्गत चार आउट एजेन्सियाँ हैं। उनमें से प्रत्येक द्वारा अर्जित वार्षिक राजस्व की राशि नीचे दी गयी है :—

1. बाँसवाड़ा आउट एजेन्सी	5, 52, 662 रु०
2. घामनोद आउट एजेन्सी	3, 24, 136 रु0
3. छोटी शादड़ी आउट एजेन्सी	1, 07, 765 रु0
4. बरवानी आउट एजेन्सी	88, 563 रु0

(ख) कोई नहीं।

(ग) चार आउट एजेंसियाँ।

(घ) ठेका अवधि के समाप्त हो जाने पर आउट एजेन्टों की ओर से समाप्ति की सूचना प्राप्त होने पर आउट एजेंसियों को बन्द किया गया था। इन आउट एजेंसियों को फिर से खोलने के लिए नयी निविदाएं आमन्त्रित की गयी थीं लेकिन बेगुन, गंगापुर पोटला और प्रतापगढ़ आउट एजेंसियों को चलाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। घार आउट एजेन्सी के मामले में आवेदक ने 'निविदा' की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की थीं।

रतलाम रेल मण्डल में लूट और डकैती के मामले

7112. श्री फुलचन्द वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान रतलाम रेल मण्डल में विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों में चोरी, लूटपाट और डकैती की घटनाएं हुई,

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सितम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक के पिछले 6 महीनों की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे के रतलाम मन्डल में गाड़ियों में डकैती, लूटपाट और चोरी की घटाओं की संख्या और अन्य ब्यौरा नीचे की तालिक में दिया गया है :-

घटना का स्वरुप	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	अन्तर्विष्ट सम्पत्ति की रकम	बरामद सम्पति की रकम	गिरफ्तारी की संख्या
		रु0	रु0	—
लूट पाट (डाका)	1	200	15	
डकैकती	3	90917	1200	5
यात्रियों के सामान की चोरी	42	82722	14582	25

(ग) ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

1. सभी महत्वपूर्ण और मेल डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों, विशेषकर रात में चलने वाली गाड़ियों, में राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र कर्मचारियों की मार्ग रक्षी के रूप में व्यवस्था की जाती है।

2. राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी सादे वेष में अपराधियों पर निगरानी रखते हैं और अपराधियों की गतिविधियों और कार्यकलापों के सम्बन्ध में आसूचना एकत्रित करते हैं।

3. अपराधियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस के साथ समन्वय करके राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अभियान चलाये गये हैं।

4. राजपत्रित अधिकरियों द्वारा गाड़ी के साथ मार्ग रक्षियों की डयूटी की अचानक जाँच की जाती है।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पद

7113. **श्री रशीद मसूद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरोजिनी नगर नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के यूनानी औषधालय में यूनानी चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या की तुलना में इस समय कितने चिकित्सक काम कर रहे हैं;

(ख) औषधालय में यदि यूनानी चिकित्सकों के कोई रिक्त पद हैं तो उन्हें न भरने के क्या कारण है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं, और

(ग) उक्त औषधालयों में यूनानी चिकित्सकों के शेष पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यूनानी चिकित्सकों के तीन स्वीकृत पदों की तुलना में इस समय एक यूनानी चिकित्सक कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) यूनानी चिकित्सक का एक पद जुलाई, 1980 में और दूसरा पद नवम्बर, 1980 में रिक्त हुआ था। ये पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हैं। इनमें से एक पद पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत किये गये एक उम्मीदवार की शीघ्र कार्यभार सम्भालने की आशा है। दूसरे पद को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से उपयुक्त उम्मीदवार मनोनीत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

रेलवे बोर्ड में सहायक

7115. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री रेल बोर्ड में सहायकों की पदोन्नति के बारे में 26 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में 20 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कितने सहायक हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के सहायकों से सेवा की दृष्टि से पाँच वर्ष कनिष्ठ हैं,

(ख) वर्ष 1964 में स्थायी बनाये गये पदोन्नति से बने सहायकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती किये गये और 1975 में स्थायी बनाये गये सहायकों से कनिष्ठ क्यों रखे गये और क्या ऐसा करना रेल बोर्ड सचिवालय नियम, 1969 के नियम 14(2) के विरुद्ध नहीं है,

(ग) क्या सचिवालय सेवा (तीसरा संशोधन) नियम 1970 के अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सहायकों के पदों के न भरे गये पदों को पदोन्नत किये गये सहायकों के लिए जो पहले से ही सेवा में हैं, उनकी वरिष्ठता सहित अन्तरित किया जाना था,

(घ) क्या यह संशोधन रेल बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और वरिष्ठता में तदनुसार परिवर्तन कर दिया गया था, और

(ङ) क्या पदोन्नत किये गये सहायकों के अध्यावेदन पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-4-81 को उपलब्ध स्थिति के अनुसार 20 वर्ष तथा उससे अधिक की सेवा वाले 59 प्रोन्नत सहायक, संघ लोक सेवा आयोग के उन सहायकों से कनिष्ठ थे जिन्होंने केवल 5 वर्ष की सेवा पूरी की थी।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर. बी. एस. एस.) में सहायकों के ग्रेड में मूल रूप से नियुक्त विभिन्न स्त्रोतों से अर्थात् सीधे भर्ती किये गये सहायकों और रेलों से सहायकों के रूप में भर्ती किये गये तथा बोर्ड कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिकों में से सहायक के रूप में पदोन्नत व्यक्तियों की सम्बन्धित वरिष्ठता चक्रीय सूत्र के आधार पर अनियमित की जाती है। लेकिन इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सीधे भर्ती किये गये सहायकों तथा अन्य

सहायकों की वरिष्ठता जैसा कि 25-3-77 को जारी की गयी वरिष्ठता सूची में दिखायी गयी है, आर. बी. एस. एस. निगम, 1969 के नियम 14(2) (उसके उपबन्धों के साथ पठित) के अनुरूप नहीं है।

(ग) जी हाँ। सी. एस. एस. (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 के संशोधन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अभ्यावेदनों की सम्बन्धित कानूनी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर का रिक्त पद

7116. **डा सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनोरोग विषय में एम. डी. पाठ्यक्रम दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत एक संस्था द्वारा लगाया जायेगा;

(ख) गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर का पद कब से रिक्त पड़ा है; और

(ग) सरकार का इस पद को कब भरने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) जी हाँ, गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली में।

(ख) और (ग) गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली में मनोविकार चिकित्सा के प्राध्यापक का पद 29 सितम्बर, 1969 को बनाया गया था। इस पद को 17 अक्तूबर, 1977 को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सवर्ग में शामिल किया गया था और यह तब से खाली पड़ा हुआ है गोआ मेडिकल कालेज से मनोविकार चिकित्सा के एक प्राध्यापक के स्थानान्तरण करके इस पद को भरने के लिए सरकारी प्रादेश अक्तूबर, 1978 में जारी किए गए थे, किन्तु गोआ प्रशासन ने उन्हें अभी तक अपने यहां से कार्यमुक्त नहीं किया है। इस मामले में गोआ प्रशासन से बराबर कहा जा रहा है।

छात्रों की रेल रियायत

7117. **श्री आर. के. महामगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर के श्री प्रभाकर पी गफेकर तथा अन्य व्यक्तियों से छात्रों को रेल किरायों मे रियायत दिए जाने तथा कुछ अन्य माँगों के बारे में 2 नवम्बर, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है.

(ग) उपर्युक्त प्रतिवेदन की माँगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) उपर्युक्त माँगों पर सरकार अन्तिम निर्णय कब तक करेगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) से (ङ) ऐसा कोई अभ्यावेदन मिला नहीं प्रतीत होता। फिर भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के सदाशयी विद्यार्थियों को छुट्टियों के दौरान अपने घर जाने, विभिन्न देनें, उनके शैक्षिक कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने तथा उनके संस्थानों द्वारा आयोजित शैक्षिक भ्रमण के लिए भी रेल से यात्रा करने की रियायत की सुविधा पहले से ही दी जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41

7118. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अठारह वर्ष के कार्य के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 का निर्माण पूरा होने वाला था किन्तु दोषपूर्ण आयोजना तथा ठेकेदारों द्वारा घटिया काम करने के कारण यह पूरा नही हुआ,

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके सामान्तर हल्दिया तक सरकारी राजमार्ग 1975 की वर्षा तथा 1978 की बाढ़ के दौरान मौजूद था किन्तु 1975 की वर्षा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 क्षतिग्रस्त हो गया, और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मंत्रालय ने जून 1968 और मार्च, 97[illegible] के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 पर अलग-अलग कार्य करने के लि[illegible] अनेक अनुमानो को स्वीकृति दी। जब इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम पूरा होने ही वाला था तभी 1975 की वारीश में कुछ जगहों पर सड़क उखड़ गयी। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा की गयी जाँच से पता चला कि राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोलने से पहले भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को थोड़ा और मजबूत बनाने की जरूरत है इसलिए, जनवरी, 1979 में सड़क को मजबूत बनाने के लिए 3.79 करोड़ रुपए का अनुमान स्वीकृत किया गया।

(ग) पहले 1969 में, आर्थिक और अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों के लिए बने कार्यक्र के अधीन इस राज्य राजमार्ग की मरम्मत की गयी थी। अगस्त, 975 में, यातायात को इ राजमार्ग से रोक कर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 41 के मील 13 और 18 के बीच बनी सड़क की म भेजना पड़ा क्यों कि उक्त राज्य राजमार्ग पर बना आर-पार नालियों भी क्षतिग्रस्त हो गयी थीं हकीकत यह है कि जब 1978 में बाढ़ आई थी, तब पश्चिम बंगाल के इस इलाके में सड़क बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था।

(घ) राज्य के मुख्य इन्जीनियर से विचार-विमर्श करने के बाद यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को मजबूत बनाने का काम जून, 1982 तक पूरा हो जाएगा ? सुधार संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं। परन्तु, डीजल तेल की कमी और (बिहार में) माकूल

पत्थर रोड़ी ढोकर लाने के लिए रेल वैगन न मिलने जैसी कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण ऊपर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम पूरा करना सम्भव नहीं होगा। फिर भी, काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जा रही है। काम की योजना कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि परियोजना का सारा काम पूरा होने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों पर जहां-जहां मौजूदा राज्य राजमार्ग के रास्ते खुले मिलें, वहां यातायात को आने-जाने दिया जाए।

बसरा बन्दरगाह पर फंसे भारतीय नाविक तथा मशीनीकृत नौकाएं

7119. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला जामनगर की 22 मशीन चालित नौकाएं, जिनमें 400 चालक थे, ईरान-ईराक युद्ध के शुरू होने से लेकर बसरा बन्दरगाह पर फंसे पड़े हैं और वे अभी भी खतरे में हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि बसरा में भारतीय कौंसल जनरल को दिए गए अनेक अभ्यावेदनों के कोई परिणाम नहीं निकले हैं तथा केन्द्र सरकार ने उनको वापस लाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं, और

(ग) सरकार का इन भारतीय नाविकों को जो भूखे मर रहे हैं और अपने जीवन के खतरे पर वहां रहने को बाध्य हैं, मातृभूमि वापस लाने के लिए क्या नये प्रयास करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) 29 जलयानों (बसरा में 20 और फाओ में 9) के 461 कर्मचारियों में सफाओ स्थित छह जलयानों के 88 कर्मचारियो को नौवहन महानिदेशालय द्वारा विपत्तिग्रस्त घोषित होने पर स्वदेश वापस भेज दिया गया। बाकी 373 कर्मचारियों में से 90 कर्मचारियों को एयर इण्डिया का कुवैत से बम्बई की नियमित उडान से स्वदेश वापस लाने के लिए उनके मालिकों ने आवश्यक धनराशि जमा की थी बाकी 283 कर्मचारियो में से 20 कर्मचारियों के मालिकों ने हाल में ही किराया जमा किया है और एयर इन्डिया से इनके स्वदेश वापस आने के लिए टिकट लिया है। वे मालिक जब चाहें तब अपने-अपने कर्मचारियो को स्वदेश वापस ले जा सकते हैं। बाकी जलयानो के मालिकों को भी यह सलाह दी गयी है कि वे एयर इंडिया से टिकट प्राप्त करने के लिए धनराशि जमा करा दें। फिलहाल, नौवहन महानिदेशक ने बगदाद स्थित भारतीय दूतावास को यह अधिकार दिया है कि वह अगर विपत्तिग्रस्त नाविकों में से किसी को भी किसी विशेष परिस्थिति मे स्वदेश वापस भेजना आवश्यक समझे तो उनकी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना एयर इन्डिया की नियमित उड़ानों से नाविकों पर लागू होने वाली रियायती भाड़े की दर की सुविधा का उपयोग कर उन्हें स्वदेश वापस भेजने की व्यवस्था कर दे और किराये की प्रतिपूर्ति बाद में नौवहन महानिदेशालय से करा सकते हैं।

वाणी बिहार, उड़ीसा में चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना

7120. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में भुवनेश्वर में वाणी विहार में एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ तो किन-किन बिमारियों के बारे में अनुसंधान किया जायेगा;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध कराई है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने उड़ीसा के भुवनेश्वर नगर में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र खोलने का निश्चय किया है।

(ख) यह केन्द्र उस क्षेत्र की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मलेरिया फाइलेरिया, कुष्ठ रानोस्पोरोडियमता, मधुमेह, यकृतशोथ, मुखीय तथा ग्रीवा कैंसर के इलाज में और आदिवासी लोगों की स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देगा।

(ग) और (घ) : उड़ीसा सरकार ने इस केन्द्र की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है। राज्य सरकार से भूमि का कब्जा ले लेने के पश्चात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस केन्द्र की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठायेगी।

'हाओ दे डिस्ट्राइड एन एक्स-अम्बैसडर शीर्षक समाचार

7121. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 1981 के दिल्ली के साप्ताहिक "सन" में "हाओ दे डिस्ट्राइड एन एक्सअम्बैसडर" शीर्षक से प्रकाशित एक तेज की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस लेख में दी गई सामग्री में क्या सच्चाई है; और

(ग) भूतपूर्व राजदूत को न्याय देने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

विधि, न्याय एव कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह लेख गलत सूचना पर आधारित है और इसमें इस मामले को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथ्य यह है कि 1978 में मंत्रालय को एक राजधानी में स्थित हमारे राजदूतावास के काम करने के ढग के बारे में शिकायतें और प्रति-शिकायतें प्राप्त हुई थी। नवम्बर, 1978 में दो वरिष्ठ संयुक्त सचिवों के एक दल को मौके पर जाँच करने के लिए भेजा गया था। इस दल ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया था कि वहाँ का राजदूत मिशन प्रमुख के रूप में असफल रहा है और यह भी कि उपर से देखने पर गभीर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का साक्ष्य भी मिलता है। इस दल ने सिफारिश की है कि उक्त राजदूत को तुरन्त दिल्ली वापस बुला लिया जाना चाहिए और तत्कालीन विदेश मत्री ने इसका अनुमोदन किया था। इस सिलसिले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और विधि मंत्रालय से सलाह ली गइ और उसके बाद सरकार ने संबद्ध अधिकारी को निलबित करके उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्य-वाही शुरू करने का निश्चय किया। यह काम सितम्बर, 1979 में किया गया।

इस मामले में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के 20 आरोप हैं और इसकी जांच-पड़ताल केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधीन की जा रही है। इस उद्देश्य से सतर्कता आयोग

का एक विभागीय जांच-आयुक्त जांच-अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। यह जांच विधिवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। आरोपित अधिकारी को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो विभागीय जांच से संबद्ध नियमों के अन्तर्गत उसे मिलने चाहिए और उन्हें अपनी सफाई के सभी उपयुक्त अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस मामले में नियमित सुनवाई की और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अगली तारीख 20 अप्रैल 1981 है।

नई दिल्ली में कुष्ठ रोग पर अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस के लिये आमंत्रण

7122. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने हिन्द कुष्ठ निवारण संघ के माध्यम से नई दिल्ली में 1983 में कुष्ठ रोग पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आमंत्रण दिया है, और

(ख) क्या सरकार का विचार (1) संघ को कुष्ठ रोग के नियत्रण एवं उन्मूलन के लिये अधिक प्रभावी बनाने और (2) 1983 में 12वें अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ कांग्रेस का आयोजन करने के लिये समय पर आवश्यक प्रबन्ध करने की दृष्टि से संघ के कार्यकरण को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) 1983 में अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ कांग्रेस का आयोजन करने के लिए समय पर आवश्यक प्रबन्ध हो जायें इसके लिए हिन्द कुष्ठ निवारण संघ ने राज्य स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति और एक कार्य-समिति बनाई है जिसमें कुष्ठ में दिलचस्पी रखने वाले और सम्बन्धित संगठनों के सभी प्रतिनिधि शामिल हैं। हिन्द कुष्ठ निवारण संघ का अनुमान है कि 1983 में इस कांग्रेस पर लगभग कुल 17.5 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें उन्होंने 7.5 लाख रुपये के घाटे का पूर्वानुमान किया है भारत सरकार को आयोजन समिति से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें अनुमानित 7.50 लाख रुपये के घाटे के कुछ अंश को पूरा करने के लिए 2.00 लाख रुपये का एक अनुदान और कांग्रेस की कार्यवाही के हिन्दी अनुदान के लिए 60,000 रुपये का एक और अनुदान मांगा गया है। यह सोचा गया है कि चूंकि कांग्रेस का आयोजन भारत में किया जा रहा है इसलिए यह उचित होगा कि साथ-साथ हिन्दी अनुदान की व्यवस्था कर ली जाये। समिति ने इस प्रयोजन के लिए विज्ञान भवन में निःशुल्क स्थान के लिए भी कहा है। इस अनुरोध पर सरकार अनुकूल दृष्टि से विचार कर रही है।

रेल सेवा आयोग

7123. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने रेल सेवा आयोग कार्यरत हैं उनके अध्यक्षों के नाम क्या हैं, प्रत्येक की कार्यकाल की अवधि तथा व्यक्तिगत विवरण क्या है;

(ख) दक्षिण मध्य रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब की गई थी उसके कार्यकाल की अवधि तथा अर्हताये क्या हैं,

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान रेल सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष को हटाया गया था अथवा समयपूर्व बर्खास्त किया था, यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी कारण क्या हैं; और

(घ) रेल सेवाएं आयोगों के अध्यक्ष नियुक्त करने के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा यदि पिछली नीति में कोई परिवर्तन किया गया है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय नौ रेल सेवा आयोग हैं। इन में से सात आयोगों के अध्यक्षों के नाम उनके सेवा काल आदि विवरण में दिये गये हैं। रेल सेवा आयोग, बम्बई, में अध्यक्ष का पद इस समय खाली है और दानापुर रेल सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद अभी भरा जाना है क्योंकि इस अयोग की हाल ही में स्थापना की गयी है।

(ख) शुरू में भूतपूर्व संसद सदस्य श्री.के. एस. तिलक को 7-10-77 से मद्रास में अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 7-2-78 को सिकन्दराबाद स्थानन्तरित कर दिये गये थे और उनकी नियुक्ति का कार्य-काल 14-7-1982 तक था। भूतपूर्व संसद सदस्य होने के अलावा उनके पास एल. एल. बी: की डिग्री थी।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान रेल सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष को हटाया अथवा बर्खास्त नहीं किया गया। बहरहाल, जनवरी, 1981 के महीने में दो अध्यक्षों को सेवाएं, जन हित तथा प्रशासनिक कारणों से नियमानुसार एक महीने के नोटिस के बदले में उन्हें एक महीने का वेतन एवं भत्तों का भुगतान करके समाप्त की गयी थीं।

(घ) रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों का प्रवरण तथा नियुक्ति, अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। नियमों में हाल ही में, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	नाम तथा व्यक्तिगत ब्यौरा	पद जिस पर नियुक्ति की गयी	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल
1.	कुंवर अशरफ अली खान, भूतपूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष रेल सेवा आयोग इलाहाबाद	16-7-1985 (अपराह्न)	16-8-1982
2.	*एच. हनुमंथप्पा, एडवोकेट तथा संवाददाता	अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग बैंगलूर	19-9- 1980	18-9-1986
3.	पी. के.पटनायक, सेवा-निवृत्त अपर सचिव, लोक सभा	अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, कलकत्त।	13-3-1978 (अपराह्न)	5-2-1982
4.	*वत्रेन्द्रनाथ सैकिया, सचिव, गौहाटी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की समन्वय समिति	अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, गौहाटी।	8-1-1979	7-1-1985

1	2	3	4	5
5.	एम. पी. के. मेनन, सेवा निवृत्त अपर निदेशक, रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष रेल सेवा आयोग, मद्रास	1-6-1978	21-5-1982
6.	जे. एन. एस. बघेल, भूतपूर्व उप निदेशक (रा. भा.) रेलवे बोर्ड	अध्यक्ष रेल सेवा आयोग मुजफरपुर।	24-10-1980	31-3-1985
7.	आर. के. नटेशन, सेवा निवृत्त महा प्रबन्धक, उत्तर रेलवे	अध्यक्ष रेल सेवा आयोग सिकंदराबाद।	31-1-1981 (अपराह्न)	6-1-1985

(* अनुसूचित जाति के)

मुख्य गाड़ी परीक्षक

7125. **श्री सुरजभान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में मुख्य गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण करने में उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के पत्र क्रमांक 831-ई./63/2-एक्स० i (ई.iv) दिनांक 26 फरवरी, 1980 द्वारा जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) प्रशासन का उत्तर रेलवे में मुख्य गाड़ी परिक्षकों को वरिष्ठता की उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अपने पत्र के अनुसार कब तक ठीक करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) 550-750 रु. (संशोधित वेतनमान) के ग्रेड के प्रधान गाड़ी परीक्षक के पद गैर प्रवरण पद हैं और इन्हें मण्डलों द्वारा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है। उत्तर रेलवे के दिनांक 26-2-1980 के पत्र में दिये गये अनुदेश प्रवरण पदों के भरने के सम्बन्ध में हैं। अतः वे प्रधान गाड़ी परीक्षकों के पदों पर लागू नहीं होते।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों के विस्तार के लिये विभिन्न राज्यों को सहायता

7124. **श्री हरिहर सोरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पतालों के विस्तार के लिये सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिये वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान अस्पतालों के विस्तार के लिये कोई राशि मंजूर की है;

(ग) उड़ीसा के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे विस्तार-कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं;

(च) क्या क्योझर जिले में अस्पतालों के विस्तार के लिए कोई राशि प्रदान करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री निहार रंजन लास्कर : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हां।

(ग) (1) एस. सी. बी. मेडिकल कालेज, कटक।

(2) बी. एस. एस. मेडिकल कालेज, बुर्ला।

(3) एम. के. जी. सी. मेडिकल कालेज अस्पताल, बरहामपुर।

(घ) नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) कैंसर कार्यक्रम में कार्यरत विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

1, तमिलनाडु	20	लाख रुपये
2. पश्चिम बंगाल	37	,, ,,
4. उड़ीसा	8.50	,, ,,
4. जम्मू और कश्मीर	.50	,, ,,
5. त्रिपुरा	11.50	,, ,,
6. आन्ध्र प्रदेश	.50	,, ,,
7. कर्नाटक	11.50	,, ,,
8. गुजरात	8.00	,, ,,
9. महाराष्ट्र	10.00	,, ,,
10. मध्य प्रदेश	7.00	,, ,,
11. केरल	6.00	,, ,,
12. दिल्ली	15.00	,, ,,

अस्पताली सुविधाओं का विस्तार करने के लिये विभिन्न राज्यों में स्वयं सेवी संगठनों/संस्थानों को मंत्रालय द्वारा 1980-81 के दौरान दिया गया अनुदान इस प्रकार है :—

1. पश्चिम बंगाल	41,108.00	रुपये
2. दिल्ली	21,832.00	,,
3. पांडिचेरी	25,000.00	,,

बम्बई स्थित इशरायली कोंसल की गतिविधियां

7126. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में इसरायली कोंसल की यहूदीवाद का प्रचार करने वाले

साहित्य का प्रकाशन और प्रचार करना, ऐसी पुस्तकें विश्वविद्यालयों तथा अन्यों (जैसे नागपुर विश्वविद्यालयों) को दान में देना, अरब-विरोधी तथा संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रचार करना, इसरायल को प्रतिनिधियंडल भेजना और इस प्रकार जैसी अन्य गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि वाणिज्य दूतावास की इस प्रकार की एवं अन्य सम्बन्ध गतिविधियां भारत की सुस्पष्ट विदेश नीति के अनुरूप हैं तथा अरब देशों के साथ सौहार्द सम्बन्धों के विपरीत नहीं हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) से (ग) बम्बई स्थित इजरायली कोंसलावास "न्यूज एबाउट इजरायल" नामक पाक्षिक निकालता है। यह प्रकाशन और इसका वितरण दूसरे राजनयिक और कोंसली मिशनों द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों की तरह ही भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए मार्गनिर्देशों के अधीन ही होता है। ऐसी दूसरी गतिविधियों का जहाँ तक सम्बन्ध है, जिन्हें कि कोंसली अधिकारियों के काम-काज से सम्बन्ध सामान्य मार्ग-निर्देशों के अधीन आपत्तिजनक माना जा सकता हो, सरकार ने सम्बन्ध अभिकरणों से आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 'जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन' के जनरल सेक्रेटरी की मृत्यु

7127. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के 'जूनियर डाक्टर्स-एसोसिएशन' के जनरल सेक्रेटरी को 17 मार्च, 1981 को उनके होस्टल के कमरे में मृत पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के छात्रावास में एक डा. श्रीकान्त द्वारा आत्महत्या कर लेने की कथित रिपोर्ट 17 मार्च, 1981 को मिली थी। संस्थान ने तत्काल इस मामले की रिपोर्ट पुलिस कंट्रोल को दे दी थी। जो कुछ समय बाद ही डा. श्रीकान्त की किन परिस्थितियों मे मृत्यु हुई है इसका निश्चय करने के लिए आवश्यक जाँच पड़ताल करने मौके पर पहुँच गई थी मृतक की शव परीक्षा 18 मार्च को की गई थी। शव परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु फांसी के कारण श्वास रुक जाने के परिणामस्वरूप हुई थी। तहकीकात अभी भी जारी है।

दिल्ली परिवहन निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर की गयी रिट याचिका।

7128. श्री चिन्तामणि जेना : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम का एक वरिष्ठ अधिकारी इसलिए छुट्टी पर चला गया क्योंकि उसके कार्यालय को अन्तरित कर दिया गया था,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिकारी को सूचित किया गया था कि उसे उसके स्तर का कार्यालय-कक्ष निगम के मुख्यालय पर दिया जाएगा, किन्तु इस पर भी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला,

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका न केवल निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध दायर की है अपितु भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के विरुद्ध भी दायर की है,

(घ) क्या यह सच है कि यह अधिकारी किसी न किसी बहाने अवकाश पर होते हुए भी दिल्ली उच्च न्याय में प्रत्येक दिन सुनवाई में उपस्थित होता रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार और निगम द्वारा इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जी, हां। यह सच है कि जब दिल्ली परिवहन निगम (अन्तर्राज्यीय परिचालन) के यातायात प्रबन्धक श्री आर. आर. सिंह को अपना कार्यालय सिंधिया हाऊस से दिल्ली परिवहन निगम मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट को ले जाने के लिए कहा गया तो वह छुट्टी पर चले गए।

(ख) चूंकि उनके नए कमरे में आवश्यक फर्नीचर, उपकरण तथा अन्य साजसामान उपलब्ध थे, इसलिए यह प्रश्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि सुनवाई के दिनों में यह अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रत्येक दिन उपस्थित हुआ, लेकिन यह जरूर है कि मामले की सुनवाई के दिनों में अधिकतर यह अधिकारी न्यायालय में उपस्थित था। इनमें से कुछ दिन इन्होंने इस कारण से अवकाश लिया कि उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना है जबकि कुछ अन्य दिनों में वह कुछ अन्य कारणों से छुट्टी पर थे।

(ङ) इस मामले पर दिल्ली परिवहन निगम का प्रशासक तथा दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

11. राज्यों के सड़क परिवहन उपक्रम

7129. **श्री के. मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने ग्यारह राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को उनकी पूंजी निर्माण के रूप में वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि देनी है,

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संगठन के हाल ही में हुए 26वें वार्षिक सम्मेलन के अनुसार इस राशि के जमा हो जाने के मुख्य कारण रेलवे बजटों में अपर्याप्त प्रावधान किया जाना है :

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समय वित्त की व्यवस्था केन्द्रीय तथा राज्य सरकार और जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की की जाती है, और

(घ) यदि हां तो सरकार की उनकी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में नीति क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-1980 तक की सभी देय रकम चुकता कर दी गई है। 31-3-1981 को 13 राज्य सड़क परिवहन निगमों को 1369 करोड़ रुपये की देय राशि बकाया है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था योजना आयोग द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा किए गये अंशदान के अतिरिक्त सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अनुसार, निगम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अग्रिम अनुमोदन से पूंजीगत व्यय की पूर्ति के प्रयोजन के लिए खुले बाजार से ऋण ले सकता है।

वर्ष 1978 में स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल

7130. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टों द्वारा अप्रैल, 1978 में की गई हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत वैध थी;

(ख) यदि हां तो उनकी अनुपस्थिति को किस प्रकार माना गया और भारतीय रेलवे प्रतिस्थापना मैनुअल के पैरा 1303 के लाभ की इस अवधि को अवकाश के रूप में माना जाए, से उन्हें वंचित क्यों रखा जा रहा है;

(ग) उपर्युक्त एसोसिएशन तथा महा प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे के बीच इस हड़ताल को इस पूर्व शर्त के साथ कि इस अनुपस्थिति को उनकी जमा छुट्टी के रूप में लिया जायेगा, कोई समझौता हुआ था: और

(घ) यदि हां तो क्या इस सुझाव को क्रियान्वित किया गया है ?

रेल मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) अनुपस्थिति को अवधि के बारे में काम नहीं, वेतन नहींका सिद्धान्त अपनाया गया था। चूंकि हड़ताल गैर कानूनी थी इसलिए इस अवधि को देय छुट्टी नहीं माना जा सकता था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा। एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या आप मुझे भी बुलाएंगे ? आपको सबको बुलाना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं। (व्यवधान) अनेक माननीय

सदस्य खड़े हो गये हैं और मैं हरेक की बात नहीं सुन सकता और मैंने उनसे एक-एक करके अपनी बात कहने के लिए कहा है। केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मैं एक-एक सदस्य को बोलने के लिए कहूँगा। मैं आपको भी बोलने के लिए कहूँगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरा निवेदन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीस की···के बारे में टिप्पणियों से सम्बन्धित सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका के बारे में ? वह स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में हमने तथ्य मांगे हैं। मैं इस बारे में अपनी टिप्पड़ियाँ दूंगा (व्यवधान) कृपया सुनिए। कृपया बैठ जाइये। मैं कुछ टिप्पणियां दूंगा। मुझे प्राप्त हो गई है। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। मुझे कार्य पालिका की ओर से न्याय पालिका की स्वातन्त्रता को बढ़ते हुए खतरे की रक्षा करने मे सरकारी असफलता के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हो गयी हैं जैसाकि केन्द्रीय विधि मन्त्री द्वारा इन राज्यों के मुख्य मत्रियों को दिए गए एक सक्यूलर जिसमें उनसे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों से कहा गया है कि वे अतिरिक्त न्यायधीशों से यह लिखित सम्पत्ति प्राप्त करें कि उनका किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है, कि विरुद्ध भारत के मुख्य न्यायाधीश के कथित विरोध से स्पष्ट है यह स्थगन प्रस्ताव के लिए मामला नहीं है और तदनुसार मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है तथापि, मेरा ध्यान इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचनाओं की ओर दिलाया गया है। मैंने ये सूचनायें तथ्यों के लिए मत्रालय को भेज दी है। (व्यवधान) और जिन सदस्यों ने ये सूचनाएं दी हैं वे हैं—श्री सूरजभान, श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर, श्री सतीश अग्रवाल, श्री सत्य नारायण जटिया, श्री ज्योतिर्मय बसु श्री निरेन घोष, प्रो. मधु दंडवते और श्री मुकुन्द मंडल। (व्यवधान) बस वह प्रश्न मत उठाइये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यववान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कांस्टीट्यूशन की धारा 222 के तहत, जिसमें लिखा हुआ है कि :

"राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके ··एक उच्च न्यायालय से किसी···किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा···

फिर सरकार ने सर्कुलर कैसे इशू किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। नहीं, नहीं। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : स्थगन प्रस्ताव···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सरकार सक्युलर कैसे जारी कर सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण भी है। मैंने तथ्य मंगाये हैं। यदि इस पर अनुमति मिल जाये तो आप इस समय यह मामला उठा सकते हैं। (व्यवधान) मैं इस पक्ष की बात भी सुनना चाहता हूं। श्री के. लकप्पा।

श्री के. लकप्पा (तुमकुर) : इसका टाइम्स आफ इन्डिया और इन्डियन एक्सप्रेस, में विस्तृत समाचार दिया गया है और मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी गई है ··

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां ध्यानाकर्षण के मामले को नहीं उठा सकते हैं। आप मुझ से मेरे चैम्बर में मिलिए। (व्यवधान) आपको सहयोग करना चाहिए। यहां ध्यानाकर्षण के मामले को मत उठाइये। आप मेरे चैम्बर में मिल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। श्री तिवारी। (व्यवधान)*,

प्रो. के. के तिवारी (बक्सर) : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की चीन की यात्रा के बारे में उन्होने वक्तव्य दिया है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अनुमति नहीं देता। आप सदस्य के नाम का उल्लेख कर रहे हैं। वह बात मत उठाइए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)* श्री हरिकेश बहादुर।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने आज पेट्रोलियम मत्री तथा अन्य व्यक्तियों के बरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने ही नहीं अपितु कुछ अन्य सदस्यों ने भी ऐसा किया है। आप हमें बतायें कि इस बारे में आप क्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी जांच की जा रही है। श्री उन्नीकृष्णन। मैंने केवल श्री उन्नीकृष्णन को ही अनुमति दी है।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन (बडागरा) : मैंने श्री जी. सी. सेठी तथा सी. बी. आई. के कुछ अधिकारियों द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर किए गए शपथ-पत्रों के बारे में विशेषाधिकार की सूचना दी है। मैं जानना चाहता हूँ, कि क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन : आज ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है। (व्यवधान)* वे सभी विचाराधीन हैं। (व्यवधान) विशेषाधिकार प्रस्तावों को यहां नहीं पढ़ा जाना चाहिए। (व्यवधान)* मैं समझता हूँ कि मैं आप सभी को सतुष्ट कर पाया हूँ। हम अगली मद लेते हैं। (व्यवधान) वह सब पूरा हो गया है। मैं अगली मद पर आ गया हूँ। पत्र सभा पटल पर रखे जायें। (व्यवधान) मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय ऐतिहासिक अनुसधान परिषद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 23/2/81]

राष्ट्रीय कैन्सर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि, आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 2313/81]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, और डाकघर बचत बैंक नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 206 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत प्रमाण-पत्र (शशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा. सं. नि. 222 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 207 (ङ) (हिन्द तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें प्रतिभूति निक्षेप खाते पर ब्याज की दर अधिसूचित की गई है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 2314/81]

गिरिडीह-रांची रोड रेलवे के बारे दिनांक 9-2-1981 के
ता. प्र. संख्या 57. के उत्तर में शुद्धि

रेल मंत्रालय तथा संसदीय क.र्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं गिरिडीह-रांची रोड रेलवे लाइन के बारे में श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के 19 फरवरी, 1981 को दिये गये उत्तर के हिन्दी संस्करण को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में राखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2315/81]

लोक लेखा समिति

12वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं आय और धन स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1975 के बारे में लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी लोक लेखा समिति का 123वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण—श्री बी. वी. देसाई। अन्य बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। (व्यवधान)* वस्तुत: यहां रिक्ति है। आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ? (व्यवधान)* मैं मद संख्या-8-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आ गया हूँ। (व्यवधान) ये सभी बातें संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेंगी। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री बी. वी. देसाई। (व्यवधान) श्री लकप्पा, आप मुझ से मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : त्रिपुरा में खाद्यानों की कमी के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि मन्त्रालय की अनुदान की मांगे आ रहीं हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आप यह कहेंगे कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के बारे में निर्णय हम सदन में नहीं देते ; मैंने आपको बता दिया है कि यह विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में लाई गई है कि त्रिपुरा में खाद्यानों की सप्लाई नहीं की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यानों की सप्लाई नहीं कर रहा है। लोग भूखे हैं। फिलहाल आप सारा कार्य रोककर भूखे लोगों को.....

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप हमें आश्वासन दीजिए कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : आपने कहा है कि आप प्रत्येक को अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर, आप भी मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं। अब श्री बी. वी. देसाई। (व्यवधान)

विश्वविद्यालय के बारे में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया इसमें भाग लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : *(व्यवधान) मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है कि अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को शुरू कर रहे हैं। यह सही पद्धति नहीं है। इस प्रकार की पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाना

श्री बी. बी. देसाई : (रायपुर) मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

"बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने का समाचार जिसके कारण हिंसा की घटनायें हुई और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई।"

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, वक्तव्य काफी लम्बा है, इसलिए मैं उसका सारांश दूंगा। उप-कुलपति के आदेश से 1 अप्रैल, 1981 की मध्याह्न बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय हस्पताल के छात्रों और डाक्टरों तथा विभिन्न वर्ग के छात्रों के बीच मुठभेड के फलस्वरूप परिसर में गम्भीर अशांन्ति फैल गई और विश्वविद्यालय हस्पताल के कुछ वरिष्ठ डाक्टरों पर हमले हुए जिसके कारण डाक्टरों ने हड़ताल कर दी। छात्रों की मांगों पर बातचीत किए जाने के बारे में विश्वविद्यालय प्राधिकारियो की इच्छा के बावजूद, छात्रों ने उसे स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय वे हिंसा और आगजनी पर उतर आये। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और अग्नि शमन को बुलाना पड़ा। पुलिस द्वारा सज्ञेय अपराधों में 33 छात्रों को गिरफ्तार किया गया तथा दो कनिष्ट डाक्टरों के विरुद्ध गिरफतारी के वारट जारी किए गए।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपकुलपति के पास विश्वविद्यालय को बन्द किए जाने के आदेश देने तथा छात्रों को छात्रावास खाली करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकांश छात्रों ने छात्रावास खाली कर दिए हैं तथा विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की गश्त जारी है। इस समय स्थिति नियंत्रण में है।

विश्वविद्यालय की कार्यवाही परिषद ने विश्वविद्यालय को बन्द किए जाने की घटनाओं की जांच करने के लिए एक अवकाश प्राप्त जर्ज की अध्यक्षता में तथ्यों का पता लगाने वाली एक सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति को पुनः बनाने के लिए कार्य करने हेतु एक शान्ति समिति की भी नियुक्ति की है, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक हैं। वे भी हस्पताल को चरण बद्ध ढंग से पुनः खोले जाने तथा अप्रैल, 1981 के अन्तर्गत परीक्षायें कराने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

मैं इस सदन के सदस्यों से अपील करत हूँ कि वे विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की सहायतार्थ अपने अधिकारों का प्रयोग करें। मैं सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से भी अपील करता हूँ कि वे पुनः सामान्य स्थिति बनाने के के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों में सहयोग करें और यदि उनकी कोई शिकायतें हो, तो उन्हें शान्तिपूर्वक बातचीत के माध्यम से निपटायें। महोदय मैं विस्तृत विवरण सदन के सभा पटल पर रखता हूँ।

विवरण

यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कुलपति के आदेश से 1 अप्रैल, 1981 को अपराह्न को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया था। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में इसे बन्द किया गया।

2. विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय अस्पताल के डाक्टरों और दूसरे कर्मचारियों पर विश्वविद्यालय से बाहर के मरीजों को भर्ती करने के लिए दबाव डाला। छात्रों ने अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों से इन मरीजों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने का आग्रह किया जो अन्यथा इसके लिए पात्र नहीं थे। जब कभी अस्पताल के कर्मचारियों ने ऐसे दबाव का विरोध किया तो छात्रों ने हाथापाई की नर्सों अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों, कनिष्ठ डाक्टरों और यहां तक कि काफी वरिष्ठ डाक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप अस्पताल के कर्मचारी इस वर्ष की शुरूआत से कई बार हड़ताल पर गए।

3. छात्रों द्वारा अस्पताल के आवासीय डाक्टर डा. आर. सी. राय और विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान संस्थान में विकिरण चिकित्सा विज्ञान के रीडर डा. एस. पी. गांगुली के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण विश्वविद्यालय अस्पताल में 28-30 मार्च 1981 के बीच काफी अशान्ति रही। इसके परिणाम स्वरूप अस्पताल और विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान संस्थान के कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा 28 मार्च, 1981 से हड़ताल कर दी गई। 30 मार्च को वरिष्ठ डाक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गए। उसके बाद अस्पताल के अधिकारियों ने अस्पताल सेवाओं को बन्द कर देने का निर्णय लिया और मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने की सलाह दी।

4. अस्पताल के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए 31 मार्च 1981 को अपराह्न 12.30 बजे छात्र संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुछ छात्र आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक से मिले। कुछ छात्रों ने संस्थान के निदेशक तथा अन्य डाक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया जिसके परिणाम स्वरूप डाक्टरों और छात्रों के बीच हाथा पाई हुई जिसमें लाठियों का खुल कर प्रयोग किया गया और उनमें से एक छात्र ने गोली भी चलाई। इस घटना के परिणाम स्वरूप छात्र दो दलों में बंट गए। अर्थात, चिकित्सा और गैर-चिकित्सा छात्र, तथा दोनों दलों की एक दूसरे से आयुर्विज्ञान संस्थान के अहाते में ही लड़ाई हुई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई और उसने दोनों दलों को अलग-अलग किया। बाद में गैर चिकित्सा छात्रों ने मुख्य प्रावटर के कार्यालय, जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय और एक जीप में आग लगा दी किन्तु अग्निशमन दल द्वारा शीघ्र ही आग बुझा दी गई। पुलिस को छात्रों की भीड़ तितर- बितर करने के लिए अश्रु गैस छोड़नी पड़ी। छात्र संघ के पदाधिकारियों और नेताओं ने उसी रात को बैठक की और एक जन सभा आयोजित करने तथा अगली सुबह से कक्षाओं और परीक्षाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों तथा डाक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने भी उसी रात को एक बैठक की और यह प्रस्ताव पारित किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक अस्पताल की सेवाएं निलम्बित रखी जानी चाहिए। इन मांगों में डाक्टरों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा, छात्रों के बोर्ड को विश्वविद्यालय अस्पताल से स्थानान्तरित करने और अस्पताल में छात्रों तथा कर्मचारियों के क्लीनिकों को बन्द करने की व्यवस्था शामिल है।

5. 1 अप्रैल, 1981 को लगभग 400 गैर चिकित्सा छात्र दोपहर 12.30 बजे के करीब कुलपति के निवास-स्थान पर पहुंचे और उन्हें अपना मांग-पत्र दिया, जिसमें आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को हटाने, दोषी डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा अस्पताल को फिर से खोलने की मांग की गई थी। उन्होंने पथराव भी किया, जिससे कुछ प्रोफेसरों तथा एक पुलिस अधिकारी को चोटें आई। पुलिस के आने पर छात्र पीछे हटने लगे तथा पीछे हटते-हटते उन्होंने छुट-पुट आगजनी की। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ कार्यालयों तथा एक सरकारी जीप को भी आग लगा दी तथा लंका पोस्टआफिस को थोड़ी सी क्षति पहुँचाने के अलावा, उत्तर प्रदेश की दो रोडवेज बसों को भी नुकसान पहुँचाया। तथापि, अग्नि शमन दल ने आग को शीघ्र ही बुझा दिया।

6. अशान्तिपूर्ण स्थिति को देखते हुए, कुलपति ने अपराह्न एक अप्रैल, 1981 को विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बन्द करने का निर्णय किया और छात्रों को 24 घंटों के अन्दर छात्रावास को खाली करने के लिए कहा। छात्रों को अपना रेल का किराया वहन करने के लिए अग्रिम राशि देने की व्यवस्था की गई। तथा उनके लिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए की गई। वाहन की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन की परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा।

7. अशान्ति के सिलसिले में एक अप्रैल, 1981 की शाम को 33 छात्रों गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में भेजा गया। बाद में जिला प्रशासन ने उन दो कनिष्ठ डाक्टरों को गिरफ्तार करने के वारन्ट जारी किये, जिन पर इस घटना में शामिल होने का आरोप था।

छात्रावास के अधिकांश छात्रों ने छात्रावासों को खाली कर दिया है और स्थिति सब नियन्त्रण में है। पुलिस तथा प्रान्तीय सशस्त्र रक्षा दल द्वारा रात्रि को परिसर में लगातार गश्त लगाई जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

8. कार्य परिषद् ने 4 अप्रैल, 1981 की हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय को बन्द करने के कुलपति के आदेश का समर्थन किया तथा विश्वविद्यालय को बन्द किये जाने से सम्बन्धित घटनाओं की जांच करने के लिए सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तथ्यों का पता लगाने वाली एक सदस्यीय समिति गठित करने का भी प्रस्ताव पारित किया। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने परिसर में सामान्य स्थिति लाने से सम्बन्धित कार्य के लिए विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त गणित के प्रोफेसर डा. के. पी. सिंह की अध्यक्षता में एक शान्ति समिति नियुक्त की है, जिसमें विश्वविद्यालय के पांच-पांच वरिष्ठ चिकित्सा और गैर-चिकित्सा अध्यापक भी हैं। वे अस्पताल को चरणों में फिर से खोलने तथा अप्रैल, 1981 के अन्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं।

9. यह कुलपति का काम है कि वे कानून और व्यवस्था के स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से सामान्य स्थिति लाने के सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय करें। केन्द्रीय सरकार अनुशासन को बनाये रखने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सभी प्रायासों का समर्थन करेगी।

10. मैं इस सदन के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे परिसर में सामान्य स्थिति लाने में विश्वविद्यालय प्राधिकारियो की सहायता करने के लिए अपने सदभाव का प्रयोग करें. मैं सभी सम्बन्धितों से भी अपील करता हूँ कि वे सामान्य स्थिति लाने में विश्वविद्यालय के प्रयासों में सहयोग दें तथा यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो उनका शान्तिपूर्ण बातचीत से समाधान करें।

श्री बी. वी. वेसाई : महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बन्द किए जाने के एक बहुत गम्भीर विषय पर है। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय द्वारा जो व्यक्तव्य अभी पढ़ा गया है उसमें उन्होने स्वीकार किया है कि वहां हिंसा हुई भारी गड़बड़ी चल रही थी और इस कारण विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने इसे अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया। वह हस्पताल, को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है,

विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में भी अनेक बार अनुशासन हीनता हुई है और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इसका कोई अपवाद नहीं है। इन सभी तथ्यों को जानते हुए, विशेषकर तब जब कि यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है, इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता थी।

विश्वविद्यालय छात्र को समूहों तथा मेडिकल और गैर-मेडीकल में बंट गए, और वे हाथापाई पर उत्तर आए। इसके फलस्वरूप मेडिकल छात्र तथा मेडिकल अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। छात्र संघ के नेता बातचीत तथा स्थिति को संभालने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर बरसाने तथा अन्य कुकृत्य करने प्रारम्भ कर दिए जिसके कारण पुनः हिंसा भड़क उठी।

इस सन्दर्भ में, जहाँ तक इस घटना का सम्बन्ध है, मैं उप कुलपति की भूमिका का उल्लेख

करना चाहता हूँ। यदि वे ही थोड़ी और सावधानी बरतते तो संभव है कि ये घटनायें घटित न होतीं। मुझे पता लगा है कि इस उप-कुलपति के भाई किसी राज्य के राज्यपाल हैं। विश्वविद्यालय में नियुक्तिओं तथा दाखिलो के सम्बन्ध में पर्याप्त असन्तोष है। इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहूँगा कि उप कुलपति तथा अन्य उच्च पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपकुलपति समय पर कार्यवाही कर सके।

वास्तव में, डाक्टर लोग दुर्व्यवहार के कारण हड़ताल पर गए हैं। छात्रों के दाखिल करते समय तथा उन्हें प्रशिक्षण देते समय सावधानी बरत सकते थे कि हस्पताल तथा छात्रावास के छात्र परिसर के बाहर के मरीजों के लिए जाने पर जोर न दें।

इन सभी परिस्थितियों को जिन पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा कार्यकारी दल द्वारा ध्यान में रखा जाना था, टाला जा सकता था।

मैं माननीय मदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले इन्हीं कारणों को लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी हड़ताल हुई थी। क्या हमने कर्मचारियों तथा छात्रों में असामाजिक तथा साम्प्रायिक तत्वों को दूर करने का रास्ता नहीं निकाला ? विभिन्न विश्व-विद्यालयों में और खासतौर पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय क्या स्थायी कदम उठाएगा ? —(इति)

श्री एस. बी. चव्हाण : माननीय सदस्य महोदय ने चार पाँच प्रश्न पूछे हैं। इस विशेष मामले में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अधिनियमनों द्वारा रन विश्वविद्यालयों का संचालन किया जाता है। इसलिए उपकुलपति और कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय के सुचार रूप से कार्यकरण के लिए कोई भी कार्यवाही करने के लिए जो वे उचित समझते हैं सक्षम हैं।

श्रीमान्, माननीय सदस्य महोदय ने तीन चार प्रश्न मुझसे पूछे हैं। उनमें से एक यह है कि क्या इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों ने एहतियाती उपाय किए थे। इस बारे में मैं कहूँगा कि जिले के कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों से अच्छी तरह समय पर सूचना दे दी गई थी और वे 31 मार्च को आ गए थे और जब पहली अप्रैल को कुछ कार्यालयों को जलाए जाने की घटनाएं शुरू हुई तो 1 अप्रैल को विश्व-विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया था। उसके बाद उपकुलपति ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय अनिश्चिति काल तक बन्द रहेगा। अस्पताल भी बन्द कर दिया गया था। क्योंकि न केवल जूनियर डाक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया किया गया था अपितु वरिष्ट डाक्टरों को पीटा गया था। यही कारण है कि उन्हें इस तरह का निर्णय लेना पड़ा।

उपकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार की नीति का जहाँ तक सम्बन्ध है, वास्तव में सरकार की नीति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन सभी विश्वविद्यालयों में कार्यकारिणी परिषद अपने दो प्रतिनिधि भेजने की अधिकारी हैं और वहां एक प्रतिनिधि विजिटर का है। इस समिति ने राष्ट्रपति को उसकी सिफारिश की थी और राष्ट्रपति को पेनल में सुझाए गए लोगों में से किसी एक को चुनने का पूरा अधिकार है।

वास्तव में चिकित्सा अस्पतालों में बाहरी व्यक्तियों को अनुमति नहीं दिये जाने का प्रश्न मुख्य प्रश्न है जिससे सारा मामला शुरू हुआ। छात्र इस बात पर बल दे रहे थे कि बाहरी व्यक्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए और वैसी ही शिकायतें भी दी जानी चाहिए जैसा कि कहाँ के छात्र और कर्मचारी उपभोग करते रहे हैं। यह मुख्य कारण है जिससे सारा मामला शुरू हुआ।

श्री बी. वी. देसाई : इस पद पर उपकुलपति ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : वस्तुतः हर कोई छात्रों को यह बात समझाने का प्रयास करता रहा है कि उन्हें इस चिकित्सा अस्पताल में शहरी लोगों का इलाज किए जाने पर नहीं देना चाहिए लेकिन वे अभी भी इस पर जोर दे रहे हैं और वस्तुतः उन्होंने केवल इसी मुद्दे पर हड़ताल कर दी है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन्, मैं यह बात कहने में गर्व का अनुभव करता हूँ कि मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र रहा और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा था।

श्रीमन्, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय चोटी के अग्रणी संस्थानों में से एक है—

एक माननीय सदस्य : यह अग्रणी संस्थान था।

श्री हरिकेश बहादुर : यह अब भी है न केवल भारत का अपितु दुनिया का। वस्तुतः यह संस्थान महान देशभक्त स्वर्गीय पंडित मदनमोहन मालवीय के बेमिसाल लगन का फल है। लेकिन, श्रीमन्, यह सरकार उस विश्वविद्यालय की गरिमामयी परम्पराओं और मूल्यों का अनुसरण करने में तथा उन विभिन्न किस्मों के भ्रष्टाचार से जो वहां रहे हैं उसकी रक्षा करने में पूर्णतः असफल है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुकृत्य, कुप्रशासन तथा अन्य दूसरी बातें आज वहीं व्याप्त है।

श्रीमन्, विश्वविद्यालय में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों की अध्ययन में अत्यन्त रूची है और शैक्षिक समुदाय इस पावन कृत्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। इसके प्रशासक हैं जो अच्छी तरह काम नहीं करते और यही कारण है कि सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज वे वहाँ से हर प्रकार के असंतोष के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि···

उपाध्यक्ष महोदय : वे कौन हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : वे विश्वविद्यालय के प्रशासक हैं। वे पक्षपात भाई-भतीजावाद आदि में लिप्त हैं। नियुक्तियों में घांधलेबाजी की अनेक घटनायें वहाँ हुई बतायी जाती हैं। इससे शैक्षिक समुदाय और छात्रों में भारी असन्तोष पैदा हुआ। गत सात या आठ वर्षों से विश्वविद्यालय में ये बातें हो रही हैं। लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। निश्चय ही जनता सरकार ने कुछ समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके क्योंकि वे केवल ढाई वर्ष बाद ही सत्ता से बाहर हो गए। विश्व वद्यालय के कार्य संचालन में वहाँ कांग्रेस सरकार का निरन्तर हस्तक्षेप होता है। केवल इसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। प्राय. सभी विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन में उनकी ओर से हस्तक्षेप होता है। यह उनका सामान्य कार्य है।—

उपाध्यक्ष महोदय : आप काफी सजग हैं लेकिन वहां तीन वर्षों के लिए दूसरी सरकार भी थी।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं जनता सरकार को इस बात के लिए बधाई अवश्य दूंगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री बी. वी. देसाई : उपकुलपति की नियुक्ति जनता सरकार द्वारा की गई थी।

श्री हरिकेश बहादुर : विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा अध्यादेश घोषित किया गया है। लेकिन सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक नहीं ला रही है। मैं नहीं जानता, संसद के समक्ष यह विधेयक क्यों नहीं लाया जा रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनके पास इसके लिए समय नहीं है क्यों वे सरकारें गिराने में व्यस्त हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे जानकारी दी गई है कि वहां एक छात्र नेता है जो कांग्रेस (आई.) की छात्र शाखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से सम्बन्धित हैं। वह प्रमुख व्यक्ति हैं जो विश्वविद्यालय में गड़बड़ पैदा कर रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यदि देश के किसी भाग में कोई गड़बड़ है तो वह कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा पैदा की जा रही है। हमारे माननीय गृह मन्त्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि एक साम्प्रदायिक दंगे में कांग्रेस (आई) का आदमी शामिल था। उन्होंने पहले ही यह बात सदन में स्वीकार कर ली है। उड़ीसा की गड़बड़ में कांग्रेस (आई) के लोग शामिल थे। एक पत्रकार, जिसकी पिटाई की गई थी और जिसकी पत्नी की हत्या की गई थी, के मामले में कांग्रेस (आई) के लोग शामिल थे। (व्यवधान) मेरे कहने का मतलब है कि—पश्चिम बंगाल में जो कुछ होता रहा है वह—कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा किया गया है। यदि वहां कोई परेशानी पैदा होती है तो हमेशा ही वह कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा पैदा की जाती है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कांग्रेस (आई) का छात्र नेता है जो परेशानी पैदा कर रहा है वह ऐसा छात्र है जो गत सात वर्षों से फेल हो रहा है। लेकिन वह अब भी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में लगातार पढ़ाई कर रहा है। वह प्रमुख व्यक्ति है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय मन्त्री जी के उस नेता के बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं मिली जो आन्दोलन का नेतृत्व करता रहा है और परेशानी पैदा कर रहा है।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में गड़बड़ है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गड़बड़ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में पहले ही एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। एक छात्र नेता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह भिन्न राजनीतिक दल से सम्बद्ध है। उसे विश्वविद्यालय से हटा दिया गया है। उस छात्र नेता का नाम है श्री जेम्स। वह किसी हिंसक कार्यवाही अथवा किसी तरह के गलत कार्य में शामिल नहीं था। उसे निलम्बित कर दिया गया है। ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से उन छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जो वास्तव में किसी भी तरह की गड़बड़ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कांग्रेस (आई) का छात्र नेता ही मुख्यतः इसके लिए जिम्मेदार है। उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। समूचे विश्वविद्यालय को क्यों बंद किया जा रहा है ? छात्रों की पढ़ाई में क्यों बाधा डाली जा रही है ? मेरे स्पष्ट प्रश्न हैं :

(क) क्या वहां ऐसा कोई नियम है जिसके अनुसार ऐसे छात्रों से विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए कहा जाए जो गत सात आठ वर्षों से परीक्षा में फेल होते रहे हैं ?

(ख) विश्वविद्यालय को खोला जाएगा ? इसे तत्काल खोला जाना चाहिए ताकि अपनी पढ़ाई के सम्बन्ध में छात्रों को नुकसान न हो।

(ग) क्या सरकार संसद के इस सत्र में अथवा आगामी सत्र में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक पेश कर रही है ?

(घ) क्या सरकार विश्वविद्यालय में उन घपलेबाजियों, कदाचारों, कुप्रबन्ध और गलत नियुक्तियों के बारे में छानबीन करने के लिए एक समिति के माध्यम से जांच कर रही है जो गत सात आठ सालों से वहां होती रही हैं।

श्री एस. बी. चव्हाण : माननीय सदस्य श्री हरिकेश बहादुर ने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा कि विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य महोदय एक भी उदाहरण दे सकेंगे जिनमें विश्वविद्यालय के मामलों में केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया तो, मैं कह सकता हूँ···

श्री हरिकेश बहादुर : जिस अध्यादेश की घोषणा की गई है···

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया है वह सही नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : उदघोषित किये गये अध्यादेशों के बारे में क्या है ? बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को न लाना इसका उदाहरण है।

श्री एस. बी. चव्हाण : विश्वविद्यालय के मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बारे में मैं अब भी बिना किसी प्रतिवाद के यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं किया है। हम निरन्तर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस मामले में जांच करें और इसे ठीक करें। हमारा विचार उनके मामले में हस्तक्षेप करने का नहीं है। दूसरी ओर हम उनके मामले में हस्तक्षेप करने की बजाए विश्वविद्यालय की सभी कार्यवाहियों का समर्थन कर रहे हैं।

माननीय सदस्य दोनों बातों को एक समय में कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय के अधिकारी बहुत प्रभावी दिखाई नहीं देते हैं और बाद में उन्होंने यह कहा कि इस समस्या को उत्पन्न करने के लिये छात्र और नेता जिम्मेदार हैं·····

श्री हरिकेश बहादुर : एक छात्र।

श्री एस. बी. चव्हाण : एक ही वक्तव्य में उन्होंने आरोप लगाया था कि छात्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं और वे सभी समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं और इसी वक्तव्य में ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस विश्वविद्यालय में अनेक कदाचार व्याप्त हैं। और वह मुझसे चाहते हैं कि मैं उन्हें सूचित करूं कि क्या सरकार गत 7 अथवा 8 वर्षों में नियुक्तियों के मामले में दर्शाये गये भाई-भतीजावाद अथवा पक्षपात के कदाचारों के खिलाफ कोई कायवाही करने के लिये तैयार है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : यदि आप ऐसा करते हैं तो वह कहेंगे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पूरी कठिनाई यही है।

श्री एस. वी. चव्हाण : माननीय सदस्य इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार और इस मामले में राज्य सरकार भी विश्वविद्यालय के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि माननीय सदस्य मेरे नोटिस में यह लाते कि कोई नियुक्ति लागू सांविधिकों के उल्लंघन में की गई है तो विजिटर इस मामले में हस्तक्षेप करने के हकदार होंगे न कि सरकार और यदि वह किसी विशेष मामले में कोई प्रमाण अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसमें सांविधिकों का उल्लंघन किया गया है तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इस मामले में विचार करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है और हम उनसे एक प्रतिवेदन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा विचार उनके मामले में हस्तक्षेप करने का नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को लाने के बारे में सरकार का प्रस्ताव क्या है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : मेरे विचार से यह उचित विषय नहीं हो सकता जिसके अन्तर्गत मैं उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक लाने के बारे में आश्वासन दे सकता हूँ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह हमारे देश में यूनिवर्सिटीज को क्या हो रहा है ? हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तीन यूनिवर्सिटीज—जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी—कठिनाइयों से गुजर रही हैं। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वह यूनिवर्सिटी बहुत दिनों से बीमार है, सिक है। हमारे मित्र हरिकेश बहादुर जी वहां अध्यक्ष रह चुके है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं और उनको वहाँ ट्रबल पैदा करने वाले कांग्रेसी नजर आ गये लेकिन मैं हरिकेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर किसके बल पर अध्यक्ष बने थे ?

श्री हरिकेश बहादुर : हम ट्रबुल क्रिएट नहीं करते थे बल्कि प्राब्लम्स को साल्व करते थे।

श्री जैनुल बशर : मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शक्ति का मुकाबला किया था लेकिन आज आप उसका नाम लेते हुए क्यों शरमाते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : इस समय आप ट्रबुल कर रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : यूनिवर्सिटी में बुराई में बुराई की जड़ क्या है—यह आप बताते क्यों नहीं है ? आपको इसे बताना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था आप बतायेंगे, आप वहां के छात्र रहे हैं, मैं वहाँ का छात्र नहीं रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि वह यूनिवर्सिटी किन कठिनाइयों से गुजर रही है। उनके खिलाफ भी कार्यवाही करिए···(व्यवधान)···आर. एस. एस. और सी. पी. एम. सब बराबर हैं। दोनों राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं—इनके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जैसा मैंने कहा सब कुछ ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि देश को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने शैड्यूल से पीछे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी एक साल से अपने शैड्यूल से पीछे है। एक साल से वहाँ के लड़कों का एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, इम्तिहान नहीं हो पा रहा है। बनारस यूनिवर्सिटी का एक शानदान इतिहास

रहा है। आज हमारे देश में जितने साइनटिस्ट और टैक्नालौजिट नजर आ रहे हैं, साइंस और टैक्नालौजी में जितना एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, इसमें बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के साइनटिस्ट्स का वहां के इन्जीनियरों का और वहां के टैक्नालिजिस्ट्स का तथा माइनिंग-आफ.मैटालर्जी इन्जिीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब जब महामना ने यूनिवर्सिटी बनाई थी तो वे देख रहे थे कि आने वाले हिन्दुस्तान को किस बात की जरूरत होगी—साइनटिस्ट्स की जरूरत होगी और, टैक्नालाजिस्ट्स की जरुरत होगी. माइनिंग आफ मैटालर्जी के एक्सपर्ट की जरुरत होगी और उसी चीज का प्रावधान उन्होंने किया था। आज चाहे वे केरल में काम करते हो, मद्रास में काम करते हो. गुजरात में काम करते हो, और महाराष्ट्र में काम करते हो या चाहे कहीं भी काम करते हों—आज आपको जो साइंटिस्ट और टैक्नोशियन्स मिलेंगे उनमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोगो की संख्या अधिक होगी। साइंस और टैक्नालाजी के क्षेत्र में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है, लेकिन आज वह यूनिवर्सिटी बीमार है, आज वह यूनिवर्सिटी सिक है। वहां सारे साधन उपलब्ध है, वहां अच्छे टीचर हैं, वहां अच्छी लैबोरेट्रीज हैं, वहां अच्छी लायब्रेरी है, वहां पर पढ़ने-पढ़ाने के सारे साधन हैं, वहां एक अच्छा कैम्पस है तथा वहां एक अच्छा वातावरण है—लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

यूनिवर्सिटी का सही प्रयोग आज से नहीं चार-पांच साल से नहीं हो पा रहे हैं। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे हमारी सरकार हो—इतनी बहुमूल्य यूनिवर्सिटी जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, जिसने पीछे भी बड़ा योगदान दिया है—उसको नजरबंद क्यों किया जा रहा है, उसको ठीक करने की कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ? मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक हाई लैवल इंक्वायरी कमेटी बनाये बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की जांच करने के लिए, जो यह देखें कि क्या बुराई है, यूनिवर्सिटी क्यों काम नहीं कर रहीं है, यूनिवर्सिटी क्यों बीमार हैं और उसको दूर कैसे किया जा सकता है तथा इसको दूर करने के लिए क्या उपाय हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या वे ऐसी कोई इन्क्वायरी समिति कमेटी बनायेंगे ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहाँ पर एक अस्पताल है और वह अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और दक्षिण मध्य प्रदेश में एक अकेला अस्पताल है जो हमारे स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करता है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अस्पताल के डाक्टर्स जितनी निःस्वार्थ भाव से और सेवा की भावना से मरीजों के साथ जितना अच्छा वर्ताव करते हैं उतना मैं समझता हूँ कि अच्छा बर्ताव किसी अस्पताल में नहीं होता है। मैं दिल्ली के अस्पतालों को जानता हूँ कि वहां पर किस प्रकार से बर्ताव किया जाता है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में मरीजों की देख-रेख की जाती है, वहां डाक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं। वहां पर इस प्रकार की जो बातें हुई हैं, वे कोई नई बात नहीं है। बहुत दिनों से वहां के कुछ असामाजिक तत्व, जो लड़के हैं, वे चाहते थे कि इस प्रकार से कुछ फायदा उठाया जाए। स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक कहा गया है कि वाइसचांसलर की रिपोर्ट ठीक है कि डाक्टर पर दबाव डालते थे कि बिना पैसे के या अस्पतालों की शर्तों को बिना पूरा

किये हुए, उनके मरीजों का इलाज कराया जाए—यह काम 3-4-5 साल से हो रहा है। असामाजिक तत्व जब अस्पताल में लड़कियां या औरतें जाती हैं, सभ्य समाजिक आदमी जाता है, तो छेड़ा-छाड़ी भी करते हैं। यूनिवर्सिटी के कम्पाउण्ड में ये थोड़े लड़के हैं, सभी नहीं हैं, कुछ गुन्डा ऐलीमेंटस् हैं, जो इस प्रकार का काम करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार साल में डाक्टरों ने बराबर शिकायत की है उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी के वाइसचांलर ने, यूनिवर्सिटी की अथारिटी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? 3 साल तक क्यों छूट दी गई ? इसी का नतीजा है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का अस्पताल आज बन्द है। दिल के दो-तीन ऐसे मरीज थे जिनको आल इंडिया इस्टीच्यूट आफ मेडिकल सायसेंज दिल्ली में आकर मरती होना पड़ा, जिनका पहले यूनिवर्सिटी के अस्पताल में इलाज चल रहा था, वे जीएंगे या नहीं, जीयेंगे, पता नहीं। इतना नुकसान वहां का हो रहा है। पिछले तीन सालों में उन एन्टी-सोशल एलीमेंटट्स को हटाने और रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई ?

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी एक बहुत बढ़िया और शानदार यूनिवर्सिटी है, लेकिन दुर्भाग्य से अब वहां कोई भी अच्छा आदमी वाइस-चांसलर बनने के लिए तैयार नहीं होता, वहां वाइस-चांसलर की कुर्सी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। मौजूदा वाइस-चांसलर की टर्म पूरी हो चुकी हैं। मैं जानना चाहता हू कि क्या नया वाइस-सांसलर कब तक एप्वांइट करेंगे और ऐसा करने के लिए उनको चाहिए कि शिक्षा विशारद के साथ साथ वह ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो इस यूनिवर्सिटी को काबू में कर सके, जो वहां पर बढ़िया इन्तजाम कर सके। बनारस के लोग आज तक डा. त्रिगुण सेन को याद करते हैं···

श्री हरिकेश बहादुर : किसी आई. जी. पी. को वाइस-चांसलर के रूप में भेजा जाना चाहिए।

श्री जैनुल बशर : आई. जी. यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर सकेगा। डा. त्रिगुण सेन बहुत अच्छे वाइस चांसलर थे जिनको लोग आज तक याद करते हैं। ऐसा वाइस चांसलर शिक्षा मंत्री कब तक भेजेंगे।

उपाध्य महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री जैनुल बशर : एक बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा है कि वहाँ इन्क्वायरी की जरूरत है। उसमें एक चीज की एन्क्वायरी और करनी चाहिए। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है—मैं दूसरी यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं करूंगा—टीचर्स का जो रेक्रूटमेंट होता है, एप्वाइन्टमेंटस होता है, उसकी विधि क्या है, उसके रूल्ज क्या है ? क्या मन्त्री जी सभी सेन्ट्रल यूनीवर्सिटीज के एप्वाइन्टमेंट्स और रेक्रूटमेंट्स के रूल्ज सदन की टेबिल पर रखेंगे। वहां बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता हैं, अच्छे और योग्य व्यक्ति एप्वाइन्ट नहीं किये जाते, बल्कि राजनीति के आधार पर, पोलिटिक्स के आधार पर लोगों को एप्वाइन्ट किया जाता है। जवाहरलाल नेहरु यूनीवर्सिटी में ऐसा होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी ऐसा होता है। और बनारस में भी ऐसा होता है। इसको सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री जी क्या करेंगे ?

एक बात कह मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कृपया अपने गुड-आफसिज का इस्तेमाल

कीजिए । यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम से कोई मतलब नहीं है, वाइस-चांसलर जो चाहे करे । वह आपकी यूनीवर्सिटी, है हमारी यूनीवर्सिटी है—आप अपनी मोरल-अथारिटी से, गुड-आफिसिज का इस्तेमाल कीजिए ताकि यह यूनीवर्सिटी जो पहले ही काफी पीछे जा रही है और अधिक पीछे न जाय, उसे जल्द खुलवाइए – इसके लिए शिक्षा मन्त्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री एस. बी- चव्हाण : माननीय सदस्य ने चार अथवा पांच मुद्दों को उठाया है । वह उचित आधारों पर विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सरकार की मध्यस्थता का उपयोग करना चाहते हैं । मुझे नहीं मालूम है कि क्या यह सदन प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत सरकार द्वारा अपनी मध्यस्थता करने के विचार को पसन्द करेगा । यदि मैं अपनी मध्यस्थता का उपयोग करता तो श्री हरिकेश बहादुर जिन्होंने मेरी मध्यस्थता का उपयोग किये बिना ही यह कह दिया है कि 'आप विश्वविद्यालय के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं'

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आप विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं न कि श्री हरिकेश बहादुर । विश्वविद्यालय के कार्यों का संचालन करना हमारा दायित्व है न कि श्री हरिकेश बहादुर का ।

श्री हरिकेश बहादुर . महोदय, मैं अपनी भूल ठीक करना चाहता हूँ । अच्छे कार्यों के लिए मंत्री महोदय विश्वविद्यालय प्रशासन को अवश्य परामर्श दें मैं यह कह रहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था और भारत सरकार भी गलत ढग से हस्तक्षेप कर रही थी । यही कारण था कि अध्यादेश उद्घोषित किया गया और अभी तक विधेयक को यहां नहीं लाया गया है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य यह जानेंगे कि यह हस्तक्षेप है अथवा अहस्तक्षेप है और इस सदभाव के परिणामों के आधार पर सरकार इस मामले में यथासंभव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी । कि इन सभी विश्वविद्यालयो में सामान्य वातावरण उत्पन्न हो ।

सभा में इस बात का उल्लेख करना गलत नहीं होगा कि अधिकाँश विश्वविद्यालयों में छात्रों के बजाए प्राय: राजनीतिज्ञ हैं जो अधिक कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं । यह सच है कि छात्रों को राजनीतिक प्रयोजनों के लिए एक मोहरे के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है और जब कभी हम देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो यदि हम इस समस्त कठिनाई के मूल कारण की ओर जायें तो हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के मामलों में राजनीतिज्ञ बड़े पैमाने पर जुटे हुए हैं ।

सभापटल पर नियमों को रखने के बारे में, मेरे विचार से, ऐसे प्रावधान हैं जिनके अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा बनाये गये सभी नियमों को सभा-पटल पर रखा जाता है । मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि क्या इस अधिनियम में यह प्रावधान है अथवा नहीं । यदि यह नहीं है तो हमें निश्चित रूप से इसे पुरःस्थापित करना पड़ेगा । सांविधिकों के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों के सभी नियमों को सभा पटल पर रखा जाता है । इसी प्रकार इस मामले में भी हमें कार्यवाही

करनी है। माननीय सदस्य मेरे से पूछ रहे थे कि क्या इस मामले में एक उच्च-स्तरीय जाँच समिति नियुक्त की जायेगी। मेरे विचार से एक उच्च स्तरीय जांच समिति की नियुक्ति के लिए कोई मामला नहीं बनता है। जब तक इसके विरुद्ध अथवा इस विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तब तक मेरे विचार से लगाये गये कुछ आरोपों, जो अभी तक प्रमाणित नहीं हुए हैं, के आधार पर उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्ति करना सरकार के लिए उचित नहीं होगा। हमारा विचार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त करने का नहीं है।

गत तीन अथवा चार वर्षों में विश्वविद्यालयों में पाँच अथवा दस प्रतिशत छात्र शरारती तत्व मान गये हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में बहुत थोड़े से छात्र ऐसे होते हैं जो विश्वविद्यालयों में कठिनाई पैदा करने के लिए अग्रसर रहते हैं। दुर्भाग्यवश छात्रों की बहुत बड़ी संख्या, यद्यपि वे अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, इन थोड़े छात्रों द्वारा गुमराह की जाती हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि थोड़ा सा अनुशासन लागू करना पड़ेगा। हम सभी वाइस-चांसलरों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अनुशासन लागू करें और सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय उचित आधारों पर चलें।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ जिनका मेरे मित्रों द्वारा उल्लेख किया जा चुका है। यह मामला विश्वविद्यालयों के परिसर में अनुशासनहीनता का है। अनुशासनहीनता रोजमर्रा की बात हो गई है। वास्तव में यह प्रतिबंब है जो हम इस सदन में भी देख सकते हैं। समाधान के रूप में आपके द्वारा दिये गये उत्तर का मैंने अध्ययन किया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रों को होस्टल खाली करने के लिए कहा गया है। लगभग 33 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। ये अस्थायी हल हैं जिनपर विचार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वास्तविक हल नहीं है। आप वास्तविक समस्या को नहीं समझते हैं। इस रोग का मूल कारण क्या है ? आपके द्वारा उचित हल नहीं बताया गया है। छात्रों को गिरफ्तार करने अथवा उन्हें होस्टल खाली करने के लिए कहना इस समस्या का हल नहीं है। इस समस्या का मूल कारण क्या है ? देश में अनुशासनहीनता है। यह बच्चों पर भी असर डालती है। इसके लिये कुछ सीमा तक हम जिम्मेदार हैं। मैं अपने मित्र श्री हरिकेश बहादुर से असहमत हूं जब वह यह करते हैं कि इसका कारण विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना है। मैं कहता हूँ कि इसका कारण राजनीतिक दलों और सत्तारुढ़ दल का विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करना है। यही बात है। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश राज्यों में सत्तारुढ़ दल का शासन है और वे विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ अपितु प्रत्येक व्यक्ति यह बात कहता है। प्रश्न यह है जब कांग्रेस (इ.) अधिकांश राज्यों और केन्द्र में सत्ता में है तो अन्य दलों की तुलना में उनका हस्तक्षेप अत्यधिक खतरनाक है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ।

मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राजनीतिज्ञ समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। हमें इस बारे में स्पष्टवादी होना चाहिए। मेरे नेता श्री चव्हाण जी यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे विश्वास है कि वह मुझसे सहमत होंगे। हमें इस बारे में अत्यन्त स्पष्ट हो जाना चाहिये। क्या

आप अपने दल की ओर से यहां पर अभी कह सकते हैं कि आप विश्वविद्यालय तथा कालेज की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ? (व्यवधान)

क्योंकि मंत्री महोदय ने इस सभा में भारत सरकार की ओर से स्वीकार किया है कि राजनीतिज्ञ इस कठिनाई को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं अतः मैं एक सीधा प्रश्न कर रहा हूँ। क्या इस सदन में आप एक-एक घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि आपका दल·····

श्री अब्दुल सय्यद (वैल्लोर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय और माननीय सदस्य सभी दलों और राजनीतिज्ञों के बारे में व्यापक टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इसे ठीक किया जाना चाहिए। यह "आचारभ्रष्ट राजनीतिज्ञ" होना चाहिए और न कि "सभी राजनीतिज्ञ"।

प्रो. पी. जी. कुरियन : महोदय, उन्होंने कहा है कि राजनीतिज्ञ कठिनाई पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस (इ.) को भी शामिल किया था मैं पूछ रहा हूं कि क्या सत्तारूढ़ दल एक सार्वजनिक घोषणा करने के लिए तैयार है कि कांग्रेस (इ.) विश्वविद्यालय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उस स्थिति में विपक्षी दल भी इसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, आप इस मामले में पहल क्यों नहीं कर सकते हैं ?

प्रो. पी. जी. कुरियन : उन्हें पहल करनी चाहिए। मंत्री महोदय इसकी घोषणा करें।

अतः वास्तविक समस्या छात्रों को गिरफ्तार करने की नहीं है। मैं कालेज में पढ़ाता था और अभी तक अध्ययन स्टाफ में हूँ। वास्तव में छात्र समुदाय की बहुत सी समस्यायें हैं। यह किसी एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं हैं। उनकी शिकायतों को दूर करने और एक संवैधानिक समाधान निकालने के लिए कोई फोरम नहीं है।

महोदय, आप जानते हैं कि कुलपति ऊंचे महलों में रहते हैं तथा विद्यार्थी उनके पास नहीं पहुँच सकते। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी यह जानते हैं कि कुलपति या मंत्री अथवा सरकार उनकी बात केवल तभी सुनती है जब वे एकत्र होकर आन्दोलन करते हैं। इसलिए कालेजों में विश्वविद्यालय स्तर पर एक मंच होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें तथा संवैधानिक समाधान प्राप्त कर सकें : क्या आप इस पहलू पर विचार करने के लिये कोई कानून बनाने के लिए तैयार हैं। यह सच है कि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। विश्वविद्याय स्तर पर तथा कालेज स्तर प कोई ऐसा मंच अवश्य होना चाहिए जिसमें अध्यापक विद्यार्थी और अभिभावक के प्रतिनिधि हों तथा जिसका सभापति कुलपति को बनाया जाये जिससे समक्ष विद्यार्थी अपनी समस्याओं को रख सकें तथा उन पर विचार-विमर्श कर सकें और संवैधानिक समाधान प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा हो जाये तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि छात्रों की 75 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जायेगा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि केवल विद्यार्थी लोगों में ही अनुशासनहीनता है। मैं समझता हूँ कि वे अधिक अनुशासित हैं किन्तु केवल तभी आन्दोलन करते हैं जब उनके लिए कोई अन्य उपाय नहीं बचता मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सुझाव को मानकर इस प्रकार का कानून बनाने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं चाहता कि केवल एक सलाहकार समिति बना दी जाये। उससे कुछ अधिक चाहता हूँ। यदि कोई सांविधिक समिति बनाई जाये जिसको सांविधिक शक्तियां दी जायें तो

इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह अच्छा ही है कि आप इस प्रकार का कोई मंच बनाये, यह दूसरी बात है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। तीसरे आपने उच्च स्तरीय समिति आदि के बारे में पहले ही इन्कार कर दिया है। फिर भी मैं एक बात जानना चाहूँगा। मैं इस सिद्धान्त को नहीं मानता कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये अथवा सरकार को विश्वविद्यायय में शिक्षा सम्बन्धी मामलों से अलग रहना चाहिए, आदि, आदि (व्यवधान) शिक्षा सम्बन्धी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। महोदय, शिक्षा सम्बन्धी मामलों में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। किन्तु दूसरे मामलों में सरकार कुछ हद तक हस्तक्षेप कर सकती है। अब सबसे खराब बात यह है कि विश्वविद्यालय बन्द हो रहे हैं। सरकार यह कह रही है कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब उसका क्या समाधान है? कौन हस्तक्षेप करेगा। आप शिक्षा सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप मत करिये। किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार को सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा तथा उन मामलों में उपयुक्त कार्यवाही करनी होगी। अत: मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं जानना चाहता हूँ कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुये क्या आप समस्या वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच आयोग नियुक्त करेंगे आपने कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया किन्तु ध्यान रखिए कि इससे वे और अधिक अनुशासनहीन होंगे। अत: उनके लिए यह कोई उपयुक्त समाधान नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या आप वास्तविक समस्या का पता लगाने के लिए कोई जाँच आयोग नियुक्त करेंगे। मेरे प्रश्न यही हैं।

श्री एस. बी. चव्हाण : ज्ञात नहीं, माननीय सदस्य ने अपने दल की विचारधारा व्यक्त की है अथवा अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं, उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा सम्बन्धी मामलो में ही स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए तथा शेष सभी मामलों में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री पी. जे. कुरियन : मुझे गलत समझाया गया है यदि मेरी बात को गलत समझा जाता है तो मुझे सही बात कहनी होगी। मैंने यह कहा था कि शिक्षा सम्बन्धी मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिये। जब कुप्रबध के बारे में आन्दोलन हो जब विश्वविद्यालयों में साफ तौर पर कुप्रबल दिखाई दे तो सरकार उस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है मैंने यही कहा था यह नहीं कि सरकार सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है।

श्री एम. बी. चव्हाण : उन्होने अपने वक्तव्य में सुधार कर दिया है तथा मुख्य बात वहीं रहती है।

उन्होने शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक उपबंध का सहारा लिया है क्योंकि यह समवर्ती सूची में है मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या सभी विपक्षी दलों के यही विचार हैं। क्या मैं यह समझूँ कि उनका विचार भी वही है जो विपक्षी दलों के सभी सदस्यों ने व्यक्त किया है? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह अनिवार्य किस लिये है? उनका उत्तर हमारे मतों पर आधारित क्यों हो? वह उत्तर देने के लिए यह शर्त किस प्रकार लगा सकते हैं?

प्रो पी. जी. कुरियन : यह मेरा विचार है, आप इसका उत्तर दीजिए।

श्री एम.बी. चव्हाण : इससे स्पष्ट विदित होता है कि किसी मामले में सरकारी हस्तक्षेप के बारे में मतैक्य नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार यहां मामला उठाते हैं तथा सरकार से प्रश्न कर देते हैं 'आप इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं" इस माननीय सदन ने बहुत से कानून पास किये हैं। सभापटल पर नियमों को भी रखा गया है। सरकार की क्या शक्तियां है ? कुलपति के क्या अधिकार हैं तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के क्या अधिकार हैं ? इन सभी मामलों पर अलग-अलग विचार विमर्श किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि क्या सरकार अध्यापकों और छात्रों की कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है। उन्होंने उस पर सामान्य तरीके से विचार किया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैंने यह नहीं कहा था।

श्री जी. एम. बनातवाला : वह और संशोधन कर देंगे।

श्री एस. वी. चव्हाण : उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के बारे में मामला उठाया था। यह झगड़ा एक बहुत ही छोटी सी बात को लेकर खड़ा हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि यदि उपयुक्त वातावरण पैदा किया जाये यदि ऐसे कुछ व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय की राजनीति में दखल देते हैं तथा समस्याएं उत्पन्न करते हैं उनको दूर रखा जाये तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक सप्ताह अथवा 10 दिन के भीतर उस विश्वविद्यालय में पुनः सामान्य स्थिति लाई जा सकती है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैंने तीन प्रश्न पूछे थे किन्तु मंत्री महोदय ने उन सभी का उत्तर नहीं दिया —

श्री जी. एम. बनातवाला : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय बैठ जाते हैं तथा श्री कुरियन को अपने वक्तव्य में परिवर्तन करने देते हैं जिससे उनके वक्तव्य में कुछ नहीं रहता इस प्रकार की प्रणाली नहीं होनी चाहिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा पहला प्रश्न यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोबारा क्यों रह रहे हैं। आप उत्तर से संतुष्ट हैं अथवा नहीं किन्तु आप इस प्रकार नहीं कर सकते। यह कोई ऐसी पूछताछ नहीं है जहां आप प्रश्न करते ही जायें।

श्री आर. एल. पी. वर्मा (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं श्री मान जी उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ कृपया नियमों को देखिये। आप केवल एक प्रश्न कर सकते हैं तथा वह प्रश्न भी 3 मिनट के अन्दर पूछा जाना चाहिए। नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके आधीन आप बार-बार स्पष्टीकरण मांग सकें। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप यह बार-बार क्यों कह रहे है। आप एक विद्वान और प्रोफेसर हैं। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : (रत्नगिरि) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अवसर पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी सदस्यों को यह हक है कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिये जायें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता तो मेरा निवेदन है कि वह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन उठा रहे हैं ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : नियम 389 के अधीन।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शेष अधिकारों के अधीन है। ध्यानाकर्षण में वह प्रश्न पूछ सकते हैं तथा मन्त्री को उत्तर देना होता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : उन्होंने उत्तर नहीं दिया (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है तथा अब मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूँ। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय आप टाल रहे हैं। वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, क्या मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : यदि आप कहेंगे तो मुझे उत्तर देना ही होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मन्त्री पर निर्भर करता है कि वह उत्तर दें। मैं उनको कोई निदेश नहीं दे सकता। यदि वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो दे सकते हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या हम यह मानें कि सभा में पूछे गये प्रश्नों का मंत्री महोदय उत्तर देने या न देने के लिए स्वतंत्र हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको निदेश नहीं दे सकता। मंत्री से यह आशा की जाती है कि वह उत्तर दें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वह प्रश्न के राजनीतिक पहलू का चाहे उत्तर न दे किन्तु मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तविक समाचार यह है कि यदि केवल आप ही प्रश्न पूछें.....

प्रो पी. जे. कुरियन : आप चाहें तो मैं बाहर चला जाता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब कुछ बेकार होजाता है क्यों कि कुछ अन्य सदस्य खड़े हो जाते हैं तथा मामले को खराब कर देते हैं प्रो. कुरियन कह रहे हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलना चाहिए।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यदि आप समझते हैं कि मैंने सारी बात खराब कर दी है तो मुझे बहुत अफसोस है। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैंने तीन प्रश्न पूछे थे। उन्होंने पहले दो प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया क्या मैं उन्हें दोहराऊँ, पहला संस्थान में राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में है मैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने इनका उत्तर दे दिया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : मेरे विचार से मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक

किसी समिति की नियुक्ति का सम्बन्ध है सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती। अन्य मुद्दे, क्या हैं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : आपने कहा कि राजनीतिक नेता हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने पूछा था। कौन से राजनीतिक नेता हस्क्षेप कर रहे हैं और क्या आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस (आई) ऐसा नहीं करेगी ?

श्री एम. बी. चव्हाण : मेरे विचार से यहां मैं सरकार की ओर से उत्तर दे सकता हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल की ओर से उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय कई बार बन्द हो चुके हैं और इसके पीछे अगर इस तरह से सदन में जवाब होते रहे जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है उससे लगता है कि कोई भी सचेष्ट या कागर प्रयास नहीं किया जा रहा है। केवल एक जवाब देने की परिपाटी अगर बन जाय और कुछ का कुछ जवाब दें तो इस तरह से विश्वविद्यालय चल नहीं सकते और बारबार विश्वविद्यालय हर साल बन्द होंगे, लड़ाई, आगजनी और लाठी डंडे चलने की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक कि इसका सही रूप से निदान नहीं किया जायगा। यहां पर 28 से लेकर 30 मार्च तक जो बनारस विश्वविद्यालय में हुआ है अगर उसकी ठीक तरह से जांच पड़ताल की जाय और उसकी तह में जाया जाय तो वस्तु स्थिति क्या है, उसके पीछे कौन तत्व काम कर रहे हैं, इन सब का रहस्योद्घाटन हो सकता है। कोई माननीय सदस्य कहते हैं कि आर. एस. एस. काम कर रहा है, कोइ कहता है कि और पार्टी काम कर रही है, तो कौन दोषी है उसको निकाल करके उसके चेहरे को बेनकाब करने में सरकार का प्रयास होना चाहिये। यह बात सही है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिये कि सरकार मूक दर्शक बनी रहे और हम यहां उसकी चर्चा करते रहें। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय बन्द ही रहेंगे और

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

देश की शिक्षा पद्धति में इस तरह की गन्दगी पनपती जायगी और कोई उपाय नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो अभी वहां पर गड़बड़ियां चल रही हैं, पक्षपात, जाति-पाति और भाई भतीजावाद है इन सब पर गम्भीर जांच करने की आवश्यकता है। इसीलिये वहां के छात्रों, कर्मचारियों और जूनियर डाक्टरों ने भी बारबार मांग की है, और यही कारण है कि जनवरी 1981 से आज तक कई बार हड़तालें हुई हैं और मांगें हुई हैं लेकिन वहां के जो आयुविज्ञान संस्थान के निदेशक हैं उनकी अकर्मण्यता, अज्ञानता- अव्यवस्था और कार्यकुशलता के अभाव के कारण ही इस प्रकार के वातावरण का निर्माण हो रहा है। और सरकार अगर इस पर अंकुश नहीं लगाना चाहती, अगर कुलपति द्वारा कठोर कार्यवाही नहीं करना चाहती तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

जैसे कहा कि आर. एस. एस. के लोगों ने कुछ किया, किसी ने भड़काया, लेकिन वहां के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं, श्री सुभाष त्रिपाठी, वह कौन पार्टी के हैं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह बहुत प्रगतिशील माने जाते हैं और उनके नेतृत्व में कुछ छात्रों का जब शिष्ट

मंडल कुलपति महोदय के यहाँ पहुँचा और 5 माँगें रखी तो कुलपति ने उप पर कोई निर्णय नहीं दिया, शांतिपूर्वक उनकी माँगों पर कोई पहल नहीं की। तो फिर समस्या का निदान कैसे हो सकता है ? केवल पुलिस मंगाने से या लाठी चलाने से हो सकता है ? ऐसे नहीं हो सकता। इसलिये छात्र शक्ति में, जो युवा शक्ति है, उसमें चिंगारी में हवा देने के बराबर होता है। इसलिये उसकी माँगों में अगर कोई सचाई है तो उस पर विचार करना लाजमी होता था। अगर वहाँ गड़बड़ी नहीं है तो क्या कारण है कि 1981 में अप्रैल के महीने तक ही वहाँ के कर्मचारी 4,5 बार हड़ताल पर जा चुके हैं ?

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि विश्वविद्यालय के अस्पताल में वहाँ के छात्रों ने बाहरी रोगियों के भर्ती कराने की चेष्टा की, जो कि उचित पात्र नहीं थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन-कौन से रोगी थे ? अगर छात्रों ने वहां किसी बाहरी रोगी को भर्ती भी करवा दिया तो वह कोई विदेशी तो नहीं थे, इस तरह से उनसे कौनका अपराध हो गया था ? क्या विश्वविद्यालय के छात्र ही बीमार होकर उस अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं ? यही शिकायत है, इसलिये कहते हैं कि डाक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया वहाँ के छात्रों ने। अगर यह बात है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से रोगी थे जिनको वहां भर्ती कराने की औचित्यता सिद्ध नहीं होती ?

31 मार्च को जब छात्र साढ़े 12 बजे उनके घर पर गये और उन्होंने छात्रों पर अनुशासनिक कार्यवाही करने की बात की तो जो एक निहित स्वार्थ के डाक्टर थे, जिनको लेकर यह झगड़ा है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस कारण स्थिति ने भयानक रूप धारण किया। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन से छात्र थे, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की बात की गई थी ? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि छात्र संघ के अध्यक्ष और विद्यार्थियों ने जो 5 माँगें रखी थीं कि दोषी डाक्टर को हटाया जाये, जो भ्रष्ट हैं, और इस अव्यवस्था के कारण बारबार हड़ताल हो रही है, डाक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं कि इस निदेशक को हटा दिया जाये और दोषी डाक्टर पर कार्यवाही की जाये, और साथ ही अस्पताल को फिर से खोला जाये, और अप्रैल के अन्त तक जो परीक्षाएं चालू होने वाली थीं, उनको चालू किया जाये, इस सब मामलों पर मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

4 अप्रैल को कार्य समिति ने सेवा निवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की जो मांग की जो यह देखें कि कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ गड़बड़ी है उस सब की सचाई निकालने के लिये उनकी मांग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय इस मांग को पूरा करायेंगे ?

अप्रैल के अंत तक जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होनी हैं, क्या मंत्री महोदय उन परीक्षाओं को ठीक समय पर कराने के लिये उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री एस. बी. चव्हाण : फिर से वही बातें दोहराई गई हैं। मैं इन मामलों पर विचार में तो नहीं जाना चाहता जिसके बारे में मैं सदस्यों को पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। माननीय सदस्यों ने यहां छात्रों की माँगों के बारे में प्रश्न उठाये हैं। मैं समझता हूँ 4-5 मांगें हैं। छात्र विशेषतया निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही चाहते हैं। छात्र जिस निदेशक पर आक्रमण कर रहे थे

मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है कि नहीं—उसी निदेशक के पास गैर चिकित्सा छात्र पहुँचे थे। उन्होंने अस्पताल को पुनः खोलने हेतु निदेशक को बाध्य किया और जब उन्होंने मामले पर विचार करके अपना विचार व्यक्त किया तो गैर-चिकित्सा छात्रों ने इन के साथ हाथा-पाई की।

अब छात्रों की एक मांग यह है कि निदेशक को दण्डित दिया जाना चाहिए। निश्चय ही उस कुलपति द्वारा नियुक्त की जा रही एक-संसदीय समिति सारे मामले की जांच करेगी, और यह देखेगी कि क्या निदेशक के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है वह उसके लिये उत्तर-दायी हैं भी कि नहीं, अथवा डाक्टर ही कोई उपद्रव पैदा करने के लिये जिम्मेदार हैं। मुझे विश्वास है कि तथ्यों का पता लगाने वाली समिति सभी मामलों पर वीस्तार से विचार करेगी, और प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : समापति महोदय, पूरा जवाब नहीं मिला है। मैंने पूछा है कि वे कौन से बाहरी पेशन्ट थे जिनसे यह समस्या पैदा हुई···

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मध्याह्न भोजन के लिये कार्यवाही स्थगित की जाये। कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है। इस समय तो स्थिति यह है कि सभा ने मध्याह्न भोजन काल त्यागने का निर्णय नहीं किया है।

सभापति महोदय : यह मामला अभी आ रहा है।

श्री जी. एम बनातवाला : यह कभी भी आ जायं। हम देख लेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : हाउस को चलने दिया जाये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर आकाशवाणी के पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में श्री रामविलास पासवान द्वारा नियम 377 के अधीन उठाये गए मामले के संबंध में वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : माननीय संसद सदस्य श्री राम विलास पासवान ने सदन में 1 अप्रैल, 1981 को नियम 377 के अधीन एक मामला उठाते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर आकाशवाणी के रूख को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इसके समर्थन में उन्होंने निम्न लिखित टिप्पणियाँ की थी :—

(1) गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के शुरू होने के बाद आकाशवाणी ने आरक्षण के समर्थन में दिए गए वक्तव्यों की अपेक्षा आरक्षण विरोधी वक्तव्यो का कहीं अधिक प्रचार किया है।

(2) 30 मार्च, 1981 को संविधान के निर्माताओं का उल्लेख करके आरक्षण के विरोध

में कुछ प्रसारित किया गया था जो प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था। आकाशवाणी ने यह भी कहा कि इन व्यक्तियों ने माँग की थी कि आरक्षण को न केवल सरकारी सेवाओं में ही अपितु विधायी क्षेत्रों में भी तुरन्त समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तथापि, जब पांच संसद सदस्यों ने उक्त वक्तव्य की निन्दा करते हुए आरक्षण के पक्ष में वक्तव्य दिया तो उसकी पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई।

(3) पहले एक अवसर पर, गृह राज्य मन्त्री ने इस सदन में एक राजनैतिक दल पर इस आन्दोलन में शामिल होने का आरोप लगाया था। जब इस दल के एक दर्जन से अधिक सदस्यों और नेताओं ने इसका खण्डन किया और आरक्षण के पक्ष में वक्तव्य दिया तो उसको प्रसारित नहीं किया गया। माननीय सदस्य ने भी यह सुझाव दिया था कि आकाशवाणी को जानबूझ कर प्रसारण इस ढंग से नहीं करना चाहिए कि आन्दोलनकारियों और समाज विरोधी तत्वों को उससे समर्थन मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि क्योंकि आकाशवाणी सरकार के नियंत्रण में है, अतः इसको इस प्रकार के प्रसारणों पर नजर रखनी चाहिए।

2. मैंने आरक्षण के बारे में आकाशवाणी द्वारा किए गए प्रसारणों को सावधानी पूर्वक देखा है और यह पाया है कि यह आरोप लगाने का बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है कि आकाशवाणी का रूख पक्षपातपूर्ण रहा है या इसके प्रसारणों से किसी भी तरीके से आन्दोलनकरियों को मदद मिली है। सरकारी माध्यम होने के कारण आकाशवाणी को सरकार की नीति और उद्घोषणाओं को प्रतिबिम्बित करना होता है। आरक्षण के बारे में सरकार का दृष्टिकोण सर्व-विदित है और आकाशवाणी ने न केवल प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों के ही अपितु भारत के लगभग सभी राजनैतिक दलों के भी आरक्षण समर्थक वक्तव्यों को अपने बुलेटिनों में शामिल करके आरक्षण सम्बन्धी सरकार की नीति पर सदा प्रकाश डाला है। अनेक अवसरों पर, आरक्षण समर्थक नीति और वक्तव्यों पर समाचार न केवल खास खास समाचारों के रूप में ही अपितु संबधित बुलेटिनों में सबसे पहले दिए गए थे। उदाहरण के तौर पर मार्च, 1981 मास के दौरान, अंग्रेजी के मुख्य बुलेटिनों के खास खास समाचारों में निम्नलिखित सबसे पहले दिए गये थे :—

6-3-81 को गृह मंत्री श्री जैल सिंह का यह वक्तव्य कि गुजरात का आन्दोलन देश की एकता के लिए खतरा है।

19-3-81 को लोक सभा ने आरक्षण की राष्ट्रीय नीति का पुनः समर्थन किया है।

20-3-81 को सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने आरक्षण विरोधी आन्दोलन को वापस लेने की मांग की है।

श्री पासवान ने 18-3-81 को सदन में इस विषय पर जो प्रस्ताव पेश किया था उसको भी खास-खास समाचारों में दिया गया था तथा उस पर प्रकाश डाला गया था।

3. खास-खास समाचारों में देने के अलावा, आकाशवाणी ने आरक्षण के समर्थन में विभिन्न राजनैतिक दलों के वक्तव्यों को शामिल करने के लिए विशेष परिश्रम किया। मैं सदन की मेज पर एक विवरण रख रहा हूं जिसका भाग। जो कुछ मैंने कहा है उसको पर्याप्त रूप से स्पष्ट करेगा। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2317/81]

4. इसकी तुलना में गुजरात या अन्य कहीं भी आरक्षण विरोधी आन्दोलन पर डालने या उसको प्रमुखता देने के लिये कोई भी प्रयास नहीं हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ग्रन्थागार में समाचार बुलेटिन प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री बसन्त साठे : बुनियादी रूप से आरक्षण विरोधी आन्दोलन से संबन्धित समाचार को समाचार के महत्व के अनुसार लिया गया और अधिकांश मामलों में केवल हिंसा और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर ही हमारे बुलेटिनों में प्रकटा डाला गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, व्यवस्था के प्रश्न पर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं एक स्पष्टीकरण माँग रहा हूं। संसदीय ग्रन्थागार में समाचार बुलेटिन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमें समाचार बुलेटियों के उल्लेख नहीं मिल रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि सभी समाचार-बुलेटिन संसदीय ग्रंथागार में नियमित रूप से तथा तुरन्त उपलब्ध कराये जायंगे।

सभापति महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री बसन्त साठे : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा ··· (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह इस से सहमत हैं ?

श्री बसन्त साटे : मैं देखूंगा, इस पर विचार करूंगा।

सभापति महोदय : इस पर विचार कीजिये।

श्री बसन्त साठे : : मैं इस पर विचार करूंगा। यह आकाशवाणी के बुलेटिनों में आन्दोलन के बारे में प्रसारित कुछ समाचारों के उद्धरणों के नमूने से स्पष्ट हो जायगा जो मेरे द्वारा मदन की मेज पर रखे जा रहे विवरण के भाग 2 में दिए गए हैं। ···(व्यवधान) ··

सभापति महोदय : ज्योतिर्मय बसु कह रहे हैं कि हम समझें नहीं, तो हमने कहा कि-- खुद न समझे खुदा करे कोई।

श्री बसंत साठे : बहुत खूब, मैं इसकी दाद देता हूं।

5. आरक्षण-विरोधी डाक्टरों और केन्द्रीय सरकार के बीच हाल ही की बातचीत में भी समाचारों को, समाचारिक दृष्टिकोण से तथा स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता की रोशनी में लिया गया था।

6. 30 मार्च, 1981 को प्रसारित समाचार से सम्बन्धित आरोप के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि संविधान सभा के सदस्यों का वक्तव्य केवल समाचार का भाग ही था, समाचार के अन्य भाग में आकाशवाणी ने गुजरात के मुख्य मंत्री श्री सोलंकी, जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर और कांग्रेस (अर्स) के नेता श्री जगजीवन राम के वक्तव्यों, जिनमें आरक्षण का समर्थन किया गया था, को प्रसारित किया था। इसलिए समाचार संतुलित समाचार था, लोक दल के पाँच संसद सदस्यों के वक्तव्य, जिसमें आरक्षण के विरोध में संविधान सभा के सदस्यों के विचारों की आलोचना की गयी थी, को 1-4-81 को आकाशवाणी के अंग्रेजी के रात के 9 बजे और हिन्दी के रात के 8-45 बजे के बुलेटिनों में स्थान दिया गया था।

श्री रामविलास पासवान : 377 पढ़ने के बाद।

श्री बसन्त साठे : वह दिया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : यह तो अच्छा किया बात मान ली।

श्री बसन्त साठे : 7. श्री पासवान ने यह आरोप लगाया था कि आकाशवाणी ने आरक्षण के समर्थन में एक राजनैतिक दल (जिस पर आन्दोलन के पीछे होने का आरोप था के संसद सदस्यों के वक्तव्य का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार का कोई वक्तव्य आकाशवाणी को उपलब्ध हुआ प्रतीत नहीं होता। माननीय सदस्य ने निस्सन्देह एक अलग पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि इस प्रकार का एक वक्तव्य मार्च 1981 के पहले सप्ताह में जारी हुआ था। दिल्ली के उक्त सप्ताह के कुछ समाचार पत्रों की छानबीन से यह पता चला कि संसद सदस्यों का इस प्रकार का कोई वक्तव्य उक्त अवधि के दौरान उनमें नहीं छपा। तथापि, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरक्षण के समर्थन में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के वक्तव्यों को आकाशवाणी द्वारा समय-समय पर प्रसारित किया जा रहा है।

8. मैंने जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि माननीय सदस्य द्वारा लगाये गए आरोपों में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। हकीकत यह है कि आकाशवाणी ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करने की सरकार की नीति को प्रतिबिम्बित करने का अपना कर्त्तव्य किया है और करता रहेगा।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज बयान में साफ नहीं हुई है तो उसके लिए ··

श्री रामविलास पासवान : मंत्री जी का बयान गलत है : तीनों चीजें जो उन्होंने कही हैं वह गलत हैं। मैं मांग करता हूं, तीन महीने से आन्दोलन चल रहा है, आप तीन आदमियों की एक कमेटी बना दें, पार्लमेंट लाइब्रेरी में समाचार बुलेटिल रखे हुए हैं, उनको वह देख लें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि वह उसको लें कि कितना पक्ष में है और कितना विपक्ष में है।

श्री बसन्त साठे : नियम 377 के अन्तर्गत जो बयान यहां दिये जाते हैं उसमें चूंकि एक महत्व का विषय था इसलिए मैंने विस्तार से तथ्य आपके सामने रखकर आपको संतोषजनक उत्तर दिया है।

कोई सोया हुआ हो उसे तो आप जगा सकते हैं लेकिन यदि कोई सोने का बहाना कर रहा हो तो उसको आप उठा नहीं सकते हैं। यदि रामविलास जी का कभी संतुष्ट होने का इरादा ही नहीं है तो मैं उनका समाधान कैसे कर सकता हूं ? इतना ही मुझे कहना है, किसी बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता।

श्री रामविलास पासवान : मैंने बतलाया कि कहां कहां गलती हुई है।

कार्य मंत्रणा समिति

15वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन के, जो 8 अप्रैल, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन के, जो 8 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्...

सभापति महोदय : आप इस समिति के सदस्य हैं जिसने यह निर्णय किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उक्त निर्णय में भागीदार नहीं था मैंने कुछ टिप्पणियां तथा अपील की थी। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था अतः मुझे सभा से संरक्षण मागना है।

श्री बसन्त साठे : ऐसी प्रक्रिया नहीं है। कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय अपना काम देखें।

सभापति महोदय : क्या आपने सम्बन्धित मन्त्री को लिखकर दिया है कि आप इससे सहमत नहीं हैं

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मन्त्री को नहीं लिखता मैंने अध्यक्ष को लिखता हूं। मैंने सूचना दी है कि मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं मैंने आज सुबह सूचना दी है।

सभापति महोदय : बैठक कब हुई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसी समिति में असहमति टिप्पणी प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है खेल प्रवर समितियों में ही ऐसा करने की व्यवस्था है। परेशानी यही है। अतः मैं सभा से सुरक्षा मांगता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप कृपया बतायेंगे कि आप उक्त मामला किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा के सामने जब कभी भी कोई पूर्ण प्रस्ताव रखा जाता है, यदि सदस्य लिखकर देता है कि वह कुछ निवेदन करना चाहता है तो उसे बोलने का अवसर मिल जाता है।

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रस्तावों सम्बन्धी चर्चा के बारे में बने नियम के अधीन।

सभापति महोदय : आपने मात्र इतना कहा है कि आप बोलना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा है कि मैं अमुक अमुक मद पर बोलना चाहता हूं : यदि आप अक्षरशः विस्तार चाहते हैं तो मैं बता दूंगा।

सभापति महोदय : आपका मत क्या है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो कोई भी सदस्य बोल सकता है।

सभापति महोदय : नियम 290 कहता है कि :

प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थित किये जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को वापस भेज दिया जाये ;

परन्तु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घण्टे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पाँच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा बिल्कुल यही कहना है। यदि मैं कोई संशोधन भी पेश न करूं और प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना चाहूँ और इसके लिए पूर्व सूचना अध्यक्ष पीठ को दूं, तो मैं बोलने का अधिकारी बन जाता हूँ। यही मेरा नम्र निवेदन है।

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये हैं। उन्हें अपने संशोधन पेश करने दीजिये इसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों पर आगामी सप्ताह में सदन में विचार किया जाए :

1. चीनी की कीमत देश के प्राय: सभी बाजारों में पिछले एक सप्ताह के अन्दर बढ़ गई है और आगे जाने की प्रवृत्ति है। इसलिए चीनी की कीमत की बढ़त को रोकने सम्बन्धी चर्चा लोक सभा में होनी चाहिए।

2. बिहार के बेगुसराय में एक दस वर्षीय घरेलू नौकर का एक कार्यपालक अभियन्ता ने गर्म लोह की छड़ से दाग दिया है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी अमानुषिक कार्यवाही के रोकथाम के लिए लोक सभा में अगले सप्ताह में चर्चा होनी चाहिए।

3. गेहूँ के लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों की मांग है कि गेहूँ की कीमत 150 रु. प्रति क्विंटल होनी चाहिए। इस बात की चर्चा सदन में होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिस बात से हमारे में से बहुत से सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं उसका केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप है और मैं विपक्ष में बैठे अपने अन्य साथियों के साथ इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। 3 तारीख को कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में जो कुछ हुआ वह एक व्यक्ति को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वह सही था। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी मशीनरी अर्थात् रेडियो, रेलवे, बैंक आदि के माध्यम से राज्य के कार्यों में किए गए हस्तक्षेप पर हम बहस करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : तो आप कहना यह चाहते हैं कि इसे सभा के कार्य में शामिल कर लिया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु जी हाँ।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक और भी बहुत ही गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री ने जम्मू और काश्मीर में कहा है कि "मैं आधा घन्टे के अन्दर एक गैर-कांग्रेसी सरकार को समाप्त कर सकती हूँ।" ये बहुत ही गम्भीर मामले हैं तथा प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ऐसी बातों से चिंतित हैं। हमें सभा में इस पर चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मधुकर द्वारा रखे गये संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 8 अप्रैल 1981 को सभा में प्रस्तुत की गई कार्य-मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मनीराम बागड़ी : सभापति जी, यह कैसे हो सकता है - किसानों के मामले पर विचार करने के लिये अध्यक्ष ने वायदा किया था ···

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप सब के मेम्बर उस कमेटी में हैं, जो वहां पर फैसला होता है, उसी को यहां ला कर रख देता हूं···

श्री मनीराम बागड़ी : सभी पार्टियों के मेम्बर थे, फिर भी गलत बात हुई है। जब सारे सदन को विश्वास दिलाया गया था तो उस को लेना चाहिये था।

चेयरमैन साहब, यहां पर स्पीकर साहब ने सदन को विश्वास दिलाया था कि नेपानी के किसानों के साथ जो घटना घटी है उस को यहां चर्चा में लिया जायगा। इसी लिये उस कमेटी को तलब किया गया था, उस को बुलाया गया था।

सभापति महोदय : आप इस को पहले उठाते। जब रिपोर्ट पेश हुई थी तब बोलते तो ठीक था, लेकिन अब तो वह एडाप्ट हो चुकी है।

श्री मनीराम बागड़ी : इस में बोलने की क्या बात है यह तो बिलकुल नावाजिब बात है मैं तो इस के लिये विपक्ष के लोगों को ज्यादा दोषी मानता हूं, वायदा कर के फिर भी नहीं किया। मैं उनको भीष्म नारायण सिंह से ज्यादा दोषी मानता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में जारबापुरा-बांसपानी रेलवे लाइन के एटारी बांसपानी, द्वितीय चरण का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : महोदय, उड़ीसा के आर्थिक विकास के लिए जरबा पुरा-बांसपानी रेलवे लाईन के द्वितीय चरण में दैतारी से बांसपानी तक रेलवे लाईन का निर्माण अत्यंत आवश्कत है इस रेलवे से राज्य में, विशेषकर क्योंझर जिले, खनिज आधारित उद्योग के विकास तथा पारादीप बंदरगाह के विकास में सहायता मिलेगी।

क्योंझर जिले में जनजातियो के लोगों की सख्या अधिक है और उनमें से 80 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहते है वे खेतों तथा खानों में काम करके अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं पिछले वर्ष पड़े सूखे से लघु तथा मध्यम श्रेणी के किसानों की फसलों को हुए नुकसान के कारण उनकी हालत दयनीय है यदि 147 कि. मी. लम्बी दैतारी बांसपानी रेलवे लाईन का निर्माण शुरुकर दिया जाए तो इस भाग में गरीबी से पड़ित तथा बेरोजगार लोगों को काम मिल सकता है इस जिले के लाखों टन लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट और बाकसाइट को कम लागत पर इस

रेल मार्ग से खानों से पारादीप बंदरगाह तक कम लागत पर ले जाया जा सकता है इसके अतिरिक्त कुछ समय के बाद इस रेल मार्ग से लकड़ी और सामान्य चीजों को भी ले जाया जा सकेगा, क्योंकि यह लाईन देश के बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक और खनन क्षेत्र को भारत के सबसे अधिक गहरे बंदरगाह, पारादीप से जोड़ती है।

उड़ीसा सरकार ने इस आशा से कि इस लाईन का निर्माण होगा, बहुत से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। क्योंझर गढ़ के निकट टंगरानी में स्पंज लोहे का एक संयंत्र निर्माणाधीन है और आई. पी. आई. सी. सी. एन. और मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से बाँसपानी रेल हैड के पास इसी प्रकार के दो संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जब तक द्वितीय चरण अर्थात दैतारी-बाँसपानी रेल-लाईन का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, क्योंझर जिले में उपलब्ध उच्च श्रेणी के खनिजों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि उत्तर रेलवे लाईन के निर्माण के लिए तुरन्त कदम उठाए जाए।

(दो) कतिपय प्रेस संगठनों को दिल्ली में भूमि का आवंटन न किया जाना

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत निर्माण और आवास मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान, छः प्रेस संगठनों को बहुमंजिले मकानों के प्लाट के आवंटन में किये जा रहे घोर अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

प्रेस एसोसिएशन जोकि राजधानी में प्रत्यादित संवाददाताओं का एक मात्र अधिकृत संगठन है, को 1965 में जमीन दी गई थी। उन्होंने इस भूमि की 40000 रुपये की कीमत जमा करा दी थी। परन्तु उन्होंने केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर यह भूमि वापस दे दी थी और उनसे यह वायदा किया गया था कि उन्हें इसके बदले में 9, रफी मार्ग पर प्लाट दे दिया जाएगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अगस्त 1979 में इस प्लाट को छः प्रेस संगठनों, प्रेस एसोसिएशन प्रेस क्लब, प्रेस संस्थान, यूनाइटिड न्यूज आफ इण्डिया, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को संयुक्त रूप से आवंटित कर दिया।

परन्तु अभी हाल ही में निर्माण तथा आवास मंत्रालय और यूनाइटिड न्यूज आफ इण्डिया के बीच हुए समझौते में अन्य सभी संगठनों को निकाल दिया गया है। यह केन्द्रीय सरकार के वायदे का उल्लंघन है तथा अगस्त 1979 में सभी संगठनों को सरकार द्वारा दिए गए मूल आवंटन पत्र में दी गई शर्तों के विरुद्ध है।

यदि इस समझौते को तुरन्त समाप्त नहीं किया जाता, तो यह अन्य सभी संगठनों के विरुद्ध होगा और उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा। जिस ढंग से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उससे सभी संगठन उत्तेजित हैं क्योंकि उनके कानूनी अधिकारों के प्रति धोखा किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री को चाहिए कि तुरन्त इस मामले को देखें ताकि उन संस्थानों, जो भारतीय प्रजातन्त्र के लिए कार्य कर रही हैं, के साथ ऐसा घोर अन्याय न हो।

महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्री यहाँ मौजूद हैं और इस मामले की अविलम्बनियता को देखते हुए वे इस मामले पर प्रकाश डालें।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : इस बात की मुझे खुशी है कि मैं यहां मौजूद हूं परन्तु इस प्लाट के आवंटन या समझौते से संबंधित मंत्रालय मेरे चार्ज में नहीं है। वास्तव में इस मामले से निर्माण तथा आवास मंत्रालय संबंधित है।

अतः मैं केवल उन एसोसिएशनों की तरफ से, जिनका आपने उल्लेख किया है निर्माण और आवास मंत्री से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस मामले पर शीघ्र ध्यान दें : मैं सिर्फ यही वायदा कर सकता हूं।

श्री. एडुआर्डो फैलीरो : आप केवल यही तो करते आ रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : मैंने जो कुछ किया, वह आपके सामने है।

(तीन) हाल ही की ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिया जाना

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी ओलावृष्टि हुई है। अभी 4 अप्रैल को ही ओलावृष्टि में सोलन जिले की तहसील नालागढ़ में पूर्णतया फसल आदि नष्ट हो गई है। इन दिनों वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कुल नुकसान हुआ है, उसे राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से पूरा करने में असमर्थ है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से विशेषकर केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मेरे चुनाव क्षेत्र सोलन जिले तथा हिमालय के अन्य क्षेत्रों में बसने वाले गरीब किसानों को तुरन्त मदद प्रदान करें ताकि वे जीवित रह सकें। इस भारी नुकसान के कारण वहां के लोगों के सामने जीवन मरण का सवाल उठ खड़ा हुआ है।

(चार) औषधि उद्योग के कर्मचारियों की समस्या

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

आजादी के 33 वर्ष बाद भी भारत में बिकने वाली औषधियों की 80% बिक्री बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों, 16% निजी क्षेत्र तथा 6% सार्वजानिक क्षेत्र द्वारा की जाती है। भारतीय हमारे देश में उपयुक्तता तथा लोगों की आवश्यकतानुसार औषधियों के अनुसंधान तथा विकास के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए। औषधियों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के पास पर्याप्त औद्योगिकीय तथा तकनीकी जानकारी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाली 80% औषधियां अनावश्यक हैं आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों का हमेशा अभाव रहता है और टानिक तथा विटामिनों की बाजार में भरमार है। औषधियों की कुल बिक्री तथा मुख्य बीमारियों का कोई सबध नहीं है। जिस देश की औषधियों में उन की बिक्री पर वहां तो प्रतिबन्ध लगा हुआ होता है परन्तु बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा वे भारत में खुले आम बेची जा रही हैं। निम्न-स्तर की तथा नकली औषधियां बहुत अधिक मात्रा में बिक रही है।

औषधियों के ऊंचे दामों, जो कि आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं, पर रोक लगाने के

लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए हैं। साथी समिति की सिफारिशों से भी सरकार की नितीं में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ है।

औषध उद्योग रोजगार प्रदान करने में भी असफल रहा है। इसके विपरीत, कम्प्यूटर प्रणाली तथा मशीनों का उपयोग करके कर्मचारियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी रखा जाता है और काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

ट्रेड यूनियन के कार्यों को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को तंग किया जाता है। बार-बार ताला बंदी तथा फैक्टरी बंद की जाती है औषध निर्माता जीवन-रक्षक औषधियों का उत्पादन इस या उस बहाने से बार-बार बंद कर देते हैं। औषध उद्योग के सम्बन्ध में त्रिदलीय सम्मेलन के लिए किए गए सतत प्रयासों की सरकार ने अनदेखी कर दी।

सरकार तथा जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए फेडरेशन आफ मेडीकल रेप्रिजेन्टेटिव्ज एसोसिएशन आफ इंडिया और आल इन्डिया कैमिकल्स एण्ड फार्माकयूटिकल एम्प्लाईज फेडरेशन ने 9-1-1981 को औषध उद्योग को एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया है सरकार को इस सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

(पाँच) मनोरोग अस्पताल, रांची का कार्यकरण

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान बिहार प्रदेश में राँची स्थित मनः चिकित्सा संस्थान की ओर ले जाना चाहूंगा। इस संस्थान की स्थापना 1918 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। उस समय इस स्थान का देश में काफी नाम था। भारत के हर कोने से मानसिक रोगी यहाँ आते थे और लगभग 90 प्रतिशत स्वस्थ हो कर अपने घरों को वापस चले जाते थे।

मानसिक चिकित्सा के लिए देश प्रसिद्ध इस सस्थान की लोकप्रियता और महत्ता को देखते हुए 1962 में इस मानसिक चिकित्सा का उच्च अध्ययन केन्द्र केन्द्रीय सरकार ने घोषित कर दिया। आज देश में मानसिक चिकित्सा के अनेक सुयोग्य तथा प्रसिद्ध चिकित्सक इसी केन्द्र की उपज हैं।

सभापति जी, खेद की बात गत है कि तीन वर्षों में इस केन्द्र के कार्य में काफी गिरावट आई है।

ऐसे समाचार मिले हैं कि हाल ही में काफी लोगों ने हस्पताल की निराशाजनक हालत तथा डाक्टरों की लापरवाही से ऊबकर आत्मा हत्या कर ली। यहाँ आज रोगियों को उचित भोजन कपड़ा तथा दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। रोगियों के संरचनों को हर माह भारी भुगतान करना पड़ रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों को आवास रहते हुए भी आवास उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मकान खाली और बेकार पड़े हैं। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि लगभग डेढ़ दर्जन संसद सदस्यों ने इस विषय पर लिखा-पढ़ी की पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूँगा कि तुरन्त स्वास्थ्य मंत्री जी इस संस्थान की जाँच करायें और अस्पताल की प्रतिष्ठा बचाएं।

(छः) बतलोर के किले के मन्दिर में जलकान्तेश्वर की मूल प्रतिमा स्थापित किया जाना

श्री अब्दुल समद (वेल्लोर) : सभापति महोदय, वेल्लोर और इसके आस-पास के क्षेत्रों के धार्मिक मनोवृत्ति के हिन्दुओं की लम्बे अर्से से महसूस की गई यह तीव्र इच्छा रही है कि वे वेल्लोर के ऐतिहासिक किले के अन्दर स्थित मन्दिर में जलकान्तेश्वर के मूल देवता की स्थापना करें।

कई सौ वर्ष पूर्व मंदिर से हटाई गई मूर्ति सथवाचेरी गांव के पास पड़ी हुई थी। तीन सप्ताह पूर्व कई हजार भक्तगणों ने मिलकर मूर्ति के साथ एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी और इसे वेल्लोर किले के मंदिर में स्थापित किया था।

चूंकि यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग की देख-रेख और पर्यवेक्षण के अधीन है, अतः मुझे बताया गया था कि इस मंदिर से मूर्ति को निकालने के लिए एक नोटिस दिया गया है।

कानून और व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण वातावरण के हित में और हिन्दू भक्तों की धार्मिक भावनाओं के उचित सम्मान में मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वह वर्तमान प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करें और हिन्दू धार्मिक अधिकारों के अनुसार धार्मिक समारोहों को जारी रखने के लिए लोगों को अनुमति दे।

यदि यह आवश्यक है तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह बिना किसी बाधा के धार्मिक कृत्यों को करने के लिए लोगों को अनुमति देने हेतु पुरातत्व स्मारक अधिनियम में उचित संशोधनों को पेश करें और पुरातत्व विभाग इस ऐतिहासिक मंदिर के अनुरक्षण के लिए उचित देख-रेख करता रहे

वेल्लोर की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं अधिकांश लोगों की धार्मिक भावनाओं को उचित मान्यता और सम्मान देते हुए जनता में मैत्री पूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने के हित में अपील करता हूँ।

इसी प्रकार किले के अन्दर स्थित मस्जिद भी प्रतिदिन नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय को सौंप दी जाये।

क्योंकि यह मामला नाजुक बन चुका है अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह वर्तमान प्रबंधों को जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही पर्याप्त उपाय करे।

(सात) तमिलनाडु में बर्तनों के कारखानों को एल्युमिनियम की सप्लाई उन चालू करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. कंडास्वामी (तिरुचेंघोडे) : सभापति महोदय, तमिलनाडु में एल्यूमीनियम बर्तन बनाने वाले लगभग दो हजार एकक भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के स्वेच्छाचारी रूख के कारण बन्द होने की स्थिति में पहुँच गये हैं। एम. एम. टी. सी. से ने अचानक ही मार्च, 1980 के अन्तिम सप्ताह से आयातित कमर्शियल ग्रेड एल्यूमीनियम की सप्लाई बन्द कर दी है। वास्तविक प्रयोक्ताओं ने आयातित धातु के लिए भुगतान किया था और डिलीवरी आर्डर जारी किये गये थे लेकिन अचानक ही 23 मार्च को एम. एम. टी. सी. ने वास्तविक प्रयोक्ताओं को सूचित किया था कि ये डिलीवरी आर्डर वापस ले लिये गये थे।

हाल ही में एम. एम. टी. सी. ने 2700 रुपये प्रति टन की मूल्य वृद्धि की थी और ये यूनिट संकट में से उभरने का प्रयास कर रहे थे। एम. एम. टी. सी. का 'स्टाक टेकिंग' का तर्क डिलीवरी आर्डर वापस लेने के लिये युक्ति संगत नहीं लगता है। यह व्यापक रूप से विश्वास किया गया है कि एल्यूमीनियम के लिये सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए एम. एम. टी. सी. की ओर से यह एक पूर्वक्रमिक कार्यवाही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एल्यूमीनियम के बर्तन, जो कभी गरीब व्यक्ति के खाने के बर्तन होते थे, समाज के समृद्ध वर्गों के सजावटी और आरामदायक वस्तुयें बन गये हैं। एल्यूमीनियम बर्तन उद्योग 1300 रुपये प्रति टन का उत्पादन शुल्क अदा करता है। हांलाकि सरकार को यह मालूम है कि एल्यूमीनियम के बर्तन जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं तथापि एल्यूमीनियल कंटेनरों को उत्पादन शुल्क रियायतों के लिये पात्र 72 वस्तुओं की सूची में नहीं रखा गया है। केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत विशेष महत्व की वस्तुओं की सूची में एल्यूमीनियम को भी शामिल नहीं किया गया है ताकि राज्य स्तर पर विशेष उत्पादन शुल्क की शर्तें पर कई प्रकार के बिक्री कर से बचा जा सके। मैं मांग करता हूं कि सरकार एम. एम. टी. सी. को निदेश दे कि वह इन एककों को शीघ्र ही एल्यूमीनियम की सप्लाई पुनः बहाल करे।

(आठ) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कृत बैंकों के ऋण और जमा राशियों के अनुपात में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल को लगभग 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीनिवेश के लाभ से वंचित रखा गया है जिसका कारण इस राज्य में ऋण-जमा राशि के अनुपात में वृद्धि करने में कमर्शियल बैंकों की असफलता है और वह महाराष्ट्र के स्तर के समान न होना है। ग्रामीण क्षेत्र में कमर्शियल बैंकों का कार्य-निष्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे खराब था। जहां जून, 1980 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-जमा राशि का अनुपात अन्ध्र प्रदेश में 104.39 प्रतिशत, तमिलनाडु में 88.85 प्रतिशत, उड़ीसा में 87.09 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 76.40 प्रतिशत और बिहार में 62.13 प्रतिशत था, वहां यह पश्चिम बंगाल 34.72 प्रतिशत था। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में ऋणों की औसत वसूली राष्ट्रीय औसत के आस-पास थी।

मुझे हैरानी है कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण लोगों के निर्धन वर्गों को ऋण देने में कमर्शियल बैंक क्यों संकोच करते हैं ? इसके अतिरिक्त बड़े पूंजीपतियों से ऋण की वसूली भी बहुत असंतोषप्रद थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 230 करोड़ रुपये की राशि बड़े पूंजीपतियों से वसूल नहीं हुई थी।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह अन्य राज्यों की तुलना में ऋण जमा राशि में वृद्धि करे और मैं यह भी मांग करता हूँ कि संबन्धित मन्त्री महोदय इस बारे में सदन में एक वक्तव्य दें।

अनुदानों की मांगें

रक्षा मंत्रालय-जारी

सभापति महोदय : अब सदन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की माँगों पर पर और आगे चर्चा शुरू करेगा। बोलने वाले सदस्यों की एक लम्बी सूची है। प्रधान मन्त्री को सायं पांच बजे उत्तर देना है। मैं माननीय सदस्यों से लम्बे भाषण न करने के लिए अनुरोध करता हूँ।

अब, श्री मनीराम बागड़ी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बमीरहाट) : इन टिप्पणियों को कल किया जाना चाहिये था। कल सदस्यों को 45 मिनट तक बोलने के लिये अनुमति दी गई थी।

सभापति महोदय : अब हम चर्चा समाप्त करने के निकट पहुँच रहे हैं.....

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्रत्येक पार्टी को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री मनीराम बागड़ी।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : बहुत कम समय में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। असल में ऐसी पार्टी के हाथ में राज है जिसके अन्दर आदमियों की कमी है। मुझे दया आती है रक्षा मंत्री जी की तरफ देख कर। अकेली जान पर सारा बोझा डाल दिया गया है। प्रधान मंत्री भी वही हैं, रक्षा मंत्री भी वही हैं और पार्टी की अध्यक्षा भी वही है। क्योंकि आदमियों की कमी है इस वास्ते स्वभावतः उनको सारा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके अन्दर कुछ अड़चनें आ सकती है। जैसे रक्षा मन्त्री ने अभी जम्मू काश्मीर में भाषण देते हुए कहा कि आधे घटे के अन्दर काश्मीर को खत्म किया जा सकता है...

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही।

श्री मनीराम बागड़ी : अच्छा है आपने सफाई कर दी है। इस तरह की बातें जब आकाशवाणी आदि से आती है तो गलतफहमी फैलती है। बहुत अच्छा किया जो आपने सफाई कर दी है और कह दिया कि आपने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही। जनता को इसका पता लग गया है।

रक्षा का जब सवाल आता है तब मुझे हसी आती है कि नकलची की तरफ कभी अमरीका और कभी रूस की तरफ झुक जाते हैं उनकी तरफ दौड़ते हैं। हम में दृढ़ता नहीं हैं। रक्षा के वास्ते शक्ति की जरूरत होती है। मनोबल की जरूरत होती हैं। इसान को पहले पेट भर रोटी मिले उसके बाद मनोबल आता है। हथियार तीसरे दर्जे की चीज है। भारत में जहाँ गरीबी की सतह से नीचे इतने लोग हैं, इतनी बड़ी उनकी तादात है बजाय इसके कि लोगों का पेट भरने की कोशिश हो, हथियारों पर इतना पैसा लगा देना, देश-रक्षा नहीं है। यह तो जाने या अनजाने रूस या अमरीका, इन दो बड़ी ताकतों का शिकार होने वाली बात है। रक्षा मन्त्री रक्षा के नाते रक्षा पलटन बनाना चाहते हैं तो वह किस रास्ते से बनाएगे ? हथियारों से या गांधी जी ने शान्ति पलटन बनाने की जो बात कही थी, वैसा करके ? क्या उस तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है ? फौज का भी आप सगठन करते हैं और किस तरीके से करते हैं यह भी आप देखे। तरह तरह से दीवारें खड़ी करके आप फौज का संगठन कैसे करेंगे ? एक तरफ वे लोग

हैं जो गले में लंगोट डालते हैं, अंग्रेजी में गिटपिट करते हैं, कांटे छुरी से खाने के आदी हैं और यूरोपीय और अमरीकी सभ्यता से प्रभावित हैं और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के जिन लोगों के ऊपर आपने रक्षा का मार डाला है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उसमें जो इतना बड़ा अन्तर है, उस अन्तर को आप किस तरह से मिटाने जा रहे हैं, इसको भी आप देखें।

कितनी ही लड़ाइयां हमने जाने अनजाने में लड़ी हैं। मैं दोष किसी को नहीं देता। भारत पाक बंगला देश लड़ाइयाँ हुई हैं। नतीजा क्या निकला। आखिर हिन्दुस्तान एक है। अगर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में लड़ाई होती है तो समझ लो कि गांधी का हिन्दुस्तान एक है और हिन्दुस्तान की यह लड़ाई है। हिन्दु मुसलमान के नाम पर कांटे छुरी से लड़ाई होती थी लेकिन आज हथियार इकट्ठे इस लिए किये जा रहे हैं और इस वास्ते ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि इनको लड़ाया जा सके। मजहब के नाम पर कांटे और छुरी से पहले लड़ाने की चालें होती थीं लेकिन आज एटम बम और सैबर जेटों से लड़ाने की जाने अनजाने में साजिशें हो रही हैं और हम उसके शिकार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप जरा सोच लें।

जब सदर साहब, लड़ाई का मन बनाना होता है तब सरकारें ऐसे किया करती हैं। अगर गलत काम पाकिस्तान की सरकार करे तो क्या हम भी करेंगे? अगर कुत्ता किसी को काट जाये तो कुत्ते को जा करके कोई दूसरा आदमी काटेगा? अच्छी बात वह है अगर एशिया में, और एशिया में नहीं तो हिन्दुस्तान के द्वीप में, आप ऐसी बातें न चलने दें।

और यह खर्चा, मैं समझ गया था रक्षा पर उतना पैसा भूखे मुल्क का लगाने के लिये वातावरण बना रहे हैं, आकाशवाणी से, रेडियो से, टी. वी. से अखबारों में यह प्रचार करके कि युद्ध सिर पर आ रहा है, ताकि यह कुछ बड़े लोगों को जो चाहे रूस हो या अमरीका, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यह न समझना कभी किसी को किसी से मदद मिलती है या कभी कोई किसी की खिलाफत नहीं करता है। और हमेशा नीति बना कर चलना पड़ता है। जब राजनीति में जाते हो या अमरीका में जाते हो, न्योते पर जाते हो तो मित्र भी हो और खड़े पैर पर दुशमन भी बनना पड़े तो उसके लिये भी तैयार हो। रूस भी जाओ, मित्र भी हो, लेकिन वहीं अगर झगड़ा चल जाय, जैसे चीन का हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे के समय हुआ, जब चीन से लड़ाई हो रही थी तो अमरीका ने मदद की, और जब बंगला देश से लड़ाई थी तो रूस की मदद चल रही थी। इसका मतलब यह है कि हमको किसी का शिकार नहीं बनने देना चाहिये। अगर अफगानिस्तान के अन्दर रूस की फौजें हैं, तो उधर सातवां नहरी बेड़ा अमरीका का डीगोगार्शिया में है। इन सब हालत को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप कृपया गरीबी को मिटाने पर ज्यादा पैसा खर्च कीजिये हथियारों के बजाय और कम से कम चाहे वह आपके काम आये या न आये एक शान्ति सेना की स्थापना भी जरूर कीजिये, गांधी जी कोई हवाई बात नहीं कहते थे जो नि.शस्त्र शान्ति सेना की बात करते थे। आखिर दुनिया में अगर अमन शांति होगी तो हथियारों से नहीं होगी, बल्कि उनके खत्म करने से होगी। आप कम से कम उसकी एक पूर्ति तो रखिये, थोड़ी बहुत स्थापना तो उसकी कीजिये। बगैर हथियारी के भी शांति की सेना भारत के अन्दर है जो कुछ करने वाली है।

अन्त में एक बात और कहूँगा रक्षा मन्त्री से, प्रधान मन्त्री से नहीं कह रहा हूँ, रक्षा मंत्री

से कह रहा हूँ कि अब यह दोनों कंधों पर वजन न रखिये। मुझको तरस आता है, औरों को आये या न आए। आखिर उम्र का तकाजा है। जब आप बोलती हैं तो रक्षा मंत्री के नाते उस पर बहस चल जाती है। आप कभी मां के दिल से बोलती हो, कभी पत्नी के दिल से बोलती हो, लेकिन फिर भारत उसकी नीति बना लेता है। नारी को पति से ज्यादा और कोई दुख नहीं होता। तब फिर चर्चा चल जाती है। जब पति से ज्यादा दुख नारी का नहीं होगा तो फिर सतियाँ पैदा होंगी। लेकिन अगर नारी सन्तान को अपना सर्वस्व मानती है तो फिर मातृभूमि से प्यार होगा, फिर उसकी रक्षा होगी। यह बहुत सी बातें हैं जिनको सोच कर के बोलना चाहिये।

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : महोदय, बड़ीशक्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और हमारे आस-पास की स्थिति के बारे में भी कल और आज बहुत कुछ कहा गया है। मैं अपने को केवल पाकिस्तन तक ही सीमित रखूगा।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार दिया जाना वास्तव में हमारे लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय है। निःसंदेह इससे भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ेगा और इससे हथियारों की दौड़ शुरू हो जायेगी। कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय प्रधान मत्री ने ठीक ही कहा था कि हम पाकिस्तान अथवा इसके द्वारा हथियारों को प्राप्त किये जाने से भयभीत नहीं हैं लेकिन हमारा पिछला अनुभव दर्शाता है कि इस प्रकार अर्जित किए गए हथियार हमारे खिलाफ प्रयुक्त किये गए हैं।

मुझे पता चला है कि अमरीका में रीगन प्रशासन ने आर्थिक सहायता में 43 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव किया है। यह 850 लाख डालर बैठता है। दूसरी ओर, दो बिलियन डालर मूल्य के हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि क्या अमरीकावासी पाकिस्तान के लोगों के विचारों का पता लगायेंगे कि क्या पाकिस्तान के लोग अमरीकी वासियों के लिए युद्धबलि देना चाहते हैं। मेरी जानकारी है कि यह सैनिक शासन है जो इन सभी हथियारों को चाह रहा है। मेरा बिश्वास है कि पाकिस्तान के लोग सदैव भारत के साथ मित्रता चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जाने का हमारे पड़ोस में गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि सरकार उचित कार्यवाही कर रही है और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने कल कहा है कि हम प्रत्येक घटना के लिए तैयार हैं।

वर्ष 1980-81 के लिए प्रस्तुत की गई रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में शांति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति और भारत के निकटवर्ती देशों में प्रत्यक्ष बढ़ते हुए तनाव के प्रति देश और विश्व को ठीक ही सचेत किया है। गत सितम्बर में ईरान और ईराक के बीच सशस्त्र विरोध के फैल जाने और अफगानिस्तान की घटनाओं तथा हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए बड़ी शक्तियों की प्रतियोगिता अत्यन्त महत्व के अतिरिक्त प्रमुख मसले हैं जो सरकार के ध्यान में हैं। सुगठित अनुसानबद्ध सशस्त्र सेनाये रखना हमारे लिए गर्व की बात है। जल, थल, और वायु सेना के हमारे जवान अच्छी प्रकार प्रशिक्षित हैं और वे किसी से कम नहीं हैं।

यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए

विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार आधुनिकीकरण पर धनराशि की पर्याप्त अधिक प्रतिशतता खर्च की जा रही है। फायर शक्ति के यंत्रीकरण क्षेत्रवार गतिशीलता और हमारी सेनाओं की युद्ध क्षमताओं के बारे में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अनुसंधान और विकास विभाग भी सैनिक युद्ध संचालन सस्शास्त्रों और युद्ध नीति के मामले में भी उपयोगी सलाह देता रहा है।

मैं 'कोस्ट गार्ड आर्गनाइजेशन' के बारे में विचार करना चाहता हूं जिसका गठन लगभग चार वर्ष पूर्व किया गया था। पहले यह गृह मत्रालय के अधीन था। 1978 में यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आ गया था। हमारी तटरेखा 6,083 किलोमीटर है और सेना का कार्य-क्षेत्र लगभग दो लाख वर्ग किलोमीटर होगा। 1978 में छः वर्षों के लिए 160 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। हैलीकाप्टरों सहित 750 टन की क्षमता वाले तीन तटदूर गश्ती पोत प्राप्त किए जाने थे। लेकिन लगभग चार वर्ष गुजर जाने के बाद भी मेरी जानकारी के अनुसार इस बल में केवल दो फ्रिगेट और 5 गश्ती नावें हैं जो मेरे विचार से समुद्र में चलने योग्य नहीं हैं।

वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि मजगांव डाक से तीन तटदूर गश्ती नावों की खरीद के लिए 46.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई हैं लेकिन पहला पोत 1983 में आयेगा · दो वर्ष के बाद। मेरे प्राक्कलनों के अनुसार आगामी छठी योजना तक तटदूर क्षेत्र में कुल अनुमानित पूंजी निवेश लगभग 2,000 करोड़ रुपये का होगा और मत्स्य-ग्रहण आदि के वर्तमान स्तर पर हम 1000 करोड़ रुपये का और अनुमान लगा सकते हैं। इतने बड़े पूंजी निवेश और देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यह बल अपर्याप्त है। मेरा सुझाव यह है। तटवर्ती क्षेत्रों और आन्तिरिक जल क्षेत्रों के लिए गश्ती पोतो की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त पश्चिम तट के लिए हैलीकाप्टरों सहित गहरे समुद्र के लिए पोंत हों जो मजगांव डाक से पहले ही प्राप्त किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 30-40 हल्के विमान-मध्यम रैंज के विमान आवश्यक हैं—ये विमान और गश्ती पोत दोनों भारत में सीमा उल्लंघन करने के मामले पर नियंत्रण करने के लिए एक संयुक्त दल के रूप में कार्य करेंगे।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संगठन को बने हुए लगभग चार वर्ष हो चुके हैं लेकिन इस मामले में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सरकार से इसके लिए अधिक राशि का आबटन करने के लिए अनुरोध करता हूँ ताकि तट सुरक्षा बल तक एक प्रभावी बल के रूप में कार्य कर सके।

इस समय एक विषय मेरे मन को कचोट कर और वह है सैनिक अधिकारों द्वारा अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए न्यायालय में जानी है। यहाँ तक की उच्च न्यायालय के एक न्यायधीश ने टिप्पणी की है और मैं समाचार पत्र की कतरन से इसे उद्धृत करता हूँ।

"5 मार्च को एक नायब सुवेदार की रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए तर्कों को सुनते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश दलीप कपूर ने अचानक पूछा। "इसका क्या कारण है कितने अधिक सैनिक मुकदमें अब न्यायालयों में आ रहे हैं ?" इस प्रश्न ने कोर्ट रूम में उपस्थित सभी व्यक्तियों का ध्यान खींचा था। बचाव पक्ष का वकील जो स्वयं एक सेना नियुक्त सैनिक अधिकारी थे, भी हैरान रह गये थे।

यदि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे थे तो निश्चित रूप से इसका आशय यह था कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक कर्मचारियों का न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने की घटना से स्वय न्यायपालिका भी चिन्तित थी ऐसा समय था जब न्याय-पालिका सैनिक प्रशासन के मामले में कभी-कभी हस्तक्षेप करती थी। इस स्थिति में अब बहुत परिवर्तन दिखाई देता है।

"कुछ वर्ष पूर्व तक मुश्किल से ही कोई सैनिक अधिकारी शिकायत के साथ न्यायालय में आता था श्री कपूर ने नोट किया।"

मेरे विचार से किसी न्यायालय अथवा किसी एजेन्सी द्वारा एक अधिकारी के निर्णय को जब कभी ठुकरा दिया जाता है तो वहाँ से ही अनुशासनहीनता शुरू होती है। यह एक अत्यन्त गंभीर समस्या है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले पर पूरी गंभीरतापूर्वक विचार करे। सैनिक कर्मचारियों के सिविल न्यायालयों में आने की सख्या में वृद्धि हो रही है। मेरे विचार से इसका कारण या तो एक स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण का न होना है अथवा सेना अधिनियम में कोई खामी है।

महोदय, मुझे बताया गया है कि जज एडवोकेट जनरल, जो सेना की न्यायपालिका है, स्थल सेनाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह ऐजुटेंट जनरल के अधीन है जो सेना का कार्यपालिका विंग है मुकदमा चलाने वाला और न्याय देने वाला दोनों विभाग एक ही व्यक्ति के अधीन हैं। यह एक कारण हो सकता है जिससे सैनिक कर्मचारी महसूस करते हैं कि उन्हें उचित न्याय नहीं दिया जायेगा।

सेना को अनुशासन और प्रोत्साहन दो अनिवार्य पहलू हैं और यदि इनका कम मूल्य आंका जाता है तो मेरे विचार से सेना संतुष्ट नहीं रहेगी। हर हालत में अनुशासन को बनाये रखना है। मैं न्यायालय में गए किसी अधिकारी को उद्धृत करता हूं, और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने कहा था कि उनके सहयोगी अधिकारी का सेवाकाल बढ़ा दिया गया था और इस प्रकार उनकी भी सेवा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। न्यायालय ने रोकादेश दे दिया था। यह अधिकारी सेवा-निवृत्त हो गए हैं लेकिन उन्हें टेलीफोन और बंगला तथा अन्य सभी सुविधायें रखने की अनुमति दी गई है। उनके मामले पर निर्णय हो जाने तक इन सुविधाओं को रखे रहेंगे यह बहुत से उदाहरणों में से एक उदाहरण है जो मैं दे रहा हूँ। सशस्त्र सेनाओं में एक बार यदि आप इसकी अनुमति दे देते हैं कि सिपाही नहीं कह सकता है तो इसका कोई अन्त नहीं होगा लड़ाई के मैदान मे जब सिपाही को पता होता है कि वह मरने जा रहा है तब भी वह अपने अधिकारी को 'नहीं' नहीं कह सकता है यहां पर भी यही स्थिति है और इस प्रकार इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो हमें यह कहना चाहिए अथवा सैनिक अधिकारियों के लिए किसी स्वतन्त्र अपीलीय न्याया-धिकरण की व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन सैनिक कर्मचारियों के न्यायालय मे जाने पर रोक लगानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : आयुध कारखानों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर एक आयुध कारखाना है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आयुध

कारखाने सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह कारखाना मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में गत 70 वर्षों से स्थित है लेकिन वहां पर किसी सहायक उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को गैर सरकारी क्षेत्र दिये जाने पर रोक लगानी चाहिए। मैं बहुत से उदाहरण उद्धृत कर सकता हूँ। बहुत सी वस्तुयें जो आयुध कारखानों में बनाई जाती है, गैर-सरकारी क्षेत्र को भी उत्पादन के के लिए दी जाती हैं जिसके कारणों की उन्हें खूब जानकारी है···

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें कारणों का पता लगाना चाहिए···

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैंने सुझाव दिया है कि अर्ध-सैनिक बलों और अन्य सरकारी एजेंसियों की वर्दियों की सिलाई आयुद्ध कारखानों द्वारा की जानी चाहिए। एक अन्य बात है जो मैं कहना चाहता हूं बहुत से आयुद्ध कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। मैं शाहजहाँपुर स्थित आयुध कारखाने के मामले को जानता हूं जहां पर पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है मैंने कुछ उपायों का सुझाव दिया है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार उन पर सक्रिय रूप से कर रही होगी। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह इन आयुध कारखानों की मशीनों का बहुत पुराना होना है। इन आयुध कारखानों के नवीनकरण में अनुसंधान और विकास कार्य को प्रमुख भूमिका निभानी है क्योंकि इन मशीनों के समग्र उत्पादन और कार्य-कुशलता में कमी आई है।

महोदय, आयुध कारखाने ऐसी प्रमुख वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। देश की सुरक्षा के लिए रक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कोई राजनीतिक गतिविधि नही होनी चाहिए जिससे उत्पादन में बाधा पड़े: धीरे काम न करें अथवा कोई हड़ताल न करें। इन आयुध कारखानों में इस प्रकर की बात को बढ़वा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि रक्षा सेनाओं में इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के बारे में जनरल स्पैरो ने जो कुछ कहा है उसे दोहराता हूं। सेवा-निवृत्ति के बाद इनके लिए रोजगार कुछ अवसर खोले जाने चाहिए ताकि इनका पुनर्वास किया जा सके और वे सम्मानीय जीवन गुजार सकें। आपका बहुत धन्यवाद। मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एच. के. एल. भगत (पूर्व दिल्ली) महोदय, मैं शुरु में कहना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी का कल का भाषण अत्यन्त निराशाजनक था (मुझे खेद है और यह मैं उनके प्रति भारी सम्मान के साथ कहता हूं)। मेरे विचार से इससे हमारे देश, हमारे लोगों और उन नीतियों, जिसके लिये भारत निरन्तर अडिग रहा है के प्रति न्याय नहीं हुआ था। उनसे यह सुनकर हमें बहुत निराशा हुई कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अवसर को खो दिया है इसके परिणाम स्वरुप वह भारत और पाकिस्तान में बराबरी करने का प्रयास कर रहे थे और दोनों देशों को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे थे मानों वे दोनों मैत्री का वातावरण उत्पन्न न करने के लिये जिम्मेदार थे जहाँ यह सच है कि भारत ने विगत में भी पाकिस्तान के साथ मैत्री का विकास करने के लिये अपना भरसक प्रयास किया है वहां पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध वास्तव में पाकिस्तान द्वारा हम पर थोपे गये थे यह मेरा विचार नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विचार है। यह संसद का विचार था, यह श्री अटल बिहारी बाजपेयी और अन्य व्यक्तियों

का विचार था। इसके बाद शिमला समझौता हुआ। मेरे विचार से विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें श्रीमती गांधी के नेतत्व में भारत द्वारा इस प्रकार का दृष्टि अपनाया गया हो। कब्जा किये गये सभी क्षेत्रों को हमने वापस कर दिया था। उस समय श्री बाजपेयी अलग प्रकार की बात कह रहे थे। जब क्षेत्र को वापस किया गया था तो श्री बाजपेयी और उनके कुछ, सहयोगी इन क्षेत्रों में गये थे और मुझे याद है कि वह ऊट की पीठ पर गये थे उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने माथे लगाई और यह कहा था कि यह भारत की मिट्टी है और हम इसे वापस लेगें। लेकिन शिमला समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा बेचे जाने के रुप में वर्णित किया गया है। यह उन्होने और उनके मित्रों ने कहा था। जब वह विदेशी मंत्री बने तो उन्होने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही थी और यह एक अच्छी बात है। अब नवीनतम स्थिति की ओर आते हुए जो हमारे सीमा-क्षेत्रों के आस-पास विकसित हुई है, मुझे खुशी है कि उन्होने महसूस कर लिया है कि शीत युद्ध भारत के बिलकुल नजदीक है और उन्होने कहा है कि स्थिति संकटपूर्ण, गंभीर और कठिन है।

यह घटना कुछ समय पूर्व हाल ही में हुई है। मुझे याद है, मैं गलती पर नहीं हूँ। तथ्यों के बारे मुझे चुनौती नहीं दी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के बम्बई अधिवेशन में श्री बाजपेयी के भाषण अखबारों में प्रकाशित हुए थे, और उससे पहले भी उन्होंने कहा है: "ठीक है, श्रीमती गांधी विदेशी खतरों की बात कर रही हैं, विदेशी खतरे की कोई बात नहीं है, यह सब काल्पनिक है। वास्तव में, कन्ट्री को खतरा बाहर से नहीं है, खतरा अन्दर से है।

यहां तक कि विदेश मंत्रालय के बारे में हो रही बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उनके साथी श्री राम जेठमलानी ने कहा: "यदि विदेशी ताकतों द्वारा पाकिस्तान को कुछ बन्दूकें, कुछ चीजें, कुछ विमान दे दिए जाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ? आप इसके बारे में शोर क्यों मचा रहे हैं ?" श्री राम जेठमलानी ने यह सब सदन में कहा है। हम सब मौजूद थे। श्री बाजपेयी तो सदन से बाहर अपने भाषणों में इस सीमा तक पहुँच गए हैं कि भारत के रक्षा व्यय में कटौती की जानी चाहिए। इस बात के सबूत विद्यमान हैं। उन्होंने महीने भर पूर्व ही यह बात कही है वे इस स्थिति की प्रशंसा दूसरे ही ढग से कर रहे थे। मुझे खुशी है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्र को चेतावनी दे रही हैं। श्रीमती गांधी युद्ध नहीं चाहतीं। भारत युद्ध नहीं चाहता। यह राष्ट्र युद्ध नहीं चाहता और श्रीमती गांधी ने हमेशा सम्मान का दृढ़ता तथा समझबूझ का सहारा लिया है। वे युद्ध की इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने बांगला देश युद्ध को टाला। उन्होंने युद्ध टालने हेतु पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए विश्व के छोटे से लेकर बड़े-बड़े देशों का द्वार खटखटाया ताकि इसे टाला जा सकता, किन्तु युद्ध हुआ। यह हम पर थोपा गया था। हमने इसे शुरू नहीं किया था। श्री बाजपेयी ने यह कह कर कि पाकिस्तान के साथ मैत्री का आधार तैयार न करने के लिए जिम्मेदार है, वे भारत के प्रति माफी निर्दयी रहे हैं, भारत राष्ट्र के प्रति कठोर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में समानता दिखाना हमारे देश के लिए काफी अनुचित और अन्यायपूर्ण है।

आइये, हम देखें कि अब क्या कुछ हुआ है। शिमला सममौते की शर्तों से कश्मीर का मामला द्विपक्षीय हो गया है। पाकिस्तान इस मामले को कहाँ ले जा रहा है। वे इसे इस्लामी सम्मेलन में ले जा रहे हैं और इसे विभिन्न मचों तथा विभिन्न स्थानों पर जा रहा है।

पाकिस्तानी प्रेस भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और जिया-उल हक का सैनिक शासन ऐसे अनेक कुकृत्य कर रहा है, जिसे कोई मित्र देश न करता। हम सभी प्रशंसा करते हैं। हम सभी पर्याप्त धैर्य और परिस्थिति को तरतीब से समझने, जो वे सामने ला रही हैं, उसकी समूचा देश प्रशंसा करता है।

अब, इस प्रकार के समाचार हैं कि पाकिस्तान अणुबम बना रहा है। इस आशय की की रिपोर्टें, हैं कि पाकिस्तान को इसके लिए अमरीका सहित अनेक देशों द्वारा चोरी-छिपे अणुबम सामग्री की सप्लाई की जा रही है। अब ये समाचार हैं कि पाकिस्तान अब चोरी छिपे इसका निर्माण नहीं करेगा अपितु खुलकर इसका निर्माण नहीं करेगा। यहाँ तक कि तारापुर संयंत्र के लिए भारत को अमरीका के साथ हुए करार को भी अमरीका द्वारा पूरा नहीं किया गया। वास्तव में, इस करार को तोड़ा जा रहा है। इसके लिए सप्लाई नहीं की गई है और जब कभी सप्लाई की गई है, तो वह समय पर नहीं की गई। हमने 'स्टेटसमैन' में एक रिपोर्ट देखी है कि जब से अमरीका ने पाकिस्तान को सप्लाई प्रारम्भ की है, तब से भारत काफी विषम स्थिति में पड़ गया है। इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी अथवा बाद में एक अणुबम अथवा हाइड्रोजन बम बनाएगा।

हम सबको मालूम है पाकिस्तान अपने हवाई अड्डों का निर्माण कहाँ कर रहा है। किसकी सीमाओं पर वह किया जा रहा है। वे अफगानिस्तान की सीमाओं पर नहीं हैं, अपितु वे भारत की सीमा पर हैं। पाकिस्तान भारत की सीमा के निकट हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है। मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि रूस से युद्ध करने में पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि अमरीका यह समझे कि पाकिस्तान रूस से युद्ध करने में समर्थ हो सकेगा अथवा युद्ध करना चाहेगा तो यह उसकी भूल है। पाकिस्तान के लोग भारत के साथ शांति चाहते हैं और भारत के लोग भी पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं। यदि सैनिक शासक योद्धा, कभी सैन्य युद्ध में संलग्न होते हैं, तो यह भारत के विरुद्ध होगा, यह न तो अफगानिस्तान के विरुद्ध होगा और न ही रूस के विरुद्ध। इस शस्त्रों को प्राप्त करना पाकिस्तान के अपने ही हित में न होगा। इस सिलसिले में सबसे पहले पाकिस्तान स्वयं नष्ट हो जायेगा। सुदूर पूर्व के देश चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, पिछले समयों में किसी भी देश को नहीं बचा पाये हैं। वियतनाम का उदाहरण हमारे सामने हैं। वियतनाम के लोग सभी किस्म के हथियारों को विपरीत अपने नाखूनों, उंगलियों से लड़ रहे थे। वे सबसे शक्तिशाली ताकत को परास्त कर चुके हैं। ईरान का उदाहरण हमारे सामने हैं। ईरान के शाहंशाह के पास श्रेष्ठ हथियार थे, विश्व में सर्व श्रेष्ठ अस्त्र-शस्त्र। इसके बावजूद क्या परिणाम निकला, इसे हम सब जानते हैं। अतः यह पाकिस्तान के अपने हित में नहीं है। अमरीका को जरा भी नहीं बचा सकेगा। इस परिस्थितियों में इन्दिरा जी तथा हमारी सरकार तनाव को कम करने के लिए अपने भरसक प्रयास कर रही है। श्री वाजपेयी की सरकार अमरीका प्रशासन के सामने झुक गई। श्री देसाई तो इस हद तक कह बैठे कि हम किसी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी कोई अणु विस्फोट नहीं करेंगे। उन्होंने अमरीका को यह आश्वासन दिया था। उन्होंने पोकरन में हुए विस्फोट की, जिस पर सारे राष्ट्र ने गर्व महसूस किया था, निन्दा की थी। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री देसाई ने यह कहा था — मुझे विश्वास नहीं है कि यह विस्फोट शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया

था।' वे भारत के विरुद्ध गवाह बन गए। श्री वाजपेयी उनकी सरकार के अंग थे; उनके शासन के दौरान वे उनके कदमों में पड़ गए और 'बूट स्ट्रेप डिप्लामेसी' को अपनाया। वे अपने झूके हुए घुटनों से वे अमरीका के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के बावजूद अमरीका को उनके बराबर न ला सके और श्रीमती गांधी को दोष दे रहे हैं। जब उन्होंने ये शब्द कहे कि : "कोई भी किसी का स्थाई मित्र और कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं है, तो वे अमरीका के प्रति बहुत ही बेमानी थे। जब ऐसा चलता है, तो यह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सम्भवत: श्री डी. पी. धर के किसी पत्र का उद्धहण दिया था कि अमरीका एक लम्बी अवधि तक विद्वेष रखेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत और अमरीका के बीच जो भी सबंध हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, भारत जिम्मेदार है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1981 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की क्या स्थिति थी। श्री वाजपेयी भारत के प्रति काफी अनीतिपूर्ण रहे हैं। भारत ने अमरीका के साथ मैत्री रखने के अपने भरसक प्रयत्न किए हैं। भारत ने क्या कछ नहीं किया ? भारत ने बिल्कुल सही कार्य किया है। हमारी सीमाओं पर हमारी स्थिति प्रत्येक दृष्टि से काफी मजबूत है।

अफगानिस्तान के मामले पर जब रूसी सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, तो उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि यह घटनाओं की परिणति है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये घटनाएं हैं क्या ? यदि आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, तो आप पायेंगे कि इसमें घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें सिर्फ अफगानिस्तान की घटनाओं का ही उल्लेख नहीं है। इसमें सभी बातों के बारे में उल्लेख किया गया है। हमने अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं की उपस्थिति को उचित नहीं ठहराया है। हमारी सरकार ने कहा है कि हम किसी देश में किसी विदेशी सेना की उपस्थिति को पसन्द नहीं करते। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। और ऐसी अनेक घटनाए हैं जिनसे तनाव उत्पन्न हुआ है। अत: यह स्थिति है। भारत को सुदृढ़ बनाना ही है। रक्षा बजट में भारी राशि का नियतन किया गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा धन की। के नियतन की आवश्यकता है, और ज्यादा धन को यद्यपि हमारी वित्तीय स्थिति जटिल चल रही है तथा हम देश के विकास की ओर महत्व दे रहे हैं, किन्तु मैं महसूस करता हूं कि इस देश के लिए कि हम कितनी भी कठिन स्थिति में क्यों न हों, शायद हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता, चाहे हमें आधा खाना खाकर रहना पड़े, किन्तु हम अपने सम्मान और स्वतन्त्रता के लिए झुक नहीं सकते। अणु तथा हाइड्रोजन बमों का निर्माण करने के अतिरिक्त, और जिसके लिए मैंने मांग की है. कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

हमारी सशस्त्र सेना बहादुर है, हमारे कमांडर अच्छे हैं, हमारे अधिकारी और जवान अच्छे है। हमारी सरकार उनकी मदद करने के प्रयत्न कर रही है। हमने उनके पदोन्नति के अवसरों में सुधार किया है। सरकार ने उनके लिए कार्य किए हैं। किन्तु उनकी भलाई के लिए तथा भूतपूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अन्य बातों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

देश को किसी स्थिति का सामना करने के लिए, किसी बाहरी ताकत का सामना करने के लिए, देश का आन्तरिक मोर्चे पर मजबूत होना जरूरी है। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं

लड़े जाते हैं। वे फैक्टरियों तथा खेतों में लड़े जाते हैं। भारत में आज इस बात की आवश्यकता है कि हल्ला गुल्ला न हो, रास्ता न रोका जाए कोई गड़बड़ न हो, कोई आन्दोलन न हों। फैक्टरियों तथा खेतों में काम हो। पश्चिम बंगाल में भी। (व्यवधान) और अन्य किसी स्थान पर भी नहीं। आप भी अपवाद नहीं हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूं, वह देश को सुदृढ़ बनाने की है..... (व्यवधान)। आप पश्चिम बंगाल के विषय से इतने जुड़े हुए क्यों हैं ?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एच. के. एल. भगत : अतः देश की रक्षा के लिए, एक मजबूत आन्तरिक मोर्चे की काफी आवश्यकता है, और सौभाग्यवश, मैं यह करना चाहूँगा कि काफी कठिन समय के दौरान हमारी परीक्षा हो गई है, और हम नहीं चाहते और हमें हेनरी किसिजर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। किन्तु हेनरी किसिजर ने निक्सन के साथ श्रीमती गांधी की बैठक का विवरण देते हुए कहा है कि एक वह व्यक्ति जिसे हम न तो झुका सके और न तोड़ सके, श्रीमती गांधी हैं। उनके नेतृत्व में भारत सुदृढ़ से सुदृढ़ होगा। धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय एक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण के विषय अनेक वक्ताओं ने विचार रखे हैं। जिस ढंग से इसे लिखा गया है और हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही निराशाजनक है। यह किसी प्रकार से राजनैतिक संतुलन बनाया जाना है अथवा कुछ और बात है ? मैं ठीक तरह नहीं जानता कि यह है क्या।

किन्तु मुझे एक दो टिप्पणियां अवश्य करनी है। सबसे पहले मैं अपने मित्र जनरल स्पैरो के बारे में टिप्पणी करूंगा, जिनकी एक सिपाही के रूप में मैं काफी प्रयास करता हूँ। जब वे कल बोले थे, तो मैं उपस्थित नहीं था। यदि मैं गलती पर होऊं, तो उसे ठीक किया जा सकता है। किन्तु रिकार्ड से मैंने उनका भाषण पढ़ा है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो परोक्ष रूप से यह दर्शाती है (चाहे उनकी यह अवधारणा न रही हो) कि हिन्द महासागर तथा फारस की खाड़ी में अमरीकीओं द्वारा अपने अड्डों के निर्माण के लिए बहाना तथा अफगानिस्तान में रूस की उपस्थिति के सुझाव का अर्थ तेल की सप्लाई प्राप्त करना तथा उसे अमरीका को भेज देना और यह कि अमरीका 7000 मील की दूरी पर स्थिति है, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता उन्हें वहाँ अर्थात खाड़ी और महासागर में आना ही पड़ा (व्यवधान)। यदि यह गलत है, तो उन्हें रिकार्ड ठीक करना चाहिए। इसके लिए में उत्तर दायी नहीं हूं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, तो मुझे प्रसन्नता है -

जो एक मात्र मुद्दा मैं यहां पर उठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वह यह है कि बहादुर जनरल अथवा किसी अन्य सदस्य को, उस मामले में ऐसे आंकड़े नहीं देने चाहिए जो विदेश मन्त्री द्वारा कुछ ही दिन पूर्व उसके मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस के उत्तर में दिए गए आँकड़ों से भिन्न हो। उन्हें पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्यों कि यदि मैं ऐसा कहूं, और परोक्ष रूप से आलोचना करूं तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है विदेश मंत्री अपनी बात कहकर चले गए और कहा कि श्री ब्रजनेव अफगानिस्तान तथा फारस की खाड़ी के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए राजी हो गए है। श्री नरसिम्हा राव ने कहा है कि इन दो बातों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। (व्यवधान)।

श्री आर. एस. स्पैरो (जालंधर) : प्रत्येक शब्द, जो मैंने तथ्य कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तथ्य अथवा कहानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री आर. एस. स्पैरो : क्योंकि मेरा नाम लिया गया है, मुझे यह कहना है कि मैंने सिर्फ तथ्य दिए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तथ्य अथवा कहानी के बारे में बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जनरल स्पैरो मैंने तो यह कहा है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को वे आँकड़े नहीं देने चाहिएं जो उनके अपने विदेश मंत्री द्वारा दिए गए आँकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूँ। आपकी बात ठीक हो सकती है, यह मैं जानता हूँ। इस प्रश्न के घेरा छ में निष्पन्देह पाकिस्तान को हथियार दिए जाने के प्रश्न पर जो एक ऐसी बात है जिसके बारे में इस देश का प्रत्येक व्यक्ति गम्भीरता से चिन्तित है, विचार किया गया है—किन्तु ये हथियार वहाँ से आ रहे हैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। क्या वे आसमान से गिर रहे हैं ? ये अत्याधुनिक हथियार जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कहां से आ रहे हैं ? किन्तु कुछ कारणों से हमने यहां पर इसका उल्लेख न करने का निर्णय किया है।

यद्यपि प्रत्येक रोज इस पर चर्चा हो रही है और प्रश्नों के माध्यम से तथा अन्य अवसरों पर इस सदन में इसका उल्लेख भी होता है। किन्तु यह मुझे अवश्य कहना है कि जो अनुदान आप सैनिक आसूचना सेवाओं को दे रहे हैं, मेरा सुझाव है कि उनमें पर्याप्त कटौती की जानी चाहिए क्योंकि समाचार पत्रों के अनुसार श्री डेंग जियोपिंग ने पीकिंग में श्री सुब्रह्मम स्वामी को बताया है कि दो कारणों से चीन की ओर से चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। पहला कारण तो यह है कि वे पाकीजान की मदद के कारण तिब्बत पार नहीं कर सकते, और दूसरा कारण यह है कि सीमा पर चीन तुलना में भारत की सेना ज्यादा तैनात है। श्री सुब्रह्मम पीकिंग के एक ही दौरे में इतनी आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी सैनिक आसूचना सेवा क्या कर रही है। उनके अनुदान की मांगों में कटौती की जानी चाहिए।

मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या तो वे इस आशय की अफवाहों तथा रिपोर्टों की पुष्टि करें अथवा उनका खण्डन करें जो प्रतिक्षण यहाँ तक कि इस भवन के परिसर में भी सुनने में आती है कि जब श्री सुब्रह्मम स्वामी पाकिस्तान अथवा पीकिंग अपने निजी दौरे पर जाते हैं, जो उन्हें एक प्रकार की अनौपचारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। मैं नहीं जानता किसके द्वारा। (व्यवधान)। तब तो आपको निश्चित रूप से इसका खंडन करना चाहिए क्यों कि उन्होंने मुझे स्वयं बताया है। मुझे खेद है कि उनकी अनुपस्थिति में यह बता रहा हूँ किन्तु जब भी वे वापस आते हैं, तो मैं इन बातों को दोहराने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने स्वयं बताया है कि वे इन दौरों पर जाने के पहले, वे संसद सदस्य होने के नाते विदेश मंत्री से मिलते हैं, और उन्हें मिलना ही चाहिए। अब लोग बढ़ा चढ़ा कर चारों ओर रिपोर्टें फैलाते हैं कि उन्हें अनौपचारिक रूप से तैयार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि उनके दौरे के सम्पूर्ण मामले को बहुत ही ज्यादा प्रचार मिल रहा है; और इन सब बातों का अन्य बातों पर जिनसे आप देश में कहते हैं तथा करते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

एक बात के लिए मैं बाजपेयी के साथ सहमत हूँ । स्थायी मित्रों तथा स्थायी दुश्मनों के बारे में कोई प्रश्न तथा कोई नीति (थ्यौरी) तैयार नहीं की गई है । कुछ भी दो, इस सदन में कोई ज्योतिषी नहीं है । हम तो केवल अपने पूर्व के अनुभवों (व्यवधान) और वर्तमान स्थिति, जिसे हम दे रहे हैं, के अनुसार चल सकते हैं । किन्तु मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि प्राय: प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमरीका का दुश्मन हो या मित्र, आप खुले रूप में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जान बूझकर शीत युद्ध के दिनों की ओर वापस जाने के प्रयास किये जा रहे हैं और शीत युद्ध की ओर से वापस जाने की बात न केवल अमरीका के विरोधियों को अपितु उसके हितैषियों एवं मित्रों को भी चिन्तित किए हुए हैं ।

आपकी अनुमति से मैं कुछ सामग्री उद्धत करना चाहूंगा । अभी एक बहुत ही रोचक चीज मेरे सामने आई है जिसे मैं सदन को बताना चाहूंगा । यह 28 फरवरी के लंदन के पत्र स्पेक्टेटर में प्रकाशित हुई है । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह स्पेक्टेटर एक कंसर्वेटिव समाचार पत्र है । इसमें निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है :—

" रोनाल्ड स्टील द्वारा लिखित वाल्टर लिसमान के जीवन पर हाल में प्रकाशित एक पुस्तक में जान फास्टर डलेस तथा लिपमान के बीच रोचक बातचीत हुई है, जिसे प्रकाशित किया गया है ।"

श्री जॉन फास्टर डलेस को शीत युद्ध का वास्तविक शिल्पी तथा चैम्पियन माना जाता है । इसमें आगे कहा गया है ।

"अब मैं इस महान स्तम्भ लेखक तथा अमरीकी सचिव के बीच बातचीत को उद्धत करता हूँ :—

" फास्टर" उसने कहा, आप क्या समझते हैं कि आप सीटो (दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन) का समर्थन करने जा रहे हैं ? आपने अधिकांशत: यूरोपीय लोगों तथा पाकिस्तानी लोगों को इसमें रखा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के नजदीक नहीं है ।"

"देखो, वाल्टर, " डलेस ने कहा, मुझे दक्षिण एशिया में वास्तविक लडाकू लोगों को प्राप्त करना है । एक मात्र एशियन, को वास्तव में युद्ध कर सकें, पाकिस्तानी लोग हैं इसलिए हमें उनको साथ लेने की जरुरत है । गोरखों के बिना हमें सफलता नहीं मिल सकती ।"

"किन्तु फास्टर," लिपमान ने उसे याद दिलाया "गोरखे लोग पाकिस्तानी नहीं है । वे तो भारतीय हैं ।"

"ठीक है," डलेस ने उत्तर दिया "वे पाकिस्तानी न भी हों,, किन्तु वे मुस्लिम हैं ।"

"नहीं, मुझे भय है कि वे मुस्लिम नहीं हैं । वे तो हिन्दू हैं ।"

"कोई फर्क नहीं पड़ता," डलेस ने उत्तर दिया क्या आपने सुना, जनरल हैग ? वे हिन्दू हैं ।" यह सामग्री स्पेक्टेरट में प्रकाशित हुई है। बाद में उन्होंने बताया कि श्री रीगन के मुख्य सलाहकार एडविन मीसे ने अन्य दिन अपने श्रोताओं को याद दिलाया—

"राष्ट्रपति ने अनेक बार कहा है कि वे सम्भावित अथवा वास्तविक प्रति वादियों से प्रतिदिन

रात में सोते समय यह विचार करने की अपेक्षा रखते हैं कि हम अगले दिन क्या करना चाहते हैं।"

अमरीका में कुछ सम्भाविक अथवा वास्तविक मित्र आजकल जरूर ही इस के साथ सोते होंगे। अत: में समझता हूँ कि इससे स्पष्ट है कि तनाव तथा शीत युद्ध और आज के विश्व में युद्ध का वातावरण बनाने का प्रयास कौन कर रहा है।

एक स्थानीय समाचार पत्र स्टेटसमेन समाचार में प्रकाशित समचार मैंने देखा है और मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि वे हमें बतायें कि क्या इसका कोई आधार भी है अथवा नहीं। स्टेटसमेन का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिमण्डल की समिति ने जिसने कुछ ही माह पूर्व इस देश का दौरा किया था, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वहाँ सीनेटरों तथा सदस्यों का दल यहाँ आया था और स्टेटमेन के अनुसार इस समिति की बैठक भारत के संयुक्त सेनाध्यक्षों के साथ हुई थी। कांग्रेस मेन प्राइस ने रिपोर्ट दी है: उनका विश्वास है: "संयुक्त सेनाध्यक्ष, हमारे संयुक्त सेनाध्यक्षों का विश्वास है कि सोवियत संघ एक न एक दिन अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आयेगा।" संयुक्त अध्यक्षों ने बताया कि वे विशेष रुप से चिन्तित हैं। उन्होंने कहा, उनकी समिति को बताया है, कि अमरीका को मदद करने हमारी बहुत रुचि है क्योंकि कांग्रेस मैन प्राइस के अनुसार वे स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि सोवियत लोग अफगानिस्तान के मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं। मैं नहीं मानता। ये बातें एक जिम्मेदार समाचार पत्र में प्रकाशित हुई हैं और यदि वे ये समाचार हासिल कर लेते हैं, तब मैं समझता हूं कि इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सबसे पहले, क्या संयुक्त राष्ट्र सीनेटरों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के दल की बैठक हमारे संयुक्त सेनाध्यक्षों के साथ हुई थी? यदि उनकी बैठक हुई थीं, तो क्या उन्होंने इस प्रकार विचारों का आदान-प्रदान किया था; मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूं कि क्या हमारे सेनाध्यक्षों ने कोई ऐसी बात कही होगी। ये बाते प्रकट रुप में प्रकाशित हुई हैं। कोई भी इनसे इनकार नहीं करता। इन बातों को यहाँ पर उठाना मेरा कर्तव्य है। मंत्री महोदय को चाहिए कि वे हमें बताये कि स्थिति क्या है।

पिछले वर्ष मैंने लागत संबंधी मामले को उठाने का प्रयास किया था। स्पष्ट कारणों तथा यहाँ पर स्वीकृत विपुल राशि के लिए, कि इसकी वास्तव में आवश्यकता है, रक्षा मंत्रालय द्वारा मांगे गए अनुदानों का यहां पर किसी भी पक्ष ने कभी विरोध नहीं किया है। हम इस बात को मानते हैं। हम तो सिर्फ लागत प्रभावी सम्बन्धी बात की पुष्टि चाहते हैं, कि यहाँ पर स्वीकृत प्रत्येक पैसे का उपयोग उचित ढग से किया जाता है और वह कार्य नहीं जाता। यह जिम्मेदारी सरकार की है। पिछले वर्ष मुझे ध्यान है कि इस मामले में तत्कालीन रक्षा उत्पादन मंत्री, मेरे मित्र श्री गाडगिल ने मेरा समर्थन किया था। उन्होंने यहा पर बताया था कि कई करोड़ रु. को किस प्रकार खर्च किया गया है। उन्होंने बताया था कि एयरोनाटिक्स उद्योग की स्थापनार्थ जिससे कि हम दूर तक मार करने वाले विमानों का अपने यहां निर्माण कर सकें, बनाने का प्रयास किया था। परन्तु हम असफल हो गए। यहां तक कि इस प्रसिद्ध माडल मारुत कि क्षमता मार्क I से मार्क II तक भी नहीं बढ़ा सके, जिसे हम विकसित करने का प्रयास कर रहे थे और जिसे हमने अब छोड़ दिया है। इसी प्रकार मैं इस वर्ष में टैंकों की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी है कि टैंकों के मामले में हमें इस

स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि, बाहर से टैंक न खरीदें जाएं। कुछ टैंकों की आवश्यकता है। उन्हें बाहर से खरीदा जा सकता है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कार्य स्वदेशी तकनीकियों और वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों ने देश में जो कुछ विकसित किया है उस सबको नकार कर तथा बट्टे खाते डालकर नहीं किया जाना चाहिए। आप अक्सर ही आवश्यक आयात करके अनुपूर्ति कर सकते हैं ? इससे कोई मना नहीं करता है। परन्तु यह टैंक एक युद्ध के लिए प्रमुख टैंक जिसका हमें निर्माण करना था, जिसके निर्माण की योजना 1970 में बनी थी और अब 1981 में हम देखते हैं कि इसका कहीं नामोनिशान भी नहीं है। ऐसा क्यों है ? हम उस बड़ी फैक्टरी में बहुत वर्षों से विजयन्त टैंक का निर्माण कर रहे हैं और इसके बारे में जिनीवा से प्रकाशित होने वाली "इन्टरनेशनल डिफेन्स रिव्यू" नामक पत्रिका में निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है :—

"एक बहुत ही मजबूत तथा साधारण टैंक है और इस युद्ध में काम आने वाले गतिशील तथा गोलाबारी करने वाले टैंक को आसानी से चलाया जा सकता है जिसे सेंच्यूरियन टैंक की परम्परा को जारी रखना चाहिए।"

यह एक अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि आज का विजयन्त टैंक हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त है। हमारे पास एक हजार या इससे अधिक ये स्टाक में होने चाहिए। परन्तु कुछ समय पहले हमें यहाँ बताया गया था कि सरकार इन्हें बट्टे खाते डालना चाहती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह विजयन्त टैंक किस काम आएगा।

इस वजह से सेंच्यूरियन का प्रश्न उठता है, जोकि आज तक बनाए गए टैंकों में सबसे अच्छा है और यह मानना होगा कि हमने इससे अच्छा टैंक पहले कभी नहीं बनाया। ये टैंक हमारे पास अब भी 300 या इससे अधिक हैं। कुछ वर्षों पहले ऐसी असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी कि हमने कुछ टैंक माईकेल नाम के व्यक्ति को बेचे, जो इन्टरनेशनल अर्थात मर्चेन्टस एण्ड डीलर्स का ऐजेन्ट था, और बाद में पता चला कि ये टैंक दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए। रक्षा सम्बन्धी मामला में जो कुछ हम करते हैं उसका विदेशी नीति पर असर नहीं पड़ता चाहिए यह स्पष्ट है। हाल ही में हमने सेंच्यूरियन के कुछ पुर्जे बेचे हैं, हमने टैंक न बेचने का निर्णय लिया परन्तु आटो लेवी नामक फर्म के माध्यम से इसके पुर्जे बेचने का निर्णय लिया था। विश्व सेंच्यूरियन तथा इसके पुर्जों की बड़ी मांग है क्योंकि एक ऐसा तरीका खोज लिया गया जिससे बहुत ही कम लागत पर सेंच्यूरियन का "रीट्रोफिटेड" किया जा सकता है बजाय इसके कि नए टैंक खरीदे जाएं। इजरायल ने हजारों टैंक "रीट्रोफिटेड" किये हैं। इजराइलियों को रेगिस्तानी युद्ध में कुशल माना जाता है और वे इन टैंकों का प्रयोग करते हैं और जिनके बारे में वे कहते हैं कि ये विश्व में सबसे अच्छे टैंक हैं। हमने सेंच्यूरियन का एक बेच बेचा था जो बाद में अफ्रीका पहुँच गया। अभी हाल ही में इस आटो लेवी जिसके बारे में मैं नहीं जानता फर्म के माध्यम से कुछ सेंच्यूरियन के पुर्जे बेचे गए हैं जो इजराइल में भी पहुँच सकते हैं जो हमारी विदेशी नीति के विरुद्ध है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन मामलों में किस प्रकार की निगरानी या नियन्त्रण रखा जा रहा है क्या किसी निर्धारित अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र का पालन किया जाता है।

आज सदस्यों को यह पुस्तक लोक लेखा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन दी गई है जिसमें लिखित रूप में यह बताया गया है कि हमने सेना सामग्री में से 350 हजार वस्तुएं निर्यात के लिए बेची गई और वे कुछ ऐसे देशों में भेज दी गई जहां उन्हें नहीं भेजा जाना था। वे जिस देश को आयात की गई थी उसे प्राप्त न होकर किसी अन्य देश को प्राप्त हो गई। हमारी अपनी लोक लेखा समिति कहा है कि :—

'उस देश को सामग्री न भेज कर, जिसके लिए यह भेजी जानी थी, किसी अन्य उस देश को भेज दी गई जिसको पहले राजनैतिक आधार पर सामग्री देने से मना कर दिया गया था।"

हमें नहीं पता है कि वह देश कौन सा है, उसका नाम नहीं बताया गया है। यदि ऐसा हो सकता है तो यह टैंकों और उसके पुर्जों के मामले में भी हो सकता है।

सभापति महोदय : आपने पन्द्रह मिनट का समय ले लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या करूं। कृपया चर्चा के लिए समय बढ़ा दें या कुछ करें। वर्ष में एक बार हमें इतने महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति मिलती है मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा कि रक्षा मन्त्रालय की सलाहकार समिति, जिसका मैं वर्षों सदस्य रहा हूँ, कि आजकल बैठकें नहीं हो रही हैं। हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है। कभी-कभी हमें बोलना पड़ता है ? ये ही प्रार्थना है कि आप इस मामले में मुझे एक दो मिनट का समय और दें।

जबकि विश्व में कुछ व्यक्ति सेंच्यूरियन और इसके पुर्जों को बाहर से खरीद कर रहे हैं, क्योंकि वे उसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं परन्तु इस देश में कुछ व्यक्ति आधुनिक तकनीक की होड में पीछे न रहने के नाम पर यह चाहते है कि सेंच्यूरियन को जल्दी से जल्दी अव्यवहार्य तथा पुराना घोषित किया जाए। मुझे डर है कि हमें बहुत ही महंगे तथा आधुनिक हथियार खरीदने पड़ेंगे। और यदि आप सरकार से सरकार के आधार पर नहीं खरीदते तो आपको आटो लेवी फर्म के श्री माइकेल जैसे ऐजन्ट का सामना करना पड़ेगा। इस मामले की पूर्ण जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हम 4000 करोड़ के लिए मतदान करने वाले हैं। किसी व्यक्ति को कोई एतराज नहीं है परन्तु इस राशि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए और इसे गलत कार्य में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध में काम आने वाले टैंकों की प्रमुख योजना असफल हो गई। वायुयान परियोजना भी असफल हो गई। क्या विदेशी आपूर्ति पर हमारी निर्भरता बढ़ती रहेगी, हम कब तक अधिक से अधिक आत्म निर्भर होंगे। हम रातों रात शत प्रतिशत आत्म निर्भर नही हो सकते। यह मैं स्वीकार करता हूँ। परन्तु हमारे पास एक आधार है जो हमारी पड़ोसी देशों के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास हमारे जैसा औद्योगिक, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक आधार नहीं है। हम अधिक विकसित है। हमारे पास वैज्ञानिक, तकनीकियन और ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व में किसी से कम नहीं हैं। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी बजाय हमें इन व्यक्तियों पर निर्भर रहना तथा विश्वास करना चाहिए। मैं यह कहता हूँ कि अनुसंधान तथा विकास पर बहुत कम खर्च किया जा रहा है। इस कार्य के लिए और अधिक खर्च किया जाना चाहिए। अपने लोगों पर आत्म-विश्वास होना चाहिए और ऐसा कार्य किया जाए कि विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता समाप्त हो जाए क्योंकि भविष्य में यह देश के हित में नहीं होगा।

मुझे आशा है ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री श्रीमती मार्गेट थैचर के भारत के दौरे के समय कोई खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी क्योंकि एक कहावत है कि ब्रिटेन दुकनदारों का देश है। वे हमेशा हार्डवेयर तथा अन्य वस्तुएं बेचना चाहते हैं। इसलिए वे इस कार्य में आजकल विशेष व्यस्त हैं क्योंकि उनका बाजार मंदा पड़ गया है। हम नहीं चाहते कि श्रीमती मार्गेट थैचर के दौरे के समय चीफ्टेन टैंकों के बेचने की बात करें। उन्होंने ईरान के शाह को देने के लिए रोल्स रायस इन्जन वाले विशेष चीफ्टेन टैंक बनाए थे। परन्तु दुर्भाग्यवश यह ठेका समाप्त हो गया क्योंकि शाह अब नहीं रहे। और अब ये रोल्स रायस इन्जन उनके पास पड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि श्रीमती मार्गेट थैचर के माध्यम से इन रोल्स रायस इंजनों, जिन्हें शाह को नहीं दिया जा सका, की खरीद का आधार बनाया जाए। मुझे आशा है कि इसका ध्यान रखा जाएगा। श्रीमती थैचर की मुस्कान से हमारे नेता इस जाल में नहीं फंसेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : समापति जी, मुझ से पहले मेरे बहुत सारे बुजुर्ग डिफेन्स बजट पर बोले और बहुत सारे मश्विरे उन्होंने इस सदन के सामने रखे। जब से यह दुनिया बनी है, तब से जगों और लड़ाइयों का एक तौर-तरीका चलता रहा और तभी से आज तक इसमें कई परिवर्तन आये।

मैं आज इस विषय में अपने मश्विरे इस बात पर रखूंगा कि हालात को देखते हुए वक्त किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की साइंस और टैक्नोलाजी किस तरह आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ आज हमारे डिफेन्स में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह माडर्नाईजेशन की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक जमाना था जब पत्थर से लड़ाई की जाती थी, उसके बाद तीर-कमान वजूद में आये और समय के साथ साथ माडर्नाईजेशन होती गई और फिर तलवार के साथ लड़ाई लड़ी जाने लगी। जिसके पास ज्यादा तेजधार तलवार वह लोग जंग जीतने लगे। उसके साथ साथ कुछ ममालिक में उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल शुरू किया और घोड़े पर जो जगी सवार होते थे, वह जंग जीतने लगे। और उसके बाद हाथियों का स्तेमाल हुआ। इस तरह से अगर आप इतिहास, तारीख, को देखेंगे, तो पत्थर के जमाने से लेकर आज तक सारी दुनिया में किसी न किसी तरीके से माडर्नाइजेशन होती आ रही है।

हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनमें से कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी पालिसीज और प्रिंसिपल्ज हमारे मुल्क से मेल नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे भी मुल्क हैं, जो अपने आपको बड़ी बड़ी ताकतों के साथ जोड़े हुए हैं, और उन बड़ी ताकतों का जेहन या उनका सोचने का तौर-तरीका भी हमारे मुल्क से मेल नहीं खाता है। इसलिए आज के मौके पर मैं कहूंगा कि दुनिया की साइंस, टेकनालोजी और इजीनियरिंग की डेवेलपमेंट को देखते हुए हमारी डिफेन्स पालिसी में सब से ज्यादा और इस बात पर देना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी आर्मी, नेवी, और एयर फोर्स में माडर्नाइजेशन लायें।

जब 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई तो उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी कुछ हथियार थे। हमने उनके टैंकों का मुकाबला एन्टी-टैंक मिसाइल्ज से किया। उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ मिराज हवाई जहाज थ। 1971 के बाद जब उसके पास और मिराज आए, तो हम सबसे बड़े जंगी हवाई जहाज जैगुआर लाये। लेकिन जब से अफगानिस्तान

में यु. एस. आर. ने अपनी फौजें भेजीं और अपनी एक्टिविटीज को तेज किया, तब से यू. एस. ए. ने भी पाकिस्तान को अपनी इमदाद को और तेजी से बढ़ा दिया।

आज हमारे मुल्क के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारा जो हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, यू. एस. ए. ने उसकी एफ-16 हवाई जहाज देना मंजूर कर लिया है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे माडर्न, सबसे तेज रफ्तार और बेहतरीन फाइटर है। जहाँ उसके मुकाबले के लिए हमें अपने मुल्क में भी फाइटर हवाई जहाज तैयार करने चाहिए, वहाँ मैं प्रधान मंत्री की तवज्जुह इस तरफ दिलाऊंगा कि हमें अमरीका के साथ बात करनी चाहिए कि इस बरे-सगीर में अमन रखने के लिए पाकिस्तान को एफ-16 हवाई जहाज नहीं देने चाहिए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और तेज-तरी जंगी हवाई जहाज है, क्योंकि इससे इस बरै-सगीर में हवाई जहाजों और दूसरे हथियारों की दौड़ और भी तेज होगी।

जहाँ तक हमारी नेवी का सवाल है, पुराने जमाने में कहा जाता था कि हू रुल्ज दि सी, विल रूल दि वर्ल्ड। लेकिन आज के जमाने में जमीनी लड़ाई होती है और उससे ज्यादा महत्व आज हवाई लड़ाई रखती है। हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जिसके साथ बहुत से समुन्दर लगे हुए हैं। लिहाजा दूसरे कई ममालिक के लिए यह जरूरी हो या नहीं, मगर हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में, जिसके इर्द-गिर्द समुन्दर है, आज भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी नेवी ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो।

जहां तक नेवी का सवाल है कुछ सौ वर्ष पहले हमारे मुल्क के अन्दर विदेशी मुल्कों के अन्दर लकड़ी के जहाज हुआ करते थे हिन्दुस्तान की तवारिख है कि जब अंग्रेज यहाँ आये तो वह समुद्र के ज़रिए आये तिजारत के सिलसिले में और जो उस वक्त के लकड़ी के जहाज हुआ करते थे हमारे नेवी के वह बहुत कमजोर और बहुत कम रफ्तार वाले हुआ करते थे उनमें माडर्न मशीनरी नहीं हुआ करती थी। उन्नीसवीं सदी में दुनिया में मेटल के जहाज बनने शुरू हुए जो उससे जरा माडर्न थे लेकिन हमारे मुल्क के अन्दर आजादी के बाद जो नेवी के जहाज थे उन पर ज्यादा कंसेंट्रेशन शुरू हुआ। लिहाजा इस वक्त दुनिया की साइंस और टेकनोलाजी को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि हम अपने नेवी के जो जहाज हैं उनको भी माडर्नाइज करें और आज जो मुल्क के अन्दर और सारी दुनियाँ के अन्दर स्टीम शिप हैं उनको और माडर्नाइज करें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा तेज चलें, उनकी कैपैसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनमें इस तरह के माडर्नाइज और सोफिस्टिकेटड आर्मामेंट्स हों जिनसे हम दूर तक फायर कर सकें और दूर तक अपने दुश्मन को देख सकें।

जहाँ तक हिन्द महासागर का सवाल है, हिन्द महासागर न सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए, बल्कि सारी दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट से एक खास अहमियत रखता है हिन्दुस्तान के नक्शे में। 1971 में हिन्द महासागर को यूनाइटेड नेशस ने जोन आफ पीस डिक्लेयर किया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जितनी ताकतें हैं यू. एस. ए., यू. एस. एस. आर अपनी नेवी की ताकतों को वहाँ मजबूत करते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क भी इस तरफ तवज्जुह दे। जैसाकि के. एम. पणिक्कर ने अपनी बुक में कहा है—

सरदार के. एम. पाणिक्कर ने अपनी पुस्तक "दी प्रोबलम्स आफ इन्डियन टेरीटोरीज" में कहा है कि :

"भारत की आजादी के लिए उसकी अन्य थल सीमाओं के बजाय समुद्री हमला अधिक खतरनाक है।"

इसलिए मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा कि जहां हम अपनी जमीनी फौज को मजबूत करते हैं वहाँ हमें अपनी नेवी की फौज को भी मजबूत करना होगा और उसके साथ साथ एयर फोर्स को भी मजबूत करना होगा, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा माडर्नाइज करना होगा।

जहाँ तक हमारी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज का सवाल है आर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी हमें बहुत माडर्नाइज करना होगा ताकि हमारे मुल्क के अन्दर जितना भी जंगी साजो-सामान है वह बने और सामान के साथ साथ साथ हमारे मुल्क में जो बेकारी और बेरोजगारी है उसको भी इससे बहुत मदद मिल सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीजों को नजर में रखा जाएगा।

प्रोमोशंस का जहां तक सवाल है 1950 में एयर फोर्स हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाता था लेकिन जबसे हमारे मुल्क में आए. ए. एस. और आई. एफ. एस. शुरू हो गया तब से एयर फोर्स बहुत नीचे चला गया और एयर फोर्स और आर्मी का स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी बहुत नीचे चला गया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आई. ए. एस. या आई. एफ. एस. को कम तनख्वाह दें लेकिन हमारा एयर फोर्स जो हमारी जान की और हमारे मुल्क की हिफाजत करता है उसको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दें।

इसके साथ ही मैं अपना आखिरी सजेशचन रखूंगा कि भारत की प्रखंडता, भारत की एकता, भारत की स्वतत्रता और भारत की रक्षा के लिए मुल्क को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत लीडरशिप की है। जिस तरह हर फील्ड में लीडरशिप होती है चाहे वह इंडस्ट्री हो या और कोई फील्ड हो इसी तरह से आर्मी में भी लीडरशिप की बहुत जरूरत है और लीडरशिप वह होनी चाहिए जिसके मन में जज्बा हो कुर्बानी का, जिसके मन में जज्बा हो तमाम चीजों को इकठ्ठा करने का और हमारा जैसा मुल्क है जहाँ कई जबानें बोली जाती है, कई मजहब हैं और कई नस्ल और रंग के लोग हैं, ऐसे मुल्क में हमको ऐसी लीडरशिप की और ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से डिफेंस में भी लीडरशिप की जरूरत है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स —इन तीनों के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जोकि इनको इकठ्ठा रखकर मुल्क की रक्षा कर सके और तीनों पर अपना कंट्रोल रख सके। हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है, हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी, जोकि इन तीनों सर्विसेज को इकट्ठा रखकर मुल्क की सलामती और मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम कर रही हैं।

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) रक्षा तैयारी का मामला एक निरन्तर प्रवाहमान विषय है करोड़ों की आबादी वाले तथा शांति और प्रगति के इच्छुक इस महान देश को कई बार युद्ध करना पड़ा है। हमारे लोगों की आकांक्षाओं तथा सम्मानित तथा अच्छे जीवन-यापन की उनकी आशाओं की पूर्ति के लिए साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना पड़ेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विशेषकर हमारे पड़ोसियों की उन्मुखता और पूर्वानुराग के कारण हमें मजबूर आने कुछ साधनों का उपयोग रक्षा कार्यों के लिए करना पड़ा रहा है। शांतिपूर्ण सप्रस्तित्व और एक दूसरे की अखण्डता के लिए पारस्परिक सहयोग और

अपने पड़ौसियों की क्षेत्रीय अखण्डता हमारी नीति का मूल विषय है। परन्तु हाल ही में हमारे चारों-ओर घटी महत्वपूर्ण घटनाएं चिंता का विषय है। निःसंदेह रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को वर्तमान सशस्त्र सप्लाई के नवीकरण करने का निर्णय लिया है। 8वें दशक में बदली हुई परिस्थितियों में अमेरीकी सरकार 5वें दशक की जान फास्टर ड्रलेस की नीतियों को पुनः लागू करना चाहती है। निसदेह हमारे देश में चिंता बनी हुई है। लगभग 20 या 25 लाख डालर के सशस्त्र पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं अगले वर्ष में 50 लाख डालर के दिए जाएंगे। हमें केवल यह नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका साधारणतया अपने मित्र देशों को रियायती दरों पर सशस्त्र बेचता है। यह कहा गया है कि अफगानिस्तान से बचाव के लिए सशस्त्र दिए जा रहे हैं। परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान सेना का बहुत बड़ा भाग भारत के विरुद्ध तैनात है न कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए अफगानिस्तान के विरुद्ध 1959 के समझौते में यह व्यवस्था है कि केवल साम्यवादी देश द्वारा पाकिस्तान पर हमले के विरुद्ध लड़ने के लिए ही अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा, परन्तु जनरल जिया इस समझौते में भारत को भी शामिल करना चाहते हैं। अतीत में आपने देखा कि भारत के अतिरिक्त कहीं भी एक भी हथियार का उपयोग नहीं किया गया। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें मजबूर होकर यह सोचना पड़ता है कि अन्य देशों के पास क्या है और हमारे या हमारी सेनाओं के पास क्या है। मेरे मित्रों ने यह ब्यौरा प्रस्तुत किया है कि अन्य देशों तथा पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं परन्तु हमें जिस चीज की जरूरत है? मैं सेना से प्रारम्भ करती हूँ। आधुनिक युद्ध के लिए हमारे पास आर्टीलरी, इन्फैन्टरी हैं। परन्तु मैदानी युद्ध के लिए टैंक बहुत निर्णायक तथा प्रभावी हथियार है। टैंक में गोलाबारी, गतिशीलता तथा कमांड के अनुसार मुड़ने की शक्ति है। गत वर्षों में सिपाहियों ने कुछ बेतुके प्रस्ताव रखे हैं कि टैंकों की जगह टैंक-अवरोधी प्रणाली का प्रयोग किया जाए जोकि घटिया है। परन्तु आजकल के युद्ध बहुत भयंकर होते हैं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दिन-रात और सभी प्रकार के मौसमों में लड़ाई जारी रहती है टैंक अवरोधी मिजाइल टैंकों पर केवल रेंज और दृश्यता के अन्दर ही मार कर सकते हैं। बस यही है। परन्तु जैसे ही स्थान बदलता है दुश्मन गोलाबारी कर देता है जबकि टैंकों में दिन-रात युद्ध किया जा सकता है और इनमें अपनी संचार व्यवस्था होती है जिससे कि कमांडर इसकी दशा को बदल सकता है तुरन्त अपनी योजना को बदल सकता है और युद्ध के दौरान क्षणिक गतिविधियों का भी पता लगा लेता है ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि टैंक-मारक प्रक्षेपास्त्रों के कारण टैंक उपयोगी नहीं रहे हैं।

इस संबध में मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें बताया गया कि हमारा अनुसंधान विभाग एक ऐसा आर्मर बनाने के लिए कार्य कर रहा है जिसमें छेद नहीं किया जा सकता। अतः यह कहने का कोई आधार नहीं है कि टैंक उपयोगी नहीं रहे। मैं यह भी नहीं कहती कि टैंक-मारक प्रक्षेपास्त्र टैंको का स्थान नहीं ले सकते। वे एक दूसरे से अनुपूरक हैं। सभी देश इस बात को जानते हैं और इसीलिए वे निरन्तर इन्हें आधुनिक बनाते जा रहे हैं और सशस्त्र सेनाओं में वे और अधिक टैंक बढ़ाते जा रहे हैं बावजूद इस तथ्य के सेना में आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

टैंक-मारक प्रक्षेपास्त्रों के मामले में रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे पास प्रथम संस्करण के प्रक्षेपास्त्र हैं द्वितीय संस्करण के प्रक्षेपास्त्र हम बना रहे हैं, अब हमें तीसरे संस्करण के प्रक्षेपास्त्र तैयार करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमें ज्ञात है कि हिन्द महासागर में विश्व की बड़ी शक्तियां राजनीतिक उद्देश्यों से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रही है। अतः हमें सीमा सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना को मजबूत बनाना चाहिए। पहला तो हिन्द महासागर भारत के लिए व्यापार के हेतु, जोकि लगभग 12,000 करोड़ रुपये का होता है बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर यह समुद्र के रास्ते ले जाता है। अतः हमारे क्षेत्र में व्यापारिक कार्यों के लिए मजबूत नौसेना होनी चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा देश जिसके पास व्यापारिक नौ-वहन में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, वह भारतीय अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकता है।

हिन्द महासागर प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। अप-नट तेल की खोज भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय विकास के लिए ड्रिलिंग की आवश्यकता है और रिग्स की आवश्यकता है जो कि समुद्र में 100 मील की गहराई तक लगाए जा सकते हैं और जो पानी के नीचे खुले होते हैं जहां कि पनडुब्बियों के हमले की समावना होती है। इसके लिए हमें नौसेना की आवश्यकता है। दूसरे मछली भी एक महत्वपूर्ण सम्पदा है जिसके लिए हमें नौसेना की आवश्यकता है :

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उपग्रह की सहायता से दुश्मन भारत के सभी अड्डों की सही स्थिति जान सकता है और उन्हें देख सकता है। मेरा विश्वास है कि उपग्रह में इतनी साफ तस्वीर आती है कि आप पृथ्वी पर एक आदमी या गाड़ी का भी चित्र ले सकते हैं। अतः वायुसेना के अड्डों का भी पता लग सकता है उनका पता लगाया जा सकता है और युद्ध के दौरान उन्हें शीघ्र देखा जा सकता है। अतः हमारे पास एक ऐसा अड्डा है जिसका पता लगाया जा सकता है परन्तु उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीर में यह नहीं लग सकता कि यह आज कहां है, कल या एक सप्ताह में कहां होगा। मैं विक्रांत के बारे में कह रही हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में हमारे पास यह एक प्रमुख अड्डा है।

कुछ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने विक्रांत को पुराना बताया है। मैं सभा को यह बताना चाहती हूँ, और मेरा विचार है कि अधिकतर सदस्यों को इस बात का पता होगा कि विक्रांत की आधुनिकता कार्यक्रम के अंतर्गत मरम्मते की जा रही है। सेंसर और राडार को बदला जा रहा है और कुछ साज सामान को भी बदला जा रहा है। जब वह पुनः कार्य करने लगेगा तो वह बिल्कुल नया जहाज होगा। यहां तक के सी हैरियर एयरक्राफ्ट के लिये डेक भी आधुनिक बनाया जा रहा है। केवल हम ही अपने जहाजों को आधुनिक नहीं बना रहे हैं। अन्य देश भी यह कार्य कर रहे हैं। सभा के सूचनार्थ मैं बता रही हूँ कि आस्ट्रेलिया के पास भी विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट है।

अंत में मैं वायु सेना के बारे में कहना चाहती हूँ। 1971 में हमारे एयरक्राफ्टों ने शार्ट-रेंज में साज-समान कि सीमित क्षमता होने के बावजूद दुश्मन पर विजय पाई थी। परन्तु इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता कि कुछ बड़ी कमियां है। यदि हम हमलावर के प्रत्येक हमले का जवाब देना चाहते हैं तो हमारे पास शक्तिशाली अन्तर्वेधी एयरक्राफ्ट होने चाहिए। हमारे पास जैगुआर हैं। परन्तु इसके साथ ही हमने सुना है कि अमेरीका पाकिस्तान को एफ-16 दे रहा है सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ? क्या जो कुछ हमारे पास है उससे हम संतुष्ट है ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और वायुसेना को आधुनिक युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। वायु सेना के

संबंध में मैं यह बताना चाहती हूँ कि अन्य सेनाओं की तरह उनकी कुछ वेतन संबंधी समस्याएं हैं परन्तु विमान के नष्ट होने की दर विशेषकर वायुसेना के मामले में, 30 प्रतिशत है। और शांतिपूर्ण स्थिति में भी कुछ अधिक है। उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ताकि वे युद्ध में अच्छी तरह लड़ सकें क्योंकि वायुसेना का युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान है।

एक बात मैं सभा को बताना चाहती हूं जोकि बहुत ही दुखदायी है।

सभापति महोदय : आप नौ सेना को मजबूत करने की बात कह चुकी हैं, आप वायु सेना को मजबूत करने की बात कह चुकी हैं, अब कृपया समाप्त करें,

श्री मती सुखबंस कौर : सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों में अपनी शिकायतें दूर करने के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में जाने की प्रवृति देखी गई है। मैं न्यायालय का किसी से कम सम्मान नहीं करती। परन्तु ऐसा विचार किया जाना चाहिए। संविधान में कुछ उपबन्ध हैं अनुच्छेद 33, 136(2) 227(4),310 और 311 जो सशस्त्र सेनाओं को न्यायलयों के सेवाधिकार से बाहर रखते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हमें न्यायालयों के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, मेरी न्यायालयों से प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जाए ताकि ऐसी प्रवृति न बन जाय जिससे कि बाद में पछताना पड़े इससे सेनाओं में अनुशासन की भावना पर धक्का लगाने की सम्भावना है।

मेरे एक माननीय मित्र कुछ समय पहले बोल रहे थे, एक उदाहरण दिया था। युद्ध में एक अफसर को कहा जाता है कि जाओ और लड़ो उसे 95 प्रतिशत यह संभावना होती है कि वह मरने जा रहा है। परन्तु अनुशासन बनाए रखने के लिए वह जाता है। आप इस बात की कल्पना करें कि यदि उसे जाने या न जाने की छूट हो तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि अनुशासन समाप्त हो जाय तो देश को रक्षा का क्या होगा अनुशासन एक या दो दिन में नहीं होता है। उसमें सदियों लग जाती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ कि जिस आजादी के लिए हमने इतना अधिक मूल्य चुकाया है और हमारे पूर्वजों तथा बड़े नेताओं ने इतने बलिदान दिये हैं, वह सुरक्षित नहीं हैं जब तक कि आज की पीढी भी कुछ बलिदान करने को तैयार नहीं है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, देश की सुरक्षा का भार सिर्फ सरकार पर ही नहीं है तथा यह किसी एक पार्टी का मामला भी नहीं है-यह समूचे देश से सम्बन्ध रखता है। अभी हमारे पूर्व-वक्ताओं ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उस में अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ विभिन्न परिस्थितियां देश के चारों तरफ मंडला रही हैं तथा जो समस्यायें आ कर खड़ी हो गई हैं उनके सम्बन्ध में जब कभी उधर के माननीय सदस्य बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने गहन विषय पर वे गम्भीरता पूर्वक नहीं बोल रहे हैं।

अभी एक कोशिश चल रही है कि पाकिस्तान, चीन और अमरीका इन तीनों को एक खेमे में गठबन्धन में जोड़ा जाय। में समझता हूँ, यह बहुत ही खतनाक चाल होगी, यदि हमारी सरकार ने इस होने वाले गठन्धन को तोड़ने का काम नहीं किया। दूसरे जो अफगानिस्तान का

मामला है उसके सम्बन्ध में हमारे अनेक साथियों ने अपनी राय जाहिर की है। जो लंका का मामला है वह भी हमारे सामने है। लंका में एक टिन्कोमली" नेवल-बेस है जिसको आइ-आफ-दि इन्डियन-ओशन" भी कहते हैं। वह न हमारे कब्जे में है, न श्रीलंका के कब्जे में है, वह अमेरिका के कब्जे में है चीन का कब्जा तिब्बत पर है। इसलिए यह सारे का सारा आप की बगल में माहौल खड़ा है और इस परिस्थिति में हम यह तय करने के लिए बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारी रक्षा नीति क्या हो। मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहूँगा कि आप ने टोटल डिफेन्स का जो बजट रखा है वह लगभग 3793 करोड़ रुपये का है और उस में आर्मी का बजट 2154 करोड़ रुपये एयर फोर्स के लिए इन्होंने 966 करोड़ रुपये रखे हैं और नेवी पर केवल 291 करोड़ रुपये इन्होंने रखे हैं। अब ये जो 291 करोड़ रुपये रखे गये हैं, इस में जो कोस्ट गार्ड का बजट है, वह भी जोड़ दिया है। मैं आप के माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि जिस हिन्दुस्तान की कोस्ट लाइन 3,000 मील से ज्यादा है, जहां एकोनामिक जोन 20 किलोमीटर से बढ़ाकर आपने 200 किलोमीटर कर दिया है, जहां हम यह देख रहे हैं कि अन्डमान-निकोबार में लोग पहुँच जाते हैं और उस द्वीप में लोग रहते हैं और आप को इस का पता भी नहीं रहता है, जहां बगल में ताइनवान से मछली मारने के लिए लोग बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जहां आपने कुल डिफेन्स का 3793 करोड़ रुपये का बजट रखा है, उसमें से केवल 291 करोड़ रुपए आप ने नेवी को दिया है। यह मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और आप को निश्चित रूप से इस राशि को बढ़ाना चाहिए और नेवी को नौसेना को, रक्षा की दृष्टि से निगलेक्ट किया जा रहा है, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए और बहुत मजबूत करना चाहिए। उसको काफी मजबूत करने की आवश्यता है।

एयर फोर्स का जहां तक मामला है, सी. सुब्रहमण्यम कमेटी की इस के बारे में एक रिपोर्ट थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारे पास उस समय स्टेन्डर्डाइज्ड एयरोप्लेन नहीं थे और मैं समझता हूं कि आज भी उस की आवश्यकता है, आज भी उन का अभाव है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रुप से ऐसे एयरोप्लेन की आवश्यकता है और एयर-फोर्स को मजबूत करने के लिए सरकार उनकी आवश्यकता को महसूस करे और स्यरफोर्स की उस उस आवश्यकता की पूर्ति करे।

सभापति महोदय, काफी वक्ताओ ने काफी बातें कह दी हैं लेकिन में आप के माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आर्मी के अन्दर कुछ आर्गेनाइजेशन्स हैं, कुछ विभाग हैं, उनमें जो कुछ हो रहा है, उस तरफ इस सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आर्मी में इनडिसिसपलिन बहुत बढ़ता जा रहा है। और आर्मी वाले घड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब देश आजाद हुआ है और जब एक तरफ हमारा यह नारा है कि जवान और किसान एक ही परिवार के हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देश की आजादी की झलक, देश की आजादी की छाप उन के दिमाग में भी है लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। वहाँ पर भी जुल्म होते हैं। वहाँ पर भी आफीसर हैं, जो ह्यूमन बींग है और उनके द्वारा भी गलती हो सकती है और हो भी रही होगी और उनकी समस्या का निदान वहां न मिलने के कारण, हम को ऐसा लगता है, कि वे कोर्ट में जा

रहे हैं, अपने दायरे से बाहर जा कर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अभी आज के अखबार में निकला है कि 40 शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एम्पलाइज, जो पब्लिक सेक्टर हैवी व्हीकिल्स फैक्टरी, एवाडी, में काम करते हैं, ने रिजाइन कर दिया : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के फेडरेशन के अनुसार सरकारी क्षेत्र की हैवी व्हीकल फैक्टरी, खाड़ी, में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 400 कर्मचारियों ने आज और कल में अपना त्याग पत्र दे दिया है। उस समुदाय के साथ इनजस्टिस हो रही है। तो वह जाएगा, दूसरी जगहों पर जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह इस पर पुनर्विचार करे और अभी जो आर्मी के अन्दर, सेना के अन्दर रक्षा मंत्रालय में जो न्याय की पद्धति है, उसमें परिवर्तन करे। उसके लिए अगर कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता हो, तो वह आप बनाइए। यदि है तो उससे भी बड़ी चीज बनाइये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वहां लोगों को न्याय नहीं मिलता है या वे सन्तुष्ट नहीं होते हैं। उनको संतुष्ट आप कैसे करेंगे ? सुप्रीम कोर्ट तक में जब मामले घड़ल्ले से आ रहे हैं तो इसका मतलब है फौज में डिसिप्लिन जो है उस पर खतरे का प्रश्न चिन्ह लगना उसका यह सूचक है।

मैंने पिछली बार नाम के आधार पर रेजीमेंट्स के नामकरण के सवाल को उठाया था। प्रश्न भी मैंने किया था। सिख रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट, ब्राह्मण रेजीमेंट, जाट रेजीमेंट, ये जो जातियों के नाम पर रेजीमेंट्स हैं इनको आप खत्म करें। तर्क के लिए आप कह सकते हैं कि दूसरी जातियों के लोग भी उनमें जा सकते हैं, उसकी उनको छूट है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, दूसरे उनमें नहीं जा सकते हैं। आप मेरिट को देखते हैं। लड़ाई में कितनी किसी में ताकत है, कितनी उसकी लम्बाई चौड़ाई है यह सब आप देखते हैं। आप नेशनल एवार्ड देते हैं, परम—वीर चक्र देते हैं, चक्र देते हैं उनके नाम पर न आप रेजीमेंट्स रखें, ए बी सी डी आदि नामों से रखें लेकिन कास्ट के नाम पर रखें और अगर कास्ट के नाम पर रखना ही है तो शैड्युल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर भी रखें, बैकवर्ड क्लासिस के नाम पर भी रखें। जब प्रश्न किया जाता है तो कह दिया जाता है कि हिस्टोरिकल मामला इससे जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक मामला इससे जुड़ा हुआ है, उन लोगों के सैंटीमैंट्स पर इससे धक्का लगेगा। उनके सैंटीमैंट्स पर लगता है तो क्या हम लोगों के सैंटीमैंट्स पर नहीं लगता है ? 33 साल की आजादी के बाद तो कास्ट के नाम पर रेजीमेंट्स के नाम रखना बन्द आप करें और जो रखे हुए हैं उनको हटाएं।

रिपोर्ट को हम देखते हैं तो उसमें यह पाते हैं कि आपने एक डाएरेक्टर जनरल आफ इंस्पेक्शन रखा हुआ है। वही खरीदता भी है और वही इंस्पेक्शन भी करता है। दोनों काम वही करता है। पी यू सी की रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है। लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में भी उस पर चर्चा हुई है। एक हजार करोड़ रुपये का सामान खरीदा जाता है और उसका इन्स्पेक्शन होता है। आपको चाहिए कि आप ऐसा संगठन बनाएं जिस पर कोई उंगली न उठा सके, उसकी इमानदारी पर प्रश्न वाचक चिन्ह न लग सके।

आपका एक कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है। वहां भी खरीद बिक्री का काम होता है। उसमें भी वही मामला है। एक आपका डायरेक्टर जनरल रिहैबिलिटेशन है। उसका क्या काम है ?

पिछली बार भी मैंने इसके बारे में पूछा था। रिहैबिलिटेशन का क्या काम वहां होता है कुछ पता नहीं। एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में कितने लोगों ने नाम दर्ज कराए और कितने लोगों को नौकरियां दी कुछ पता नहीं चलता है। उसका क्या फैक्शन है यह आज तक हम लोगों की समझ में नहीं आया।

आर्डनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों का मामला भी है। पिछली बार भी मैंने वहां काम करने वाले कर्मचारियों का मामला उठाया था। उनको आप बोनस देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं—जहां इसकी अदायगी नहीं हो पाई है।

रिसर्च एंड डिवेलेपमेंट विंग को आप मजबूत करें। उसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। पिछले पांच साल की रिपोर्ट्स आप देख लें। इसके बारे में आप उनमें कुछ नहीं पाएंगे। इसको भी आप मजबूत करें।

शार्ट सर्विस कमिशन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। एमरजेंसी आती है तो इसमें लोगों को नियुक्त कर लिया जाता है। अब भी आएगी तो नियुक्तियां हो जाएगी। पांच साल तक उन लोगों को आप रखेंगे उसके बाद हटा देंगे। जब रखते हैं तब तो देखते हैं कि 5 फुट छः इंच से उसकी लम्बाई कम न हो, तीन इंच कम भी हुई तो नहीं लेते हैं, उसकी छाती को देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं और बहुत सख्ती बरतते हैं लेकिन पांच साल के बाद उसको नौकरी से निकाल बाहर कर देते हैं और यह देखने की कोशिश नहीं करते कि इस तरह के लोगों में से कितनों ने तंग आ कर आत्म हत्या कर ली है, कहां जा कर वे नौकरी करेंगे ? उनको आप रेग्युलराइज कर सकते हैं, किसी और रूप में उनको रख सकते है। पांच साल तक उससे काम कराने के बाद जो आप बेरहमी से, बिना सोचे समझे, उसका भविष्य क्या होगा, इस पर ध्यान दिए बगैर निकाल बाहर करते हैं यह ठीक नहीं है। इस बारे में आपको निश्चय ही कुछ करना चाहिये।

रक्षा मंत्रालय का देश की रक्षा से सम्बन्ध है यह बहुत गम्भीर मामला है। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि इससे देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, इस वास्ते इसको बताना सम्भव नहीं, उचित नहीं। जी 3 द्वारा जारी और उचित भी नहीं है। हो सकता है कि उचित न हो। लेकिन कोई चीज डिफेंस में अभी तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिसको आप नहीं बताना चाहते वह सब कुछ लोगों का मिल जाता है। रोज रिटायर्ड जनरलों के आर्टिकिल अखबारों में निकलते रहते हैं जिससे उनको कुछ पैसा मिल जाता है और इस प्रकार सारी चीजें लोगों को पता चलती रहती हैं देश में भी और विदेशों को भी। तो यह जो सारी चीजें हो रही हैं, और भ्रष्टाचार के जो प्रश्न उठते है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप कोई ऐसी कमेटी बनायें जो वाच डाग का काम करे। ठीक है आप सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताना चाहते, लेकिन कम से कम यह तो देखें कि इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं आ रहा है। 1962 में युद्ध हुआ और भारत सरकार को पता नहीं कैसे युद्ध हो गया, सारी चीजें हो गई और आपने उसको दोष दे दिया और उसने आपको दोष दे दिया। तो आप पार्लियामेंट के मेम्बरों की, सब पोलिटिकल पार्टीज के मेम्बरों की एक स्टेंडिंग कमेटी बना दें जो वाच डाग का काम करे जो देखे कि क्या चीजें हो रही हैं, कहींकोई भ्रष्टाचार तो नहीं पनप रहा है। आप कहेंगे कि सल हकार समिति है। लेकन अभी माननीय इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि उसकी बैठक ही नहीं

हुई। उसकी बैठक नहीं होगी और दूसरी कोई कमेटी बनायगे नहीं तो यह सारी चीजें होती रहेंगी।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सलाहकार समिति की बैठक हुई है।

श्री राम विलास पासवान : अभी गुप्त जी ने कहा कि नहीं हुई हमें तो मालूम नहीं क्योंकि हम उसके सदस्य नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हम लोगों को प्रत्येक सवाल मेरिट के आधार पर लेना चाहिये और गुणदोष के आधार पर जाँच करनी चाहिये। आप जनता पार्टी को दोष देंगे कि उसके रिजीम में यह हुआ। आज क्या हो रहा है? आज क्यों आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं? आज तक गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति हमारे समझ में नहीं आयी। गुटनिरपेक्षता को यह तो मतलब नहीं है कि एक कमजोर को कोई मारता रहे और हम तटस्थ हो कर चुपचाप देखते रहें। यह नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति के आधार पर आपको गुण दोष के आधार पर मुह खोलना चाहिये।

इंडियन ओशन में दोनों सुपर पावर्स के मिलिटरी बैसेज हैं अमरीका का डीगागार्शिया में और रूस का इथोपिया में इंडियन ओशन में आप क्यों विदेशी शक्तियों को पनपने दे रहे हैं? हम क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं कि हम किसी का बेस नहीं बनने देना चाहते? तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जहाँ तक सरकार की रक्षा नीति का मामला है देश की रक्षा का मामला है, हम उसके साथ हैं, हमारे जैसा आदमी देश की समृद्धि भी चाहता है और यह भी नहीं हम चाहेंगे कि रक्षा के मामले में कमजोर रहें ताकि चील झपटटे की तरह हमको कोई ले जाय। आज जो मामला नजदीक पहुंच गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा एशियन देशों में जो युद्ध भूमि बन रही हैं मैं चाहूँगा सरकार कोशिश करे, सरकार के पास ऐसी नीति होनी चाहिए जिसके मुताबिक या तो युद्ध न हो जो थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा सर पर मडरा रहा है।

मैं यह कह रहा हूं कि हमारे सिर पर तृतीय विश्व युद्ध का मामला मंडरा रहा है, भारत सरकार कोशिश करे कि यह युद्ध न हो। यदि उसमें नाकामयाबी होती है तो हमारी सरकार यह कोशिश करे कि एशिया की भूमि पर यह युद्ध न हो, यह युद्ध कहीं और ही हो। जिसको अपनी शक्ति फैलानी हो वह उसे अपने यहां फैलाये, लेकिन अन्त में यदि युद्ध हो ही जाये तो हम युद्ध का मुकाबला भी दृढ़ता से कर सके और करारा जवाब दे सके और बुलन्दी के साथ जवाब दे सकें, यह हमारी नीति होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं समझता हूँ कि आपके अनुसार मैंने एक मिनट का समय भी पूरा नहीं लिया है।

श्री अमरीन्द्र सिंह (पटियाला) : मैं रक्षा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्रीमन् चर्चा के पिछले दो दिनों के दौरान विश्व के एवं क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस देश की सुरक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। (क) चीन ने बहुत ही आधुनिक परमाणु शक्ति तैयार कर ली है। (ख) 40 करोड की रक्षा सहायता की घोषणा के साथ जिसको बाद में कुछ वर्षों मे 2 मिलियन तक बढ़ाए जाने की सम्भावना है, पाकिस्तान, अमरीका गठबन्धन और भी मजबूत हो गया है और (ग) पाकिस्तान की परमाणु

शस्त्रों के लिए हो। यदि हमें अपने पड़ोस में इस का सामना करना है और यदि हमें निकट भविष्य में किसी सैनिक आक्रमण का सामना करना है तो सबसे पहले मेरे विचार से हमें परम्परागत अथियारों की दृष्टि से पाकिस्तान से आगे रहना होगा। चीनी परमाणु शक्ति और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों के लिए दौड़ को देखते हुए भारत को इस बात पर विचार करना होगा कि हमें भी परमाणु विकल्प को स्वीकार करना होगा।

जहां तक परम्परागत हथियारों के सतुलन की बात है इस सदन में उस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और समाचार पत्र भी कुछ समय से इस बारे में लिख रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। कि हमने आधुनिक बम मारने वाले लड़ाकू विमानो के बारे में सुन रखा है। पाकिस्तान द्वारा इसके पाँच सक्वेड्रन बनाये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इसके सैनिक सऊदी अरब में चार सक्वेडरनों मे नियुक्त हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते को देखते हुए यदि पाकिस्तान के साथ कभी हमारा मुकाबला हुआ तो हमें इन आधुनिक बम मारक लड़ाकू विमानों के जो सक्वेडरनों का सामना करना पड़ेगा।

थल सेना के लिए उनको एम. 60 किस्म के 200 टैंक मिलने की सम्भावना है जोकि एक ब्रिगेड है। यह उनकी इस समय की योजना है उनको मिलने वाली अतिरिक्त सहायता के साथ इससे बढ़कर दो अथवा तीन ब्रिगेड हो जाने की सम्भावना है। यदि उन्होंने वायु तथा थल सेना में यह शक्ति प्राप्त करली हो तो हम आकाश तथा जमीन पर उनका मुकाबला नहीं कर पायेंगे। अतः हमें आज इस बात पर विचार करना होगा कि हमें आज इस खतरे का सामना किस प्रकार से करना है। हथियार कहां से आने हैं और किस प्रकार के हथियारों की हमें जरुरत है। इस बात पर होने वाले व्यय की ओर ध्यान नहीं देना है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हमें अच्छे से अच्छे टैंकों और अच्छे से अच्छे विमान खरीदने चाहिए। जिससे कि हम इस खतरे का मुकाबला कर सकें।

जहां तक पड़ोसियों की परमाणु क्षमता की बात है हमें चीनियों की शक्ति का पता है। हम जानते हैं कि आज चीन के पास 149 के लगभग आई. सी. बी. और आई. आर.बी मिसाइलें हैं जिनको उन्होंने तैनात कर रखा है और वे अपने भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। हमें यह भी पता है कि इनको किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है और हमारे देश में किसी भी लक्ष्य पर मार करने योग्य हैं। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी समय परमाणु विस्फोट किये जाने की सम्भावना है और उसके तुरन्त बाद वह अपने शस्त्र बना सकता है

हम 1965 और 1971 के पुराने इतिहास से चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रत्यक्ष सहायता की बात जानते हैं और इस परमाणु क्षमता के साथ यह आशंका भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है इस बारे में हमें सीधे एक उदाहरण देखनी चाहिए। मानलिया हम युद्ध कर रहे हैं। हम किसी के साथ युद्ध नहीं चाहते। हम सभी के विशेष रुप से पड़ोसियों के साथ मित्रता चाहते हैं परन्तु पिछले 36 वर्षों में हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए चार बार अपनी सशस्त्र सेनाओं का उपयोग करना पड़ा क्या कोई इस बात की गारन्टी दे सकता है कि पांचवी बार ऐसा नहीं होगा। यदि सघर्ष हो और हम लड़ाई के मैदान मे परम्परागत युद्ध कर रहे हों और उस युद्ध में पाकिस्तान की हार हो रही हो और उनके पास परमाणु शस्त्र हो क्या हम गंभीरता से विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि वे उनका उपयोग नहीं करेंगे मैं इसके भी एक कदम आगे जाता हूँ। मैं यह कहता हूँ

कि मानलिया वे उनका उपयोग नहीं करें। और केवल मात्र यह घोषणा कर दें भारतीय वायु सेना हमारे ऊपर पिछले 10 दिन से बममारी कर रही है और हमारा इरादा उत्तरी भारत के एक नगर पर अपना बम गिराने का है। उनको केवल मात्र इतना ही करना है। क्या हम सोच सकते हैं कि इसका हमारे राष्ट्रों मनोबल पर सशस्त्र सेनाओं के मनों बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कौन यह नहीं जानता होगा कि कौन-सा नगर उनका लक्ष्य है। इस बात का कि तीन दिन के पश्चात् उनके परिवार नष्ट होने वाले हैं तो उनका मनोबल क्या होगा इस बात पर हमें गमीरता से विचार करना होगा। यदि सरकार यह समझती है कि परमाणु खतरा है तो हमारे सामने इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं कि हम सभी परमाणु शस्त्रों का निर्माण करें चाहे इसके बारे में लोग क्या कहें। बहुत से लोग नैतिक पहलु उठायेंगे और बहुत से लागत की बात को लेकर खर्चे का पहलू उठायेंगे। लोग विश्व के जनमत की बात करेंगे परन्तु हमें इसके सामरिक महत्व पर विचार करना है। देश की रक्षा के लिए इसकी जरूरत है। जब समय आयेगा तो कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। हर देश को स्वय यह निर्णय करना होता है कि उसके लोगों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। और वह निर्णय हमें इस सदन में करना होगा।

मैं अब एक अन्य पहलू की बात करता हूँ जो आज चिन्ता का विषय बना हुआ है और जो तीनों सेनाओं से सम्बद्ध है। अर्थात समारा कनिष्ठ नेतृत्व। कोई भी रक्षा सेना युवा वर्ग के नियमित एव लगातार प्रविष्ठ होने के बिना जीवित नहीं रह सकती। युवकों को कनिष्ठ नेतृत्व के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है और कल को वही वरिष्ठ स्थान ग्रहण करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमें ठीक प्रकार के ऐसे व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे। इसका कारण है। वह कारण यह है कि उनको वेतन एवं परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों के रूप में पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिये जाते। यह अव्यवस्थित जीवन है और इसके अनेक अन्य कारण भी हैं दूसरी ओर निजी क्षेत्र है। उस क्षेत्र के द्वारा अच्छी परिलब्धियां दी जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रतिभावान लोग उस क्षेत्र में जाते हैं। आई. ए. एस., आई. पी. एस. तथा ऐसी अन्य सेवाओं में भी उन्हें शान दिखाई देती है। युवा वर्ग ऐसी सेवाओं में जाते हैं और निचले स्तर के व्यक्ति रक्षा सेनाओं मे आते हैं। अत: हमें इसके मूल कारणों पर विचार करना चाहिए।

आज हम युवकों की भर्ती करके उनको कनिष्ठ नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देते हैं। उनको हमारी रक्षा सेनाओं का नेतृत्व कल को ग्रहण करना है। सेना बलों के कमान्डर बनेंगे, 30 वर्ष के बाद वह देश की सेनाओं का नेतृत्व करेंगे। हमें यदि ठीक से व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं तो आज विश्व जिस ढंग से विकसित हो रहा है और जो जटिलताएं पैदा हो रही हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगी।

हमें इसके मूल कारणों पर विचार करना होगा। मैं वेतन एवं परिलब्धियों के बारे में अपनी बात के समर्थन में एक में एक उदाहरण देता हूं 1947 में एक कैप्टन को 450 रुपये का वेतन मिलता था। आज उस कैप्टन को 1110 रुपये मिलते हैं। परन्तु रुपये का मूल्य इस अवधि में गिरकर 16 पै. हो गया है। अत: वास्तविक क्रय शक्ति के अनुसार उस अधिकारी को 1947 में मिलने वाली राशि का 30 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा। इसके अतिरिक्त उसको अपने आवास अपने कपड़ों, बिजली, पानी आदि के लिये अदायगी करनी पड़ती है। आज हमारी सेनाओं में 11 लाख लोग हैं। उनमें से 10 लाख अन्य टेकों के साथ जे. सी. ओ. हैं। उनको सभी कुछ

निःशुल्क मिलता है। उनके वेतनों में 1947 के स्तर से 35 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। आज अधिकारी संवर्ग में, जैसाकि मैं कह रहा था, हम ऐसी अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां पर उनकी कोई क्रय शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त उनको निशुल्क कुछ भी नहीं मिलता और उनको हर वस्तु के लिए अदायगी करनी पड़ती है। अतः हमें अपने युवकों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि वे आगे आयें तथा ये प्रोत्साहन केवल यही है कि हम उनके वेतन एवं भत्तों के ढांचे का पुनरावलोकन करें।

मैं समझता हूँ कि मुद्रा स्फीति केवल रक्षा सेनाओं तक सीमित नहीं है। मुझे इसका पता है। परन्तु रक्षा सेवाओं में आय की प्रकृति सर्वथा भिन्न है उदाहरण के रूप में कोई नहीं जानता कि वह कब तक जिन्दा रहेगा। मेरा उदाहरण देखें। मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का उत्पाद हूँ प्रविष्टि के समय हमें ऐसा कहा जाता है और बाद में हमें विभिन्न सक्वेडेनी में बांटा जाता है। मेरे सक्वेडर्न में उस समय 18 व्यक्ति थे जब हम स्तानक हुए। आज उनमें से हम दस बचे हैं। जीवन के असुरक्षित ढंग से यह मेरा तात्पर्य है। अधिकारी अपने 20 वर्ष के सेवा काल में से 12 वर्ष तक "फील्ड एरिया" में रहता है। इन सब बातों पर विचार करना जरूरी है। इस समय नौसेना के अधिकारियों को इतना वेतन तथा भत्ते दिये जाना चाहिए कि वे सेना में बने रहें और युवा लोग सेनाओं में भर्ती के लिए आगे आएं। मैं इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिए किसी दिन दिक्कत हो सकती है।

में भूतपूर्व सैनिकों के बारे में दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। मेरा सम्बन्ध ऐसे राज्य से हैं जिसमें प्रत्येक गांव में और उस गांव में प्रत्येक घर में कोई व्यक्ति सेना में है, सेना से सेवा निवृत हो चुका है अथवा जोसेना में जाने का सोच रहा है।

आज देश में 17 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं और हमें यह बताया जाता है कि इस संख्या में प्रतिवर्ष 60 000 की वृद्धि होती है। भूतपूर्व सैनिकों की चिन्ता के दो कारण हैं। पहला सेवा निवृत्ति के बाद उनके पुनर्वास का है और दूसरा पेन्शन ढांचे का है पिछले 30 वर्षों से हमने पुनर्वास विभाग खोला है परन्तु उस विभाग का सारा बल केवल एजेंसियां दिलवाने लघु उद्योगों में रोजगार दिलवाने अथवा पुनर्वास के लिए उनको निकोबार द्वीपों व अन्य स्थानों पर भिजवाने तक केन्द्रित रहता परन्तु यह पहला अवसर है कि उक्त विभाग ने एक व्यवहारिक योजना तैयार की है वह योजना है सेवा-निवृत्ति से पूर्व उनको प्रशिक्षण देना सेवा निवृत्ति से 6 मास पूर्व उनको प्रशिक्षण दे। अब तक हम उनको सार्वजनिक क्षेत्र में भेजने की सोच रहे हैं जिससे कि वे कोई व्यवसाय सीख सकें और तब सेवा निवृति हों। यह एक व्यवहारिक हल है। मुझे विश्वास है कि यह योजना इस महीने से आरम्भ हो रही है। शुरूआत के रुप में इस प्रयोजन के लिए दो हजार व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है। में चाहता हूँ कि इसे और भी व्यापक बनाया जाये। मैं चाहता हूँ कि सरकार बनाकर निजी क्षेत्र को भी इसके अन्तर्गत लें। किसी उद्योग में भेजे वाले लोगों की संख्या उस उद्योग के कुल उत्पादन एवं उसकी रोजगार क्षमता पर निर्भर होनी चाहिए। 60,000 एक भारी संख्या है। अतः सभी उद्योग को इन लोगों को खपाना चाहिए और व्यवसाय का प्रशिक्षण देना चाहिए। तब मुझे विश्वास है कि उनमें से बहुतों को उन्हीं उद्योगों द्वारा खपा लिया जायेगा। जिनको नहीं खपा लिया जाता ने अर्हता

प्राप्त व्यक्त कर चुके होंगे। जब वह बाहर आएं तो उनको योजनायें तैयार करने के लिए अवसर दिये जा सकते हैं। वे उन योजनाओं को बैंकों के सामने पेश करें और बैंक उन पर प्राथमिकता के आधार पर विचारकरें जैसाकि समाज के कुछ अन्य वर्गों के साथ किया जाता है तथा बैंक तब 5-6 वर्षों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दें।

मैं समझता हूँ कि यदि हमने यह किया, यदि हम निजी क्षेत्र को इसके लिए सहमत करा करा सके, यदि वे इनको प्रशिक्षण दें और यदि बैंकों को ऐसा करने के आदेश दिये जायें तो इस बारे में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो जायेगा।

दूसरा मुद्दा पेन्शन का है 1961 में 6 बार पेन्शन में वृद्धि की गई है। पिछली बार वृद्धियां 1979 में की गयीं थी। इन दोनों अवसरों पर पेन्शन में काफी वृद्धि की गई थी परन्तु ये वृद्धियां केवल उन पर लागू की गई जो उस वर्ष एक अप्रैल के बाद सेवा निवृत हुए। मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। 1961 अथवा 1962 या 1963 में सेवा निवृत हुए सैनिक को 25 रुपया मासिक पेन्शन मिलती है। 28 वर्ष की सेवा वाले सूबेदार को 104 रु. मासिक पेन्शन मिलती है। 1973 के बाद सेवा निवृत होने वाले सैनिक को 149 रु. मासिक पेन्शन मिलती है जो कि पिछले सालों में सेवा निवृत हुए सूबेदार की पेन्शन से 45 रु. अधिक है।

ये लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने 28 वर्ष सेवा की है। द्वितीय विश्व युद्ध से, 1947 में काश्मीर में, 1962 में चीन से युद्ध, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में हिस्सा लिया और वे मुझ से पूछते हैं कि क्या उनकी सेवायें बाद में सेवा निवृति होने वालो से किसी प्रकार तुच्छ हैं। मैं उनको इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनकी बातों के साथ सहमत हूँ। इन पुराने सैनिको ने राष्ट्र की बहुत निष्ठा से सेवा की है। उनमें से बहुतों ने अपने हाथ, टांगें तथा अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवाओं मे अर्पित किया है मैं यह समझता हूं कि यह उनके साथ भेदभाव है और इस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए एवं इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मैं उन लोगो की बात कर रहा हूँ जो 1962 के पूर्व की छोटी भारतीय रक्षा सेनाओं से सेवा निवृत हुए और उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। जो लोग आज सेवा निवृत होते हैं अथवा जो आगे सेवा निवृत होंगे उनकी सख्या आने वाले वर्षों में 60,000 अथवा 70,000 हजार हो सकती है परन्तु इन लोगों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र की सेवा में अर्पित किया है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए और इस बारे में शीघ्र ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री उत्तम राठोड (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं रक्षा मत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

कल, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे तो उन्होंने रक्षा मत्रालय के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन से एक वाक्य का उल्लेख किया। उन्होने यह वाक्य पढ़ा :

"1979 के अन्त पर अफगानिस्तान की घटनाएं अन्त: सम्बद्ध घटनाओं के क्रम का समापन था।"

वे घटनाएं जानना चाहते थे। मैं उनको वह घटनाएं बताता हूँ।

एक माननीय सदस्य : वे इस समय यहां पर नहीं हैं।

श्री उत्तम राठोड : वे यहां न भी हों।

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : हम यहां पर हैं।

श्री उत्तम राठोड : आपका धन्यवाद। श्री महेश जोशी द्वारा हाल ही में आसाम पर लिखी एक पुस्तक, "इण्डियन कानफ्लेक्ट" में उन्होंने उल्लेख किया है। "तिब्बत में चीन अफगानिस्तान में सोवियत रूस को समान रूप से तुलनीय तथा अनिवार्य हितों की रक्षा करनी है। 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत रूसी हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। राजनीति की गति बहुत धीमी है और इस लिए कल्पना और रहस्य में यह कारण एवं प्रभाव के रूप में प्रकट होती है।"

दूसरे विश्व युद्ध स अनेक अच्छी बातें हुई हैं। इसने "शीत युद्ध" "सीमीत युद्ध" "आम युद्ध" जैसे शब्दों के रूप में हमें नया शब्द-भण्डार दिया है। इसने महा शक्तियों की भी स्थापना की है। और मेरी राय में महा शक्तियां वही पांच निषेधाधिकार शक्तियां हैं जिनको राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और ये महा शक्तियां वास्तव में समूचे विश्व की राजनीति, अर्थ-व्यवस्था और हर चीज पर नियन्त्रण करती हैं। उनका गठ-जोड़ समय-समय पर बदल सकता है परन्तु एक बात यह है कि वे किसी देश—किसी गुट-निरपेक्ष देश को या उस मामले के लिये किसी नव-स्वतन्त्र राष्ट्र को आगे नहीं आने देती हैं और वे उनको अपने से दूर नहीं रहने देती हैं। इससे मुझे एक आदिवासी मनोरंजन—एक ऐसा मनोरंजन जो मेरे क्षेत्र में किया जाता है—की याद आती है। जब आदमी स्वयं तथा अपने विरोधियों के बीच लड़ाई लगभग समाप्त कर चुका तो उसने एक अलग ही बात के बारे में सोचा। और उसने सोचा कि, 'हमें मुर्गे की लड़ाई करवानी चाहिये।" अतः उसने एक मुर्गा लिया, उसे अच्छी तरह खिलाया और जब लड़ाई की तैयारी की गई तो उसने सुनिश्चित किया कि उनके पंजों में कुछ ब्लेड लगा दिये जायें और लड़ाई की तैयारी की गई। आज ये पांच वास्तविक महा शक्तियां प्रायः इसी प्रकार के कार्य में लगी हुई हैं और उन्होंने किसी गुट-निरपेक्ष अथवा नव-स्वतन्त्र राष्ट्र के लिये अपने शिविर से दूर रहना असंभव कर दिया है। इसीलिये मैं समझता हूं कि भारत जो यह समझता है—के लिये यह बात है कि अब समय आ गया है जब हमें इन सभी राष्ट्रों, जो स्वतन्त्र हैं और इन महा शक्तियों से दूर हैं, को जागरूक करें। हम सभी जानते हैं कि भारत करीब-करीब ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो हमारे लिये कोई खास मैत्रीपूर्ण नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता चीन और पाकिस्तान के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे भी कुछ देश हैं जिनके स्वाधीनता संघर्ष में हमारे द्वारा सहायता की गई थी, जैसे इन्डोनेशिया और बगला देश जो हमारे साथ विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं रखते हैं और एक ऐसा समय आ सकता है जब हमारे लिए अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना कठिन हो जायेगा और इसलिये यह आवश्यक है कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं की ओर अधिक ध्यान दें तथा हम स्वयं को इस सीमा तक तैयार रखें ताकि हम अपनी अखंडता और संप्रभुता बनाये रखें।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

कल जब श्री सुखाड़िया बोले तो वह रक्षा व्यय के बारे में बोले। उन्होंने कहा कि आज सकल राष्ट्रीय आय का 3.5 प्रतिशत रक्षा पर व्यय किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे

राज्य मन्त्री ने भी यही बात कही थी। मैं आपको बताऊं कि सकल राष्ट्रीय आय का हिसाब ही सही नहीं हैं। मेरे अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में कृषि जो इसका लगभग 50 प्रतिशत बनती है 10 प्रतिशत सेवाओं तथा शेष औद्योगिक उत्पादन आदि है- शामिल है। आपने देखा होगा कि गत 33 वर्षों में कृषि उत्पादन का सर्वत्र अवमूल्यन किया गया है। हम इस प्रश्न को यहां बार-बार उठाते रहे हैं। श्री चित्त बसु के संकल्प, जिसका उद्देश्य कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन करना था, पर चर्चा के समय हम इस बारे में बोले थे। गत वर्ष जब कृषि मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी तो किसी ने इस के बारे में विचार व्यक्त किये थे परन्तु किया कुछ नहीं गया है। यदि हम कृषि उत्पादन के उचित लाभकारी और उचित मूल्य का हिसाब लगाये तो अपनी सकल राष्ट्रीय आय 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह 100 के बजाय 150 हो जायेगी। अब यदि आप हमारी रक्षा पर व्यय का हिसाब लगायें तो आपको धक्का लगेगा कि यह 2.4 अथवा 2.5 प्रतिशत बनती है। हम अपनी रक्षा पर यदि कुल मिला कर व्यय करते हैं। परन्तु उसके बारे में भी श्री बागड़ी जैसे व्यक्ति शिकायत करते हैं। मुझे इसके बारे में वस्तुतः धक्का लगा है।

आज हम अपने कारखानों के माध्यम से रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का कुछ सामान ऐसे देशों से खरीद रहे हैं जिनके साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। ऐसा करते समय, जैसा कि श्रीपती जी ने गत वर्ष ठीक ही कहा था, हम किसी एक ही देश पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इस अत्यधिक कुशल और साथ ही सबसे सस्ते उपकरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हमारा प्रयोजन पूरा होगा। एक प्रकार से यह ठीक है परन्तु क्या हम केवल इसी की प्रतीक्षा करेंगे ? एक समय आ सकता है जब वे आपको इसकी सप्लाई करना बन्द कर दें। वे फालतू पुर्जों की सप्लाई भी बन्द कर सकते हैं। क्या विगत में ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा किया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि अधिक बल अनुसंधान तथा विकास पर दिया जाये। हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि., जिसे 1944 में आरंभ किया गया था, से चुनौती स्वीकार करने को कहा जाय और इतने विमान उत्पादित करने को कहा जाये जितनी हमें आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए। आप 10 मिनट ले चुके है।

श्री उत्तम राठोड : हम रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। एक सिपाही से अंत तक लड़ने की आशा की जाती है। सांसद को अन्त तक बोलने दिया जाये।

रक्षा मामलों का अत्यधिक गोपनीय समझा जाता है। गत वर्ष श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उन्होंने ब्रिटेन की प्रथा और नीति, जो वे अपना रहे हैं, का उल्लेख किया था। मैं भी सुझाव दूंगा कि हमें अपने रक्षा कार्मिकों के बारे में कुछ बताया जाये हमारी रक्षा तैयारी तथा अनुसंधान जो हम कर रहे हैं, के बारे में बताया जाय ताकि हमारी यह भावना हो कि हम वास्तव में सुसज्जित हैं तथा हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा, ऐसा होता है कि जब कोई 'हिमालय ब्लंडर' अथवा 'अनघाट वार' जैसी पुस्तक देखता है तो वह पूर्णतया भ्रांति में पड़ जाता है और वह सोचने लगता है कि यहां तक कि हमारी महान सेनाएं, जिन पर हमारी सुरक्षा निभर है, ऐसा कुछ खेल खेल रही है जिसकी उसने आशा नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि सरकार को सलाह देने के लिये अमरीकी पद्धति पर

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित की जाये। इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में हमें रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों के सेवा-निवृत्त सदस्यों, कुछ वैज्ञानिकों, शिक्षा-विदों, विदेश कार्यों के जानकार व्यक्तियों तथा इस देश की रक्षा-नीति के गठन में योगदान दे सकने वाले अन्य लोगों को लिया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो हम उन अफसरों पर निर्भर नहीं करेंगे जिनसे अनेक त्रुटियाँ होने की संभावना है। क्या मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। "हिमालचन ब्लंडर" में लेखक ने एक उदाहरण उद्धृत किया है। वह था, जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। उन्होंने किसी असैनिक को तिब्बत पर अधिकार किये जाने के बारे में वार्ता देने के लिये बुलाया। यद्यपि वह व्यक्ति वार्ता देता रहा, एक अनुदेशक, जो सिपाही था, ने उससे एक प्रतिप्रश्न किया। अंततोगत्वा असैनिक के लिये उसका उत्तर देना असंभव हो गया। अतः मेरा कहने का मतलब यह है कि इन बातों को केवल अफसरों और राजनीतिज्ञों पर नहीं छोड़ना चाहिये। ये दो वर्ग हैं जो समझते है कि वे सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ त्रुटियाँ होने की संभावना हैं। अतः मैं सुझाव देता हूँ कि सरकार को सलाह देने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होनी चाहिये।

अंत में, मैं कैप्टेन अमरेन्द्र सिंह के भाषण का उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने सिपाहियों को दिये जाने वाले लाभों, वेतनों और परिलब्धियों के बारे में विचार व्यक्त किये। मैं जानता हूँ कि जितना कुछ अमरीकी अथवा ब्रिटिश सेनाओं को मिल रहा है उतना देना संभव नहीं है परन्तु साथ ही हमें एक बात जाननी चाहिये। यह एक ऐसा देश है जहाँ 45 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। यदि आपको उस तथ्य का पता है तो आपको जितना कुछ मिल रहा है उससे आपको संतोष करने लायक होना चाहिये। परन्तु मैं आपको बताऊं कि सरकार आपको उतना देगी जितना संभव है। ऐसा मत समझिए कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया जायेगा।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, केवल युद्ध के दौरान ही एक दो सप्ताह अथवा उसके बाद तक राज्य सरकारें उनमें शहरी रुचि लेती हैं। मैं स्वयं लगभग 22 वर्षों तक विधान मंडल से सम्बद्ध था। मैं राज्यों के कार्यकरण के बारे में जानता हूँ। वे उनको पूरी तरह भूल जाती हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर उत्तरदायित्व निश्चित करना चाहिये ताकि इन भुतपूर्व-सैनिकों को भली भाँति जीवन यापन करने दिया जाये और उनकी देखभाल की जाये।

श्री सी. टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : समापति महोदय, मैं आरंभ में ही जिस प्रतिवेदन पर यहां चर्चा हो रही है उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

एक समय था जबकि सदस्य रक्षा मन्त्रालय की माँगों पर अधिक धनराशि के नियतन का विरोध किया करते थे। अब समय बदल गया है इस सभा के किसी भी सदस्य ने रक्षा व्यय पर अधिक नियतन के बारे में विरोध नहीं किया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी सदस्यों तथा समूचे राष्ट्र की यह भावना है कि हमारी रक्षा सेनाओं को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाये।

प्रतिवेदन में सरकार की नीति तथा पड़ोसी देशों में व्याप्त परिस्थितियों का उल्लेख है। प्रतिवेदन में हिन्द महासागर और खाड़ी क्षेत्र में महा शक्तियों की सैनिक उपस्थिति के बारे में कहा गया है। एक अन्य स्थान पर काश्मीर के प्रश्न पर, जो एक बार निपटाया जा चुका है,

हमारे पड़ोसी देश द्वारा उठाई जा रही आवाज के बारे में बताया गया है। इस प्रश्न को एक विशेष देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पुनः उठाया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है।

सरकार, विशेषकर रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में बोलते हुए मैं कहता हूं कि कोई भावी योजना बनाने के लिये एक समिति गठित की गई थी। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने 1962 तक अपनी रक्षा सेनाओं की संख्या बढ़ाने की कभी परवाह नहीं की। तत्पश्चात, चीन के आक्रमण को देखते हुए हमें अपने आपकी रक्षा करने के लिये इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि करनी पड़ी। सरकार ने एक पचवर्षीय योजना बनाई जो वर्ष 1984 तक पूरी हो जायेगी।

अनुसंधान और विकास के मामले में सरकार ने अधुनातन हथियार शामिल करके हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण के कुछ प्रगति की है। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक एककों ने भी अच्छा कार्य किया है।

रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मन्त्रालय दोनों ही के द्वारा अपनाई जा रही नीति यह है कि हमारा किसी भी सरकार के साथ टकराव नहीं है। हमारा उद्देश्य शांति रखना है, न केवल उप-महाद्वीप में अपितु समूचे विश्व में शांति रखना है। इसीलिए हमारी सरकार एक अवस्था तक, किसी देश के साथ युद्ध करने के लिये, हमारी रक्षा सेनाओं को सशक्त बनाने के लिये उत्सुक नहीं थी।

यद्यपि, स्वाधीनता के बाद हमने तीन युद्ध देखे हैं और वे भी काफी सफलता के साथ, हमारा किसी देश के विरुद्ध ऐसा प्रयास करने का कोई इरादा नहीं है।

यद्यपि भारत बहुत से क्षेत्रों में इतना शक्तिशाली है तथापि हमने अपनी रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया है। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान की तुलना में हमारी रक्षा का अनुपात इस प्रकार था :—स्थल सेना 20:1 नौ-सेना 10.1 और वायुसेना 5:1 अब पाकिस्तान ने अन्य देशों से आधुनिकतम हथियार प्राप्त कर लिए है और स्वयं को, वर्ष 1965 की स्थिति की तुलना में 10 गुना शक्तिशाली बना लिया है। तथापि हमने अपनी शक्ति उसी अनुपात से नहीं बढ़ाई है।

जैसा हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व, विशिष्ट रूप से कहा है, हम हथियारों की होड़ में शामिल होने में रुचि नहीं रखते हैं क्योंकि हम अपनी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालने चाहते। परन्तु इसके साथ ही हमें यह जानकर चिन्ता है कि अमरीका पाकिस्तान को हथियारों की मदद दे रहा है। समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और अमरीका के बीच कोई गलत फहमी है।

जहां तक मुझे ज्ञात है भारत का किसी भी राष्ट्र से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है चाहे वह राष्ट्र पूंजीवादी हो, समाजवादी हो अथवा कोई अन्य हो परन्तु भारत के विरुद्ध एक प्रचार चल रहा है और उसे ही समर्थन देने के लिए अमरीका एक ऐसे देश को हथियारों के रूप में सहायता, या ऋण का जो कुछ भी आप उसे कहें, दे रहा है जो हमारे देश का विरोधी है। एक विकसित देश को एक ऐसे देश की मदद नहीं करनी चाहिए जहां लोक तन्त्र है ही नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि उस कमजोर देश का नेतृत्व अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उन हथियारों का उपयोग एक लोकतन्त्र देश के विरुद्ध कर सकता है। अतः अमरीकी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये। इसके साथ ही, मैं इस माननीय सभा के माध्यम से अमरीकी

सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हिन्दमहासागर तथा अन्य तंत्रों को शांति के क्षेत्र माना जाना चाहिये। बहु से गुट निर्पेक्ष देशों ने विशिष्ट रूप से यह कहा है और बड़ी शक्तियों से अपील की है कि इन क्षेत्रों को अन्य आक्रमण देशों से मुक्त रखा जाना चाहिए। परन्तु अमरीका ने दीयगो गार्सिया में कुछ सैनिक अड्डे बना लिए हैं और वहां से एक उपग्रह का उपयोग कर रहा है जिसके द्वारा एक तिहाई विश्व की गति विधियों को देखा जा सकता है यह कार्य भी शांति के लिए खतरा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवेन के समुद्र के कानून के बारे में कुछ गया कहा है। प्रतिवेदन में पाया गया है कि हमारी सरकार को यह विश्वास है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र के 10वें सम्मेलन में हल हो जायेगा। दुर्भाग्य से, कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस मामले में अवरोध पैदा कर दिया है और अमरीका सरकार भी इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समर्थन कर रही है। अतः मैं इस सम्मेलन से तथा अमरीकी सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे इससे बचें और इस मामले में कोई समझौता कर लें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

आणविक युद्ध के बारे में यह बताया गया है कि पाकिस्तान वाले आणविक शस्त्र बनाने की स्थिति में हैं। इस सन्दर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को आगे आना चाहिए और उसे इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अनेक बार सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है 'हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का विचार रखते हैं' लेकिन अब समय बदल गया है। केवल यह नहीं कि इसका प्रयोग किसी के विरुद्ध नहीं किया जायेगा, लेकिन दूसरों की सहायता के करने के लिए भी हमें आणविक अस्त्रों का निर्माण करना चाहिए, मिसाल के तोर पर जैसे लीबिया ने भारत से तकनीकी जानकारी के लिए अनुरोध किया है।

महोदय पाकिस्तान और अन्य देशों में भारत के विरुद्ध सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। भारत के विरुद्ध और श्रीमती इन्दिरा गांधी के वर्तमान नेतृत्व के विरुद्ध पाकिस्तान में चल रहे अभियान के बारे में अखबारों में खबरें छपी हैं। अभियान अब भी चल रहा है। एक पड़ोसी देश के लिए यह उचित नहीं है। उन्हें इस प्रकार का यह खराब रवैया छोड़ देना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के हमारे वरिष्ठ नेता-गण इस मुद्दे को कुछ और ही रंग दे रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस देश के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा है :

> "बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी और कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत जैसी वास्तविक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह एक हौआ खड़ा किया गया है।"

प्रधान मंत्री और इस देश के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को हमारे उन पड़ोसी देशों की ओर से गहरी चिन्ता है जो अपना सैन्य-बल बढ़ा रहे हैं। इसका किसी भी समय भारत के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। प्रधान मंत्री ने जनता को युद्ध के खतरे के बारे हमें सचेत किया है।

उन्होंने न केवल यह कहा है कि लोगों के दिमागों में भय व्याप्त है—वे भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकते हैं—लेकिन हमारे वरिष्ठ नेतागण जो इस देश के महत्वपूर्ण नेता है, उन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया है। उनका आरोप है कि यह सब कुछ लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं सोचता। राजनीतिक दलों के पास और सरकार के पास लोगों का ध्यान हटाने के और बहुत से तरीके हैं। लोगों का ध्यान हटाने के उद्देश्य से सरकार को इस मुद्दे को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि भारत का सम्बन्ध तटस्थ ग्रुप के साथ है। हम सभी मामलों में निष्पक्ष रहते हैं। हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम कहते है कि हम तटस्थ है लेकिन साथ ही साथ मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि हमें बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। हमें अपने सैन्य-बल को, या तो हथियार प्राप्त करके अथवा खुद उनका निर्माण करके मजबूत करना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि न्यूयार्क में वर्ष 1787 में प्रकाशित फेडरलिस्ट पेपर्स के तीन लेखकों में से एक लेखक अलेक्जैंडर हैमीलटन ने तटस्थता और आत्मनिर्भरता के बारे में यह सही मूल्यांकन किया था—

"तटस्थता के अधिकार का तब ही आदर किया जाएगा, जब पर्याप्त शक्ति उसकी रक्षा की कमजोरियों से घिरा राष्ट्र तटस्थ होने का विशेषाधिकार खो देता है।'

अतः अपने को निष्पक्ष अथवा तटस्थ कहने के साथ-साथ हमें दूसरों के दबाव में नहीं आना चाहिए। दूसरों को हमें अपना नुकसान नहीं करने देना चाहिए।

हमें किसी भी कीमत पर अपनी सशस्त्र-सेनाओं को मजबूत बनाना चाहिए।

डा. एम. एस. संजीवी राव (काकीनाडा) : मैं रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

रक्षा मन्त्रालय अनेक गतिविधियों से जुड़ा है और यह हमारा सौभाग्य है कि श्री पाटिल के साथ इसका कामकाज हमारी प्रधान मंत्री ने स्वयं संभाला हुआ है।

प्रारम्भ में, मैं सरकार को थल-सेना, नौ-सेना और वायु-सेना, सेना के तीनों ही अंगों में यथासम्भव आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रभावशाली उपाय करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। परमाणु युग की इस दशाब्दि में सुरक्षा सेनाएं आधुनिकतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं, चाहे ये हथियारों के क्षेत्र में हों, चाहे विमानिकी, इलेक्ट्रानिक्स, संचार, रांडार, ऊंचे स्थानों पर कृषि आदि के क्षेत्र में यानी सुरक्षा सेवाओं के किसी भी क्षेत्र में हों। इसी महत्वपूर्ण और अनिवार्य तथ्य को पहचानते हुए हमारी प्रधान मंत्री, जो अपने पिता पंडित नेहरु की तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पक्की हिमायती हैं, ने रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए एक नया विभाग खोलने का नया निर्णय लिया है। सम्पूर्ण देश ने विशेषरूप से देश के वैज्ञानिकों ने इस विभाग का स्वागत किया है और वे उनकी सेवाओं का आदर करते हुए आपके द्वारा किए गए इस महान कार्य के लिए आपके आभारी हैं।

रक्षा मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कार्यों से सम्बद्ध वैज्ञानिक श्रेष्ठ कार्य कर

रहे हैं और वे दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। यदि आप इसका थोड़ा विश्लेषण करें, तो देखेंगे कि मिश्रधातु निगम के सहयोग से चल रही वैमानिकी अनुसन्धान प्रयोगशाला इस प्रकार की मिश्रधातुओं का विकास कर रही है जिनको अब तक आयात किया जाता रहा है हथियारों के क्षेत्र में अनुसन्धान और विकास गतिविधि के अन्तर्गत शस्त्रों, गोलाबारुद, विस्फोटक पदार्थों और प्रक्षेपास्त्रों से सम्बन्धित प्रयोग किए जाते हैं।

इलेक्ट्रानिक्स, राडार और इन्स्ट्रमेन्टेशन ग्रुप के सन्दर्भ में इन वैज्ञानिकों ने अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में अति महत्वपूर्ण किस्म के अनेक उत्पादों का विकास किया है। इनमें इनफैंट्री वैटलफील्ड सर्वीलैन्स राडार और हल्के वजन के 'फील्ड आर्टीलरी राडार' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन पर देश को गर्व होना चाहिए।

गत दशाब्दि में सैन्य-कार्यवाहियों के परिणामों से यह स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि राकेट और मिसाइलों की न केवल हमले के लिए बल्कि अपने बचाव के लिए भी अत्यन्त आवश्यकता होती है। इन मिश्रित किस्म के हथियारों का विकास करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में कुशलता और तकनीकी जानकारी का होना अपेक्षित होता है। हमें खुशी है कि एक ऐसे सुदृढ़ आधार का निर्माण कर लिया गया है, जो राकेट और मिसाइलों का विकास करने की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है। मैं रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित वैज्ञानिकों से अपील करता हूँ कि वे अन्तरिक्ष विज्ञान के उन वैज्ञानिकों के निकट सहयोग से कार्य करें, जिन्होंने हाल ही में अपने तीन चरण वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के साथ रोहिणी को अन्तरिक्ष में भेजा है।

मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इन्टरमीडिएट बालिस्टिक मिसाइल (आई. बी. एम.) को अन्तरिक्ष में भेजने के उनके अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी जिज्ञासा पर रोक न लगाएं। मैंने इस विषय पर न केवल रक्षा मंत्रालय के बल्कि अन्तरिक्ष विभाग के भी कुछ वैज्ञानिकों से चर्चा की है और मुझे बताया गया है कि हमारे वैज्ञानिक स्वय ही 'इन्टरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल" का डिजाईन तैयार करने, उसका निर्माण करने, उसके विभिन्न उपकरणों को जोड़ने और सफलता पूर्वक उसे अन्तरिक्ष में भेजने की स्थिति में हैं। इससे न केवल हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि इससे तमाम दुनिया में काम कर रहे हमारे वैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं और इंजीनियरों को भी प्रेरणा मिलेगी कृपया यह बात याद रखें कि हमारी तकनीकी सक्षमता को पूरे विश्व ने केवल तब ही पहचाना था, जब हमने वर्ष 1974 में परमाणु बम विस्फोट किया था। केवल उसके बाद विकासशील देशों ने हमें अनेक ठेके देने शुरू किए हैं।

अब मैं नौ-सेना के महत्व के विषय में बताना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है, संयुक्त राष्ट्र का इस बात के लिए धन्यवाद है, हमारे देश को 22 लाख वर्ग मील का नया जल क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इस नए अधिकार क्षेत्र में बहु-धातु-पिण्ड, तेल, गैस और मछलियां पाई जाती हैं। बम्बई हाई जैसे तट-दूर संस्थानों की सुरक्षा और सम्बद्ध निगरानी की जिम्मेदारी भी जल-सेना का एक अतिरिक्त कार्य है। इस समय हम 80 टन कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे हैं और हमें आशा है कि वर्ष 1984-85 तक हम 170 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन करने लगेंगे, जिसका मूल्य आज की दरों पर लगभग 5000 करोड़ रुपये होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कापर और टिन को समुद्री तल से पिण्डों के रूप में निकालना शुरू कर दिया है, जिससे सम्पूर्ण विश्व चकित रह गया है। संक्षेप में बात यह है कि देश की सम्पूर्ण भावी आर्थिक स्थिति हमारे उस नए समुद्री सीमा-क्षेत्र पर निर्भर है जिस पर हमें हाल ही में अधिकार प्राप्त हुआ है। केवल प्रभावशाली ढंग से अपनी नौ-सेना में वृद्धि करने और उसे मजबूत करने से ही हम अपने बढ़ते हुए समुद्री हितों की रक्षा कर सकते हैं और समुद्री-तल खनन कार्य, तेल, गैस, मत्स्य उद्योग, परिवहन, प्रदूषण रोकने और सबसे बढ़ कर तट-दूर द्वीपों संबंधी हितों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमने किया क्या है ? यदि आप नौ-सेना का परिणाम और सक्षमता का विश्लेषण करें तो आ पाएगे कि यह अत्यधिक शोचनीय और चिन्ताजनक है। हमारे देश के तीन ओर फैले हुए तीन समुद्रों की सतह की और जलगत गतिविधियों की निगरानी के लिए हमारे पास आधे दर्जन से भी कम नौसेना के विमान हैं। वर्षों में एक या दो समुद्री जहाज अथवा पोत हम उन जहाजों के बदले में नौसेना में जोड़ पा रहे हैं, जो पुराने पड़ गए हैं। वर्ष 1980 में समुद्री जहाजों की संख्या अथवा सैन्य-बल स्तर वर्ष 1970 से भी कम था, और यह तब हुआ है जब पाकिस्तान ने अपना सैन्य-बल दुगना कर लिया है।

अन्त में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं, वे पुरानी पड़ गई है। अब ऐसा समय आ गया है कि जब हमारे पास ऐसी पनडुब्बियाँ होनी चाहिए, जो परमाणु ऊर्जा से चलती हों। सभी विकसित देशों के पास ऐसी पनडुब्बियां हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमाणु-ऊर्जा से चालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी जानती हैं कि हमारे पास परमाणु प्रौद्योगिकी की काफी जानकारी है और इस प्रकार हम न केवल परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का रख-रखाव कर सकते हैं बल्कि कुछ समय बाद उनका निर्माण भी कर सकते हैं।

मुझे एक बात और कहनी है। मैं पुनर्बल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। ग्रेट निकोबार द्वीप, जो मलक्का स्ट्रेट के निकट स्थित है, संसार में ऐसे चार सबसे अधिक व्यस्त नाभीय यो रोधक केन्द्रों में से एक केन्द्र है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्य तीन केन्द्र है —'बे आफ बिस्के' 'दि गल्फ आफ मैक्सिको' और 'दि गल्फ आफ अदन'। मैं चाहता कि मन्त्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए कि 'ग्रेट निकोबार द्वीपों का प्रभावशाली ढग से विकास किया जाए। और भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों वहां बसाया जाएगा। कैम्प बैल खाड़ो पत्तन का इस तरीके से विकास किया जा सकता है कि यह सिंगापुर और पेनांग बन्दरगाहों का एक प्रतिद्वन्दी हो जाएगा।

मैं एक बार पुनः रक्षा मंत्रालय को उनके कार्य निष्पादन के लिए बधाई देता हूं और मैं अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : श्रीमन हम कल और आज एक मंत्रालय जिसके कार्य निष्पादन का हररोज मूल्यांन नही किया जा सकता की अनुदान की मांगो पर चर्चा करते रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि रक्षा संगठनो का कार्य निष्पादन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी आखो के समाने देख सकें। यह ऐसी कोई चीज नही है जिसका परिकलन किया जा सकें। दूसरे संगठनों, दूसरे विभागों के कार्यानिष्पादन का आँकड़ों में, उत्पादन के रुप में

लाभ और हानि के रुप में परिगणना की जा सकती है। आप यहां उपस्थित हमारे मित्रों के कार्य निष्पादन की उनके द्वारा सार्वजानिक जीवन और अर्थव्यवस्था में पैदा किया गए विघटन के रुप में मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन रक्षा बल के साथ ऐसी बात नहीं है। मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्यनिष्पादन, उनकी तैयारियों अथवा बजट सम्बन्धी मांगों पर कोई निर्णय देने की जल्दबाजी में नहीं हूँ। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछली बार दस वर्ष पहले हमने युद्ध किया और इस तथ्य पर हमारा कोई मित्र खेद प्रकट नहीं करेगा। इसी बीच देश में कानून एवं व्यवस्था की ऐसी अनेक स्थितियाँ और अनेक प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं जहाँ हमारी सशस्त्र सेनाओं को बुलाना पड़ा था।

जैसा कि चर्चा के दौरान पहले मेरे एक मित्र ने उल्लेख किया है। रक्षा सम्बन्धी बजट और लागत के प्रति सजगता के अभाव की आलोचना की सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में अनदेखा नहीं किया जा सकता, खासतौर पर जबकि इस मंत्रालय के कार्यनिष्पादन का मानदण्ड खून पसीना है अनुशासन और निष्ठा है। गत दस रक्षा मंत्रालय के वर्षों से अधिक कोई वार्षिक प्रतिवेदनों पर एक सरसरी नजर डालने से ही यह बात सिद्ध हो जाएगी कि सम्पूर्ण अस्त्रशस्त्रों और सैनिक साज सामान में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। मैं यहाँ केवल कुछ उदाहरण दूंगा।

जिस मिसाइल प्रणाली की आज हमारी सेना टैंकों तथा वायुयानिक वाहनों के खिलाफ प्रयोग करती है वह प्रणाली 1971 की तुलना में तीन पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी है। हमारे फाइटर इन्टर सेक्टर की बढ़ोत्तरी का मुख्य आधार उन्नत 'मिग' उस मूल मिग 21 की तुलना में ज्यादा आधुनिक और बढ़िया है जो 1971 में हमारे पास था। मैं यह बात साफ तौर पर कहूँगा कि इनकी बेहतरी का स्तर और गोला मारने की शक्ति में वृद्धि भारत के लिए कोई अनूठी बात नहीं है।

श्रीमन् हमें यह वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सैनिक तैयारी एक सापेक्ष अवधारणा है इसलिए, जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हमें स्वयं से यह बात पूछनी चाहिए किस "कि सम्बन्ध में तैयारियाँ" ? स्पष्टत: हमारी तैयारियों को हमारे संभावित शत्रुओं के रूप में मापा जाना है। यहां सम्भावित खतरे को आँकने का प्रश्न सामने आता है।

भारत को चार बार जो युद्ध लड़ने पड़े उनमें से तीन बार उसका युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ और एक बार चीन के साथ ...

एक माननीय सदस्य : हम कभी युद्ध करने गए नहीं। हमे युद्ध में घसीटा गया।

श्री कमल नाथ : हमें जो धमकियाँ दी जा रही है उन्हें अपने पिछले अनुभवों के आधार पर देखना होगा।

श्री रत्न सिंह राजदा : (बम्बई-दक्षिण) : हमें युद्ध धकेला गया था, हम युद्ध करने नहीं गए थे।

श्री कमल नाथ : और किसी देश को धमकियों पर हमेशा पिछले अनुभव के आधार पर विचार होता है। हमें धमकी की जानकारी से ही अपने ज्यादा अस्त्र शस्त्रों से लैस करने और अस्त्र-शस्त्रों से कम लैस करने के बीच सही संतुलन पर पहुँचने में सहायता मिलेगी। बगला देश और पाकिस्तान के संदर्भ में अपने आपको अस्त्र-शस्त्रों से लेस करना एक बात है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु बंगला देश ?

श्री कमलनाथ : किसी भी बड़ी शक्ति के विरुद्ध अपने आपको अस्त्र शस्त्रों से लैस करना दूसरी बात है। पाकिस्तान को अमेरिका से 5.0 करोड़ रुपये के हथियार जहाज में लदकर आने वाले हैं, किसी को यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सुरक्षा को खतरा कहां से है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हम शस्त्रों की होड़ के बीच हैं और शस्त्रों की होड़ 'सन्डे क्रिकेट मैच' नहीं है जिसमें आप शामिल हों अथवा न हों। पाकिस्तान के सैनिक शासन ने शस्त्रों की यह होड़ शुरू की है और कोई भी भारतीय सरकार इसे हाथ पर हाथ रख कर चुप चाप नहीं देख सकती। लेकिन प्रश्न यह है : क्या अकेले यह पाकिस्तान के साथ शस्त्र-होड़ है ? भारत के औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय ससाधनों के साथ पाकिस्तान की कोई समानता नहीं है। यदि अकेला पाकिस्तान ही होता जो मुकाबला बिल्कुल नहीं है। हमारे मामले में, मैं समझता हूं यह होड़ वास्तव में पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी उदारता से है। पाकिस्तान को मिल रही अमेरिकी सहायता ही हमारे संसाधनों और युद्ध तैयारियों पर नए दबाव डालती रही है। हमें यह बात भी अवश्य देखनी चाहिए कि अनेक देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास फ्रांस के मिराज, जर्मनी की मिसाइलें। अमेरिका के एफ 15 विमान और रडार प्रणाली है तथा इसके अलावा अन्य बहुत सारे हथियार हैं। अतिरिक्त पुर्जों का भडार करने के लिए उसके पास पर्याप्त पेट्रोडालर हैं। इससे हमारे समाने कठिन स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान के साथ 1965 और के दोनों युद्ध हमने अत्यत ही विषम परिस्थितियों में लड़े थे। उनके शस्त्रागारों की जानकारी हमें थी और हमारे शस्त्रागारों की जानकारी पाकिस्तान को थी। हमें याद रखना चाहिए कि तब से अब तक बहुत विकास हो चुका है। हमें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि वियतनाम युद्ध के दौरान तथा उससे पहले विकसित हुए सैनिक उपकरण तथा हथियार अपनी आश्चयजनकता खो चुके हैं। उनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं रही। यह इसलिए है क्योंकि वियतनाम युद्ध वस्तुत: सैनिक जानकारी के आदान प्रदान का एक खुला अन्तर्राष्ट्रीय बाजार था। लेकिन पाकिस्तान अस्त्र शस्त्रों से लैस हुआ है वियतनाम युद्ध के बाद जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के कार्यों पर आश्चर्य होता है। उसका मुकाबला करने के लिए हम इतना तो कर ही सकते है कि शस्त्र स्त्रो के मामले में हम उससे पिछड़ न जाए और यह तभी समव होगा जबकि हम स्वदेशी ससाधनो से तथा सभी उपलब्ध संसाधानों से शस्त्रास्त्र प्राप्त करें।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है और हमारे सभी प्रकार के हथियार है। हम केवल उनकी सवतो मुखी प्रतिभा से शत्रु को आश्चर्य चकित कर सकते हैं। इनकी समानता से नही।

श्रीमान् इस सम्बन्ध में मै इस सदन के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि अगली बार जब हम रक्षा मत्रालय की मांगों पर चर्चा करने के लिए मिलें तो हो सकता है पाकिस्तान एक अणु शक्ति के रूप मे उभर आए। प्रश्न यह है : विभिन्न चर्चाओं के दौरान यह बात आ चुकी है हम क्या करना चाहिए ? तथा अभी हम इस पर चर्चा करें कि अणुबम बनाएं अथवा अणुबम न बनाए ? मैं जानता हूं यह प्रश्न वास्तव में आणविक ऊर्जा के अन्तर्गत आना चाहिए। लेकिन, क्योंकि यह किसी तरह रक्षा से सम्बधित है और ये दोनों मंत्रालय प्रधान मत्री के पास हैं मैं कुछ शब्दों मे अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं अनुभव करता हूँ करता हूँ कि इस मामले

पर दो विपरीत दृष्टिकोण हैं। इनमें से एक वाजपेयी-दृष्टिकोण है और वह है अणुबम के लिए स्पष्ट और जोरदार वकालत जो हमारे माननीय साथी श्री अटल विहारी वाजपेयी जनता शासन से पहले किया करते थे जब वह जनसंघ के नेता थे। लेकिन अब वह दृष्टिकोण 'अटल' नहीं रहा। अब वह दृष्टिकोण सुसंगत नहीं रहा। उसमें उन्होंने बम बनाए जाने के लित वकालत की वह इसके बारे में बहुत मुखर थे। दूसरा दृष्टिकोण मोरारजी देसाई का दृष्टिकोण है। (व्यवधान)। उन्होंने दुनिया के समक्ष इस सीमा तक कहा कि हम कोई भी ऐसा अणु अनुसंधान नहीं करेंगे जिसके लिए किसी भी तरह के विस्फोट की आवश्यकता हो। मैं समझता हूँ ये दोनों ही दृष्टिकोण बुरे हैं। चिल्ला चिल्ला कर बम बनाए जाने की वकालत करें, जो कि पहले श्री वाजपेयी का दृष्टिकोण था। आपके लिये अपने मित्रों से जानकारी मिलना परम्परागत सैनिक सहायता मिलना और विविध कच्चे माल आदि की खरीद करना भी असम्भव हो जायेगा दूसरी ओर परमाणु शक्तियों के ब्लैक मेल के प्रभाव में आकर आप अपने विकल्प भी बंद कर देते हैं जैसा कि मोरारजी देसाई ने किया था। केवल एक ही रास्ता बचा है जो हम इस समय अनुसरण कर रहे हैं और वह है हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का दृष्टिकोण। वह केवल यह है कि हमें बढ़-चढ़ कर चिल्लाना नहीं चाहिये हमें हर रोज बड़ा धमाका करने की आवश्यकता नहीं है और न ही हमें हमेशा शोर शारबे वाली और कटु प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिये ताकि परमाणु जानकारी को परमाणु शक्ति में बदला जासके। यह केवल 'वारहेड' अनुसंधान के लिये ही नहीं अपितु डिलीवरी पद्धति और तत्सम्बन्धी प्रक्षेणशास्त्र के बारे में अनुसंधान के लिये भी सच है।

मैं सरकारी क्षेत्र के संगठनों के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूँ। क्यों कि मेरे पास अधिक समय नहीं है। गार्डन रीच वर्कशाप शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, को छोड़कर देश में सरकारी क्षेत्र के सभी नौ रक्षा उपक्रम मुनाफा कमा रहे हैं। इससे अधिक मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि ये उपक्रम एक लाख व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। एक सामाजिक घटक है और एक आर्थिक घटक है। रक्षा क्षेत्रों में पूंजी निवेश के अप्रत्यक्ष सामाजिक लाभ बहुत ज्यादा हैं। मैं छावनी क्षेत्रों और गोला बारुद डिपुओं आदि की अर्थ व्यवस्था के बारे में बात चीत कर रहा हूं। मैं उल्लेख करना चाहता हू कि छावनी क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों में, जहां गोला बारुद के डिपु होते हैं को सामाजिक लाभ होते हैं और वहां का आर्थिक उत्थान भी होता है कम से कम इन्हें पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में जो सामजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, नये सिरे से स्थापित किया जा सकता है। मैं अपनी अपील दोहराना चाहता हूं जो मैंने माननीय रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री शिवराज पाटिल से की है और मैं यह आज भी करता हूँ मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करना चाहता हूं कि मेरे छिंडवाड़ा जिले में कई वर्ष पूर्व एक सर्वेक्षण किया गया था और उसे गोला बारुद डिपो के लिये बहुत उपयुक्त पाया गया था। मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाये।

मुख्य चर्चा पर वापस आते हुए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय खत्म हो चुका है। मुझे खेद है।

श्री कमल नाथ : कृपया दो मिनट का समय और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब आप समाप्त करें आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाये हैं।

श्री कमल नाथ : मेरे लिये शताब्दियों का युद्ध इतिहास, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से वियतनाम के युद्ध तक का है, मानव की हथियारों पर विजय का द्योतक है। हम वियतनाम युद्ध का स्पष्टीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। वियतनाम की राष्ट्रीय सेना अमरीकन जी. आईज, हेम्बर्गर पोषित और कोका कोला पोषित अमरीकन जी. आईज के खिलाफ लड़ रही थी। सौभाग्यवश हमारी सशस्त्र सेनाओं में ऐसे व्यक्ति हैं जो जवान है जी. आईज नहीं है और जो थोड़े हथियार और गोला बारुद ले जाते हैं। लेकिन वह ऐसे एक समाज में पनपे हैं जो अत्यधिक सुयोग्य है। हमारे उत्तर और पूर्वोत्तर सीमान्त में जवान कई महीनो तक घर से दूर रहते हैं और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुनर्वास के समय समाज द्वारा उनकी इस निष्ठा का प्रतिफल चुकाना चाहिए।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के ग्रुप सी' के 10 प्रतिशत पद और सरकारी उपक्रमों के ग्रुप 'सी' के 14.5 प्रतिशत पद उनके लिये आरक्षित हैं गुप 'डी' में यह आंकड़े क्रमश : 20 और 24.5 प्रतिशत हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन करना हूं कि इन दो ग्रुपों के बीच असमानता समाप्त की जाये ताकि केन्द्रीय सरकार के सभी ग्रुप सी' और डी' की 20 प्रतिशत नौकरियां और सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत नौकरियां भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखी जा सकें। इसके अतिरिक्त हमें यह नहीं भूलना चाहिय कि हमारे रक्षा अधिकारियों मे अच्छी प्रबन्धकीय प्रतिभा है।

अन्त में मैं प्रशिक्षण कालेजों, देहरादून में राष्ट्रीय इन्यिन मिलिटरी कालेज, खड़गवसला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देहरादून मे स्थित इन्डियन मिलीटरी एकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इनके बारे में बात करते हुए मुझे उन दिनों की याद आ जाती है जब मैं स्कूल में था और इन्हें श्रद्धा से देखा करता था और यहां की त्रुटिहीन व्यवस्था और त्रुटिहीन अनुशासन की प्रशसा किया करता था। मैंने सीखा है और मैं जानता हूँ कि इन संस्थाओं के जरिये से सशस्त्र सेनाओं के भावी अधिकारी निकलेंगे, प्रमुख सुधार और नवीकरण की आवश्यकता है। मेरो विशेष अपील कि बजट अनुदान में से जो हम आज पास करेंगे, इन संस्थाओं के नवीकरण और सुधार के लिये पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं अपने जावानों के मनोरजन के लिए अधिक सुविधाओं की सिफारिश करता हूं। बजट में वृद्धि के साथ जावानो जो लम्बे अर्से से अपने परिवारों, के घरों और मित्रों से दूर हैं, के मनोरंजन विषयक सुविधाओं के लिए प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि भी की जानी चाहिए। मेरा यह आशय नहीं है ; उन्हें मनोरजनक विषयक सुविधायें प्राप्त नहीं हैं; उन्हें ये प्राप्त हैं लेकिन मैं अपील करता, कि इन्हें बजट राशि में वृद्धि के साथ उनमें भी वृद्धि की जानी चाहिए।

श्री के. पी उन्नीकृष्णन (वडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद यहां पर उस समय हो रहा है जब हम सभवतया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की अत्याधिक खतरनाक दशाब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और जब युद्ध के स्वरूप में ही परिवर्तन हो रहा है। मेरे विचार से गत एक वर्ष के दौरान भारत के सुरक्षा पर्यावरण में भारी परिवर्तन हुआ है। इसका कारण केवल यह नही है कि दिशा-निर्देश वाले गोला बारूद और रात के समय लड़ाई की क्षमताओं, जिसका हमें इस दशाब्दी के दौरान सामना करना पड़ा है, के कारण युद्ध

और हथियारों के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ है। अपितु सचाई यह है कि हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति के रूप में प्रादुर्भाव होने की संभावना है जीवन का ऐसा तथ्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है और इस क्षेत्र के आरक्षक के रूप में पाकिस्तान को आगे बढ़ावा देने के लिए अमरीका के नये प्रशासन का खुला समर्थन प्राप्त है। ये नये आयाम थे एक राष्ट्रीय मतैक्य का आह्वान करते हैं। मैं श्री वाजपेयी से पूरी तरह से सहमत हूं जब उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा की समस्याओं के बारे में एक राष्ट्रीय सर्व सम्मति के लिये आह्वान किया था।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, हमने वर्षों तक रक्षा बजट को, न्यूनाधिक, कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 3.4 अथवा 3 5 प्रतिशत के समस्तर पर रखा है लेकिन रक्षा मंत्रालय को यह याद दिलाना ठीक रहेगा कि हमारा देश गरीब लोगों का है लेकिन हम एक गरीब राष्ट्र नहीं हो सकते हैं और इसे निरन्तर ध्यान में रखना चाहिए जब हम से विदेशों आधुनिकतम हथियार खरीदते हैं अथवा जब हम इस धनराशि का किसी अन्य तरीके से व्यय करते हैं। इस बारे में दो बातों पर बल दिया जाना है और एक बात पर मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बल दिया था जब उन्होंने रक्षा भंडारों और प्रतिष्ठानों में लागत प्रभावशीलता और सामान सूची नियंत्रण पर बातचीत की थी। इसलिए मैं खेद के साथ कहता हूँ कि यह मंत्रालय समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक धन को खर्च करने में बहुत सावधान नहीं रहा है।

मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, आशा है मेरे मित्र श्री सी. पी. एन. सिंह मुझे क्षमा करेंगे। मेरे मित्र भूतपूर्व राज्य मंत्री ने जिस तरीके से सेंचुरिअन टैंक के सौदे पर कार्यवाही की है, उस बारे में मुझे भारी संदेह है। 27 मार्च और 2 अप्रैल, 1979 को इसी सदन में विदेश और रक्षा मंत्रालय के बारे में हुए वाद-विवादों में बोलते हुए मैंने इस सदन के समक्ष यही मामला उठाया था और इस मामले पर जनता सरकार की आलोचना की थी और दूसरी ओर बैठे हुए बहुत से सदस्यों ने तब मेरा समर्थन किया था। मैंने तब आरोप लगाया था और यह पश्चिमी देशों के प्रकाशनों से उद्धृत कर रहा हूं कि भारतीय टैंक मिकैले एन्ड कम्पनी के जरिए दक्षिण अफ्रीका पहुँच गये थे। 'स्कान फुजी' नामक लिबेरियन जहाज में 14 और 27 जनवरी, 1978 के बीच बम्बई में 90 टैंकों का लदान किया गया था और इन्हें 21 फरवरी, 1978 को दक्षिण अफ्रीका में एलिजाबेथ पत्तन में उतारा गया था और ये स्पेन में अपने गन्तव्य स्थल पर कभी नहीं पहुंचे थे। 1979 में जब मैंने यह आरोप लगाया था तो सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों ने मेरा समर्थन किया था लेकिन मेरा आज आरोप है कि यह मंत्री महोदय जो मिकैले को शिकायत के एक सम्माननीय साक्षी के रूप में पेश करते हैं..... (व्यवधान)

श्री के. लक्कप्पा (टुमकर) : महोदय, उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किये हैं और वह कहते हैं कि वह एक आरोप लगा रहे हैं। नियम 352 के अन्तर्गत कोई सदस्य एक मंत्री अथवा एक सदस्य के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। अतः मैं पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि भाषण करते हुए वह नियमों तथा कार्य संचालन की परिधि के अन्तर्गत रहें। यदि नियम 352 और 353 की अवहेलना करते हुए कोई अपमानजनक बात कही जाती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय को उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए अथवा उन्हें रोकना चाहिए। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सदस्य का दायित्व है और उन्हें किसी सदस्य अथवा

किसी प्राधिकारी अथवा किसी मंत्री के खिलाफ इस प्रकार के कोई आक्षेप और आरोप नहीं लगाने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, हम इस बारे में सदस्य का ध्यान दिला चुके हैं वह इसका पालन करेंगे और वह इसका पालन करने के लिए सहमत हो गये हैं। और यदि वह कोई आरोप लगाते हैं तो उन्हें यह बता दिया गया है कि वह जो कुछ कहते हैं, उसका दायित्व लेंगे।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना आरोप दोहराता हूँ कि इस मंत्री महोदय ने, जिन्होंने एक विशिष्ट ससद सदस्य के खिलाफ शिकायत करने के लिए मिकेले को एक सम्माननीय साक्षी के रूप में पेश किया है, 29 फरवरी, 1980 और 10 अप्रैल, 1980 को स्पेन में हमारे राजदूत द्वारा और ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा स्मारक पत्रों के जरिए इस सन्दर्भ में दी गई सभी चेतावनियों और सलाह की उपेक्षा की है।

श्री के. लकप्पा : यदि सदस्य महोदय कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो उन्हें नियम 353 के अन्तर्गत नोटिस देना चाहिए। यदि वह नियम 353 के अन्तर्गत स्वीकार कराना चाहते हैं तो उन्हें यह कहना पड़ेगा कि नियम 352 लागू नहीं होगा क्योंकि वह नियम 352 के अन्तर्गत आरोप नहीं लगा सकते हैं। नियम अत्यन्त स्पष्ट है नियम 353 के अन्तर्गत भी वह भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के मामलों तथा उस सौदे का उल्लेख कर रहे हैं। मैं शकधर और कौल की पुस्तक को भी उद्धृत करना चाहता हूँ। कृपया थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने दें। उपाध्यक्ष महोदय नियम अत्यन्त स्पष्ट हैं। क्या उन्होंने नियम 353 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन ने यह पत्र अध्यक्ष, लोक सभा, संसद भवन को लिखा है :

"रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मैं रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सी. पी. एन. सिंह, जो इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री हैं, का उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं सेंचुरियन टैंकों/प्रतिकित सौदों के सम्बन्ध में श्री डब्ल्यू. आर. एम. मिकेले और लेवी आटो के एडवर्ड लेवी के नाम का भी उल्लेख करूंगा।"

और श्री उन्नीकृष्णन को अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया संबंधी नियमों के बारे में बताया गया है। हमने उन्हें बता दिया है। (व्यावधान) और उन्होंने यहां पर यह सभी जानकारी दी है।

(श्री मलिकार्जुन) : यह मामला राज्य सभा में उठाया गया है और इसका उचित प्रकार से उत्तर भी दिया गया है। क्या आप मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति देंगे ?

श्री के. लकप्पा : नियम 353 के अन्तर्गत...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आपके अनुसार वह मंत्री महोदय के खिलाफ कुछ आरोप लगा रहे हैं। मंत्री महोदय को उत्तर देने का अधिकार होगा। आप क्यों चिंता करते हैं ?

श्री के. लकप्पा : नियम अत्यन्त स्पष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को उत्तर देने का अधिकार होगा।

श्री के. लकप्पा : वह नियम 53 के अन्तर्गत आरोप अथवा आक्षेप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके अनुसार आरोप लगाये गये हैं। वह सभी आरोपों के लिए, जो वह लगा रहे हैं, दायित्व लेते हैं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जी हाँ, मैं केवल दायित्व ही नहीं लेता हूं। वे इसका खण्डन कर सकते हैं।

श्री के. लकप्पा : इन्हीं आरोप पर राज्य सभा में चर्चा की गयी थी और सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने इन आरोपों का खंडन किया था और मामले को समाप्त कर दिया गया था मैंने इन आरोपों के बारे में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह विषय इस सम्मानीय सदन के समक्ष निर्णय के लिए विचाराधीन है ; मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया (व्यवधान) जब सभा इस विषय पर विचार कर रही है तो क्या वह इस विषय पर आक्षेप अथवा कोई आरोप लगा सकते हैं ? (व्यवधान)

प्रो. पी. जी. कुरीयन (मवेलीकारा) आप उनके व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दे दिया है। वह क्यों बोल रहे हैं ?

श्री के. लकप्पा : नियम 353 के अनुसार और कौल तथा शकधर की पुस्तक के अनुसार यदि वह प्राधिकार वाले किसी 'प्राधिकार' में आए एक मन्त्री शामिल हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप अथवा कोई आक्षेप लाना चाहते हैं तो यह एक प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जी. कुरियन : महोदय, आपने अपना विनिर्णय दे दिया है। तब वह किस प्रकार बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष मोहदय : मैं आपकी जानकारी के लिए कौल और शकधर की पुस्तक में जो कुछ कहा गया है, उसे पढ़ता हूं। उसमें क्या कहा गया है :

"कोई आरोप लगाते हुए एक सदस्य को सावधान रहना पड़ेगा। उसे स्वयं को संतुष्ट करना पड़ेगा कि स्रोत विश्वसनीय है और आरोप तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में अध्यक्ष अथवा मंत्री महोदय को लिखने से पूर्व और साथ ही सदन से बोलने से पूर्व उसे इस मामले में प्रत्यक्षत: जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित आरोप से सम्बन्धित किसी नोटिस को अनुमति नहीं दी जाती है जब तक इसे पेश करने वाला सदस्य अध्यक्ष को पर्याप्त प्रमाण नहीं दे देता है कि आरोप में कुछ वास्तविक आधार है अध्यक्ष को दिए गये नोटिस में सदस्य को आरोप के बारे में जिसमें उसका विचार किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य सदस्य के खिलाफ यह आरोप लगाने का है, संक्षिप्त ब्यौरा देना अपेक्षित है ताकि अध्यक्ष मामले पर पहले से ही विचार कर सकें।"

श्री के. लकप्पा : मुद्दा यह नहीं है। यह उच्च प्राधिकार वाले एक व्यक्ति के खिलाफ है। आप नियम 353 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण देखें। इसमें कहा गया है :

"शब्द" उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को अवश्य सुनुंगा। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री के. लकप्पा : इसमे कहा गया है :

"शब्द" उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिसके आचरण

की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप से रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, की जानी चाहिए···

इसका आशय है कि एक मूल प्रस्ताव पेश करना होता है। यदि वह व्यक्ति उच्च प्राधिकार वाला एक व्यक्ति है। आज कल उच्च प्राधिकार वाला व्यक्ति एक मंत्री होता है और सदस्य नियम 352 के अन्तर्गत उन्हें नहीं ला सकता है और अपना बचाव नहीं कर सकता है और ऐसे आरोप लगाता है जिन पर अन्यथा भी अन्य सदन में पर्याप्त रूप से चर्चा हुई हो। इससे इन्कार किया गया है और इसे छोड़ दिया गया है।

अब उनके पास कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि वे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में यदि वे एक व्यक्ति के खिलाफ, जो प्राधिकार वाला हो, कोई आरोप अथवा कोई आक्षेप लगाना चाहते हैं···(व्यवधान) मैं समझ सकता हूँ यदि यह अन्य सदस्यों के खिलाफ है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्राधिकार वाला है, वह मंत्री होता है और वे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं और इन सभी को नहीं कह सकते हैं · अतः उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह लिखित में दे चुके हैं। मैंने उन्हें यह बात इस सदन में कहने की अनुमति दी है और उन्होने दायित्व लिया है। अतः मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूँ। यह आप से अनुरोध है। (व्यवधान) नहीं, यह मामला समाप्त हो गया है।(व्यवधान)

श्री के. के. तिवारी (बक्सर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो. के. के. तिवारी : इस आरोप को इस सदस्य निर्देशिका में परिभाषित किया गया है। मैं सम्बन्धित अंश पढ़ रहा हूं। पृष्ठ 97 पर, इसमें यह कहा गया है :

"किसी सदस्य को किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाना चाहिए···"

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'सदस्य निर्देशिका' को उद्धृत किया है। (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : आपने कहा है कि उन्होंने सूचित किया था। अब दूसरा अंश, जो इस वाद-विवाद से सम्बद्ध है, पृष्ठ 97 पर निम्न प्रकार से हैं :—

"अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोक सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरूद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।"

इस आरोप से किसी लोकहित की पूर्ति नहीं होती हैं। यह आरोप निराधार है। अतः मेरे विचार से आपको सदस्य को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आपके अधिकार आपकी शक्ति के अन्तर्गत है—आप कोई आरोप लगाने से किसी सदस्य को मना कर सकते हैं यदि वह लोकहित में न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे चुका हूँ और मैं केवल इस निर्देशिका के अनुसार चल रहा हूं। (व्यवधान) वह बोलने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : नियम 349 (सात) के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टाइटलर, कृपया··· (व्यवधान) श्री हरिकेश, आप कृपया मुझे संबधित करें। (व्यवधान) श्री टाइटलर, कृपा अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) श्री हरिकेश आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टाइटलर यह क्या है ? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)* अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) मैं माननीय सददस्यों से अपील करता हूं कि हम शिष्टता और मर्यादा से सभा की कार्यवाही का संचालन करें। मैं अपील करता हूं कि आप अपने हाथों का प्रदर्शन न करें। आप अपनी बारी से बोलें। कृपया बैठ जाइये। हमें शिष्टता और मर्यादा से सभा की कार्यवाही का सचालन करना चाहिए। कृपया बैठ जाइये। श्री हरिकेश बहादुर आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है आगे आ जाइये। यहां पर पर आ जाइये और अपना व्यवस्था का प्रश्न करें। (व्यवधान) आपकी विभिन्न स्थानों में अलग-अलग सीटें हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यववान) मैं आपको बता चुका हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप लोकहित की परिभाषा करें जो इन आरोपो को लगाकर सिद्ध होते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल वहाँ पर खड़े हुए हैं। वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमान,

"जब सभा की कार्यवाही चल रही हो, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए एक सदस्य अपनी सीट पर विराजमान रहेंगे।'

ये सभी सदस्य जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, अपनी सीटों पर नहीं बैठे हुए हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपाया बैठ जाएं। समय खराब न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : (व्यवधान) मैं अपनी व्यवस्था पहिले दे चुका हूँ। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इसे खराब न करें। कृपया बैठ जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। अब श्री शिव शंकर बोलेंगे। (व्यवधान)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : मैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ वह यद्यपि बहुत ही तकनीकी दिखाई देगा परन्तु वह क्या है कि क्या नियम 353 इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है। (व्यवधान) मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मुझे क्षमा करें। मेरा अनुरोध यह है कि नियम 353 इस मामले पर लागू नहीं होता है जो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कहना चाहता हूँ क्या उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आप मेरी बात पर ध्यान दें और तब आप अपनी व्यवस्था दें । जहां तक नियम 353 का सम्बन्ध है, इसमें कहा है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति एक के विरूद्ध मानहानिकारक अथवा अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा···"

इस प्रकार "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया गया है । जहां तक नियम 353 का सम्बन्ध है, सम्बद्ध व्यक्ति को तथा अध्यक्ष महोदय को उसके बारे में सूचना दी जानी होती है । अब मेरा अनुरोध यह है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगाया जा रहा है वह व्यक्ति मन्त्री है । अतः मेरे विचार से इस बारे में विशेषरूप से नियम 352(दो) अथवा 352 (पांच) लागू होगा । मैं पहले नियम 352 (दो) के बारे में अनुरोध करूंगा और बाद में नियम 352 (पांच) के सम्बन्ध में । नियम 352 (दो) में कहा गया है :—

"सदस्य बोलते समय किसी सदस्य के विरूद्ध व्यक्तिगत दोषारोप नहीं करेगा···

यह व्यक्ति सदस्य एवं मन्त्री हैं । अब मैं आपका ध्यान नियम 352 (पांच) की ओर आकर्षित करता हूं । इसमें कहा गया है :

"उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा···"

इसमें हसने की कोई बात नहीं है (व्यवधान) कृपया सुनें । मेरा आप से अनुरोध है··· (व्यवधान) यदि मेरा तर्क ठीक न हो मैं बैठ जाने को तैयार हूं । यदि मैं कोई बात उठा सकता हूं । तो मुझे हक है कि···(व्यवधान) इसमें हंसने की कोई बात नहीं है ।

मैं कह रहा था "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब कि चर्चा ऊचित रूप से रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो" इसके बाद इसकी व्याख्या दी गई है ।

"व्यवधान" "शब्द उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से हैं, अध्यक्ष की राय में जिनके आचरण की चर्चा रखे गये ऐसे मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए, जो उसके (अध्यक्ष) द्वारा अनुमोदित किया जाये ।"

अतः जहां तक नियम 352 (पांच) का सबन्ध है समुचित ढंग से एक मूल प्रस्ताव तैयार किया जाना है । व्याख्या के अनुसार यह दो प्रकार के मामलों पर लागू होता है । एक वह हैं जिनके विरूद्ध सवैधानिक संरक्षण उपलब्ध है और दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जिनको स्वय अध्यक्ष महोदय संरक्षण देते हैं । अब मैं आपसे "कौल और शकधर—II, पृष्ठ 779", को देखने का अनुरोध करता हूं । जहां तक व्याख्या के प्रथम भाग का सम्बन्ध संविधान द्वारा सरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के बारे में है । मैं इसको छोड़ता हूं । मैं दूसरे वर्ग के लोगों के सन्दर्भ में, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, यह पढ़ रहा हूं । मेरा अनुरोध है कि आप छठी पक्ति से पढ़ें जो वाक्य अन्य उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियो" "शब्दों से आरम्भ होता है । मैं सारी बात पढ़ता हूं जिससे कि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके :

"किसी सदस्य द्वारा विधेयक, प्रस्ताव संकल्प अथवा किसी अन्य प्रकार की चर्चा के

दौरान भाषण में किसी उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के आचरण पर प्रासंगिक रूप से कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। संविधान में कुछ पदाधिकारियों के अर्थात राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, आदि आचरण पर उसमें बताये गये ढंग से चर्चा के लिए उपबन्ध दिये गये हैं।"

अगला वाक्य कुछ अधिक महत्व का है।

"अन्य उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों अर्थात राज्यपालों, मन्त्रियों, सांविधिक प्राधिकारियों पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत रूप में तैयार किए गए उपयुक्त प्रस्तावों के जरिए की जा सकती है।"

यदि आप नियम 352 (पांच), व्याख्या पढ़ेंगे तो यह व्याख्या का बाद का अंश इस प्रकार है "या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उनके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिये' अतः अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार तथा शकधर के मत के अनुसार मंत्री बाद वाले वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः नियम 353 को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता। अध्यक्ष अथवा मन्त्री को सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता। एक मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। विशिष्ट नियम, जो लागू होता है वह है 352(पांच) अथवा 352 (दो) है। अतः मेरा अनुरोध है कि वे ये सभी मामले नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे अपनी व्यवस्था देनी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था की प्रश्न उठाया है और अब मुझे अपना विनिर्णय देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसका निपटारा कर सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने सदन को गुमराह किया है। कृपया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 देखें जो कि इस देश में सर्वोच्च है। इसमें कहा गया है :

"इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक् स्वतन्त्रय होगी।"

इस बारे में कोई स्थायी आदेश नहीं है। हमारा केवल एक बाईबिल है और वह है प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अधीन।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उनकी ओर आ रहा हूं। श्री शिव शंकर एक वकील हैं। वे वकील के पेशे में रहे हैं। वे अभी भी पेशे में हो सकते हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। (व्यवधान) मैं उनके सम्मान में कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर वह केवल कानून मन्त्री है। अन्य बातों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गैर-कानूनी कानूनों के साथ भी।

कृपया समझने की कोशिश करें। सबसे पहले 'व्यक्ति' के अन्तर्गत मंत्री भी आता है, इसमें सदस्य भी आता है। आप नियम 353 देखें। इसमें कहा है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान हानिकारक अपराधारोपक स्वरुप का आरोप नहीं लगाया जायेगा।"

इसमें सबसे अधिक महत्व के शब्द हैं "किसी व्यक्ति"। इस "किसी व्यक्ति" में विशेष रूप से उल्लिखित राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आदि के अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं। अन्य सभी व्यक्ति नियम 353 के अन्तर्गत आते हैं। अतः यदि मंत्री को अग्रिम प्रतियों के साथ अध्यक्ष महोदय को उपयुक्त सूचना दी गई है तो यदि माननीय सदस्य का यह मत है कि वे सच हैं तो वह यह आरोप लगा सकता है। मंत्री को अधिकार है कि वह उनको अस्वीकार करे अथवा उसकी निन्दा करे और जो कुछ चाहे करे। भ्रष्टाचार के आरोप से भागना अच्छा नहीं है। उन्हें हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिये। उनको अधीकार है कि उसको अस्वीकार करें और श्री उन्नी कृष्णन को बतादें कि वह मनगढ़न्त कहानियां कह रहे हैं। अतः नियम 353 इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है।

(व्यवधान)

प्रो. जे. कुरियन : नियम 376, उप-नियम (3) कहता है :

"उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देना जो अन्तिम होगा"

प्रो. तिवारी ने भी उसी नियम 352 का उल्लेख किया था जिसको माननीय मन्त्री ने भी उद्धृत किया है। उस पर आप अपना विनिर्णय दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी विनिर्णय पहले ही दे चुका हूँ। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : वह अन्तिम है। यही प्रक्रिया है। आपने प्रो. तिवारी की बात पर अपना विनिर्णय दिया और वह अन्तिम है।

श्री एडुआर्डो फलेरो : लगभग दो सप्ताह पूर्व सदस्यों तथा मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप लगाने के इन मुद्दों पर सम्बद्ध विनिर्णयों की एक पुस्तिका सदस्यों में परिचालित की गई थी। कम से कम मुझे यह अवश्य प्राप्त हुई है। उसमें अध्यक्ष द्वारा 1960 से 1970 वाले दशक में वर्ष 1967 में दिये गये दो विशिष्ट एवं स्पष्ट विनिर्णय थे—एक विनिर्णय सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाने के बारे में और दूसरा मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाने के बारे में है। इन दोनों विनिर्णयों का सारांश स्वयं नियमों में और कौल तथा शकधर की पुस्तक में है। सारांश यह है। मन्त्री के विरुद्ध आरोप तभी लगाया जा सकता है बशर्ते कि आरोप कि सारांश अध्यक्ष महोदय को दिया जाये। इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि "मैं श्री के. विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूँ।" उनको बताना है कि वे श्री ·· के विरुद्ध क्या कहना चाहते हैं, उस आरोप का सारांश···। (व्यवधान)

आरोप का सारांश, आरोप का पाठ अध्यक्ष महोदय को अवश्य दिया जाना चाहिये जिससे कि मंत्री उसका उत्तर दे सके। दूसरे विनिर्णय में यह है कि उन आरोपों के बारे में सदस्य उनके समर्थन में कही जाने वाली बातों से भी अध्यक्ष को अवगत कराया जाना चाहिये जिससे कि मंत्री उसे जान सके, उसका मूल्योकन कर सके। महोदय आपने जो कुछ बताया है उससे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मंत्री का नाम नहीं लिया जा सकता और उसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री एच के. एल. भगत : नियमों में प्रासांगिक उपबन्ध नियम 353 में किया गया है।

एक माननीय सदस्य : वे इसि विषय पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं सभी माननीय सदस्यों के विचारों का पता लगा रहा हूं। (व्यवधान) अभी अभी आपने वाक स्वातन्त्रता का उल्लेख किया था। मैं आपको समय दूंगा। आप घबरायें नहीं।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं सम्मानपूर्वक यह अनुरोध कर रहा हूँ कि नियमों में दो वर्गों के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं। एक सामान्य वर्ग के लोग हैं और दूसरे अधिकार वर्ग के..... (व्यवधान) मैं अर्थ निर्धारण के नियम जानता हूं। मान लिया इन सदस्यों का नियम 353 के बारे में तर्क ठीक है तब नियम 352 व्यर्थ हो जाता है। कानून बनाने वालों ने अपनी बुद्धि के अनुसार नियम 352 का उपबन्ध किया जिससे कि यदि प्राधिकार वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चाहे वे मन्त्री अथवा अन्य वर्ग के हों, मौलिक प्रस्ताव का उपबन्ध है। उस स्थिति में सामान्य खंड लागू नहीं होता अपितु दूसरा खंड लागू होगा। अतः श्री शिव शंकर ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब माननीय विधि मंत्री श्री पी. शिव शंकर के द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय देता हूं। मैं श्री शिव शंकर से इस बात से सहमत हूं कि संविधान में कुछ प्राधिकारियों के आचरण पर चर्चा उसमें बतायें तरीकों के अनुसार की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियन्त्रक तथा महालेखा परिक्षक, भाँतियों तथा सांविधिक प्राधिकारियों के आचरण पर चर्चा समुचित प्रस्ताव के द्वारा की जा सकती है जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत ढंग से तैयार किया गया हो। अतः श्री उन्नी कृष्णन श्री सी. पी. एन. सिंह के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। उन्हें मंत्री के आचरण पर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यह सदन हकदार है, यह भारत की समेकित विधि का प्रभारी है...(व्यवधान) अतः यदि मैं किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते, जब तक कि आप मौलिक प्रस्ताव न लाएं।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन : महोदय, मेरा अब एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री के. लक्कप्पा : महोदय, आप अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं और ये अभी भी...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। (व्यवधान) यह अंतिम है। मेरे विनिर्णय पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यह सभा की अवमानता होगी।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि मन्त्री के आचरण के बारे में कोई प्रस्ताव है उस पर केवल भर्त्सना प्रस्ताव के रूप में ही चर्चा हो सकती है, जिसका उपबन्ध किया गया है; जो इस सदन में श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध पेश किया गया था, जो मैंने श्री चरण सिंह के विरुद्ध पेश किया था, जो इस सदन में श्री एल. एन. मिश्र के विरुद्ध पेश किया गया था। वह एक अलग वर्ग है। उसका सम्बन्ध किसी भूल-चूक के बारे में किसी मन्त्री के आचरण के विरुद्ध भर्त्सना प्रस्ताव से है। वह पूरी तरह से भिन्न है। परन्तु किसी सदस्य को मांगों पर चर्चा के दौरान विशेष उल्लेख करने से नहीं रोका जा सकता। जब हम मांगों पर मतदान करते हैं, और चर्चा के रूप में मांगों पर विचार करते हैं तो उस समय यदि आप सदस्यों को कर्तव्य पालन से रोकना चाहते हैं और यदि आपने यही विकल्प चुना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु मैंने जो कुछ कहना है, जो कुछ आलोचना मैंने करनी है किसी मन्त्री के कार्य निष्पादन के बारे में वह मैं करता रहूंगा और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। अब कृपया सुनें।

मैं दोहराता हूँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ कि मन्त्री ने भारतीय राजदूत द्वारा 29 फरवरी को मैड्रिड में दी गई चेतावनी और सलाह की उपेक्षा की··· (व्यवधान) मेरे विनिर्णय देने के बावजूद यदि वे मंत्री के विरुद्ध आरोप का उल्लेख करते हैं तो उसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान) मैं केवल नियमों का पालन कर रहा हूं। यह बहुत ही स्पष्ट है। (व्यवधान) आरोप नहीं लगाये जा सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं आपको विनिर्णय के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण मांगने के हकदार नहीं हैं। विनिर्णय के बारे में कोई स्पष्ट करण नहीं दिया जा सकता। (व्यवधान) मेरा विनिर्णय अन्तिम है। उस पर स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। उस पर विचार तथा चर्चा भी नहीं की जा सकती। (व्यवधान) मेरा विनिर्णय अन्तिम है। उस पर विचार तथा चर्चा नहीं की जा सकती। उस पर स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं। (व्यवधान) मैंने पहले दिया गया विनिर्णय केवल उद्धृत ही किया है और इसलिये···

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न पहले उठाया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : उप ध्यक्ष महोदय, जब कि श्री उन्नीकृष्णन··· (व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : (पारवतीपुरम) आप अध्यक्ष पीठ पर नहीं बैठे हैं ·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कृपया बैठ जायें।

श्री चन्द्र जीत यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ···(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आपने विनिर्णय दिया है और मैं समझता हूं कि श्री उन्नीकृष्णन···(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप आरोप से इतना क्यों डरते हैं ?

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : कृपया मुझे बोलने दें, ऐसा कोई पत्र नहीं था ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, मैं केवल पिछला विनिर्णय उद्धृत कर रहा हूँ।

श्री चन्द्रजीत यादव : जो कुछ आपने उद्धृत किया है मैं उसके बारे में कुछ कह रहा हूँ। आप जो कुछ उद्धृत कर रहे थे श्री उन्नीकृष्णन ने उसे स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा कि मंत्री ने राजदूत को चेतवानी की उपेक्षा की और उसके बाद आपने टिप्पणी की···(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप ने एक सामान्य टिप्पणी की कि जो भी आरोप लगाया जायेगा उसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के विनिर्णय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि आप समझते हैं कि कुछ गलत है तो आप कह सकते हैं कि उसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा। परन्तु आप इस प्रकार की सामान्य टिप्पणी नहीं कर सकते। आप रिपोर्टरों को जो यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं यह अधिकार नही दे सकते। वे सदस्यों के वक्तव्यों पर विचार नहीं कर सकते। यदि इस पर आपत्ति नहीं की जाती तो यह एक गम्भीर टिप्पणी होगी। आप रिपोर्टरों को अधिकार दे रहे हैं। जिन शब्दों को प्राय : आरोप माना जाये उनको कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा। आप यह कह सकते हैं कि यह आरोप है इस लिये इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा और मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल उल्लेख कर रहा था···(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : इतना मात्र कहना कि मंत्री ने राजदूत की चेतवानी की उपेक्षा अथवा मत्री ने विभाग की चेतावनी की उपेक्षा की, कोई आक्षेप नहीं हैं। यह आरोप नही हैं। अत: मैं समझा हूँ कि हम इस प्रकार का विनिर्णय स्वीकार नहीं करेगे। कृपया अपना विनिर्णय संशोधित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सी. पी. एन. सिंह : श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को देखते हुए मैं अब स्पष्ट रुप से कहता हूं कि किसी राजदूत ने मुझे सिफारिश नहीं भेजी।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं और आगे स्पष्ट कर सकता हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके विनिर्णय के बाद भी मैं अध्यक्षपीठ से यह जानना चाहता हूँ कि जब इस सदन की परम्परा के अनुसार चर्चा चल रही है तो क्या आलोचना तथा दुर्भावना के साथ आरोप लगाने के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है ? इन दो के बीच अन्तर है। यहां तक कि देश का प्रधान मंत्री भी इस देश में आलोचना से नहीं बच सकता और···के पीछे शरण नहीं ले सकता (व्यवधान) और तीखे ढग से आलोचना चलती रहेगी और मैं नहीं समझता जब तक कि यह अपमानजनक न बन जाए तब तक 353 सदस्य भी किसी मत्री की आलोचना को रोकने में समर्थ न होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखिए, श्री उन्नीकृष्णन।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यदि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी खाद्य मंत्री द्वारा अभी-अभी कही नई बात सही है, तो यह बहुत ही दुःखद स्वीकारोक्ति है इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि वे आदेश जारी करते समय फाइलें नहीं देखते । यदि वे अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि हमसे बुरी बात और क्या हो सकती है ।

मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि स्पेन तथा मेड्रिड में हमारे राजदूत से 29 फरवरी, 1980 तथा 10 अप्रैल, 1980 के पत्र प्राप्त हुए थे जिसे विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को तथा भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा 'एडे मेमोयर्स' को भेज दिया था, जिसमें इन लोगों के साथ कारोबार करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी । यद्यपि साईकल के फैरो इम्पार्टस द्वारा वैध अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र तथा एक स्पष्ट बैंक गारण्टी, तथा दो अहस्तांतरणीय शर्तें भी इस सौदे के लिए तैयार की गई थी, नहीं प्रस्तुत की गई थी, रक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी सदाशयता को स्वीकार कर लिया गया था और जिन शर्तों के बारे में लोक लेखा समिति के 81वें प्रतिवेदन के माध्यम से संसद द्वारा जोर दिया गया था तथा बाद में लोक लेखा समिति की कृत कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट, जो सदन को इसी सत्र में प्रस्तुत की गई थी, मैं इन बातों को पुनः स्वीकार किया गया था । एफ. एफ. ई. द्वारा उल्लिखित 36000 और विकर्स द्वारा उल्लिखित 80,000 की दर की तुलना में माइकेल ने 26500 की निम्नतम दरें दी थीं । क्या रक्षा मन्त्रालय की जानकारी में यह बात नहीं थी कि 'फैरो इम्पार्टस' 'इन्टर आर्म्स' मानचेस्टर आफ कमीन्स को जो हथियार बेचकर विश्व में कहीं भी गृह भड़काने वाली या युद्धभड़काने वाली प्रमुख कार्य है, जिसे 'दी टाइम मैगजीन एण्ड एन्टनी सैम्पसन' द्वारा मौत विक्रेता के नाम से पुकारा जाता है । अतः जो बात मैं जानना चाहता हूँ वह यह है कि इस बात के बावजूद कि एक ले. जनरल द्वारा जो आयुध सेवाओं के महानिदेशक भी रहे हैं 25 अप्रैल को हुई बैठक में इस बात का दावा किया था कि इसे गैर-सैनिक घोषित करना तकनीकी दृष्टि से असम्भव है, क्या 2 मई, 1980 को रक्षा राज्य मंत्री ने प्रधान मन्त्री से सिफारिश की थी कि इसे "गैर-सैनिक शर्तों" पर बेच दिया जाए । मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि 22 मई, 1980 को प्रधान मंत्री ने निदेश दिया कि 'निर्धारित शर्तों का उल्लघंन नहीं किया गया है, कि अन्तिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र, इसको हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह कहाँ जा रहा है और वित्त मंत्री की राय चाही थी । 28 मई, 1980 को वित्त मंत्री, जो एक सुयोग्य व्यक्ति हैं, ने पुनः अन्तिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र के लिए दबाव डाला तथा रक्षा मंत्रालय से अब इस मामले पर पुनर्विचार करने तथा इस प्रस्ताव को रद्द करने हेतु कहा गया, किन्तु मंत्री महोदय, जो जल्दी में थे, ने 3 जून 1980 को फालतू पुर्जों के सौदे के बारे में 3 जून की यह तिथि काफी महत्वपूर्ण है, यह सुझाव दिया था तथा आदेश दिया था कि उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो अन्तिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे—न कि यह आवश्यक है, तथा हम इस पर जोर देंगे । किन्तु उन्होंने उल्लेख किया कि अन्तिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र देने वालों को वरीयता दी जाएगी ।

यहाँ दुर्भाग्यवश हमारे देश में प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री प्रस्ताव करते हैं किन्तु एक राज्य मंत्री उन्हें रद्द कर देते हैं । तब स्थिति क्या हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता ।

कनाडा की लैवी आटो कम्पनी से आये प्रस्ताव पर 15 अप्रैल, 1980 को विचार किया गया और तत्काल रद्द कर दिया गया । तब उसे एक, गम्भीर बोलीदाता नहीं माना गया था ।

किन्तु एडवार्ड लेवी और उसके भारतीय सहयोगियों ने इस मामले को वहीं कहीं छोड़ दिया। 23 मई, 1980 को इसके फालतू पुर्जे बेचने का निर्णय कर लिया गया जबकि एक मेजर जनरल की राय में जिसके विचारों को बैठक के कार्यवाही-सारांश तक में पहले शामिल नहीं किया था तथा थल सेनाध्यक्ष द्वारा जोर दिए जाने पर जिन्हें बाद में शामिल किया गया था, उनका प्रस्तावित मूल्य नियत मूल्य के बराबर भी नहीं था।

2 मई 1980 को मंत्री महोदय ने इस सौदे को मंजूरी दे दी तथा 3 जून 1980 को एक हाथ से लिखे नोट में उन्होंने दावा किया कि फालतू पुर्जों के सोदे को उसी तारीख के अन्य-अन्य नोट द्वारा असम्बद्ध पर दिया गया है। इस 5000 टन फालतू पुर्जों का प्रस्तावित मूल्य क्या था ? यह मूल्य 70 लाख रु. अथवा 9 लाख डालर था जबकि 800 टन ए. एम. एक्स 13 फालतू पुर्जों से कुछ ही महीने पूर्व $8\frac{1}{2}$ लाख डालर प्राप्त हुए थे। यह मेरा विचार नहीं।

अन्तिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र का क्या हुआ ? यह समाप्त हो चुका है। इस बारे में, न केवल सैनिक जनरलों ने बल्कि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने भी यह कहा था कि इस साज सामान की यह कीमत बहुत ही कम है और इसलिये इसे सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन को ही क्या न बेच दिया जाए। किन्तु मंत्री महोदय ने यह बात नहीं चलने दी और 7 जुलाई, 1980 को मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन की निरीक्षण टीम आने से पहले ही उसे बेच दिया गया था और विगत तारीख का एक चेक प्राप्त कर लिया गया था। इसलिये हम इस मामले को उठा रहे हैं। यह विक्रम बहुत ही भद्दे तरीके से किया गया। मैं इस मामले को प्रधान मंत्री पर छोड़ता हूं। यदि इसमें उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं लगता, तो यह मामला मैं उन पर छोड़ता हूँ। किन्तु किसी भी लोक तान्त्रिक देश में सरकार का वह नैतिक दायित्व है कि वह जन सामान्य की नैतिकता बढ़ाये। किन्तु यहाँ मैंने जो कुछ देखा है, उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि उस पर मुझे दुख हुआ है।

जहां तक हम सदन में रक्षा बजट विनियोगों की स्वीकृति की बात है और भारत की संचित निधि से धन निकलने की बात है मंजूरी देने से पूर्व हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस इस दायित्व को, इन जिम्मेदारियों को पूरा करें और इन्हीं दायित्वों को निभाने के लिए मैं यहाँ बोला हूं।

मैं यह बात दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि रक्षा के मामले पर एक राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त किया जाए और विपक्ष का भी सहयोग लिया जाए, किन्तु सदन द्वारा स्वीकृत संसाधनों का, उत्पादित तथा मंगाई कई सामग्री का उपयोग पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। मेरा मुद्दा यह है।

अब मैं सुरक्षा के वातावरण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस सदन को ज्ञात है कि एक अमरीकी सैनेटर ने परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने वाली संधि पर संशोधन देते हुए यह कहा था कि "जो देश परमाणु अस्त्र बनाना चाहते हैं उनको अमरीकी हथियार नहीं दिए जा सकते।' लेकिन अब पाकिस्तान को अमरिका हथियार और समर्थन देने के लिए यह संशोधन वापस लिया जा रहा है। स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस संशोधन को वापिस लिया जाना इस तथ्य का सूचक है कि पाकिस्तान अमरीका को इस सम्बन्ध में आश्वस्त नहीं कर पाया है कि इनका उपयोग परमाणु अस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा। और अमरीका पाकिस्तान

का समर्थन और उसे शस्त्र देना महत्वपूर्ण समझता है, कि वह एक कांग्रेसी विधायी संशोधन द्वारा पाकिस्तान की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं तथा कार्यक्रमों को वैधता तथा विधायी वैधता देने तक के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि अमरीका पाकिस्तान की सशस्त्र सेना में निहित स्वार्थ बना रहा है। इसीलिए अमरीकी सचिव श्री अलैक्जेण्डर हैग ने "पाकिस्तान से तुर्की तक सामरिक मतैक्य' के बारे में उल्लेख किया है। यह प्रश्न पूर्व के पारस्परिक हितों का प्रश्न नहीं है, यह वचनबद्ध सम्बन्धों का नहीं है जो अमरीका और पाकिस्तान के बीच छठे तथा सातवें दशक में हमेशा रहे हैं और जिसके फलस्वरूप वर्ष 1971 में 'फ्लैगशिप' उपक्रम भेजा गया है।

हमें पाकिस्तान द्वारा अपनी पसन्द के स्रोतों से हथियार लिए जाने पर आपत्ति नहीं है। उदाहरणार्थ राष्ट्रपति भुट्टो के समय में, वर्ष 1972 से 1977 के दौरान, पाकिस्तान को चीन, फ्रांस आदि से दो अरब डालर मूल्य के हथियार प्राप्त हुए थे, जिसके लिए मध्य पूर्व के देशों से धन प्राप्त हुआ था। किन्तु हम जो आपत्ति कर रहे हैं कि हमें ऐसे हथियारों का ध्यान रखना है किन्तु, मैं दोहराता हूं कि श्री हैग द्वारा निर्धारित की गई तथाकथित "सामरिक मतैक्य' तथा हमारे लिए इसके परिणामों पर आपत्ति है, पाकिस्तान के परमाणु अस्त्र सम्बन्धी कार्यक्रम का अमरीका समर्थन कर रहा है, तथा अमरीका के दक्षिण एशिया में अन्तर्ग्रस्त होना और वायदे पर आपत्ति है। इसलिए अमरीका 'अफगानिस्तान, ईरान और खाड़ी के देशों की बात कर रहा है। खाड़ी के देशों में अमरीका की स्थिति क्या है 'रेमिड डेप्लाएमेंट फोर्स का इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। जो मूलभूत प्रश्न उठाया गया है.....,

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णनन : ये बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। मेरा सारा समय ले लिया गया है.....(व्यवधान)।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अब हमें 6.00 बजे के बाद बैठना पड़ेगा

उपाध्यक्ष महोदय : तब हमें 6.00 बजे के बाद तक बैठना पड़ेगा...

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : अमरीका का मूलभूत सवार्थ है :

(क) सऊदी अरब के 10,000 वर्ग मील तेल-क्षेत्र बन्दरगाह तथा प्रतिस्थापनायें उनके लिए खुल जाएंगे, और

(ख) सऊदी अरब तथा खाड़ी के देशों में कोई अन्तरीक अथवा समाजिक परिवर्तन नहीं चाहिए। यह मूलभूत वायदा है। ऐतिहासिक दृष्टि से हमें याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान तथा खाड़ी के देशों में घटनाओं से पूर्व तेजी से सेनाओं को हटाने मंजूरी दी गई थी, और अगर बैंगन के अलावा इन स्थानों से चढ़ाई करना सोवियत रूस के लिए सम्भाव नहीं था। वहां भी, उनके बड़ स्वार्थों के सबध में अमीरीकी नीति में गैर-रूसी खतरों के बारे में चर्चा की गई है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। इस प्रकार अब सभी जगह, चाहें वह सोमालिया में इजिप्त में रासबेनस हो अथवा केन्या में मोम्बासा हो अथवा ओमन में मसीराह आदि हों। यह सब कुछ पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों के चारों ओर जाल बुना गया है।

इस प्रकार प्राप्त किए गए हथियारों से घरेलू तनाव बढ़ता है तथा सशस्त्र सेनाओं में

तनाव बढ़ता है। श्री हेंग ने 'सामरिक सहमति' का जो उल्लेख किया है उसका भी यही आशय है कि अमरीका पाकिस्तान की सशस्त्र सेना में निहित स्वार्थ बना रहा है और पाकिस्तान की आन्तरिक स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत बना रहा है। हमें इतिहास से शिक्षा ग्रहण करनी है और मुझे आशा है कि पाकिस्तान के लोग भी इसे सीखेंगे, अन्यथा वहां जनरलों द्वारा और भी चढ़ाई की जा सकती है; जैसा कि हमने कोरिया, वियतनाम आदि देशों के मामले में देखा है। इसी को मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बताया है। मेरा प्रधान मन्त्री से अनुरोध है कि वह पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान में हमारे भाईयों से, जिनके साथ हमारा शताब्दियों का नाता है, अपील करें कि वह अमरीकी हस्तक्षेप के प्रस्तावों का समर्थन न करें। उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

अब इन सभी स्थितियों का राजनीतिज्ञ और वे लोग जो अधिनायकवाद में विश्वास करते हैं, जैसे चाहें उपयोग करें। किन्तु मैं भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई अथवा डा० सुब्रह्मम स्वामी को नहीं समझ पाया जब वे हमारी सेना की तैयार के बारे में चर्चा करते हैं कि अब क्या कुछ हो रहा है।

क्या मैं उन्हें ध्यान दिला दूं कि श्री मोरारजी भाई के दिनों में ज्यादा हथियारों की खरीद की गई तथा समझौता किए गए, चाहें वह जगुआर, मिग 23 अथवा 25, टी 72 टैंक हों अथवा पनडुब्बी के सौदे हों अथवा आधुनिकीकरण कार्यक्रम हों। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा देश, जैसा कि मैंने पहले बताया वह समझौता करने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह अनभिज्ञ नहीं रह सकता, वह चूक नहीं सकता। किन्तु मैं इस मुद्दे को पुनः उठाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री उत्तर देंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप आवंटित समय से अधिक समय ले चुके हैं।

डा. कर्ण सिंह (उधमपुर) : हमारे विषय में क्या निर्णय किया गया है? हमें अवसर नहीं मिला है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं। नियत समय समाप्त हो चुका है। मैं सिर्फ डा. कर्ण सिंह को अनुमति देता हूँ क्योंकि वे एक बार भी नहीं बोले हैं।

डा. कर्ण सिंह : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी क्योंकि इस सदन में एक निर्दलीय सदस्य को भी अपनी बात करने का अधिकार है···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अल्पसंख्यक लोगों के हितों का ध्यान रखता हूँ।

डा. कर्ण सिंह : पिछले समय इस सदन में रक्षा मंत्रालय के बारे में चर्चा के बाद से, जैसा कि अनेक वक्ताओं में बहस में उल्लेख किया है, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है और तनाव में नरमी वास्तव में समाप्त हो चुकी है। महासागर तथा इसके आस पास ठण्डी हवायें चल रही हैं। एक नया ध्रुवीकरण चल रहा है। दुर्भाग्यवश अफगानिस्तान का मामला हल नहीं हुआ है और अफगानिस्तान से सेनाओं के हटने की अपेक्षा, वहां पर और ज्यादा रूसी टुकड़ियाँ इस समय मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

जिससे भय बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि यह भय इसके मित्रों के हितों की अपेक्षा शत्रुओं के दिलों में ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि नये प्रशासन के सत्ता में आने से अनेक लोगों के मन में प्रसन्नता की लहर आई है।

महोदय, ईरान-इराक युद्ध जारी है और पाकिस्तान को हथियारों से लैस करना हमारे राष्ट्रीय हितों पर सीधा आघात है। पाकिस्तान को हथियार दिए जाने के सम्बन्ध में भारत की प्रतिक्रिया के बारे में मैं एक-दो पश्चिमी अखबारों की टिप्पणियाँ पढ़ी हैं। मेरा आग्रह है कि 33 वर्षों का कटु अनुभव हमारे सामने है। सम्यवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान को बार-बार हथियार दिए गए हैं। कभी एक भी गोली ने सम्यवाद से लड़ाई की हो, मैं नहीं समझता, किन्तु ये हथियार हमेशा हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किए गए हैं। इससे हमारे नागरिक मारे गए हैं इनसे हमारी सैन्य टुकड़ियों को मारा गया है। हमें भी युद्ध करना पड़ सकता है। महोदय, हमें भी इस खतरे का सामना करना है।

महोदय, इस बात की बड़ी सम्भावनायें हैं कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ रही है—मैं इस्लामी बम अथवा पाकिस्तानी बम आदि की लम्बी कहानी की चर्चा नहीं करूंगा अपितु यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता काफी तेजी से बढ़ रही है। महोदय, ऐसी कोई बन्दूक नहीं हैं जो केवल एक ही दिशा में चलती हो तथा ऐसा कोई बम नहीं है, जिसे केवल एक ही दिशा में फेंका जा सके। इन सबसे हमारे देश पर, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है, अत्यधिक भार पड़ गया है। अमरीका अफगानिस्तान को घटना से काफी पहले से ही पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। दिवंगत श्रद्धेय डलेस के समय से वे अपनी पुरानी नीति का अनुसरण करते आये हैं''।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'दिवंगत श्रद्धेय' क्यों ?

डा. कर्ण सिंह : इसके फलस्वरूप वे हम पर अत्यधिक भार डाल रहे हैं जिसका हमें दो तरीके से मुकाबला करना है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि पहला तरीका राजनयिक प्रयास करना है। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की समस्या को हल करने में हमारी स्थिति अनन्य है। अफगानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं और सोवियत संघ के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस मामले को मात्र गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में न ले जाएं बल्कि इसे हल भी करें। इस समस्या के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही की जाए। आज केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसे अफगानिस्तान के मामले को न केवल इस लिए हल करना है कि यह अपने आप में अच्छी बात है अपितु इसमें हमारा अपना राष्ट्रीय हित भी अन्तर्निहित है। हमें संयुक्त राष्ट्र के साथ बात करनी है हमें अरब देशों के साथ बात करनी है और कुछ मित्र देशों के साथ बात करनी है, जिनकी पाकिस्तान के साथ कुछ रक्षा व्यवस्थायें हैं। हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं।

महोदय, हमें अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारी भी करनी हैं क्योंकि जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हम निश्चिन्त नहीं हैं, तब तक इस देश में किसी भी कार्य की कोई सार्थकता नहीं हैं। हमें गरीबी से युद्ध करना है किन्तु हम किसी भी रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को इसको प्राथमिकता नहीं दे सकते। और हमारे पास एक और महान आस्ति है—वह आस्ति, जिसका उल्लेख अनेक

सदस्यों ने किया है। यह महान आस्ति हमारी बहादुर सेनायें है। वर्ष 1948-49 से पिछले तैंतीस वर्षों में कश्मीर आप्रेशन—के बाद 19 1 तक हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं से निकट का सम्पर्क रखने का अवसर मिला है। मुझे याद है कि जब मेरे मित्र जनरल स्पैरो वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी क्षेत्र में थे। मैंने उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में देखा है। वे शानदार सेनायें हैं। गत सप्ताह हम मानभिषेक समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में थे, जहां अनेक संसद सदस्य उपस्थित थे। इस महान सेना को देखने का यह सौहार्दपूर्ण दृश्य था, जिसमें देश के कोने-कोने से, आये जवान अपने त्याग और बलिदान की दृष्टि से एक जुट थे और हमारे राष्ट्रीय हितों को भी धर्मों, सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं से सुरक्षित रखने के लिए तैयार थे।

महोदय, हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को जो सभी चीजें, जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उपलब्ध करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने उत्तरदायित्व को भलीभाँति पूरा कर सकें। रक्षा मंत्रालय की 4,200 करोड़ रुपये की अनुदान की माँग है। कोई भी इससे इंकार नहीं करेगा। किन्तु मैं प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। किसी भी रक्षा सम्बन्धी आयोजना और रक्षा सम्बन्धी परियोजना में, यह सर्वोपरि कहती है। इसमें देश की इसकी अर्थव यवस्था की है इसकी फैक्टरियों की, इसके खेतों की, इसके सार्वजनिक क्षेत्रों की, इसके निजी क्षेत्र को, इसके विश्व-विद्यालयों, आई. आई. टी. संस्थानों की कुल उत्पादक क्षमता अन्तर्विष्ट होती है।

मैं इस 'रक्षा योजना' के बारे में जानना चाहूंगा। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 4, पैरा 7 पर इसका उल्लेख किया गया है। किन्तु वास्तव में इस रक्षा योजना को कौन तैयार करता है? क्या संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भाँति इस देश में भी कोई ऐसा शीर्षस्थ निकाय है। क्या कोई ऐसा एक शीर्ष निकाय है जहां हमारी राष्ट्रीय नीति के बारे में एक साथ विचार किया जाता हो और तब योजना तैयार की जाती हो? हमें बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय के भीतर ही एक समिति है। यह पर्याप्त नहीं हैं। 'रक्षा' केवल रक्षा मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है. उससे कहीं अधिक है। इसमें राष्ट्र की सम्पूर्ण क्षमता अन्तर्गस्त है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस संगठन के बारे में सदन में प्रकाश डालें, यो इस योजना को तैयार करता है। क्या योजना को इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिसे तकनीकी विकास के फलस्वरुप अद्यतन बनाया जा सके और क्या हमारे पास भविष्य के लिए कोई वृहद योजना है?

दूसरा मुद्दा यह है जिसके बारे में मैं प्रधान मन्त्री से स्पष्टीकरण करूंगा। योजना के बाद प्रशासन तथा क्रियान्वयन का प्रश्न उठता है। हमारे यहाँ भारत सरकार में जो प्रकृति है वह पुनरावृति की है और उससे विलम्ब होता है। पद्धति को सरल बनाये जाने के बारे में चर्चा होती रही है। रक्षा सेनाओं में, विशेषकर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको पुराने कारणों तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परिस्थिति में जो किसी भी समय उपस्थित हो सकता है, सरल बनाने की आवश्यकता है। क्या मैं प्रधान मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने रक्षा प्रशासन को सुधारने के लिए सेना अध्यक्षों को अधिक शक्तियाँ देने के लिए वास्तव में कोई ठोस उपाय किए है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के सचिव को दी गई वितीय शक्तियों की तुलना में सेनाध्यक्षों को दी गई शक्तियाँ काफी कम हैं। जब तक कि शक्तियों का उचित विकेन्द्रीकरण नहीं किया जायगा, प्रशासन के सुधार नहीं किया जा सकता। और यह एक ऐसा युद्ध है, जिसके संबन्ध में मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सदन में इस पर प्रकाश डालें।

तीसरा युद्ध यह है कि रक्षा ढांचे में कुछ खामियां हैं। मैं तकनीकी कारणों से गहराई में नहीं जाऊंगा, विशेषकर पाकिस्तान की नई पुनः शस्त्रीकरण के फलस्वरूप, हमने अपने यहां एक आधुनिकीकरण योजना तैयार की है, जो कुछ समय पूर्व तैयार की गई थी। हम प्रधान मन्त्री से आश्वस्त होना चाहेंगे कि जो आधुनिकीकरण योजना अब ली जा रही है, क्या उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार दिए जाने से स्थिति बदल गई है, अतः आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाएगा जिससे कि हम इस क्षेत्र में किसी भी रूप में पीछे न रहें। पाकिस्तान के पास बहुत अधिक युद्ध क्षमता है। इसके अधिकारी तथा सैनिक ग्रुप अन्य अनेक देशों में पाकिस्तान से भी बाहर हैं और वे काफी अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसको हमें नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या हमारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसका सामना कर सकेगा ?

बहुत से अन्य मुद्दे भी हैं किन्तु मैं अन्त में केवल दो ही मुद्दों की ओर संकेत करता हूं तथा भाषण समाप्त करता हूं।

गत वर्ष भी मैंने यह सुझाव दिया था कि पुनर्वास महा निदेशालय के स्थान पर जो भूतपूर्व सैनिकों की अवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है, एक पुनर्वास आयोग होना चाहिए। मैंने यह कहा था कि आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जिससे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का कार्य पूरा किया जा सके। इस सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में संकल्प पारित किया गया था इनका हर व्यक्ति समर्थन करेगा। भूतपूर्व सैनिक जोकि अपने जीवन का सर्वोत्तम समय सीमाओं पर बिताते हैं जिससे कि हम सब शांति से हो सकें उनके लिए आरक्षण के बारे में क्या किया गया है ? उन व्यक्तियों के लिए आरक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था है जो चनसनूल में 14,00 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं और जो लोग बाल और किशनगढ़ में रहते हैं जहां पर गरमी के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेट होता है। क्या उनके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए ? क्या हमें यह संकल्प पारित नहीं करना चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण किया जाये ? उनको यह सुविधा नहीं दी जाती। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण नहीं दिया जाता जहां राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के प्रति उल्टा असद्भाव पूर्ण रवैया अपनाती हैं—मैं किसी राज्य विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। यह इस संसद का कर्त्तव्य है। वे लोग राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग व्यतीत करते हैं। मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि उसके बारे में कुछ किया जाए। जिन्हें कि इस समस्या की जानकारी है।

अन्त में, कल एक बहुत मजेदार दार्शनिक बात कही गयी थी कि क्या आक्रमण मानव स्वभाव का एक अंग है अथवा नहीं है। प्रधान मन्त्री ने कहा कि जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हम युद्ध समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि जैसे-जैसे सभ्यता पनपती है सामरीक घटनाओं में वृद्धि होती है। आज विश्व में इतने अधिक परमाणु हथियार उपलब्ध हैं कि उनसे प्रत्येक व्यक्ति से बारह बार मारा जा सकता है, संसार की चार बिलियन जनता को बारह बार मारा जा सकता है। यह हमारी सभ्यता के विकास का परिणाम है। मेरा अपना विचार यह है कि इस समस्या का समाधान केवल तभी किया जा सकता है जब

हम चेतना के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ें। मुझे विश्वास है कि एक दिन इस सदन में मानव सभ्यता और चेतना के भविष्य के बारे में चर्चा करनी होगी। इस स्तर पर मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जब तक इस स्तर पर हैं तब तक हमें गीता में कृष्ण के इस कथन को ध्यान से देखना होगा।

तस्मात् उत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय:

इसीलिए मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं भारत की रक्षा नीति के बारे में कहना चाहता हूं। भारत की मौलिक रक्षा नीति केवल युद्ध टालने की नहीं होनी चाहिए बरन युद्ध को निवारण करने की होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत को युद्ध में भाग न लेना पड़े। जब कभी युद्ध आरम्भ होता है हमारी यह नीति होनी चाहिए। कि भारत उसमें अन्तर्ग्रस्त न हो। हमें उससे बचे रहना चाहिये। मेरे विचार से हमारा अन्तिम लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि विश्व में युद्ध न हो किन्तु वर्ग भेद वाले उस समाज में यह तो स्वप्न ही है युद्ध अन्य तरीकों से राजनीति का सतत रूप है।

साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए जो हमारे चारों ओर घटित हो रहा है। हमें अमरीकी चाल का पता है तथा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के षडयन्त्र की जानकारी है। पाकिस्तान से नहीं बरन अमरीकी चाल से पूरे क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमें इसकी सबसे अधिक चिन्ता होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि अकेले पाकिस्तान का भारत के साथ किसी प्रकार से कोई मुकाबला नहीं है इसे चाहे जितने हथियार क्यों न मिल जायें। यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है पाकिस्तान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा कोई पागल व्यक्ति ही भारत पर आक्रमण करने की सोच सकता है महोदय हमारा देश रक्षा पर अत्यधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकता इस खर्च में बहुत कमी होनी चाहिए क्योंकि हम इसका वहन नहीं कर सकते। यदि हम यह कह पायें तो हम 2,000 करोड़ रुपयों की मुद्रा स्फीति को समाप्त कर सकते हैं जो कि श्री वेंकटारामन के बजट द्वारा उत्पन्न की गई है।

चूंकि परमाणु शक्तियाँ, परमाणु हथियारों को नहीं त्याग रहीं तथा वे देश जनता को कोई ऐसा विश्वास नहीं दिलना चाहती कि वे परमाणु हथियारों का आक्रमण करने में पहल नहीं करेंगे, मेरे विचार से भारत को अणुबम बनाने तथा परमाणु सक्षमता उपलब्ध करने का पूरा अधिकार है। भारत ऐसा करेगा या नहीं यह दूसरी बात है। किन्तु मेरे विचार से विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे यह अधिकार हो कि वह भारत द्वारा परमाणु विस्फोट या परमाणु बम बनाने पर उंगली उठा सके। ऐसा किया जाता है या नहीं यह अन्य बात है।

महोदय स्थल सेना, वायु सेना, और नौसेना उच्च अधिकारियों में बड़ा असंतोष है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अखिल भारतीय कैडट कर्मचारियों की तुलना में उनके पदोन्नति के अवसर बहुत सीमित हैं।

जवानों के साथ घटिया सुलूक किया जाता है, जवानों की ओर यथा सम्भव ध्यान दिया जाना चाहिए। उनसे आमतौर पर ऐसा घटिया दर्जे का काम कराया जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

जहां तक रेजीमेंटों के नामकरण का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि जिन रेजीमेन्टों के नाम राज्यों के नाम पर रखे गए हैं उनको तोड़ देना चाहिए अथवा फिर भारत के सभी राज्यों के नाम पर रेजीमेन्ट होनी चाहिए पंजाब रेजीमेन्ट, महाराष्ट्र रेजीमेंट, कर्नाटक रेजीमेंट, बंगाल रेजीमेंट आदि। या तो आप इसे समाप्त कीजिए या फिर सभी के मामले में ऐसा कीजिए अन्यथा इससे असंतोष होगा।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद देश की निगरानी करती है और रक्षा सम्बन्धी मांगों पर इस चर्चा से माननीय सदस्यों को हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विचार विमर्श करके यह कार्य करने का एक अवसर मिलता है। हमारे देश की सुरक्षा और एकता के बारे में सभा के सभी सदस्य चिन्तित हैं। इस चर्चा के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण और उपयोगी मुद्दे उठाये गए हैं तथा विदेश कार्यों पर चर्चा के दौरान की क्योंकि रक्षा और विदेश कार्य दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं जैसा कि बहुत से सदस्यों ने कहा है। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

हमारी रक्षा सेना की विशेषता यह है कि वह हमारी सामाजिक स्थिति के अनुरूप है। सेना हमारे समाज का अभिन्न अंग है। हमारा देश किसानों का देश है। किसान का बेटा खेत भी जोतता है, कारखानों में काम भी करता है तथा सेना में भी भरती होता है। अतः जवान हमारी जनता की समस्याओं से पूर्णतः सीमित है। दूसरे, जब भी असैनिक अधिकरियों की सहायता के लिए सेना को बुलाया जाता है, जैसे कि बाढ़ अथवा सूखा जैसी प्राकृतिक अपराधों के समय अथवा समाज को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और सेवायें उपलब्ध कराने के लिए उसे बुलाया जाता है तब सेना बड़ी सराहनीय कार्य करती है दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा उन स्थानों पर जो युद्ध के दौरान हमारे अधिकार में आ गये तथा बाद में लौटा दिए गए उन स्थानों पर चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं की भारी कमी है और हमारे जवान स्थानीय लोगों को राहत पहुँचाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते तथा इसके अतिरिक्त वे अपने दायित्वों का भी निर्वाह करते हैं।

अन्तिम वक्ता से पहले वक्ता सेना के साथ अपनी निकटता का बखान कर रहे थे, मैं भी यह कह सकती हूं कि मैंने अपने सीमावर्ती सभी क्षेत्रों का दौरा किया है तथा मैंने कुछ पाकिस्तानी क्षेत्रों का भी दौरा किया था जिनको हमने जीत लिया था। वहाँ की स्थानीय जनता मेरे पास आई थी तथा उन्होंने कहा था कि ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ क्यों नहीं रहते ?

डा. कर्णसिंह : मैं शेखी नहीं बघार रहा था वरन गर्व के साथ याद कर रहा था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं अपने जवानों और अफसरों को उनकी सराहनीय सेवा भावना के लिए बधाई देती हूं।

सीमित संसाधनों के साथ मेरी सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के साथ यथा सम्भव सुविधा दान करने का प्रयत्न किया है चाहे यह आवश्यक आधुनिकीकरण के लिये हो अथवा उनके समग्र रूप से उत्थान और पुनर्वास के लिए हो।

दूसरी बात, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ वह यह है कि रक्षा योजना समिति रक्षा

मंत्रालय का अंग नहीं है। यह अन्तमंत्रालयी संगठन है जिसमें वित्त, योजना, और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं तथा मंत्रिमंडल सचिव इसके समापति हैं

मैं इस अवसर पर सरकार के इस वचन को दोहराना चाहती हूँ कि सशस्त्र सेनाओं को पूर्णत: सुसज्जित रखा जायेगा जिसमें न केवल इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि उनके पास उपकरणों का अभाव न हो वरन् सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। सामान्यत. जब हम आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाते हैं हमें समस्त प्रकार के विकास को ध्यान में रखना होता है क्योंकि ऐसी योजना का कोई लाभ नहीं होता जिसमें हमारे चारों ओर की विभिन्न घटनाओं की उपेक्षा की जाती है।

अनुशासन और साहस के लिए हमारे जवान और अफसर प्रसिद्ध हैं। शांतिकाल में, जब राष्ट्र का ध्यान उनकी ओर नहीं होता वे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते रहते हैं, उनमें से कुछ अत्यन्त कष्टप्रद वातावरण में प्रतिकूल जलवायु में तथा अपने परिवारों से बहुत दूर तथा ऐसे स्थानों पर जहां कोई सामाजिक जीवन या सुविधा नहीं होती, रहते हैं। वे अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं। मैं सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से सराहना करती हूँ। तथा उनको बधाई देती हूं। विश्वास है यह सभा भी यही करेगी।

समस्यायें अवश्य हैं। सैनिकों को सदा तैयार और सक्षम रहना होता है। सेना में जवान व्यक्तियों को रखना होता है और इसी कारण अपेक्षाकृत कम आयु में 70,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष सेना से सेवा निवृत्त होते हैं। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करना राष्ट्र का दायित्व हो जाता है। हम इस प्रश्न को अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न मानते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से यह अनुरोध किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखा जाये। हमारे भूतपूर्व सैनिक अनुशासित तथा प्रशिक्षित हैं तथा ऐसा कोई कारण नहीं है जिनसे उन्हें विभिन्न विकास कार्यों में रोजगार देकर लाभ न उठाया जा सके

महोदय मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कटौती प्रस्ताव में हमारी सेनाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी बताई गई है। मुझे विश्वास है कि शेष समस्त सभा इस बात से सहमत होगी कि इसके विपरीत इस मामले में सैनिक हमारे लियेए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते है कुछ कटौती प्रस्तावों में रक्षा बजट में काफी वृद्धि करने की मांग की गई है। मैं माननीय। सदस्यों की चिंता को समझते हुये उन्हे यह याद दिलाना चाहती हूँ कि हम यह नहीं चाहते कि युद्ध तंत्र बनाया जाये या हथियारों के लिए दौड़ लगाई जाये। हमारा मुख्य ध्येय यह है कि हम अपनी शांति और विकास में दूसरों को बाधा बनने से रोक सकें। हमारे संसाधन सीमित हैं। रक्षा एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है तथा यह राष्ट्रीय प्रयासों का एक भाग ही है, हमे सामाजिक आर्थिक विकास को क्षति पहुचाकर नहीं बनाया जा सकता और नहीं सशक्त आर्थिक आधार अथवा एकीकृत अनुशासित और संतुष्ट समाज के बिना यह प्रभावकारी हो सकता है। परिस्थितियों में हमने रक्षा क्षेत्र के लिए अपने संसाधनों का अत्यंत न्यायसंगत तरीके से नियतन किया है। वर्ष 1980-81 के लिये हमने बजट अनुमानो में मंजूर राशि में 200 करोड़ रुपयों की वृद्धि की है तथा वर्ष 1981-82 को लिये हमने थोड़ी सी वृद्धि की है जिससे कुल रक्षा बजट बढ़कर 4200 करोड़ रुपये हो गया। इस वृद्धि में उपकरणों की लागत में वृद्धि तथा वेतन भत्ते और पेशन

की व्यवस्था भी सम्मिलित है। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम रक्षा काम में कमी को तथा अन्य सदस्य यह अनुभव करते हैं कि हम बहुत अधिक राशि खर्च कर रहे हैं।

कुल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के बारे में रक्षा पर हमारा व्यय विश्व में सबसे कम है। 1979 में यह इस प्रकार था; भारत 3.9; अमरीका 5.2; सोवियत संघ 11.13; और यू. के. 4.9 पाकिस्तान में यह इस प्रकार था 1979 में 5.7 पाकिस्तान के बारे में हमारे पास नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के व्यय के रूप में रक्षा पर हमारा व्यय अधिकांश देशों की तुलना में कम किन्तु हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमारी रक्षा सेवाओं की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जायें तथा धनराशि के अभाव के कारण कोई बाधा न आये।

सशस्त्र सेनाओं के सभी क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए हमारे कार्यक्रम भावी पर्यावरण की सुरक्षा के सन्दर्भ में जारी हैं। आग्नेय शक्ति, गतिशीलता और हमारी सेना के संचार साधनों के वृद्धि के लिये योजनाएं मंजूर की गई हैं। यद्यपि मुख्य सामरिक टैंकों का स्वदेश में निर्माण करने के लिये हमारे प्रयत्न जारी हैं तथापि हमने तब तक के लिए नये हिसाब के युद्ध टैंक खरीद लिए हैं। मिग 23 विमानों तथा जैगुआर विमानों की खरीद से वायुसेना अधिक समर्थ हो गई है। नौ सेना के लिये हमने पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज लाने तथा आम कार्यों के लिये फ्रिगेट और सुरंग हटाने वाली बातों को प्राप्त करने का कार्यक्रम सुलझा भी दिया है। एम.एम. के पनडुब्बियों की खरीद सम्बन्धी बात-चीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

इस क्षेत्र में तथा अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य आत्म निर्भरता प्राप्त करना है। नया रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग आधुनिक उपकरण तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है। हम उत्पादन प्रतिष्ठानों के आस पास सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे आयुध कारखाने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनमें मशीनगन से लेकर बम तथा पनडुब्बी भेदी प्रोजैक्टाइल सम्मिलित हैं तथा ये तीनों सेनाओं के लिये हैं, उत्पादन के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हुई हैं जैसे भी आप मशीन गन का उत्पादन जिनमें देश में बने कलपुर्जे लगे हैं, 9 एम. एम. आटोमिस्टल का विकास एयर फील्ड लाइटिंग-उपकरण आदि।

सर्वोत्तम रक्षा युद्ध का निवारण है तथा इन वर्षों में भारत यही प्रयत्न करता रहा है तथा हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यही है। चूंकि हमारे विदेश मन्त्री ने बहुत व्यापक दृष्टि से स्थिति का विश्लेषण किया है तथा इन मामलों पर विचार व्यक्त किये हैं, कुल देशों के साथ हमारे सम्बधों, विशेषण का पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों का बयान किया है तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन की हाल की घटनाओं का उल्लेख किया है तथा अन्य संगत प्रश्न पर प्रकाश डाला है जैसे कि उत्तर दक्षिण की समस्याएं, अतः मैं उन पर पुनः कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझती।

एक मुद्दे पर विश्व में यदि मतैक्य नहीं तो लगभग सर्व सम्मति है। गत दो दशकों में अन्तरराष्ट्रीय विचारधारा इतनी चिंताजनक कभी नहीं हुई जितनी आज है। यह केवल मेरा अनुमान नहीं है वरन पाँच महाद्वीप में विश्व के नेताओं का यही विचार है जिनसे मैं गत वर्ष मिल चुकी हूं। मैं चिंता अथवा अतिश्योक्ति से नहीं कह रही हूँ। फिर भी मैं यह चेतावनी देना

चाहती हूं कि इस बार हम निश्चिन्त होकर नहीं बैठ सकते अथवा पीछे बैठकर यह आशा नहीं कर सकते कि मामला किसी प्रकार सुलझा ही जायेगा। मैं सभी देशों से अधिक प्रयास करूंगी जिससे शांति बनाई जा सके तथा स्थिति को विस्फोटक अथवा संहारक होने से रोका जा सके? शांति बनाये रखने के लिए मुख्य रूप से बड़ी ताकतें जिम्मेदार हैं, उनका लड़ाकू दृष्टि दौरा अन्य देशों को अपनी लपेट में ले लेगा। छोटे देशों में जो होता है उनमें से अधिकांश घटनाएं बाहरी जालशाजी या तोड़ मरोड़ों का परिणाम होती है। फिर भी हमारे जैसे देशों को जो सेना की दृष्टि से या अन्य पहलुओं से बड़े नहीं हैं, अकेले तथा परस्पर मिलकर अपना हित देखना चाहिए हमारी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये, अपनी अर्थ व्यवस्था बनाने के लिए तथा राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शांति हमारे लिए परमावश्यक है।

विश्व के एक से अधिक भाग में वास्तव में लड़ाई हो रही है। बहुत से अन्य क्षेत्र बारूद से भरे डिब्बों के समान है जो माचिस की एक तिल्ली के जलते ही नष्ट हो सकते हैं। शीत युद्ध यूरोप से हिन्दमहासागर की ओर रूख बदल रहा है जैसा कि उल्लेख किया गया है हमारा दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर नजर गड़ी हैं, अब हमारे क्षेत्र में हथियार जमा किए जा रहे हैं न केवल हिन्दमहासागर के आसपास कई देशों में।

हमें बताया गया है कि हमारे क्षेत्र को सैनिक अड्डा बनाये जाने का उद्देश्य एक बड़ी ताकत के विस्तारवादी गतिविधियों का दूसरी ताकत द्वारा रोका गया है तथा खाड़ी क्षेत्र में शान्ति बनाये रखना है। हमारे विचार से यह नीति उत्पादित विरोधी है, इससे वास्तव में अफगानिस्तान में राजनीतिक स्तर पर बात-चीत के द्वारा हुये समझौते को रोका जायेगा न ही इससे खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति व्यायाम रखी जायेगी। खाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से खाड़ी के देशों की ही होनी चाहिये जिन्हें किसी बाहरी हस्तक्षेप की तथा अपने भविष्य के निर्माण में किसी दबाव की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

अफगानिस्तान में विद्यमान संकट तथा ईरान-इराक में जारी युद्ध से बहुत से देशों को प्रोत्साहन मिला है। हमें यह गम्भीर चिन्ता बनी हुई है कि अभी अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार के कोई लक्षण नहीं हैं। हमारा यह दृढ़ मत है कि उस देश में तथा अन्य भी किसी भी बाहरी ताकत को उपस्थित नहीं रहना चाहिए किन्तु यह सोचना भी गलत होगा कि केवल किसी एक देश द्वारा ही हस्तक्षेप किया गया है। हमारा यह सुझाव कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहिये, उस समय भी अधिकसशक्त था जब यह समस्या उत्पन्न हुई थी क्योंकि इस सम्पूर्ण क्षेत्र मे बड़ी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ता जायेगा। कोई ऐसा समाधान होना चाहिये जो सभी सम्बद्ध पार्टियों के विचारों को संतुलित कर सके।

अफगानिस्तान की घटना से पाकिस्तान द्वारा अधिक हथियारों की मांग तथा अन्य देशों द्वारा उससे हथियारों की सप्लाई के लिए बहाना मिल गया है। हमें भी इस बात से चिन्ता हो रही है कि कुछ क्षेत्रों द्वारा यह दुर्भावनापूर्ण अभियान आरम्भ किया है कि भारत के रवैये के कारण पाकिस्तान को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। यह नितांत हास्यास्पद तथा असल है।

प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा की देखभाल करें। किन्तु हमें याद

रखना चाहिए कि गत 10 वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी रक्षा शक्ति को दुगना कर लिया है। किन्तु तब हमने कोई आपत्ति नहीं की वर्तमान गतिविधियों में अन्तर है।

अब पाकिस्तान की सुरक्षा एक बार फिर एटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक, बीच में हिन्द महासागर को छोड़ कर एक बहुत बड़ी सामरिक गुटबन्दी, का अंग बन गई है। इससे हम चिंतित हैं।

पाकिस्तान के गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश की हम स्वागत करते हैं। परन्तु क्या उनकी नीतियां गुट निरपेक्ष आंदोलन के अनुरुप हैं या वे पुरानी नीतियों की ओर जा रहे हैं।

सरकारी तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि वह आणविक बम नहीं बना रहा है। परन्तु उनके इनकार करने से विश्व में कहीं भी भय तथा सन्देह कम नहीं हुआ है। वास्तव में पश्चिम के देशों में ही पाकिस्तान के आणविक बम की तैयारी का विस्तृत ब्यौरा निकलता रहता है। यदि पाकिस्तान ने आणविक बम बना लिया तो सारे उपमहाद्वीप पर उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। हम इन घटनाओं के प्रति सजग है। और सदन का विश्वास दिलाते है कि हम उनके अनुरूप कार्यवाही भी करेंगे। हमारी नीति आणविक उर्जा का उपयोग। केवल शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करने की है तथा आणविक हथियारों के निमार्ण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की है।

पाकिस्तान के विदेश मत्री श्री आगाशाही यहां दो बार आए हैं। उनके निमंत्रण पर तथा शिमला समझौते के अनुसरण में हमारे विदेशमंत्री भी शीघ्र इस्लामाबाद जाने वाले हैं। शिमला समझौते के पश्चात, यह यात्रा पाकिस्तान के साथ मैत्री पूर्ण संबन्ध बनाए रखने के लिए है। विरोधी पक्ष के कुछ नेता सदन से बाहर यह कह कर खुश होते हैं कि भारत इतना विशाल देश है कि इसे पाकिस्तान से भय की कोई बात नहीं है। हमें पाकिस्तान या किसी अन्य देश से कोई भय नहीं है। देश आकार में बड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि वह मजबूत है वास्तव में यह कार्य एकता और अनुशासन के बिना संभव नहीं है। परन्तु हमें अपने क्षेत्र में शांति तथा पड़ोसियों की स्थिरता चाहते हैं। मैंने आशा की थी कि अनुभवशील नेता दूरदर्शिता से काम लेंगे। हमने अमरीका सरकार को सीधे अपने राजदूत के माध्यम से तथा श्री जी. पार्थसारथी के माध्यम से, जो कि वहाँ किसी अन्य कार्य से गये थे, अपना विरोध प्रकट कर रहे दिया है अमरीका सरकार का उत्तर उस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से मिलेगा। मित्रता तथा सहयोग के हमारे प्रयास जारी हैं और जारी रहेंगे। परन्तु इसके साथ ही हमें वास्तविकता या सामने दिखाई दे रहे खतरे की अनदेखी नहीं करनी चहिए। भारत ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है जो पड़ोसी देश के लिए खतरा बने। वास्तव में हमने उन्हें उनकी सुरक्षा तथा एकता के समान की अपनी नीति के बारे में बार-बार विश्वास दिलाया है। हम चाहते हैं कि वे शांति से रहे तथा स्थिरता कायम रखें: वास्तव में हमारे देश का सामजिक- आर्थिक विकास पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं से है। श्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा 25 वर्ष पहले कहे गए शब्द " कि शीत युद्ध हमारे निकट आ गया है " एक बार फिर सच हो गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति से धीरे-धीरे जो हमने 30 वर्षों में लाभ हुआ था यह सब युद्ध की गर्म हवा में बह गया है अफगनिस्तान और खाड़ी के देशों में जितनी गभीर स्थिति है वह शीत युद्ध के सामने अभी गभीर भी नहीं है यूरोप के शक्तिशाली देशों तथा अमेरीका का एशिया तथा अफ्रीका के विकासाधीन तथा विकास शील देशों

की भूमि पर अपनी लड़ाई लड़ने का खास शौक है। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में समुद्री जल भी है।

हम अमरीकी प्रशासन के कुछ प्रवक्ताओं के भाषण के कारण चिंतित हैं जिनके कारण उनके कुछ निकट सहयोगियों में भी चिन्ता फैल गई है। हमें आशा है कि यदि उनकी सरकार जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निष्पक्षता से अध्ययन करेगी तो वह तनाव कम करने की आवश्यकता को अधिक समझेगी। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि सैनिक समाधान अस्थायी होती हैं। और उनसे नई समस्याए जन्म लेती हैं। अतः बातचीत के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में प्रेजीडेंट ब्रेजनेव जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए। शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी महाशक्तियों की है। परन्तु अभी हाल ही की घटनाओं से देखने में आया है कि महाशक्तियां सदैव अपने ही मार्ग पर चलती हैं। अन्य देश उचित वातावरण बनाने तथा शांति की आवाज उठाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ देशों ने आरोप लगाया है कि हम किसी विशेष देश पर आश्रित हैं। यह आरोप निराधार है। इससे यह पता चलता है कि किसी प्रकार लोग तथा माननीय सदस्य स्वार्थी तत्वों द्वारा किए जा रहे प्रचार से प्रभावित हुए हैं। यह आरोप राष्ट्र विरोधी है और इसका प्रभाव हमारी सेना के मनोबल पर पड़ता है। हमने एक मजबूत तकनीकी आर्थिक आधार बनाया है। जब कभी हमें अन्य देशों से उपकरण मगाने होते हैं तो हम नवीनतम प्रौद्योगिकी के विकास से अवगत रहने के लिए करते हैं और विभिन्न आधारों की तुलना करते हैं और वही उपस्कर मंगाए जाते हैं जो देश के हित में हों तथा हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत के अनुरूप उपकरण और सामग्री प्राप्त हो हम केवल एक देश से नहीं बल्कि कई देशों से जैसे फ्रांस जर्मनी, इटली, स्वीडन, यू. के. अमरीका रूस और अन्य देशों से उपकरण आयात करते हैं। इस कारण आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देश फालतू पुर्जों की सप्लाई के मामले में नाजायज फायदा नहीं उठा सकता।

भारत न केवल बड़ा देश है बल्कि इसके कई ऐसे द्वीप हैं जिन्हें विदेशी खतरा पैदा हो गया है। उनकी रक्षा के की जिम्मेदारी हमारी है विदेशी पोत इन दूरस्थ द्वीपों में तथा हमारे समुद्रों में अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इन द्वीप समूहों की रक्षा सुदृढ़ करने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं।

लक्षद्वीप और अंडेमान के मेरे दौरों के समक्ष एक प्रश्न उठाया गया था कि जब हम भारत की लम्बाई की बात करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी बताते हैं। और यह जोर देकर बताया गया कि मिनीकाय तथा पिगमेलियन दोनों ही प्वायंट हमारे दक्षिण से हैं और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि भविष्य में भारत के आकार के बारे में बोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाए।

डा. करण सिंह : लद्दाख से पिगमेलियन तक।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इससे मुझे हमारे समुद्रों के मसले पर बोलने का मौका मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों तथा संचार की दृष्टि से समुद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्षों के दौरान बड़ी शक्तियों ने समुद्र को अपनी जायदाद समझ

रखा था। परन्तु हाल ही के वर्षों में समुद्र सीमा निर्धारित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं तब तक हमें अपने वैध अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सर्तक रहना होगा हम अपने समुद्र तटीय संगठनों को मजबूत बना रहे हैं और हमारी समुद्र सीमा में अन्य देशों द्वारा मछली पकड़ना अवैध घोषित करने के लिये विधान जा रहा है। और समुद्र विकास सम्बन्धी एक नया विभाग खोला जा रहा है और इसके बाद समुद्र आयोग बनाया जाएगा।

विदेशी खतरे का आशय यह नहीं है कि बाहर से कोई सैनिक आक्रमण होगा। राष्ट्रीय एकता को हानि पहुँचाने के लिए अन्य प्रयास भी किए जा सकते हैं। कुछ बाहरी तत्व हमारे देश में विघटनकारी आंदोलनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन लोगों की ओर ध्यान आकर्षित किया था जिन्होंने पृथकतावादी प्रवृति की वकालत की थी। आज भी हमारे देश के अन्य भागों से अलग राष्ट्र बनाने की गैर-जिम्मेदार तथा उससे भी अधिक अनिष्टकारी आवाज सुनाई दे रही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह आवाज उन भागों से सुनाई दे रही है जहाँ के बेटे-बेटियों ने हमारे देश के विकास के लिये कड़ी मेहनत की तथा हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिये बलिदान दिए मैं एक प्रश्न, जोकि एक माननीय सदस्य ने उठाया है, के बारे में बताना चाहती हूँ उन्होंने सभ्यता के बारे में प्रश्न उठाया है। सभ्यता का औद्योगिक विकास से संबंध नहीं है या सभ्यता इससे प्रभावित नहीं है और सभ्य लोगों से मेरा मतलब उन लोगों से है जिनका मस्तिष्क सभ्य है·····(व्यवधान) मेरे विचार से किसी अमरीकन कवि ने ठीक ही कहा है कि :—

"जहां धन संचय होता है, वहां दुराचार फैलता है और मानवो का ह्रास होता है।"

डा. करण सिंह : यह ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां, यह गोल्डस्मिथ ने।

प्रो. मधु दण्डवते : यह एक ऐसा मामला है जिस पर देश में सहमति हो सकती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अतः हमें इस प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है। यह कार्य दीर्घविधि का है। परन्तु हमें आशा है कि धीरे-धीरे हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुँच जाएंगे। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने हमारे सेनाध्यक्षों की सीनेटर प्राइस से मुलाकात की बात कही है। मुझे बताया गया है कि वे न तो अलग से और न ही संयुक्त रूप से सीनेटर प्राइस से मिले थे।

जैसा सभी सदस्य जानते हैं कि सुरक्षा कई अन्य बातों से प्रभावित तथा निर्भर करती है रक्षा विभाग मंत्रालय को अपने पास रखने की वजह यही है कि निकट समन्वय बना रहे और प्रभावशाली संस्थानिक व्यवस्था हो सके। आधुनिक सुरक्षा के साथ है रक्षा, एवं विदेश नीति

एवं आत्म निर्भर प्रौद्योगिकी जुड़ी हुई है। इसका आधार अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक एकता और सामाजिक सौहार्द है। परन्तु अन्तत. जनता का मनोबल और देश भक्ति ही इसकी कसौटी है। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने बताया है कि वियतनाम के पास न तो पैसा था, न औद्योगिक क्षमता थी और न ही सैनिक उपस्कर थे लोग गरीब थे और अपनी सभी आवश्यकताओं में कटौती करते थे। फिर भी जिस प्रकार उन्होंने एकता के साथ सबसे शक्तिशाली देश का मुकाबला किया वह आज के समय की सबसे साहसिक कथा है हमारी अपनी आजादी की लड़ाई भी पक्का इरादा, साहस और हिम्मत का उदाहरण है। भारतीय जनता में ये सब गुण काफी मात्रा में मौजूद हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे जनता का ध्यान अन्य बातों में न उलझाएं।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कटौती प्रस्तावों को वापस लेकर सर्वसम्मति से अनुदानों की मांग को स्वीकृत करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री की अपील को देखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सभी कटौती प्रस्ताव वापस लिए जा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही खुशी की बात हैं कि कुछ सदस्यों द्वारा रखे गए सभी कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

(सभी कटौती प्रस्ताव सदयस्यों की अनुमति से वापस ले लिए गए)

उपाध्यक्ष महोदय :प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रक्षा मंत्रालय संबन्धी मांग संख्या 19 से 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिये पेश किये गये लेखानुदान में मांग की रकम	
	रक्षा मंत्रालय		
		राजस्व रु.	पूंजी रु.
19.	रक्षा मंत्रालय	26,13,07,000	174893000
20.	रक्षा सेवाएं थल सेना	404,07,09,000	...
21.	रक्षा सेवाएं-नौ-सेना	49,87,58,000	...
22.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	165,30,83,000	...
23.	रक्षा सेवाएं-पेंशनें	47,19,28,000	...
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय ...		67,27,33,000

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा संख्या यू० 11013/1/81—दिल्ली हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के आदेश में संशोधन किया गया है जिससे कि दिल्ली नगर निगम को 11 अप्रैल, 1981 से 6 महीने के लिए और निरस्त रहने की अवधि को बढ़ाया जा सके ।

(2) अधिसूचना जारी करने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 2316/81]

6.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1981/20 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6